



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 1—अक्टूबर 7, 2016 (आश्विन 9, 1938)  
No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 1—OCTOBER 7, 2016 (ASVINA 9, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग IV

[PART IV]

[गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएं]  
[Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies]

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF INDIA. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER  
Controller of Publication

I, hitherto known as Abdulshahid S/o Abdurashid Dafedar, Occ: Floor Business, residing at Behind KKGS Road, Near Alik Roza Halli colony Vijaypur (Karnataka), have changed my name Abdulshahid Abdurashid Kazi.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Abdulshahid Dafedar  
[Signature (in existing old name)]

CHANGE OF NAME

I, hitherto known as Rahul Mishra S/o Mr. Vijay Kumar Mishra, R/o B 201, 2nd Floor, Neelanchal Apartment, Plot No-3, Sector-4, Dwarka, Delhi-110075, have changed my name and shall hereafter be known as Rahul Meena Mishra.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Rahul Mishra  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Abdurashid S/o Nawabsab Dafedar, Occ: Business, residing at KKGS Road, Near Alik Roza Halli colony Vijaypur (Karnataka), have changed my name Abdurashid Nawabsab Kazi.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Abdurashid Dafedar  
[Signature (in existing old name)]

नैशनल कोमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड

मुंबई

एफएमसी के सेबी के साथ विलय के अनुरूप तथा एफसीआर अधिनियम, 1952 के निरस्त होने के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (बोर्ड) के निर्देशों के अनुरूप नैशनल कोमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज उप नियम, 2003 तथा नैशनल कोमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज नियम 2003 में संशोधन कार्यान्वित किये गये हैं। प्रतिभूति संविदाएं (विनियम) नियम, 1957 के नियम 18 के अनुरूप, नियमों तथा उप नियमों में संशोधन भारत के राजपत्र भाग 4 में, शनिवार, 21 मई 2016, शुक्रवार, 27 मई 2016 में प्रकाशित किये गये।

एक्सचेंज के नियम तथा उप नियम, सेबी द्वारा उनके पत्र क्र. सेबी/एचओ/सीडीएमआरडी/डीईए/ओडब्ल्यू/पी/2016/25792/1 दिनांक सितंबर 14 2016 द्वारा निम्नानुसार संशोधन/ अनुमोदित किये गये हैं।

नियम

1. परिभाषाएँ

1. "निदेशक मंडल" से नैशनल कोमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड का निदेशक मंडल अभिप्रेत है।
2. "उप-नियम" से नैशनल कोमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के वर्तमान में लागू उप-नियम अभिप्रेत है।
3. "एक्सचेंज" से अभिप्रेत कोमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड तथा कोमोडिटी डेरिवेटिव्स में या किसी अन्य उत्पादों/प्रतिभूतियों, जो सेबी द्वारा अनुमत और/या अनुमोदित हों में लेनदेनों के निष्पादन के लिए परिसर और/या सिस्टम।
4. "समाशोधन बैंक" से ऐसा बैंक अभिप्रेत है, जिसे एनसीडेक्स, एक्सचेंज के माध्यम से समाशोधित सभी सौदों के लिए मार्जिन राशि वसूल करने और समाशोधन सदस्यों और समाशोधन-गृह के बीच और समाशोधन-सदस्यों के बीच, समाशोधन-गृह द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट अन्य किसी निधि-अंतरण के लिए निधि के निपटान अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करे।
5. "समाशोधन सदस्य" से अभिप्रेत एक व्यक्ति जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त समाशोधन गृह निगम में समाशोधन तथा निपटान अधिकार हों तथा उसमें एक्सचेंज पर समाशोधन तथा निपटान अधिकार रखनेवाला कोई व्यक्ति शामिल किया जायगा।  
बशर्ते कि, एक्सचेंज के ऐसे समाशोधन सदस्य को, सेबी द्वारा निर्धारित दिनांक से मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम का सदस्य बनना अपेक्षित होगा।
6. "समाशोधन-गृह" से एक्सचेंज का प्रभाग या सम्बद्ध प्राधिकारी या समाशोधन निगम जैसी किसी स्वतंत्र सत्ता द्वारा अभिज्ञापित कोई अभिकरण अभिप्रेत है, जिसे समाशोधन-सदस्यों/व्यापार-सदस्यों और सहभागियों द्वारा एक्सचेंज में किए गए व्यापारों के लिए, उनके बीच सुपुर्दगी और भुगतान की प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करने के कार्य हेतु उपयुक्त रीति से स्थापित और अधिकृत किया गया हो।
7. "माल" से अभिप्रेत एससीआरए की धारा 2 (बीबी) में दिया गया अर्थ होगा।
- 7ए. "कोमोडिटी डेरिवेटिव" का अर्थ, एससीआरए की धारा 2 (बीसी) में दिया गया अर्थ होगा।
- 7बी. "संविदा" से अभिप्रेत, प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के लिए या संबंधित संविदा तथा जो एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए सेबी द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित की गई हो।
8. "व्यापार सदस्य" से अभिप्रेत एक व्यक्ति, जिसके पास एनसीडीईएक्स में ट्रेडिंग अधिकार हों तथा इसमें "स्टॉक ब्रोकर" शामिल है।
9. "विनियम" जबतक कि संदर्भ अन्यथा न दर्शाये, इसमें व्यापार नियम आचार संहिता तथा एक्सचेंज के परिचालन के लिए समय-समय पर संबद्ध प्राधिकारी द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य विनियम तथा ये सेबी या किसी अन्य उनके जैसे नियामक प्राधिकारी के निर्देशों के अंतर्गत तैयार किये गये प्रतिभूति कानून, नियमों के प्रावधानों तथा संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विशेष रूप से उल्लिखित अन्य ऐसे निर्देशों तथा प्रावधानों के तहत होंगे।
10. "संबद्ध प्राधिकारी" से निदेशक मंडल या विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है।

(10ए). "एससीआरए" से अभिप्रेत प्रतिभूति संविदाएं (विनियम) अधिनियम 1956 तथा उसमें संशोधन।

(10बी). "एससीआरआर" से अभिप्रेत प्रतिभूति संविदाएं (विनियम) अधिनियम 1957 तथा उसमें संशोधन।

- (10सी). "सेबी" से अभिप्रेत, सेबी अधिनियम 1992 के अंतर्गत संगठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड.
- (10डी). "सेबी अधिनियम" से अभिप्रेत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 तथा उसमें संशोधन.
- (10इ). "स्टॉक ब्रोकर विनियम" से अभिप्रेत सेबी (स्टॉक ब्रोकर एवं उप-ब्रोकर) विनियम 1992 तथा उसमें संशोधन.
- (10एफ) "एसईसीसी विनियम" से अभिप्रेत प्रतिभूति संविदाएं (विनियम) (स्टॉक एक्सचेंज एवं समाशोधन निगम) विनियम 2012 तथा उसमें संशोधन.
- (10जी) "प्रतिभूति कानून" से अभिप्रेत, सेबी अधिनियम 1992, एससीआरए, 1956 डिपॉजिटरीज अधिनियम 1996 तथा उसके अंतर्गत जारी कोई नियम अधिनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश या निर्देश.
- (10एच) "स्वयं-समाशोधन सदस्य" से अभिप्रेत, स्टॉक ब्रोकर विनियम के विनियम 2(1) (एफ ए) में परिभाषित किये अनुसार स्टॉक ब्रोकर.
- (10आई) "स्टॉक ब्रोकर" से अभिप्रेत, स्टॉक ब्रोकर विनियम के विनियम 2(1) (जीबी) में परिभाषित किये अनुसार स्टॉक ब्रोकर.
11. "निपटान निधि" से उप-नियमों के संगत प्रावधानों के अनुसरण में स्थापित और रखी गई निधि अभिप्रेत है.

#### 1. निदेशक मंडल

1. निदेशक मंडल, प्रतिभूति कानून के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और समय-समय पर उसके अंतर्गत जारी निर्देशों के अधीन, एक्सचेंज के कार्यों और व्यापार-सदस्यों/समाशोधन-सदस्यों द्वारा जिन्सों के लेनदेन का आयोजन, अनुरक्षण, नियंत्रण, प्रबंधन व विनियमन करेगा और उन्हें सुकर बनाएगा.
2. नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के निदेशकों की नियुक्ति, कंपनी की समय-समय पर यथासंशोधित संस्था: नियमावली के अनुसार की जाएगी. केंद्र सरकार, निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए एक व्यक्ति को उनके प्रतिनिधि की तरह नामित कर सकते हैं, तथा फॉरवर्ड संविदाएं (विनियम) अधिनियम 1952 की धारा 6(2)(बी) के अनुसरण में उन हितों के प्रतिनिधित्व के लिए, जिनका प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व एक्सचेंज की सदस्यता से नहीं होगा, तीन से अनधिक व्यक्तियों को, निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए नामित कर सकेगी, निदेशकों की ऐसी कोई भी नियुक्ति इन नियमों के प्रावधानों के तहत हो रही नियुक्ति मानी जाएगी.
3. निदेशक मंडल में कोई भी नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 1956 में निदेशकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी.
4. एक्सचेंज के कार्य-व्यापार के संचालन, व्यापार-सदस्यों/समाशोधन-सदस्यों के, उनके बीच के पारस्परिक कारोबार और लेनदेन, व्यापार-सदस्यों/समाशोधन-सदस्यों और ऐसे व्यक्तियों के बीच, जो व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य नहीं हैं, कारोबार और लेनदेन के संचालन, और ऐसे सभी लेनदेनों और सौदों को नियंत्रित करने, परिभाषित करने और विनियमित करने और एक्सचेंज के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी बातों के लिए उप-नियम, नियम और विनियम बनाने की शक्ति निदेशक मंडल में निहित है.
5. उपर्युक्त की सामान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निदेशक मंडल में यह शक्ति निहित है कि वह निम्नलिखित में से सभी या किसी भी विषय पर प्रतिभूति कानून के प्रावधानों और अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन विनियम बनाए.
  - (क) एक्सचेंज की सदस्यता देने के लिए मानदंड, कार्यविधि, नियम और शर्तें ;
  - (ख) एक्सचेंज के कारोबार का संचालन;
  - (ग) एक्सचेंज के कारोबार के संबंध में व्यापार- सदस्यों/समाशोधन-सदस्यों का आचरण;
  - (घ) समय-समय पर नियमों, उप-नियमों और विनियमों तथा आचार संहिता की अपेक्षाओं के उप-नियमों और विनियमों तथा आचार संहिता की अपेक्षाओं के उल्लंघन के लिए किसी व्यापार-सदस्यों/समाशोधन-सदस्य के एक्सचेंज से निलंबन/निष्कासन सहित दंड, अर्थदंड और अन्य परिणामों आदि का निर्धारण और उसे लागू करना;
  - (ङ.) समाशोधन बैंक और अन्य समाशोधन और निपटान अभिकरणों के कार्य-संपादन और परस्पर व्यवहार का तरीका;
  - (च) विभिन्न श्रेणियों के व्यापार-सदस्यों/समाशोधन-सदस्यों द्वारा बनाए रखने के लिए अपेक्षित पूंजी पर्याप्तता से संबंधित और अन्य मानदंडों का समय-समय पर निर्धारण;

- (छ) व्यापार-सदस्यों/समाशोधन-सदस्यों की समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट अभिलेख और लेखा-बहियां रखना;
- (ज) व्यापार-सदस्यों/समाशोधन-सदस्यों की वित्तीय स्थिति, कारोबार-संबंधी आचरण और सौदों का अन्वेषण;
- (झ) किसी व्यापार-सदस्यों/समाशोधन-सदस्य के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई/कार्यवाही;
- (ञ) किसी व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य को चूककर्ता घोषित करना या व्यापार/समाशोधन-सदस्यता से उसका निलंबन या इस्तीफा, या निष्कासन और उसके परिणाम और उसका पुनःप्रवेश;
- (ट) शर्तें, प्रवेश-शुल्क, या प्रवेश के लिए अंशदान, या व्यापार-सदस्यता/समाशोधन-सदस्यता को जारी रखना;
- (ठ) एक्सचेंज के माध्यम से किए जाने वाले व्यापारिक लेनदेनों के लिए व्यापार-सदस्यों/समाशोधन-सदस्यों द्वारा देय, समय-समय यथानिर्धारित प्रभार;
- (ड) व्यापार/समाशोधन-सदस्यों की वित्तीय स्थिति, कारोबार-संबंधी आचरण और सौदों का अन्वेषण;
- (ढ) एक्सचेंज के किसी प्रयोजन से किसी समिति की नियुक्ति और उसे भंग करना;
- (ण) संस्था नियमावली, उप-नियम या इन नियमों के प्रावधानों के तहत एक्सचेंज के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट मामले या संगठन के लिए आवश्यक और उपयुक्त मामले, या एक्सचेंज के कार्यसंचालन को बनाए रखने, उसके नियंत्रक, प्रबंधन, विनियमन और उसे सुकर बनाने से संबंधित मामले.
6. निदेशक मंडल में एक्सचेंज के सभी कार्यों या किसी कार्य का प्रबंध करने के लिए अपने में न्यस्त उन शक्तियों की जिन्हें प्रत्यायोजित करना वह ठीक समझे, समय-समय पर कार्यकारी समिति(यों) या प्रबंध निदेशक या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की समिति को, जिसे संबद्ध प्राधिकारी कहा जाएगा, प्रत्यायोजित करने और समय-समय पर सभी शक्तियों या उनमें से किसी को प्रतिसंहत करने, वापस ले लेने, बदल देने या परिवर्तित करने की शक्ति निहित है.
7. निदेशक मंडल समय-समय पर निदेशक मंडल के सदस्यों को लेकर या ऐसे अन्य व्यक्तियों को लेकर, जिन्हें वह अपने विवेकानुसार उपयुक्त या आवश्यक समझे, एक या अधिक समितियों गठित कर सकता है और ऐसी समितियों को ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकता है, जिन्हें वह ठीक समझे और निदेशक मंडल समय-समय पर इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों को प्रतिसंहत कर सकता है, निदेशक मंडल द्वारा गठित समितियों में, अन्य के साथ-साथ, निम्नलिखित समितियां हो सकती हैं;
- (क) व्यापार-सदस्यों/समाशोधन/सदस्यों के प्रवेश के लिए प्रवेश समिति;
- (ख) उपयुक्त आधारभूत सुविधाओं की अनुशंसा करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए आधारभूत सुविधा समिति;
- (ग) एक्सचेंज का कामकाज चलाने के लिए प्रणालियों की स्थापना की अनुशंसा करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए प्रणाली समिति;
- (घ) अन्य कोई विषय जिसे निदेशक मंडल उपयुक्त समझे.
8. निदेशक मंडल को यह प्राधिकार होगा कि वह समय-समय पर कार्यकारी समिति या किसी अन्य समिति या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्देश जारी करे जिसमें/जिनमें उसके द्वारा शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, इस शक्ति के प्रयोग में जारी किए एक निर्देश, जो नीतिगत प्रकृति के हो सकते हैं या जिनमें किसी विशेष बात या मुद्दे को निपटाने के निर्देश शामिल हो सकते हैं, संबंधित समिति(यों) के लिए बाध्यकारी होंगे,
9. प्रतिभूति कानून के प्रावधानों के अंतर्गत सेबी के अनुमोदन के तहत निदेशक मंडल (बोर्ड) को उनके द्वारा तैयार किये गये उप नियमों, नियमों, तथा विनियमों को बदलने, संशोधित करने, निरस्त करने या जोड़ने का अधिकार होगा.
10. निदेशक मंडल के और निदेशक मंडल द्वारा अभिमापित समितियों के सदस्य निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित आचार संहिता का पालन करेंगे.
11. इन नियमों, उप-नियमों, विनियमों या किसी परिपत्र में किसी बात के होते हुए भी विवाद या संदेह की स्थिति में निदेशक मंडल का निर्णय अधिकामी होगा और एक्सचेंज के कामकाज विनियमन कारोबार, सदस्यता व दैनंदिन प्रबंधन सहित, किंतु इन तक सीमित नहीं, सभी मामलों में निदेशक मंडल का निर्णय अंतिम होगा, निदेशक मंडल किसी प्राधिकारी या समिति को ऐसी शक्तियां और कार्य नियमों, उप-नियमों, विनियमों या किसी निर्देश के तहत किसी दूसरे प्राधिकारी या समिति या उप-समिती में क्यों न निहित हो, और किसी विवाद या संदेह की स्थिति में निदेशक मंडल द्वारा शक्तियों और कार्यों का यह प्रत्यायोजन अधिकामी होगा.

## 3. मुख्य कार्यपालक

- 3.1 प्रबंध निदेशक एक्सचेंज का मुख्य कार्यपालक होगा और एक्सचेंज के व्यापार, संघशोधन और व्यापार के निपटान सहित, किंतु इन तक सीमित नहीं, दैनंदिन प्रबंध और कार्यों के लिए संबद्ध प्राधिकारी होगा।
- 3.2 सभी सार्वजनिक मामलों में प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक, एक्सचेंज का अधिकारिक प्रतिनिधित्व करेगा।
- 3.3 उपर्युक्त प्रावधानों की सामान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रबंध निदेशक के सभी कार्य निष्पादित करेगा और उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो निदेशक मंडल द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जाएंगी।
- 3.4 प्रबंध निदेशक समय-समय पर अपनी किसी भी शक्ति और किसी भी कार्य का किसी व्यक्ति/व्यक्तियों की समिति या व्यक्तियों की उपसमिति को, जिन्हें प्रत्यायोजित शक्ति और कार्यों के प्रयोग के लिए संबद्ध प्राधिकारी के रूप में संदर्भित किया जाएगा, प्रत्यायोजित कर सकेगा।
- 3.5 प्रबंध निदेशक समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा दिए जाने वाले उन विषयों से संबंधित निर्देशों के अनुसरण में कार्य करेगा, जिन्हें निदेशक मंडल उचित समझे।
- 3.6 प्रबंध निदेशक अपने द्वारा किसी व्यक्ति, समिति या उपसमिति को प्रत्यायोजित शक्ति या कार्य को किसी भी समय प्रतिसंहत संशोधित स्थानापन्न या परिवर्तित कर सकता है।

## 4. कार्यकारी समिति

## 4.1 संगठन

- (1) इसके अंतर्गत 4.2 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए निदेशक मंडल एक या अधिक कार्यकारी समितियां नियुक्त कर सकता है, कार्यकारी समिति को, निदेशक मंडल द्वारा उसे सौंपे गए कार्यों के लिए व्यवस्थापक समिति भी कहा जा सकता है।
- (2) निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त कार्यकारी समिति (यों) में, अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित हो सकते हैं।
- (क) एनसीडेक्स का प्रबंध निदेशक;
- (ख) केन्द्र सरकार द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में नामित एक व्यक्ति;
- (ग) तीन से अनधिक ऐसे व्यक्ति जो उन हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिनका प्रतिनिधित्व एक्सचेंज की सदस्यता की माध्यम से न हुआ हो;
- (घ) समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा निर्णीत संस्था में निदेशक मंडल द्वारा निर्णीत व्यक्ति।
- (3) किसी भी कार्यकारी समिति की अधिकतम सदस्य-संख्या के बारे में निदेशक मंडल या वह प्राधिकारी या वह समिति निर्णय करेगी जिसे निदेशक मंडल यह प्राधिकार प्रत्यायोजित करेगा।
- (4) उपर्युक्त खंड ख, ग और घ के अंतर्गत नामित व्यक्ति, एक वर्ष या उसे नामित करने वाले प्राधिकारी द्वारा उल्लिखित अवधि में से जो भी कम हो, उस अवधि तक पद पर बना रहेगा।

## 4.2 कार्यकारी समिति की शक्तियां

- (1) निदेशक मंडल समय-समय पर कार्यकारी समिति को अपने में निहित वे शक्तियां उन शर्तों पर प्रत्यायोजित करेगा जिन्हें वह ठीक समझे और समय-समय पर उन सभी शक्तियों या किसी भी शक्ति को प्रतिसंहत कर सकेगा, वापस ले सकेगा, बदल सकेगा और परिवर्तित कर सकेगा।
- (2) कार्यकारी समिति के पास ऐसे दायित्व और शक्तियां होंगी जिन्हे निदेशक मंडल समय-समय पर उसे प्रत्यायोजित करेगा, जिनमें उप-नियमों और नियमों के प्रावधानों के अनुसार निर्वाह और प्रयोग के लिए निम्नलिखित दायित्व और अधिकार शामिल होंगे,
- (क) संबद्ध आधिकारिक सूची में शामिल करने के लिए जिन्सों/माल का अनुमोदन जिनका व्यापार एक्सचेंज के हाजिर और व्युत्पाद खंडों में होगा,
- (ख) जिन्सों और उनके व्युत्पादों के बाजार के विकास के लिए नीतियां विकसित करना और कार्यान्वयन के लिए निदेशक मंडल को उनकी अनुशंसा करना,
- (ग) निदेशक मंडल द्वारा सौंपा गया कोई अन्य विषय।

- (3) निदेशक—मंडल या कार्यकारी समिति समय—समय पर उपसमितियां गठित कर सकती है और अपने सभी या किसी कार्य को इस प्रकार गठित उपसमिति को सौंप सकती है, इन उपसमितियों के गठन, कोरम और दायित्वों का निर्धारण निदेशक—मंडल/ कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा।
- (4) कार्यकारी समिति/उपसमिति निदेशक—मंडल द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों का पालन करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए बाध्य होगी और कार्यकारी समिति की शक्तियों के प्रत्यायोजन की शर्तों और सीमाओं का अनुपालन करने को बाध्य होगी, जैसा कि निर्धारित किया जाए।

#### 4.3 रिक्तियों को भरना

1. कार्यकारी समिति में नामित किसी विशेष श्रेणी के व्यक्ति के इस्तीफा देने, उसके नामन को वापस लेने, उसकी मृत्यु के कारण या अन्यथा हुई किसी रिक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को नामित करके निदेशक—मंडल द्वारा भरा जाएगा।

#### 4.4 निदेशक मंडल/कार्यकारी समिति के सदस्यों द्वारा पद को खाली करना

- (1) सरकारी प्रतिनिधियों, व्यापार—सदस्यों और कार्यकारी समिति के अन्य नामित सदस्यों सहित, निदेशक—मंडल या कार्य समिति के किसी सदस्य का पद स्वतः खाली हो जाएगा, यदि.

(क) उसे न्यायिक प्रक्रिया द्वारा दिवालिया घोषित किया जाए;

(ख) वह न्यायिक प्रक्रिया द्वारा दिवालिया घोषित किए जाने के लिए आवेदन कर चुका है;

(ग) उसे भारत के किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी पाया जाए और संबंधित मामले में 30 दिनों से अन्यून कारावास का दण्ड दिया जाए।

(घ) वह कार्यकारी समिति की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित न हो या समिति की बैठक से अनुपस्थित रहने की अनुमति लिए बिना लगातार 3 महीने की अवधि के लिए, इनमें से जो भी अवधि दीर्घतर हो, अनुपस्थित रहा हो;

(ङ.) व्यापार—सदस्य/समाशोधन—सदस्य के मामले में वह एक्सचेंज का व्यापार सदस्य या एक्सचेंज के समशोधन—गृह का सदस्य न रह जाए, या वह यथास्थिति निदेशक—मंडल या कार्यकारी समिति को संबंधित अपनी लिखित अधिसूचना द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे दे या व निलंबित या निष्कासित कर दिया जाए या उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए।

- (2) फिर भी बशर्ते यदि किसी समय निदेशक—मंडल इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं कि सार्वजनिक हित में ऐसे किसी व्यक्ति के नामन का प्रतिसंहरण आवश्यक है तो वह ऐसा कर सकता है,

#### 4.5 कार्यकारी समिति का सदस्य बनने के लिए व्यापार—सदस्य/समाशोधन—सदस्य की पात्रता

- (1) कोई भी व्यापार—सदस्य/समाशोधन—सदस्य किसी कार्यकारी समिति का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा,

(क) प्रतिभूति कानूनों के अंतर्गत तैयार किये गये नियमों द्वारा उसके पक्ष में निर्धारित, यदि कोई, अपेक्षाओं को वह पूरा करता हो।

(ख) यदि वह समय—समय पर निदेशक—मंडल द्वारा यथानिर्णीत अवधि के लिए एक्सचेंज का व्यापार—सदस्य/समाशोधन—सदस्य नहीं रहा हो,

(ग) यदि वह किसी ऐसे व्यापार—सदस्य का साझीदार हो, जो पहले से ही कार्यकारी समिति का सदस्य हो,

(घ) यदि उसे कभी भी चूककर्ता घोषित किया गया हो या वह सामान्य अवधि में अपनी देयताओं को पूरा करने में असफल रहा हो या उसने अपने लेनदारों के साथ कोई समझौता किया हो,

(ङ.) यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका बिचौलिए के रूप में निबंधन प्रमाण—पत्र रद्द कर दिया गया हो या एक्सचेंज ने उसे निष्कासित कर दिया हो,

(च) यदि यथास्थिति संबद्ध प्राधिकारी या एक्सचेंज ने बिचौलिए के रूप में उसके निबंधन प्रमाण पत्र को या व्यापार करने के उसके अधिकार को निलंबित कर दिया हो या एक्सचेंज के नियमों,

विनियमों या उपनियमों के तहत उसके विरुद्ध की गई किसी अनुशासनिक कार्रवाई के कारण उसका सदस्यता का अधिकार निलंबित कर दिया गया हो और निबंधन प्रमाण पत्र, व्यापार करने के अधिकार या सदस्यता के अधिकार के निलंबन की अवधि समाप्त होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि न बीती हो,

- (2) जो व्यापार-सदस्य किसी कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में लगातार दो वर्षों के लिए नामित किया गया हो वह तब तक कार्यकारी समिति में नामित किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक उसके पूर्ववर्ती नामन से दो वर्ष की अवधि न बीत गई हो.

#### 4.6 कार्यकारी समिति के पदधारी

- (1) कार्यकारी समिति में समय-समय पर अग्रलिखित पदधारी, नामतः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे,
- (2) एक्सचेंज का प्रबंध निदेशक कार्यकारी समिति(यों) का अध्यक्ष होगा.
- (3) कार्यकारी समिति के सदस्य अपने बीच से किसी व्यक्ति को उपाध्यक्ष चुनेंगे.
- (4) इस प्रकार चुना गया उपाध्यक्ष एक वर्ष की अवधि के लिए अपना पद धारण करेगा और पुनः चुने जाने के लिए पात्र होगा.
- (5) मृत्यु, इस्तीफा या किसी अन्य कारण से उपाध्यक्ष के पद पर आकस्मिक रिक्ति होने की स्थिति में कार्यकारी समिति अपने सदस्यों में से एक नया उपाध्यक्ष नामित करेगी.
- (6) किसी आकस्मिक रिक्ति के मामले में उपर्युक्त रीति से नामित/चुने गए व्यक्ति उस अवधि तक पद पर बने रहेंगे जिस अवधि तक वे पदधारी बने रहते, जिनके स्थान पर उन्हें नियुक्त किया गया यदि पद उपरिलिखित रीति से खाली नहीं होते.

#### 4.7 कार्यकारी समिति की बैठकें

- (1) कार्यकारी समिति, कारोबार की आवश्यकता के अनुसार, अपेक्षित संख्या और अपेक्षित अंतराल के बाद बैठकें करेगी और अपनी बैठकों और उनकी कार्यवाही को समाप्त तथा विनियमित करेगी, जैसा वह उचित समझे.
- (2) कार्यकारी समिति की गणपूर्ति उसकी कुल संख्या के एक तिहाई या पांच सदस्य, इनमें से जो भी कम हो होंगे और किसी खंड को एक में पूर्णांकित किया जाएगा, बशर्ते यदि किसी समय हितबद्ध सदस्यों की संख्या कुल सदस्य-संख्या के दो तिहाई से अधिक हो, तो शेष सदस्यों की संख्या अर्थात् उपस्थित और गैर-हितबद्ध की संख्या गणपूर्ति होगी.
- (3) कार्यकारी समिति का अध्यक्ष किसी भी समय कार्यकारी समिति की बैठक बुला सकता है.
- (4) उन मामलों को छोड़कर जिन में एक्सचेंज के उप-नियमों और विनियमों के किसी प्रावधान के द्वारा बृहत्तर बहुमत अपेक्षित हो, कार्यकारी समिति के बैठकों में उठने वाले प्रश्नों पर निर्णय दिए गए मतों के बहुमत से होगा, जिन मामलों में निर्णय बहुमत से होता है, उनमें मतों के समान होने की स्थिति में बैठक के अध्यक्ष का द्वितीय मत या निर्णायक मत होगा.
- (5) कार्यकारी समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता सामान्यतः अध्यक्ष करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, यदि बैठक में उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं होगा, तो कार्यकारी समिति के उपस्थित सदस्य अपने में बैठक का अध्यक्ष चुन लेंगे.
- (6) अन्यत्र उल्लिखित शर्तों के अधीन, हाथ उठाने या मतदान में, कार्यकारी समिति के प्रत्येक सदस्य का एक ही मत होगा, सिवाय इसके कि मतदान में समान मत होने की स्थिति में बैठक की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष का एक निर्णायक मत होगा.
- (7) किसी भी मामले में हाथ उठाने या मतदान करने में प्रतिपुरुष मतदान की अनुमति नहीं होगी.
- (8) निलंबित किए गए, निष्कासित किए गए या चूककर्ता घोषित किए गए किसी सदस्य को किसी बैठक में उपस्थित रहने या उसकी कार्यवाही में भाग लेने या उसमें मत देने का अधिकार नहीं होगा.

## 4.8 अध्यक्ष

- (1) अध्यक्ष, एक्सचेंज के नियमों, उप-नियमों और विनियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार समय-समय पर कार्यकारी समिति द्वारा उसे प्रत्यायोजित सभी शक्तियों और उसे सौंपे गए सभी कर्तव्यों को धारण कर सकता है और उनका प्रयोग कर सकता है।
- (2) अध्यक्ष, कार्यकारी समिति द्वारा प्रयोग किए जा सकने योग्य किसी या सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होगा, यदि उसके विचार में तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो, किंतु यह इस शर्त के अधीन होगा कि ऐसी कार्रवाई को चौबीस घंटों के भीतर कार्यकारी समिति के समक्ष रखना होगा।
- (3) कार्यकारी समिति की कोई बैठक, उस समय, जब गणपूर्ति विद्यमान हो, कार्य समिति में उस समय न्यस्त या उसके द्वारा सामान्यतः प्रयोग किए जा सकने योग्य सभी या किसी प्राधिकार, शक्ति और विवेकाधिकार का प्रयोग करने में समक्ष होगी।

## 5. व्यापार-सदस्यता/समाशोधन-सदस्यता

- (1) एक्सचेंज में निम्नलिखित श्रेणियों के सदस्य होंगे :
  - I. व्यापार-सदस्य : व्यापार-सदस्य वे सदस्य होंगे जिन्हें एक्सचेंज द्वारा इस रूप में प्रवेश दिया जाएगा और जो अपने घटकों की ओर से या अपने लिए एक्सचेंज पर व्यापार करने के लिए अधिकृत होंगे और अपने द्वारा किए गए सभी व्यापारों का समाशोधन और निपटान करने के लिए बाध्य होंगे, यदि संबद्ध अधिकारी द्वारा निर्धारित रीति से समाशोधन और निपटान का दायित्व स्पष्ट रूप से किसी व्यवसायिक समाशोधन-सदस्य ने न लिया हो।
  - II. व्यवसायिक समाशोधन-सदस्य : व्यवसायिक समाशोधन-सदस्य वे सदस्य होंगे, जिन्हें एक्सचेंज द्वारा इस रूप में प्रवेश दिया जाएगा और जो व्यापार-सदस्यों के माध्यम से अपने घटकों द्वारा किए गए व्यापारों का समाशोधन और निपटान उस रीति से करने के लिए बाध्य होंगे जैसा संबद्ध प्राधिकारी समय-समय पर निर्धारित करे, नियमों, उप नियमों तथा विनियमों में यथाप्रयुक्त "समाशोधन-सदस्य" शब्द में व्यवसायिक समाशोधन-सदस्य और व्यापार-सदस्य (समाशोधन का कार्य करते समय) शामिल होंगे, जब तक संदर्भ इससे अन्यथा न हो,
- (2) व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य के अधिकार और विशेषाधिकार एक्सचेंज के उप-नियमों, नियमों और विनियमों के अधीन होंगे,
- (3) एक्सचेंज के सभी व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्यों को, एक्सचेंज पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व, सक्षम प्राधिकारी के पास स्वयं को निबंधित कराना होगा।
- (4) संबद्ध प्राधिकारी व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्यों की एक से अधिक श्रेणियों को परिभाषित कर सकता है और उनमें प्रवेश दे सकता है और उनमें से प्रत्येक श्रेणी के लिए सदस्यता की पात्रता, प्रवेश और समापन के मानदंडों सहित विभिन्न मानदंड विनिर्दिष्ट कर सकता है।
- (5) संबद्ध प्राधिकारी व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्यों के प्रवेश आवेदन पत्र, निष्कासन, पुनःप्रवेश आदि से संबंधित पूर्व-शर्तें, शर्तें प्ररूप और क्रियाविधि विनिर्दिष्ट करेगा और एक्सचेंज के सभी या किसी व्यापार/समाशोधन खंड के लिए व्यापार/समाशोधन संबंधी पात्रता-मानदंड विनिर्दिष्ट करेगा। संबद्ध प्राधिकारी को इस बात का पूर्ण विवेकाधिकार होगा कि किसी आवेदक को व्यापार/समाशोधन सदस्य के रूप में प्रवेश देने से इनकार कर दे।
- (6) व्यापार/समाशोधन-सदस्य के रूप में प्रवेश के बाद या उसके पहले और उसकी नियुक्ति को बनाए रखने के लिए संबद्ध प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शुल्क, जमानत की राशि, अंशदान और अन्य राशि देय हों।

## 5.1 व्यापार-सदस्यों/समाशोधन-सदस्यों की पात्रता

- (1) निम्नलिखित व्यक्ति एक्सचेंज के व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य बनने के लिए पात्र होंगे :
  - (क) व्यक्ति
  - (ख) एकल स्वामित्व वाली फर्म
  - (ग) साझेदारी वाली फर्म
  - (घ) संबंधित राज्य/संघक्षेत्र के सहकारी समितियों के निबंधक के पास निबंधित सहकारी समितियां:

- (ड.) निगमित (कारपोरेट) निकाय :
- (च) कंपनी अधिनियम, 1956 में यथा परिभाषित कंपनियां, और
- (छ) ऐसे व्यक्ति या सत्ताएं जिन्हें प्रतिभूति कानून के अंतर्गत अनुमति प्राप्त हो सके।
- (2) किसी भी व्यक्ति को एक्सचेंज के व्यापार—सदस्य/समाशोधन—सदस्य के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, यदि प्रस्तावित सदस्य:
- (क) ऐसा व्यक्ति हो, जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी न की हो;
- (ख) ऐसा निगमित निकाय हो, जिसने कोई ऐसा कार्य किया हो, जिससे उसका अस्तित्व कानून के प्रावधानों के अंतर्गत समापन का पात्र बनता है;
- (ग) ऐसा निगमित निकाय हो, जिसमें व्यक्ति के लिए अस्थायी समापक या रिसीवर या शासकीय समापक नियुक्त किया गया हो;
- (घ) न्यायाधिकरण द्वारा दिवालिया माना गया हो, या उस व्यक्ति के विरुद्ध दिवालियापन का प्रापण आदेश जारी किया गया हो या उसे दिवालिया सिद्ध कर दिया गया हो, भले ही उसे अंतिम मुक्ति प्राप्त हो गई हो;
- (ड.) जालसाजी या बेईमानी के अपराध का दोषी पाया गया हो;
- (च) ऐसा हो, जिसने अपने लेनदारों के साथ पूरा ऋण न चुकाने के लिए कोई करार किया हो;
- (छ) किसी अन्य कमोडिटी/स्टॉक एक्सचेंज/समाशोधन निगम द्वारा कभी निष्कासित किया गया हो या चूककर्ता घोषित किया गया हो;
- (ज) ऐसा हो, जिसे पहले कभी सदस्यता के लिए प्रवेश देने से मना कर दिया गया हो और मना करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि न बीती हो;
- (झ) ऐसा हो, जिसने प्रतिभूति कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत ऐसी अपात्रता हासिल की हो, जो उस व्यक्ति को किसी कमोडिटी एक्सचेंज की सदस्यता की मांग करने से अनधिकृत करती हो;
- (त्र) ऐसा हो, जिसके बारे में एक्सचेंज यह निर्णय ले कि उसे एक्सचेंज के सदस्य के रूप में प्रवेश देना सार्वजनिक हित में नहीं है।
- (3) कोई भी व्यक्ति एक्सचेंज की व्यापार—सदस्यता/समाशोधन—सदस्यता के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक वह
- (क) इसके लिए प्रतिभूति कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा यथानिर्धारित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता,
- (ख) एक्सचेंज द्वारा पात्रता—मानदंड के रूप में निदेशक मंडल या संबद्ध प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित, प्रमाणन कार्यक्रम उत्तीर्ण करने की अपेक्षा को पूरा नहीं करता, और
- (ग) ऐसे किन्हीं अतिरिक्त पात्रता—मानदंडों को पूरा नहीं करता, जिन्हें निदेशक मंडल या संबद्ध प्राधिकारी विभिन्न श्रेणियों के व्यापार—सदस्यों/समाशोधन—सदस्यों के लिए निर्धारित करे।

## 5.2 प्रवेश

- (1) व्यापार—सदस्य/व्यावसायिक समाशोधन—सदस्य बनने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति व्यापार—सदस्यता/व्यावसायिक समाशोधन—सदस्यता के लिए एक्सचेंज द्वारा यथा अनुमत अवधि के दौरान एक्सचेंज में आवेदन करेगा और एक्सचेंज के उस संबंधित व्यापार खंड/समाशोधन खंड को विनिर्दिष्ट करेगा जिसमें वह व्यापार/समाशोधन—सदस्यता का इच्छुक है, संबद्ध प्राधिकारी प्रत्येक आवेदक पर विचार करेगा और उसे इस बात का विवेकाधिकार होगा कि वह आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत कर दे।
- (2) आवेदन संबद्ध प्राधिकारी द्वारा व्यापार सदस्य/समाशोधन सदस्य के प्रवेश के लिए समय—समय पर यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप में किया जाएगा।

- (3) आवेदन पत्र के साथ, संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट रूप में और रीति से यथानिर्दिष्ट शुल्क, जमानत राशि और अन्य राशियां जमा की जाएंगी।

व्यापार सदस्य (सह समाशोधन-सदस्य)

- (क) ब्याज-मुक्त नकद जमानत राशि रु.15 लाख  
 (ख) संबद्ध प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित रूप में सम्पतिवर्क प्रतिभूति जमा रु. 15 लाख  
 (ग) वार्षिक अभिदान प्रभार रु. 0.50 लाख  
 (घ) अग्रित न्यूनतम लेन देन प्रभार रु. 0.50 लाख  
 (ङ.) संबद्ध प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित रूप में और रीति से निवल मूल्य संबंधी अपेक्षा : रु. 50 लाख

व्यावसायिक समाशोधन सदस्य

- (क) ब्याज-मुक्त नकद जमानत राशि रु.25 लाख  
 (ख) संबद्ध प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित रूप में सम्पतिवर्क प्रतिभूति जमा रु. 25 लाख  
 (ग) वार्षिक अभिदान प्रभार रु. 1.00 लाख  
 (घ) अग्रित न्यूनतम लेन देन प्रभार रु. 1.00 लाख  
 (ङ.) संबद्ध प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित रूप में और रीति से निवल मूल्य संबंधी अपेक्षा : रु. 5000 लाख

संबद्ध प्राधिकारी, व्यापार-सदस्य और/या व्यवसायिक समाशोधन-सदस्य से संबंधित उपर्युक्त अपेक्षाओं में से सभी या किसी को, या सभी या किसी की गणना की पद्धति को संशोधित कर सकता है, हटा सकता है या बढ़ा सकता है।

- (4) आवेदक को संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट दस्तावेज और घोषणा पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
- (5) संबद्ध प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह आवेदक को शुल्क का भुगतान करने, वस्तु के रूप में या अतिरिक्त प्रतिभूति राशि जमा करने, अतिरिक्त गारंटी प्रस्तुत करने को कहे या वह संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली भवन निधि, कम्प्यूटरीकरण निधि, प्रशिक्षण निधि या अन्य शुल्क जमा किए जाने की अपेक्षा करे।
- (6) संबद्ध अधिकारी आवेदक को एक्सचेंज की व्यापार सदस्यता/व्यावसायिक समाशोधन सदस्यता दे सकता है, बशर्तें, वह व्यक्ति प्रवेश की पात्रता की शर्तों, अन्य कार्यविधियों और अपेक्षाओं को पूरा करता हो, संबद्ध प्राधिकारी को वह पूर्ण विवेकाधिकार है कि बिना कोई कारण बताए वह किसी भी प्रवेश आवेदन को अस्वीकार कर दे।
- (7) यदि किसी कारण से आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है तो आवेदन शुल्क या प्रवेश शुल्क, जैसा भी मामला हो या उसका एक अंश, जैसा कि संबद्ध प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाए, प्राधिकारी के विवेक पर आवेदक को बिना किसी ब्याज के वापस किया जाएगा।
- (8) संबद्ध प्राधिकारी अपने विवेकानुसार, जैसे और जब भी उपयुक्त समझे, एक्सचेंज के व्यापार-सदस्य और/या व्यावसायिक समाशोधन-सदस्य के रूप में आगे सदस्यता के लिए आवेदन पत्र स्वीकार कर सकता है और ऐसी सदस्यता प्रदान करने के लिए पूर्व शर्त के रूप में प्रीमियम की राशि निर्धारित कर सकता है।
- (9) एक्सचेंज की व्यापार-सदस्यता/व्यवसायिक समाशोधन-सदस्यता में प्रवेश की तिथि से, संबद्ध प्राधिकारी प्रवेश को रद्द कर सकता और व्यापार-सदस्य/व्यावसायिक समाशोधन-सदस्य को निष्कासित कर सकता है, यदि सदस्यता के आवेदन पत्र में या आवेदन पत्र देते समय, या संबद्ध प्राधिकारी द्वारा प्रवेश के पूर्व की गई जांच के दौरान सदस्य ने।
- (क) जानबूझ कर कोई गलतबयानी की हो; या  
 (ख) उसके चरित्र और पूर्ववृत्त के बारे में उससे अपेक्षित कोई महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई हो; या  
 (ग) प्रत्यक्षतः या परीक्षतः मिथ्या विवरण या सूचना दी हो या कोई मिथ्या घोषणा की हो।

- (10) जब किसी व्यक्ति को एक्सचेंज की व्यापार-सदस्यता/व्यावसायिक समाशोधन सदस्यता दी जाती है तो उसके प्रवेश की सूचना उसे और सक्षम प्राधिकारी को भेजी जाएगी, यदि एक्सचेंज की सदस्यता दिए जाने और प्रवेश की सूचना विधिवत् भेजे जाने के बाद वह व्यक्ति सदस्यता के विशेषाधिकारों के प्रयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित कार्यो और क्रियाविधियों का पालन कर, प्रवेश की सूचना प्रेषित करने की तारीख से विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर, सदस्य नहीं बन जाता तो उसके द्वारा भुगतान किया गया प्रवेश शुल्क एक्सचेंज द्वारा जब्त कर लिया जाएगा.
- (11) एक्सचेंज के व्यापार-सदस्य/व्यावसायिक समाशोधन-सदस्य के रूप में प्रवेश दिए जाने के बाद प्रत्येक व्यापार-सदस्य/व्यावसायिक समाशोधन-सदस्य को व्यापार-सदस्यता/व्यावसायिक समाशोधन-सदस्यता के लाभों और विशेषाधिकारों के दिए जाने के प्रमाणस्वरूप एक प्रमाण पत्र/अधिकार पत्र/सदस्यता पत्र जारी किया जाएगा, यह प्रमाण-पत्र/अधिकारी पत्र/सदस्यता पत्र एतदंतर्गत उल्लिखित स्थितियों को छोड़कर हस्तांतरणीय या प्रेषणीय नहीं होगा.
- (12) संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित शर्तों और संबद्ध प्राधिकारी के लिखित पूर्वानुमोदन के अधीन प्रमाण पत्र/ अधिकार पत्र / सदस्यता पत्र का हस्तांतरण निम्नानुसार किया जा सकता है.
- (क) इन नियमों के अंतर्गत नामन के माध्यम है;
- (ख) व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य कंपनी के एकीकरण या विलय के माध्यम से;
- (ग) किसी व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य कंपनी के टेक ओवर द्वारा;
- (घ) किसी व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य फर्म की व्यापार-सदस्यता/समाशोधन-सदस्यता के किसी ऐसी नई फर्म में अंतरण द्वारा जिसमें सभी वर्तमान साक्षीदार, साक्षीदार न हो, और;
- (ङ) दो या दो से अधिक व्यापार सदस्य/फर्मों या व्यवसायिक समाशोधन सदस्य/समाशोधन सदस्य फर्मों द्वारा मिलकर एक नई फर्म/कंपनी बना लेने पर.
- (13) कोई व्यक्ति/एकल स्वामित्व वाले व्यापार-सदस्य/व्यावसायिक समाशोधन-सदस्य या उसका/उसके उत्तराधिकारी व्यापार-सदस्यता/व्यावसायिक समाशोधन-सदस्यता के अधिकार पत्र में नामन कर सकते हैं, किसी व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य द्वारा किया गया नामन निम्नलिखित शर्तों के अधिन होगा, नामतः
- (क) नामिती/नामितियों को, नामन के प्रभावी होने के समय ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो एक्सचेंज के व्यापार-सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त कर सके;
- (ख) नामिती संबद्ध प्राधिकारी को अपने नामन की बिना शर्त और अप्रतिसंहरणीय स्वीकृति देगा;
- (ग) कोई व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य लागू उत्तराधिकार संबंधी कानूनों के अनुसार अपने एक या अधिक उत्तराधिकारियों को नामित कर सकेगा. यदि व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य का कोई ऐसा उत्तराधिकारी न हो जो व्यापार-सदस्यता/समाशोधन-सदस्य को चलाने का इच्छुक हो तो व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य अपने उत्तराधिकारी से भिन्न व्यक्ति/व्यक्तियों को नामित कर सकता है.
- (घ) यदि व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य ने किसी व्यक्ति को नामित न किया हो और शारीरिक असमर्थता के कारण एक्सचेंज पर कारोबार चलाने में अक्षम हो जाए तो व्यापार-सदस्य छह माह की अवधि के भीतर उपर्युक्त उपखंड (ग) के अनुसरण में नामन कर सकता है.
- (ङ) यदि व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य ने किसी व्यक्ति को नामित नहीं किया हो तो व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य का/के उत्तराधिकारी व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य की मृत्यु की तारीख से छह माह के भीतर स्वयं में से एक या अधिक व्यक्तियों को नामित कर सकता/सकते हैं;
- (च) यदि व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य का नामन ऐसा हो जिसे संबद्ध प्राधिकारी उस समय प्रभावी न कर सके जब उसे प्रभावी होना होता, तो ऐसे व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य का/के उत्तराधिकारी उस तारीख से छह माह के भीतर जिस तारीख को नामन प्रभावी हुआ होता, किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को नामित कर सकता है/सकते हैं.

- (छ) यदि व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य या उत्तराधिकारियों ने एक से अधिक व्यक्तियों को नामित किया हो तो ऐसे नामित व्यक्तियों को व्यापार सदस्यता/समाशोधन सदस्यता चलाने के लिए एस साझेदारी वाली फर्म स्थापित करनी होगी।
- (ज) किसी व्यापार-सदस्य/समाशोधन सदस्य या उसके उत्तराधिकारी द्वारा किया गया नामन संबद्ध प्राधिकारी की लिखित पूर्वानुमति से संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित शर्तों के अधीन प्रतिसह किया जा सकता है, और
- (झ) व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य द्वारा किए गये नामन के मामले में, व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य की मृत्यु या शारीरिक असमर्थता की तारीख, या संबद्ध प्राधिकारी के अनुमोदन की तारीख में से जो भी बाद में हो, उस तारीख से नामन प्रभावी होगा और उत्तराधिकारी किए गए नामन के मामले में नामन, नामन की तारीख या संबद्ध प्राधिकारी के अनुमोदन की तारीख में से जो भी बाद में हो उस तारीख से लागू होगा।
- (14) संबद्ध प्राधिकारी उपयुक्त हस्तांतरण शुल्क के भुगतान के अधीन, प्रमाणपत्र/अधिकर पत्र/ सदस्यता पत्र के हस्तांतरण की अनुमति निम्नलिखित परिस्थितियों में दे सकता है;
- (क) व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य की मृत्यु;
- (ख) यदि संबद्ध प्राधिकारी के मत में व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य शारीरिक असमर्थता के कारण एक्सचेंज पर कारोबार चलाने में अक्षम हो जाए;
- (ग) किसी व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य कंपनी के एकीकरण या विलय होने पर;
- (घ) किसी व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य कंपनी का टेक ओवर होने पर, और
- (ङ) किसी व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य फर्म के किसी साझेदार की मृत्यु या त्याग-पत्र, या विघटन की अधिसूचना देने पर और ऐसी फर्म के साझेदारों और बाहर निकले साझेदार के नामिती/उत्तराधिकारी द्वारा या ऐसी फर्म के साझेदारों और बाहर जाने वाले साझेदार के गैर-नामिती/गैर-उत्तराधिकारी के, मृत्यु या त्याग-पत्र, या विघटन की अधिसूचना की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर पुनः जुड़ने की स्थिति में,
- (15) यदि ऐसी कोई स्थिति हो, खंड (11) से (14) तक के प्रायोजन से व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य "अभिव्यक्ति में, जहां तक प्रयोज्य होगा वहां तक व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य फर्म का साझेदार या कंपनी समाशोधन सदस्य कंपनी का शेयर धारक शामिल होगा, उत्तराधिकारी अभिव्यक्ति में जहां तक प्रयोज्य होगा वहां तक किसी व्यापार-सदस्य फर्म/समाशोधन सदस्य फर्म के साझेदार का उत्तराधिकारी या किसी व्यापार सदस्य कंपनी/समाशोधन सदस्य कंपनी के अंशधारक का उत्तराधिकारी शामिल होगा।
- (16) इन नियमों के किसी प्रावधान पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित परिस्थितियों में व्यापार-सदस्यता/समाशोधन-सदस्यता को उस अवधि के लिए, निलंबित किया जा सकता है जिसे संबद्ध प्राधिकारी उपयुक्त समझे;
- (क) शारीरिक असमर्थता के कारण किसी व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य या किसी व्यापार सदस्य फर्म/समाशोधन सदस्य फर्म के किसी साझेदार के संबद्ध प्राधिकारी के मत में, कारोबार चलाने में अक्षम हो जाने पर;
- (ख) किसी व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य के मानसिक रूप से असमर्थ हो जाने पर या किसी व्यापार-सदस्य फर्म/समाशोधन सदस्य फर्म के ऐसे साझेदार के मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाने पर जिसका फर्म के लाभ और हानि में न्यूनतम 51 टक्का हिस्सा हो और/या उस फर्म की पूंजी में न्यूनतम 51 टक्का शेयर हो, या किसी व्यापार-सदस्य कंपनी/समाशोधन-सदस्य कंपनी के ऐसे शेयर धारक के मानसिक रूप से असमर्थ हो जाने पर जो उस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर धारक हो;
- (ग) किसी व्यक्ति व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, या किसी व्यापार-सदस्य फर्म/समाशोधन-सदस्य फर्म के ऐसे साझेदार की मृत्यु हो जाने पर जिसका फर्म के लाभ और हानि में न्यूनतम 51 टक्का हिस्सा है और/या उस फर्म की पूंजी में न्यूनतम 51 टक्का शेयर हो, या किसी व्यापार सदस्य कंपनी/समाशोधन सदस्य कंपनी के ऐसे शेयरधारक की मृत्यु हो जाने पर जो उस कंपनी का सबसे बड़ा शेयरधारक हो, और छह महिने

की उस अवधि के दौरान, जिसमें ऐसे व्यापार-सदस्य /समाशोधन-सदस्य या साझीदार या शेयर धारक के उत्तराधिकारी मृत व्यापार-सदस्य/ समाशोधन सदस्य या साझीदार या शेयर धारक के हित/शेयरों को ग्रहण करने के लिए व्यक्तियों को नामित कर सकता है;

- (घ) किसी व्यापार-सदस्य फर्म/समाशोधन-सदस्य फर्म/या व्यापार-सदस्य कंपनी/समाशोधन-सदस्य कंपनी के प्रबंध में ऐसा गतिरोध उत्पन्न हो जाने पर, जो संबद्ध प्राधिकारी के मत में संबंधित व्यापार-सदस्य फर्म/समाशोधन-सदस्य फर्म या व्यापार-सदस्य कंपनी/समाशोधन-सदस्य कंपनी की अपना कारोबार चलाने की योग्यता को दुष्प्रभावित करेगा,
- (ड.) इस उपखंड के अंतर्गत निलंबित किए जाने के पहले व्यापार-सदस्य /समाशोधन-सदस्य को संबद्ध प्राधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा, किन्तु संबद्ध प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा.

#### स्पष्टीकरण-1

इस उपखंड के प्रयोजन से "प्रबन्धन में गतिरोध" का अर्थ है किसी व्यापार-सदस्य फर्म/समाशोधन सदस्य फर्म के साझीदारों में या किसी व्यापार-सदस्य कंपनी/समाशोधन-सदस्य कंपनी के निदेशकों/शेयर धारकों में विश्वास का अभाव या असहमति, जो संबद्ध प्राधिकारी के मत में यथास्थिति, व्यापार सदस्य फर्म/समाशोधन-सदस्य फर्म या व्यापार-सदस्य कंपनी/समाशोधन-सदस्य कंपनी के कार्य संचालन को दुष्प्रभावित करेगी या उसके दुष्प्रभावित होने की संभावना रहेगी, या ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यापार-सदस्य कंपनी /समाशोधन-सदस्य कंपनी के निदेशकों या शेयर धारकों की किसी बैठक में समान मत-विभाजन हो जाए.

- (17) इन नियमों के किसी अन्य प्रावधान पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संबद्ध प्राधिकारी व्यापार-सदस्यता/समाशोधन-सदस्यता को समाप्त कर सकता है, यदि उल्लिखित छह माह की अवधि के भीतर संबद्ध प्राधिकारी को स्वीकार्य कोई नामन या पुनःसामंजस्य, जैसी भी स्थिति हो, नहीं किया जाता.
- (18) उपर्युक्त खंड 17 के अंतर्गत समाप्त किए जाने के पहले किसी व्यापार-सदस्य फर्म/समाशोधन सदस्य फर्म के नामितियों, उत्तराधिकारियों या साझीदारों या यथास्थिति अन्य व्यक्तियों को अधिकार होगा कि उन्हें संबद्ध प्राधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए, किन्तु संबद्ध प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा.

#### 5.3 व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य की कानूनी हैसियत में परिवर्तन

- (1) संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित शर्तों और संबद्ध प्राधिकारी के लिखित पूर्वानुमोदन के अधीन किसी व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य की कानूनी हैसियत में निम्नानुसार परिवर्तन किया जा सकता है;
- (क) वैयक्तिक व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य के साझेदारी फर्म कंपनी में परिवर्तन द्वारा;
- (ख) किसी व्यापार-सदस्य फर्म /समाशोधन-सदस्य फर्म के कंपनी में परिवर्तन द्वारा;
- (2) अधिकार पत्र/सदस्यता पत्र से एक्सचेंज के सदस्य के रूप में किसी प्रकार का सत्वाधिकार प्राप्त नहीं होता, और यह इन उपनियमों और संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित शर्तों के अधीन, संबद्ध प्राधिकारी से लिखित रूप में प्राप्त विनिर्दिष्ट अनुमति के बिना हस्तांतरीय लिखत नहीं होगा
- (3) व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य अपनी सदस्यता के अधिकार या उससे जुड़े किसी अधिकार या विशेषाधिकार का समनुदेशन नहीं करेगा, उसे बंधक, गिरवी, दृष्टिबंधक नहीं रखेगा या प्रभारित नहीं करेगा, और किसी भी प्रयोजन से इस प्रकार के समनुदेशन बंधक, गिरवी, दृष्टिबंधक या प्रभारण का किया गया प्रयास एक्सचेंज के विरुद्ध प्रभावी नहीं होगा और एक्सचेंज व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य के व्यक्तिगत अधिकार या हित को छोड़कर किसी भी अन्य व्यापार-सदस्यता /समाशोधन-सदस्यता में किसी अधिकार या हित को मान्यता नहीं देगा, संबद्ध प्राधिकारी इस नियम के प्रावधानों के उल्लंघन में कोई कार्य करने पर या कोई कार्य करने का प्रयास करने पर एक्सचेंज के किसी व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य को निष्कासित कर देगा.

#### शर्तें

- (1) व्यापार सदस्य/व्यवसायिकसमाशोधन-सदस्य इन नियमों, उपनियमों और विनियमों का अनुसरण करेंगे और संबद्ध प्राधिकारी के यथाप्रयोज्य परिचालनात्मक मानदण्डों, निर्णयों, अधिसूचनाओं, दिशानिर्देशों और अनुदेशों का पालन करेंगे,

- (2) व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य समय-समय पर यथाप्रभावी प्रतिभूति कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा समय-समय पर यथा प्रभावी अन्य प्रयोज्य कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे.
- (3) स्वीकृत सौदों के लिए जारी किए गए सभी करार, नियमों, उपनियमों, और विनियमों के अनुसार और उनके अधीन होंगे,
- (4) व्यापार-सदस्य/व्यावसायिक समाशोधन-सदस्य संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट विषयों से संबंधित घोषणाओं, वचनपत्रों, संपुष्टियों और अन्य दस्तावेजों को उसके द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रूप में प्रस्तुत करेंगे,
- (5) व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर एक्सचेंज को प्रस्तुत करेंगे जिसमें यह प्रमाणित किया गया होगा कि उनके परिचालनों के संबंध में संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है.
- (6) व्यापार-सदस्य/व्यावसायिक समाशोधन-सदस्य संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर उनके परिचालनों से संबंधित यथापोषित सुचनाएं और आवधिक विवरणियां एक्सचेंज को प्रस्तुत करेंगे.
- (7) व्यापार-सदस्य/व्यावसायिक समाशोधन-सदस्य संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथापोषित लेखा परीक्षित और/या अलेखा परीक्षित वित्तीय या गुणात्मक सुचनाएं और विवरण यथापोषित रीति से एक्सचेंज को प्रस्तुत करेंगे,
- (8) व्यापार-सदस्य/व्यावसायिक समाशोधन-सदस्य अपनी गतिविधियों के संबंध में विज्ञापन, पुस्तिकाएं और परिपत्र जारी करने के विषय में संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे,
- (9) व्यापार-सदस्य/व्यावसायिक समाशोधन-सदस्य निरीक्षण या लेखा-परीक्षा या किसी सौदे, निपटान, लेखा या अन्य संबंधित मामलों के विषय में संबद्ध प्राधिकार या एक्सचेंज के प्राधिकृत व्यक्ति को पूरा सहयोग देंगे और उसके द्वारा अपेक्षित सुचनाएं और स्पष्टीकरण अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करेंगे,
- (10) संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित निवल मूल्य को व्यापार-सदस्य/व्यावसायिक समाशोधन-सदस्य बनाएं रखेंगे,
- (11) व्यापार-सदस्य/व्यावसायिक समाशोधन-सदस्य संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित शुल्कों, प्रतिभूति जमाओ और अन्य प्रभारों का भुगतान करेंगे.

#### 5.4 साझेदारी

- (1) कोई व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट रूप और रीति से उसे सूचित कर और पूर्वानुमोदन लेकर तथा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अधीन ही कोई साझेदारी स्थापित करेगा या वर्तमान साझेदारी में नया साझेदार लेगा या वर्तमान साझेदारी के नाम में परिवर्तन करेगा, अन्यथा नहीं; अपेक्षाओं में अन्य बातों के साथ-साथ जमाएँ घोषणाएँ, गारंटी और अन्य ऐसी शर्तें शामिल होंगी जिन्हें पूरा करना होगा और जो फर्म के उन साझेदारों के लिए बाध्यकारी होंगी जो व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य नहीं होंगे.
- (2) कोई भी व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य एक ही समय में एक से अधिक साझेदारी वाली ऐसी फर्म का साक्षीदार नहीं हो सकता जो एक्सचेंज का व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य है,
- (3) कोई भी व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य जो किसी साझेदारी वाली फर्म का साक्षीदार है, उस साझेदारी वाली फर्म में अपने हित का समनुदेशन अथवा किसी भी रूप में उसको भारित नहीं करेगा.
- (4) साझेदारी वाली फर्म को आयकर प्राधिकारियों के यहां और फर्मों के निबंधक के यहां तथा अपेक्षानुसार अन्य प्राधिकारियों के यहां अपना निबंधन कराना होगा और एक्सचेंज को निबंधन का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा.
- (5) फर्म के साझेदार केवल फर्म की ओर से ही और फर्म के नाम में ही संयुक्त रूप से कारोबार करेंगे कोई भी एकल साझेदार या साझेदारों, विशेषाधिकारों का समूह अपने फर्म से स्वतंत्र व्यापार-सदस्यता/समाशोधन-सदस्यता के अधिकारों और विशेषाधिकारों के लिए अधिकृत नहीं होगा.
- (6) साझेदारी वाली फर्म के सदस्य को फर्म के भंग होने के कारण या किसी/किन्ही साक्षीदार/साक्षीदारों के सेवा-निवृत्त होने या/की मृत्यु के कारण साझेदारी में किसी परिवर्तन की स्थिति में उसकी सूचना सभी साझेदारों या जीवित साझेदारों के हस्ताक्षर से लिखित रूप में एक्सचेंज को अवश्य देनी होगी.

- (7) किसी साझेदारी के भंग होने की सूचना एक्सचेंज को देते समय सूचना में ऐसा अभिकथन अवश्य होना चाहिए जिसमें यह बतलाया गया हो कि भंग हो चुकी साझेदारी वाली फर्म के सभी बकाया करारों और देयताओं का दायित्व कौन ले रहा है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं होगा कि अन्य साझेदार बकाया करारों और देयताओं से संबंधित अपने दायित्व से मुक्त हो गए।

#### 5.5 सदस्यता की समाप्ति

यदि निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक बातें लागू हों तो कोई व्यापार-सदस्य/ समाशोधन-सदस्य, सदस्य नहीं रहेगा;

- (1) सदस्यता समर्पित कर देने पर;
- (2) मृत्यु हो जाने पर;
- (3) उपनियमों, नियमों और विनियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसरण में निष्कासित होने पर;
- (4) एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसरण में चूककर्ता घोषित किए जाने पर;
- (5) साझेदारी वाली फर्म के मामले में उसके भंग होने पर;
- (6) लिमिटेड कंपनी के मामले में कंपनी के बंद होने या भंग होने पर;

व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य की समाप्ति के कारण, समाप्ति के पूर्व व्यापार-सदस्य / समाशोधन-सदस्य द्वारा अर्जित बाध्यताओं और देयताओं से व्यापार-सदस्य/ समाशोधन सदस्य को किसी प्रकार से मुक्ति नहीं मिल जाएगी।

#### 5.6 सदस्यता का समर्पण

जो व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य एक्सचेंज की व्यापार/ समाशोधन-सदस्यता का समर्पण करना चाहता है वह इस आशय की एक लिखित सूचना के माध्यम से एक्सचेंज को इसकी जानकारी देगा जो व्यापार प्रणाली पर या किसी अन्य तरीके से प्रदर्शित की जाएगी।

अगर किसी सदस्य को ऐसे किसी समर्पण के प्रति विरोध प्रकट करना होगा तो वह संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट पत्र के माध्यम से अपने विरोध के आधारों के बारे में सूचित करेगा।

संबद्ध प्राधिकारी किसी सदस्यता समर्पण को बिना शर्त या ऐसी शर्तों पर मंजूर कर सकता है जो वह ठीक समझे या समग्रण को स्वीकार करने से मना कर सकता है और विशेष रूप से ऐसे समर्पण को स्वीकार करने से मना कर सकता है जब तक वह इस बात से संतुष्ट नहीं होता कि संबंधित सदस्य के साथ बकाया लेन-देनों का निपटान कर दिया गया है।

#### 5.7. मृत्यु

किसी व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसके कानूनी प्रतिनिधी तथा प्राधिकृत प्रतिनिधी, यदि कोई हों, संबद्ध प्राधिकारी को तत्काल इसकी लिखित सूचना विधिवत संप्रेषित करेंगे और उसकी मृत्यु के पहले की देनदारियों से संबंधित कारोबार को छोड़कर उस व्यापार-सदस्य /समाशोधन सदस्य के सारे भविष्यगत कारोबार तत्काल बंद हो जाएंगे।

#### 5.8 प्रभार के भुगतान में असफलता

उपनियमों, नियमों और विनियमों में अन्यथा किए गए प्रावधान को छोड़कर यदि कोई सदस्य, उसे लिखित रूप में सूचना दिए जाने के बाद, संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर एक्सचेंज या समाशोधन-गृह को उसके द्वारा देय वार्षिक अभिदान शुल्क, प्रभार, जमा, दण्ड, निपटान निधि में अंशदान, अन्य प्रभार या अन्य राशियां भुगतान करने में असफल रहता है तो उसे संबद्ध प्राधिकारी तब तक निलंबित कर सकता है जब तक वह भुगतान नहीं कर देता और यदि संबद्ध प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट बाद की अवधि में भी वह भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो उसे संबद्ध प्राधिकारी चूककर्ता घोषित कर सका है या निष्कासित कर सकता है।

#### 5.9 सदस्यता का बने रहना

संबद्ध प्राधिकारी व्यापार-सदस्यता/ समाशोधन- सदस्यता को बनाए रखने के लिए समय-समय पर शर्तों और अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट करेगा जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम, निवल मूल्य और पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने से संबंधित शर्तें भी शामिल होंगी, इन अपेक्षाओं को पूरा न करने वाले व्यक्तियों की व्यापार सदस्यता/समाशोधन सदस्यता समाप्त किए जाने के लिए पात्र होगी।

## 5.10 चूककर्ताओं का पुनःप्रवेश

चूककर्ता घोषित किए जाने के साथ ही व्यापार—सदस्य/समाशोधन—सदस्य का सदस्यता का अधिकार समाप्त हो जाएगा और वह एक्सचेंज में न्यस्त हो जाएगा, जो सदस्य चूककर्ता घोषित किया जाता है उसके, एक्सचेंज के सदस्य के रूप में सभी अधिकार और विशेषाधिकार, एक्सचेंज की किसी संपत्ति या निधि के उपयोग, उसपर किसी दावे या उसमें किसी हित सहित, यदि कोई हो, जप्त हो जाएंगे,

संबद्ध प्राधिकारी को इस बात का पूर्ण विवेकाधिकार होगा कि वह संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर यथा विनिर्दिष्ट प्रावधानों और शर्तों के अधीन किसी चूककर्ता को व्यापार—सदस्य/समाशोधन—सदस्य के रूप में पुनः प्रवेश दे.

किंतु यह भी कि संबद्ध प्राधिकारी केवल ऐसे चूककर्ता को पुनः प्रवेश देगा :

- (1) जिसने उसके मतानुसार एक्सचेंज को, अन्य व्यापार—सदस्य/समाशोधन—सदस्य को और घटकों को सभी देयताएं चुका दी हों;
- (2) जिसके खिलाफ उसके मतानुसार किसी न्यायालय में दिवालिया घोषित करने की कार्यवाही न चल रही हो या जिसे किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो;
- (3) जिसने उसके मतानुसार चूक इसलिए की हो कि जिन प्रतिबद्धताओं के पूरा होने की तर्क पूर्ण आशा की थी उन प्रिंसिपल्स में चूक हुई हो;
- (4) जो विश्वास भंग या एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों के उल्लंघन का दोषी नहीं रहा हो;
- (5) उसके मतानुसार जिसका सामान्य आचरण अनिदनीय रहा हो.

## 6. अनुशासनिक कार्यवाही, दण्ड, निलंबन और निष्कासन

## 6.1 अनुशासनिक क्षेत्राधिकार

संबद्ध प्राधिकारी किसी व्यापार—सदस्य/समाशोधन—सदस्य को निष्कासित या निलंबित कर सकता है और/या सेंसर के अंतर्गत उसपर अर्थदण्ड लगा सकता है और /या उसे चेतावनी दे सकता है और/या उसके सदस्यता संबंधी अधिकारों में से कोई अधिकार वापिस ले सकता है यदि वह सदस्य एक्सचेंज के किसी उप नियम, नियम और विनियम या एक्सचेंज या संबद्ध प्राधिकारी या किसी अन्य समिति या एक्सचेंज की तरफ से प्राधिकृत किसी अधिकारी के किसी संकल्प, आदेश, सूचना, निर्देश या निर्णय या नियमन के उल्लंघन, अननुपालन, अवज्ञा, अनादर या अनदेखी करने या दोषी हो या उसका कोई आचरण, उसकी कोई कार्यवाही या कारोबार का तरीका ऐसा हो जिसे संबद्ध प्राधिकारी अपने पूर्ण विवेक के आधार पर असम्मान्य, निंदनीय या एक व्यापार—सदस्य/समाशोधन—सदस्य के अयोग्य मानता हो या व्यापार के न्यायपूर्ण और औचित्यपूर्ण सिद्धांतों से असंगत मानता हो या एक्सचेंज के हितों, उसकी ख्याति या उसके कल्याण के लिए घातक मानता हो या एक्सचेंज के उद्देश्यों और प्रयोजनों को दुष्प्रभावित करने वाला या उनका विध्वंस करने वाला मानता हो.

## 6.2 कदाचरण, गैर कारोबारी आचरण और गैर—पेशेवराना आचरण के लिए दण्ड

विशेष रूप से और उपरिलिखित नियम 6.1 के प्रावधानों को किसी भी तरह बिना सीमित करते हुए और उनकी सामान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई व्यापार—सदस्य/समाशोधन—सदस्य इसमें निहित एतत् संबंधी प्रावधान के अर्थ में दुराचरण, गैर कारोबारी आचरण या गैर—पेशेवराना आचरण के लिए निष्कासन या निलंबन या सदस्यता के किसी या सभी अधिकारों को वापस ले लेने के लिए और/या अर्थदण्ड के भुगतान के लिए और/या सेंसर किए जाने, भर्त्सना किए जाने या चेतावनी दिए जाने के लिए पात्र होगा.

## 6.3 कदाचरण

निम्नलिखित में से किसी के लिए या किसी समान आचरण के लिए या चूक के लिए किसी व्यापार—सदस्य समाशोधन—सदस्य का कदाचार को दोषी माना जाएगा, नामतः

- (1) जालसाजी : यदि कोई सदस्य किसी ऐसे आपराधिक कार्य का दोषी पाया जाए या जालसाजी करे या जालसाजीपूर्ण कार्य करे जो संबद्ध प्राधिकारी के मत में उसे व्यापार—सदस्य/समाशोधन—सदस्य होने के अयोग्य बना दे;
- (2) उल्लंघन : यदि कोई सदस्य एक्सचेंज, व्यापार—सदस्य/समाशोधन—सदस्य और जिन्स कारोबार के कार्यों, कारोबार और परिचालनों को संचालित करने वाली किसी संविधी के प्रावधानों का उल्लंघन करता है;

- (3) अनुचित आचरण : यदि संबद्ध प्राधिकारी के मत में कोई सदस्य एक्सचेंज पर असम्मान जनक या निंदनीय या अनियमित या अनुचित आचरण का या एक्सचेंज के कारोबार में जानबूझकर बाधा पहुंचाने का दोषी पाया जाता है;
- (4) नियमों, उपनियमों या विनियमों को भंग करना : यदि कोई सदस्य किसी ऐसे व्यापार-सदस्य / समाशोधन-सदस्य को बचाता है या उसकी सहायता करता है, या उसके बारे में सूचना नहीं देता है, जिसके विषय में वह जानता है कि उसने एक्सचेंज के किसी नियम, उपनियम या विनियम का या उनके अंतर्गत संबद्ध प्राधिकारी या किसी समिती या इसके लिए प्राधिकृत एक्सचेंज के किसी अधिकारी के किसी संकल्प, आदेश सूचना या निर्देश को भंग किया है या उसकी अवहेलना की है;
- (5) संकल्पों के अनुपालन में असफलता : यदि कोई सदस्य एक्सचेंज के संबद्ध प्राधिकारी या किसी समिती या किसी अधिकारी या किसी ऐसे व्यक्ति जिसे इसके लिए एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों और विनियमों के अंतर्गत प्राधिकृत किया गया हो, के किसी संकल्प, आदेश, सूचना, निर्देश, निर्णय या नियमन का उल्लंघन करे या उसके अनुपालन या उसका पालन करने से इन्कार करे या उसका अनुपालन या पालन करने में असफल रहे;
- (6) विवाचन के लिए प्रस्तुत होने या विवाचन का पालन करने में असफलता : यदि कोई सदस्य विवाचन की अनदेखी करता है या उसके लिए प्रस्तुत होने में असफल होता है या उससे इन्कार करता है या एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों और विनियमों के अंतर्गत संदर्भित किए गए मामले में संबद्ध प्राधिकारी या विवाचन समिति या विवाचकों के किसी पंचाट, निर्णय या आदेश का पालन नहीं करता.
- (7) साक्ष्य या जानकारी देने में असफलता : यदि कोई सदस्य, संबद्ध प्राधिकारी या किसी समिती या एक्सचेंज के किसी अधिकारी जिसे इसके लिए प्राधिकृत किया गया हो, ऐसे बहीखाते, पत्राचार दस्तावेज और कागजात या उनका कोई हिस्सा, जिसे प्रस्तुत करना अपेक्षित हो, प्रस्तुत करने की अनदेखी करे, प्रस्तुत करने में असफल हो या प्रस्तुत करने से इन्कार करे या उपस्थित होने या साक्ष्य देने में असफल रहे या उससे इन्कार करे या अपने किसी साझीदार, अधिवक्ता, अभिकर्ता, प्राधिकृत प्रतिनिधि या कर्मचारियों को, संबद्ध प्राधिकारी या एक्सचेंज की किसी समिती या अधिकारी या इसके लिए प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष उपस्थित करने और साक्ष्य दिलवाने की अनदेखी करे, उसमें असफल रहे या उससे इन्कार करे;
- (8) विशेष विवरणियां प्रस्तुत करने में असफलता : यदि कोई सदस्य संबद्ध प्राधिकारी के समक्ष, संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित विशेष विवरणियां और अन्य जानकारी इसके लिए अधिसूचित समय के भीतर प्रस्तुत करने की अनदेखी करे, उसमें असफल रहे या उससे इन्कार करे जिन्हे व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य द्वारा प्रस्तुत करना संबद्ध प्राधिकारी के मत में, विशेष परिस्थितियों में अपेक्षित हो;
- (9) लेखा-परिक्षित विवरणों को प्रस्तुत करने में असफलता : यदि कोई सदस्य अपने लेखा-परीक्षित विवरण संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित अवधि के भीतर एक्सचेंज को प्रस्तुत करने की अनदेखी करे, उसमें असफल रहे या उससे इन्कार करे;
- (10) चूककर्ता के साथ के खाते की करने या उसे प्रस्तुत करने में असफलता : यदि कोई सदस्य चूककर्ता समिति के साथ अपने खाते की तुलना करने या चूककर्ता के साथ के खाते का विवरण प्रस्तुत करने या इस आशय का प्रमाणपत्र देने कि उसका ऐसा कोई खाता नहीं है की अनदेखी करे या उसमें असफल रहे या सदस्य उसमें कोई झूठा या बरगलाने वाला विवरण दे;
- (11) झोठे या बरगलाने वाली विवरणीयां : यदि कोई सदस्य उपनियमों, नियमों और विनियमों के अंतर्गत एक्सचेंज को प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित समाशोधन फर्मों और विवरणियों को प्रस्तुत करने की अनदेखी करे, उसमें असफल रहे या उससे इन्कार करे या उनमें कोई झूठा या बरगलानेवाला विवरण दे;
- (12) त्रासदायक आरोप : यदि कोई सदस्य या उसका अभिकर्ता संबद्ध प्राधिकारी या किसी समिति या एक्सचेंज के किसी अधिकारी या इसके लिए प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष कोई आरोप, अभियोजन या वाद जो संबद्ध प्राधिकारी के मत में सारहीन, त्रासदायक या दुर्भावनापूर्ण हो;
- (13) देयों और शुल्कों के भुगतान में असफलता : यदि कोई सदस्य उसके द्वारा देय अभिदान राशि, शुल्कों, विवाचन प्रभारों या अन्य किसी देय राशि का भुगतान करने में असफल रहे या उसपर लगाए गए किसी अर्थदण्ड का भुगतान न करे सके.

#### 6.4. गैर-कारोबारी आचरण

कोई व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य निम्नलिखित में से किसी या समान कार्यों या चूकों के लिए गैर-कारोबारी आचरण

का दोषी माना जाएगा, नामतः;

- (1) कल्पित नाम : यदि कोई सदस्य अपना कारोबार या अपने घटकों का कारोबार कल्पित नामों से चलाए या वह कल्पित नामों से एक्सचेंज के एक से अधिक व्यापार खंड/ समाशोधन खंड में कारोबार करे;
- (2) काल्पनिक सौदे : यदि सदस्य काल्पनिक लेन-देन करे या माल/जिन्स खरीद या बिक्री का ऐसा आदेश दे जिसमें स्वत्व में कोई परिवर्तन न होता हो या यह जानते हुए भी कि आदेश काल्पनिक है, उसका निष्पादन करे;
- (3) अफवाह फैलाना : यदि वह किसी भी प्रकार से कोई अफवाह फैलाए या अफवाह फैलाने में कारण बने;
- (4) दूषित कारोबार : यदि सदस्य बाजार की स्थिरता को भंग करने के प्रयोजन से, या ऐसी परिस्थिती उत्पन्न करने के लिए, जिसमें किमतें न्यायपूर्ण ढंग से बाजार की कीमत को प्रदर्शित नहीं करेंगी, क्रय या विक्रय के प्रस्ताव की योजना को स्वयं कार्यान्वित करे या कार्यान्वित करने में किसी की सहायता करे या इस बात को जानते-बूझते ऐसी किसी योजना के कार्यान्वयन में पक्षकार हो या सहायक हो;
- (5) बाजार में हेरफेर करना और भाव बढ़ाना : यदि सदस्य, प्रत्यक्षतः या परोक्षतः अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर किसी जिन्स/माल के दूसरों द्वारा क्रय या विक्रय को दुषेरित करने के प्रयोजन से, उस जिन्स का वास्तविक या प्रकट सक्रिय बाजार सृजित करने या उस जिन्स का भाव बढ़ाने या घटाने के लिए उस जिन्स में लेनदेन करे;
- (6) अवांछनीय कारोबार : यदि वह बाजार में अंधाधुंध या अवांछनीय या गैर-कारोबारी सौदे करे या अपने घटक के खाते या अपने प्रत्यक्ष या परोक्ष हित वाले किसी खाते ऐसे क्रय या विक्रय करे जो उसके घटक या उसके अपने साधनों और वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से उस जिन्स या माल के बाजार को देखते हुए सीमा से अधिक हो;
- (7) समझौता: यदि सदस्य किसी व्यापार-सदस्य /समाशोधन-सदस्य की निजी असफलता में सहायक हो या माल/जिन्स के लेनदेन से उत्पन्न किसी व्यापार सदस्य के द्वारा देय ऋण का निपटान करने के क्रम में पूरी और सही राशि से कम स्वीकार कर ले;
- (8) चेक की अस्वीकृति : यदि सदस्य किसी अन्य व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य या उसके घटकों को ऐसा चेक जारी करे जिसे प्रस्तुत करने पर उसे किसी भी कारण से अस्वीकार कर दिया जाए;
- (9) घटकों के लेन-देन को कार्यान्वित करने में असफलत : यदि सदस्य, संबद्ध प्राधिकारी के मत में, अपने घटकों के साथ प्रतिबंध लेनदेनों को कार्यान्वित करने में असफल रहे,

6.5 गैर-व्यवसायिक आचरण :

कोई व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य निम्नलिखित में से किसी कार्य या समान कार्यो या चुकों की स्थिती में गैर-व्यावसायिक आचरण का दोषी माना जाएगा, नामतः;

- (1) ऐसे जिन्सों का कारोबार जिनमें सौंदो की अनुमति नहीं है: यदि सदस्य ऐसे जिन्सों के सौंदे करे जिनमें सौंदो की अनुमति नहीं है;
- (2) चूककर्ता घटकों के लिए लेनदेन : यदि सदस्य अपने ऐसे घटक के लिए, जिसके विषय में उसे जानकारी है कि वह (घटक) जिन्सों से संबंधित वादों को कार्यान्वित करने में असफल रहा है ओर किसी अन्य व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य के प्रति भुगतान में चूक की है, प्रत्यक्षतः या परोक्षतः कारोबार करे या किसी आदेश का निष्पादन करे, जब तक कि वह घटक अपने लेनदार व्यापार-सदस्य/ समाशोधन-सदस्य के साथ कोई संतोशप्रद व्यवस्था न कर ले;
- (3) दिवालिये के लिए कारोबार : यदि कोई सदस्य, संबद्ध प्राधिकारी की पूर्व-सहमति प्राप्त किए बिना, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ या उसके लिए, प्रत्यक्षतः या परोक्षतः कारोबार में हितार्थी हो, या कारोबा से जुडा हो, या कारोबार करे, जो दिवालिया रहा हो, भले ही उस व्यक्ति को दिवालिया-अदालत से अंतिम मुक्ति प्राप्त हो गई हो;
- (4) निलंबित रहने की स्थिती में अनुमति के बिना कारोबार : यदि कोई सदस्य संबद्ध प्राधिकारी की अनुमति के बिना अपने लाभ के लिए या अपने प्रिंसिपल के लाभ के लिए किसी व्यापार -सदस्य/समाशोधन-सदस्य के साथ उसके माध्यम से उस अवधि में कारोबार करता है, जिसमें उसे संबद्ध प्राधिकारी के अनुसार एक्सचेंज पर कारोबा निलंबित करना अपेक्षित है;
- (5) निलंबित/निष्कासित और चूककर्ता व्यापार- सदस्य/समाशोधन-सदस्य के लिए या उसके साथ कारोबार : यदि कोई सदस्य संबद्ध प्राधिकारी की विशेष अनुमति के बिना ऐसे किसी व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य के साथ दलाली में हिस्सा बांटता है या उसके साथ या उसके लिए कारोबार करता है या कोई सौदा करता है, उसे निलंबित या निष्कासित किया गया हो या चूककर्ता घोषित किया गया हो;

- (6) अन्य व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य के कर्मचारियों के लिए कारोबार : यदि कोई सदस्य किसी अन्य व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य के प्राधिकृत प्रतिनिधी या कर्मचारी के साथ उसके लिए बिना उसे नियोजित करने वाले व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य की लिखित अनुमति के, प्रत्यक्षतः या परोक्षतः कारोबार करे या उसके लिए कोई आदेश निष्पादित करे;
- (7) एक्सचेंज के कर्मचारियों के लिए कारोबार : यदि कोई सदस्य ऐसा सट्टा कारोबार करे जिसमें एक्सचेंज का कोई कर्मचारी प्रत्यक्षतः हितार्थी हो;
- (8) विज्ञापन: यदि कोई सदस्य व्यापार-सदस्यों/समाशोधन-सदस्यों द्वारा विज्ञापन देने के संबंध में संबद्ध प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों, यदि कोई हों, के विपरीत कोई विज्ञापन दे;
- (9) मार्जिन संबंध अपेक्षाओं का अपवंचन : यदि कोई सदस्य संबद्ध प्राधिकारी द्वारा और/या उप नियमों / विनियमों में निर्धारित मार्जिन संबंधी अपेक्षाओं का जानबुझकर अपवंचन करे, या अपवंचन की चेष्टा करे, या अपवंचन करने में सहायता करे;
- (10) दलाल प्रभार : यदि कोई सदस्य दलाली के प्रभारण या हिस्सा बटाने से संबंधित उप-नियमों और विनियमों से विचलित हो, या उन्हें अपवंचित करे या अपवंचित करने का प्रयास करे.

#### 6.6 साझीदारों, अभिकर्ताओं और कर्मचारियों के लिए व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य का दायित्व

कोई भी व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य अपने प्राधिकृत अधिकारियों, अटार्नियों अभिकर्ताओं, प्राधिकृत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के कार्यों और चूकों के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा और यदि ऐसे किसी कार्य या चूक को संबद्ध प्राधिकारी ऐसा माने जिसको करने से व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य एक्सचेंज के उप नियमों, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किसी अर्थदंड का पात्र होगा, तो संबंधित व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य उसके लिए उस अर्थदंड का उस सीमा तक पात्र होगा, जिस सीमा तक वह तब पात्र होता, जब उसने वह कार्य या चूक स्वयं की होती.

#### 6.7 मार्जिन-जमा और/या पूंजी पर्याप्तता संबंधी अपेक्षा और/या निपटान निधि में अंशदान देने में असफलता पर निलंबन

कोई व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य यदि उपनियमों, नियमों और विनियमों में कि गए प्रावधानों के अनुसार मार्जिन-जमा, निपटान-निधी में जमा या अंशदान करने में और/या पूंजी पर्याप्तता संबंध मानदंडों को पूरा करने में असफल रहे तो संबद्ध प्राधिकारी उससे कारोबार को निलंबित करने की अपेक्षा कर सकता है और कारोबार का यह निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक सदस्य आवश्यक मार्जिन-जमा निपटान निधी में जमा और अंशदान नहीं कर देता या पूंजी पर्याप्तता संबंधी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर देता, संबद्ध प्राधिकारी इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य को निष्कासित कर सकता है.

#### 6.8 कारोबार का निलंबन

संबद्ध प्राधिकारी किसी व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य से कारोबार को अंशतः या पूर्णतः निलंबित करने की अपेक्षा कर सकता है.

- (1) हानिकर कारोबार : अब संबद्ध प्राधिकारी के मत में, बाजार की स्थिरता भंग करने के प्रयोजन से या बाजार में निराशा की ऐसी स्थिती पैदा करने के प्रयोजन से जिसमें कीमते सही ढंग से बाजार के मूल्यों को प्रदर्शित न करें, माल/जिन्स खरीदता या बेचता है या माल/जिन्स की खरीद या बिक्री का प्रस्ताव करता है और इस प्रकार कारोबार करता है जो एक्सचेंज के लिए हानिकार हो; या
- (2) अवांछनीय कारोबार : जब संबद्ध प्राधिकारी के मत में कोई सदस्य अवांछनीय कारोबार में लगे अपने घटक के लाभ के लिए या किसी के भी लाभ के लिए जिसमें वह प्रत्यक्षतः या परोक्षतः हितबद्ध हो, ऐसी खरीद और बिक्री करे जो उसके घटक की दृष्टि से या उसके अपने साधनों और वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से या संबंधित जिन्स के बाजार की दृष्टि से सीमा से अधिक हो; या
- (3) असंतोषप्रद वित्तीय स्थिति : जब संबद्ध प्राधिकार के मत में सदस्य ऐसी वित्तीय स्थिती में हो जिसमें उसके लेनदारों या एक्सचेंज को सुरक्षित रखते हुए कारोबार की अनुमति नहीं दी जा सकती हो.

#### 6.9 निलंबन की वापसी

उपर्युक्त खंड 5.8 के अंतर्गत कारोबार का निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक सदस्य को, संबद्ध प्राधिकारी द्वारा यथाअपेक्षित जमा का भुगतान कर देने के बाद या यथा-अपेक्षित कार्य कर देने के बाद या किसी बात का प्रावधान कर देने के बाद, फिर से कारोबार शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाती.

## 6.10 उल्लंघन के लिए दण्ड

जिस व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य से कारोबार का निलंबन करना अपेक्षित है वह यदि इस प्रावधान के उल्लंघन का कार्य करता है तो संबद्ध प्राधिकारी उसे निष्कासित कर देगा।

## 6.11 व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य और अन्यो द्वारा साक्ष्य और जानकारी देना

व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य संबद्ध प्राधिकारी या अन्य समितियों या एक्सचेंज के किसी अधिकारी के समक्ष जिसे इसके लिए, प्राधिकृत किया गया हो, स्वयं उपस्थित होगा और साक्ष्य देगा और अपने साक्षीदारों, अटर्नियों, अभिकर्ताओं, प्राधिकृत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों को उपस्थित कराएगा और साक्ष्य दिलवाएगा तथा ऐसे बहीखातों, पत्राचार, दस्तावेजों, कागजात और अभिलेखों या उनके हिस्सों को जो उसके कब्जे में होंगे और जिन्हें जांच या अन्वेषण के अंतर्गत किसी मामले में संगत और महत्वपूर्ण माना जाएगा, संबद्ध प्राधिकारी, या अन्य समितियों या एक्सचेंज द्वारा इसके लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

## 6.12 कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए अनुमति का आवश्यक होना

किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होगा कि संबद्ध प्राधिकारी या किसी अन्य समिति के समक्ष किसी अन्वेषण या सुनवाई में उसका प्रतिनिधित्व कोई व्यावसायिक परामर्शदाता, अटर्नी, अधिवक्ता या कोई अन्य प्रतिनिधि करे जब कि संबद्ध प्राधिकारी या अन्य समिति इसकी अनुमति न दे।

## 6.13 निलंबन या निष्कासन के पूर्व स्पष्टीकरण

व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य को यह अधिकार होगा कि निलंबित या निष्कासित किए जाने के पूर्व उसे संबद्ध प्राधिकारी के समक्ष बुलाया जाए और उसे स्पष्टीकरण का अवसर दिया जाए, किंतु सभी मामलों में संबद्ध प्राधिकारी का निष्कर्ष अंतिम और निष्कर्षात्मक होगा।

## 6.14 अस्थायी निलंबन

- (1) इसमें उपर्युक्त खंड 6.13 में किसी बात के होते हुए भी यदि प्रबंध निदेशक के मत में ऐसा करना आवश्यक हो, तो वह व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य को, लिखित रूप में कारणों को अभिलिखित करते हुए, अस्थायी रूप से तब तक के लिए निलंबित कर सकता है जब तक इस अध्याय के अंतर्गत, संबद्ध प्राधिकारी द्वारा निलंबन की कार्यवाही पूरी न हो, और इस प्रकार के अस्थायी निलंबन के लिए सुनवाई की सूचना जारी करना अपेक्षित नहीं होगा और इस प्रकार के अस्थायी निलंबन के वही परिणाम होंगे जो इस अध्याय के अंतर्गत निलंबन के होते हैं।
- (2) इस प्रकार के अस्थायी निलंबन के पांच कार्यदिवसों के भीतर व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य को "कारण बताओ" सूचना जारी की जाएगी।
- (3) यदि प्रबंध निदेशक संतुष्ट हो कि जिन परिस्थितियों के कारण प्रबंध निदेशक का अस्थायी निलंबन प्रभावी करने का मत बना था वे परिस्थितियां अस्तित्व में नहीं रही हैं, या उनका संतोषप्रद समाधान हो गया है, तो वह इस प्रकार अस्थायी निलंबन को अपने विवेक से, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए वापस ले सकता है।
- (4) कोई व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य जो अस्थायी निलंबन से आहत हुआ हो वह संबद्ध प्राधिकारी को अपील कर सकता है किंतु ऐसी किसी अपील से उसका अस्थायी निलंबन स्वतः निलंबित नहीं होगा जब तक कि संबद्ध प्राधिकारी द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया जाए।

## 6.15 दण्ड लगाना

संबद्ध प्राधिकारी निलंबन, सदस्यता के अधिकारों में से किसी एक या सभी की वापसी, अर्थदण्ड, सेंसर या चेतावनी में से कोई भी दण्ड, एकल रूप से या संयुक्त रूप से लगा सकता है, संबद्ध प्राधिकारी निष्कासन का दण्ड भी दे सकता है।

## 6.16 दण्डों का पूर्व-निर्धारण

संबद्ध प्राधिकारी के पास यह शक्ति होगी कि वह एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों या विनियमों में से किसी के, या उनके अंतर्गत संबद्ध प्राधिकारी या किसी अन्य समिति या इसके लिए प्राधिकृत एक्सचेंज के अधिकारी के किसी संकल्प, आदेश सूचना, निर्देश, निर्णय या व्यवस्था के उल्लंघन, अननुपालन, अवज्ञा, अनादर या अपवंचना के लिए लगाए जाने वाले दण्ड, निलंबन की अवधि, किसी विशेष सदस्यता-अधिकार की वापसी और किसी अर्थदण्ड की राशि का पूर्व निर्धारण करे।

## 6.17 लघुकरण

प्रतिभूति कानूनों के प्रावधानों के तहत, संबद्ध प्राधिकारी अपने विवेक से, किसी मामले में एक ट्रेडिंग सदस्य/समाशोधन सदस्य को निष्कासन के दंड के बदले निलंबित कर सकते हैं या सभी या कोई सदस्यता अधिकारों को वापस ले सकते हैं या

निलंबन या निष्कासन के दंड के बदले दंड लागू कर सकते हैं तथा निर्देश दे सकते हैं कि, दोषी ट्रेडिंग सदस्य/समाशोधन सदस्य की परिनिंदा की जाय या चेतावनी दी जाय या ऐसे किसी दंड को, न्यायोचित तथा साम्यिक माने जाने वाली शर्तों तथा निबंधनों के तहत प्रतिप्रेषित या कम कर सकते हैं।

#### 6.18 पुनर्विचार/पुनर्परिक्षण

प्रतिभूति कानूनों के प्रावधानों के तहत, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन संबंध प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या संबंधित व्यापार-सदस्य /समाशोधन-सदस्य की अपील पर, उस व्यापार- सदस्य/समाशोधन-सदस्य के सदस्यता संबंध अधिकारों में से किसी या सभी को वापस लेने या अर्थदण्ड लगाने, सेंसर करने या उसे चेतावनी देने से संबंधित अपने संकल्प को निरस्त कर सकता है, प्रतिसंहत कर सकता है या संशोधित कर सकता है, इसी प्रकार संबंध प्राधिकारी किसी व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य के निष्कासित या निलंबित करने वाले संकल्प को निरस्त, प्रतिसंहत या संशोधित कर सकता है।

#### 6.19 अर्थदण्ड के भुगतान में असफल होना

यदि कोई व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य एक्सचेंज द्वारा लिखित सूचना सुपुर्द किए जाने के बाद संबंध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित अवधि के भीतर उस पर लगाए गए अर्थदण्ड का भुगतान नहीं करता तो संबंध प्राधिकारी उसके भुगतान न करने तक उसे निलंबित कर सकता है और यदि समय-समय पर यथानिर्धारित आगे की अवधि में भी वह भुगतान करने में असफल रहता है तो उसे संबंध प्राधिकारी द्वारा निष्कासित किया जा सकता है।

#### 6.20 निलंबन के परिणाम

व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य के निलंबन के निम्नलिखित परिणाम होंगे, नामतः:

- (1) सदस्यता के अधिकारों का निलंबन : निलंबित व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य, निलंबन की अवधि के दौरान, संबंधित खण्ड के व्यापार-सदस्य /समाशोधन-सदस्य की आम सभा की बैठक में भाग लेने या मत देने के अधिकार सहित सदस्यता के सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित और बहिष्कृत रहेगा, किंतु उसके विरुद्ध संबंध प्राधिकारी, सदस्य के निलंबन के पहले या बाद में, सदस्य द्वारा किए गए अपराध के लिए कार्यवाही कर सकता है और संबंध प्राधिकारी को अन्य व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य द्वारा उस सदस्य के खिलाफ किए गए किसी दावे का संज्ञान लेने उसके संबंध में न्याय निर्णय करने या विचार करने से वर्जित नहीं किया जाएगा।
- (2) लेनदारों के अधिकारों का अविकल रहना : निलंबन से, निलंबित व्यापार-सदस्य / समाशोधन-सदस्य के लेनदार व्यापार-सदस्य /समाशोधन-सदस्य के अधिकार दुष्प्रभावित नहीं होंगे।
- (3) अनुबंधों को पूरा करना : निलंबित व्यापार- सदस्य/समाशोधन-सदस्य, निलंबन के समय बकाया अनुबंधों को पूरा करने के लिए बाध्य होगा।
- (4) आगे कारोबार पर रोक : निलंबित व्यापार- सदस्य/समाशोधन-सदस्य निलंबन की अवधि के दौरान किसी व्यापार-सदस्य / समाशोधन-सदस्य के साथ या उसके माध्यम से कोई व्यापार, कारोबारी लेन-देन नहीं करेगा किंतु वह संबंध प्राधिकारी की अनुमति से निलंबन के समय किसी व्यापार-सदस्य /समाशोधन-सदस्य के साथ या माध्यम से बकाया लेन देनों को पूरा कर सकेगा।
- (5) व्यापार-सदस्यों/समाशोधन-सदस्यों का सौदा न करना : कोई भी व्यापार-सदस्य/ समाशोधन-सदस्य संबंध प्राधिकारी की पूर्व अनुमति को छोड़कर किसी निलंबित व्यापार- सदस्य/समाशोधन-सदस्य के लिए या उसके साथ कारोबारी लेनदेन नहीं करेगा या दलाली में हिस्सा नहीं बटाएगा।

#### 6.21 निष्कासन के परिणाम

किसी व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य के निष्कासन के निम्नलिखित परिणाम होंगे, नामतः:

- (1) व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य के अधिकारों का समपहरण : निष्कासित व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य के व्यापार- सदस्यता/समाशोधन-सदस्यता के सभी अधिकार और व्यापार-सदस्य/ समाशोधन-सदस्य के रूप में उसके सभी अधिकार और विशेषाधिकार एक्सचेंज को समपहृत हो जाएंगे जिनमें एक्सचेंज की किसी संपत्ति या निधि पर उसका दावा या उसमें उसका हित भी शामिल होगा, किंतु ऐसे व्यापार-सदस्य /समाशोधन-सदस्य की एक्सचेंज के किसी व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य के प्रति देयता उसके निष्कासन से अप्रभावित रहेगी;
- (2) पद का रिक्त हो जाना : व्यापार-सदस्य / समाशोधन-सदस्य के निष्कासन के कारण, उसके द्वारा धारित कोई पद या स्थान रिक्त हो जाएगा,

- (3) लेनदारों के अधिकारों का अविकल रहना : निष्कासन से, निष्कासित व्यापार-सदस्य/ समाशोधन-सदस्य के लेनदार व्यापार-सदस्य /समाशोधन-सदस्य के अधिकार दुष्प्रभावित नहीं होंगे.
- (4) अनुबंधों और देयताओं को पूरा करना : निष्कासित व्यापार सदस्य/समाशोधन-सदस्य निष्कासन के समय बकाया लेनदेनों और देयताओं को पूरा करने के लिए बाध्य होगा और वह संबद्ध प्राधिकारी की अनुमति से, व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य के साथ उसके माध्यम से बकाया लेनदेनों को पूरा कर सकेगा.
- (5) व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य का सौदा न करना : कोई भी व्यापार-सदस्य/ समाशोधन-सदस्य, संबद्ध प्राधिकारी की अनुमति को छोड़कर किसी निष्कासित व्यापार -सदस्य/समाशोधन-सदस्य के लिए या उसके साथ कारोबारी लेनदेन नहीं करेगा या दलाली में हिस्सा नहीं बंटाएगा.
- (6) चूककर्ता घोषित करने के परिणामों का लागू होना : उप-नियमों का चूक से संबंधित अध्याय XII एक्सचेंज से निष्कासित व्यापार- सदस्य/समाशोधन-सदस्य पर भी उसी प्रकार लागू होगा, मानो उस व्यापार-सदस्य /समाशोधन-सदस्य को चूककर्ता घोषित किया गया हो.

#### 6.22 निष्कासन संबंधी नियमों का लागू होना :

यदि कोई व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य मृत्यु, चूक या इस्तीफे के कारणों को छोड़कर अन्य प्रकार से इन उपनियमों के अंतर्गत व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य नहीं रह जाता तो ऐसा माना जाएगा कि उस व्यापार -सदस्य/समाशोधन-सदस्य को संबद्ध प्राधिकारी द्वारा निष्कासित किया गया है और उस स्थिति में उस व्यापार-सदस्य/ समाशोधन-सदस्य पर हर तरह से इन नियमों के निष्कासन से संबंधित प्रावधान लागू होंगे.

#### 6.23 कारोबार का निलंबन

- (1) जब कोई व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य उप नियमों और विनियमों में यथानिर्धारित प्रतिभूति को बनाए रखने में या आगे और प्रतिभूति देने में असफल रहता है तो संबद्ध प्राधिकारी उससे यह अपेक्षा कर सकता है कि वह अपना कारोबार निलंबित कर दे और यह निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक वह प्रतिभूति के रूप में आवश्यक राशि का भुगतान न कर दे.
- (2) उल्लंघन के लिए दंड : जिस व्यापार सदस्य से खंड 6.23 (1) के अंतर्गत कारोबार निलंबित करने की अपेक्षा की गई हो, वह यदि उपनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करता है तो उसे संबद्ध प्राधिकारी द्वारा निष्कासित कर दिया जाएगा.

#### 6.24 दंड की सूचना और कारोबार का निलंबन

किसी व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य के निष्कासन या निलंबन या उसकी चूक या उसके द्वारा कारोबार के निलंबन या उसके साक्षीदारों, अटर्नियों, अभिकर्ताओं, प्राधिकृत प्रतिनिधियों या अन्य कर्मचारियों पर लगाए गए किसी दंड की सूचना व्यापार प्रणाली पर या एक्सचेंज द्वारा यथानिर्णीत किसी अन्य पद्धति से व्यापार-सदस्य /समाशोधन-सदस्य तथा साधारण तौर पर व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य को दी जाएगी, संबद्ध प्राधिकारी को इस बात का पूर्ण विवेकाधिकार होगा कि वह जिस प्रकार ठीक समझे उस प्रकार एक्सचेंज के व्यापार-सदस्य/ समाशोधन-सदस्य को या सर्व साधारण को अधिसूचित को या अधिसूचित कराए कि अधिसूचना में उल्लिखित नामवाला व्यक्ति निष्कासित, निलंबित, दंडित या चूककर्ता घोषित किया गया है या उसने अपना कारोबार निलंबित कर दिया है या वह व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य नहीं रह गया है, किसी भी परिस्थिति में, ऐसे व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की अधिसूचना के प्रकाशन या परिचालन के लिए एक्सचेंज या संबद्ध प्राधिकारी या एक्सचेंज के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई या कार्यवाही धारणीय नहीं होगी और व्यापार-सदस्यता/समाशोधन-सदस्यता के लिए आवेदन, घटकीकृत अटॉर्नी या प्राधिकृत प्रतिनिधी के रूप में निबंधन के लिए आवेदन या संबंधित व्यक्ति द्वारा आवेदन ऐसे विज्ञापन या ऐसी अधिसूचना के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन की अनुज्ञप्ति का कार्य करेगा और उपनियम, नियम आर विनियम अनुमति का कार्य करेंगे और तदनुसार वकालत-योग्य होंगे.

इन प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी यदि संबद्ध प्राधिकारी के मत में ऐसा कना आवश्यक हो, तो वह कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए, इस अध्याय के अंतर्गत संबद्ध प्राधिकारी द्वारा निलंबन की समुचित कार्यवाही के लंबित होने तक व्यापार-सदस्य/समाशोधन-सदस्य को तत्काल अस्थायी रूप से निलंबित कर सकेगा और ऐसे अस्थायी निलंबन के लिए सुनवाई की कोई सूचना आवश्यक नहीं होगी और ऐसे अस्थायी निलंबन के वही परिणाम होंगे जो इस अध्याय के अंतर्गत निलंबन के होते बशर्त कि इस प्रकार के अस्थायी निलंबन के 10 दिनों के भीतर व्यापार-सदस्य /समाशोधन-सदस्य को "कारण बताओ" सूचना जारी कर इस अध्याय के अंतर्गत निलंबन की समुचित कार्यवाही शुरू कर दी जाए. यदि संबद्ध प्राधिकारी संतुष्ट हो कि जिन परिस्थितियों के कारण संबद्ध प्राधिकारी का अस्थायी निलंबन का मत बना था, वे परिस्थितियां

अस्तित्व में नहीं रही है, या उनका संतोषप्रद समाधान होगया है, तो संबध प्राधिकारी अस्थायी निलंबन को, अपने विवेक से, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए, वापस ले सकता है.

#### 7. बचत तथा शेष बनाए रखना (कन्टीन्यूएशन)

ए. फॉरवर्ड संविदाएं (एफसीआरए) की धारा 28 ए के अनुसार, एफसीआरए के अंतर्गत बनाए गए एक्सचेंज के (वर्तमान एक्सचेंज नियम कहे जानेवाले) नियम, 29 सितंबर 2015 से प्रभावी, एफसीआरए के निरसन के कारण, 29 सितंबर 2015 से एक वर्ष की अवधि के पश्चात लागू नहीं होंगे, ऐसे निरसन के बावजूद—

- 1) वर्तमान एक्सचेंज नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत निष्पादित, समाशोधन, निपटान, निलामियां, विवाद संकल्प या विवाचन तथा चूक सुधार सहित परंतु सीमित नहीं, सभी कार्रवाई या गतिविधियां, इन नियमों के तदनुरूपी प्रावधानों के अंतर्गत की जानी लागू रहेंगी.
- 2) निवेशकर्ताओं की सुरक्षा निधि का रखरखाव तथा निपटान निधि जैसे जोखिम प्रबंधन उपायों सहित परंतु सीमित नहीं, वर्तमान एक्सचेंज नियमों के अंतर्गत उपचित सभी अधिकार तथा देयताएं, इन नियमों के तदनुरूपी प्रावधानों के अंतर्गत उपचित होना जारी रहेंगे.
- 3) वर्तमान एक्सचेंज नियमों के अनुसार, डिलिंग्स में प्रवेश अनुमत या एक्सचेंज के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर पहुंचने की अनुमति प्राप्त, एक्सचेंज के सभी प्रात्र सदस्य या उनके एजेंट्स एससीआरए तथा उसके अंतर्गत बनाए नियमों त्ती विनियमों के प्रावधानों तथा सेबी अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों और समय-समय पर सेबी द्वारा जारी किसी निर्देशों या परिपत्रों के तहत? इन नियमों के तदनुरूपी प्रावधानों के अनुसार एक्सचेंज में ऐसे अधिकारों का उपयोग करना जारी रखेंगे.
- 4) कोई किया गया निरिक्षण, ऑर्डर, दंडात्मक कार्रवाई, कार्यवाही या नोटिस जारी की गई या कोई पुष्टि या घोषणा की गई या कोई लाइसेंस? अनुमति, प्राधिकरण या छूट मंजूर की गई, संशोधित या रद्द की गई या कोई दस्तवेज या लिखत निष्पादित किया गया या वर्तमान एक्सचेंज नियमों के अंतर्गत कोई निर्देश दिया गया सहित, कुछ भी किया गया या कोई कार्रवाई की गई या की गई दर्शायी गई हो, वह इन नियमों के तदनुरूपी प्रावधानों के अनुसार, एक्सचेंज द्वारा लागू या जारी रखा जायेगा.
- 5) 28 सितंबर 2016 को वर्तमान एक्सचेंज नियमों के प्रावधानों के सभी उल्लंघन तथा आरंभ की गइ या लंबित कोई कार्यवाही, इन नियमों के तदनुरूपी प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होना जारी रहेगा.

बी. सेबी द्वारा निर्देश दिए अनुसार, इन नियमों के किसी भी प्रावधानों के संबध में स्पष्टीकरण जारी करने के संबध में एक्सचेंज को अधिकार दिया गया है.

#### उप नियम

#### भाग – अ

#### 1. परिभाषाएं

- (1) “अनुमोदित लेबोरेटरी” से उपनियमों, नियमों और विनियमों में निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुसार जिन्सों के प्रमाणन के लिए संबध प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित लेबोरेटरी अभिप्रेत है.
- (2) “निदेशक मंडल” से नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिका एक्सचेंज लिमिटेड का निदेशक मंडल अभिप्रेत है.
- (3) “प्रमाणित/अनुमोदित वेअर हाउस” से जिन्सों की डिलीवरी लेने और देने के लिए एक्सचेंज वा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा अनुमोदित और इस रूप में नामनिर्दिष्ट गोदाम या वेअर हाउस अभिप्रेत है.
- (4) “समाशोधन और निपटान” से, जब तक संदर्भ से अन्यथा निर्दिष्ट न हो, समाशोधन या निपटान या संबध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन और यथाविनिर्दिष्ट रीति से अनुबंधों या जिन्सों से संबधित सौदों का समाशोधन या निपटान अभिप्रेत है.
- (5) “समाशोधन बैंक” से ऐसा बैंक अभिप्रेत है जिसे एनसीडेक्स, एक्सचेंज के माध्यम से समाशोधित सभी सौदों के लिए मार्जिन-राशि वसूल करने और समाशोधन-सदस्यों और समाशोधन-गृह और समाशोधन-सदस्यों के बीच समाशोधन-गृह द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट अन्य किसी निधि-अंतरण के लिए निधि-अंतरण के लिए निधि-निपटान अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करें.

- (6) "समाशोधन-गृह" से संबंध प्राधिकारी या समाशोधन-निगम जैसी किसी स्वतंत्र सत्ता द्वारा अभिज्ञापित कोई अभिकरण अभिप्रेत है जिसे समाशोधन-सदस्यों/व्यापार-सदस्यों और सहभागियों द्वारा एक्सचेंज में किए गए व्यापारों के लिए उनके बीच सुपुर्दगी और भुगतान की प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करने के कार्य के लिए उपयुक्त रीति से स्थापित और अधिकृत किया गया हो।
- (7) "समाशोधन सदस्य" से अभिप्रेत एक व्यक्ति जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त समाशोधन गृह निगम में समाशोधन तथा निपटान अधिकार हों तथा उसमें एक्सचेंज पर समाशोधन तथा निपटान अधिकार रखनेवाला कोई व्यक्ति शामिल किया जायगा।  
बशर्ते कि, एक्सचेंज के ऐसे समाशोधन सदस्य को, सेबी द्वारा निर्धारित दिनांक से मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम का सदस्य बनना अपेक्षित होगा।
- (8) "ग्राहक/घटक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके अनुदेश पर और जिसके लाभ के लिए व्यापार-सदस्य एक्सचेंज में कोई सौदा करता है या समाशोधन-सदस्य से एक्सचेंज में कोई सौदा करता है या समाशोधन-सदस्य सौदों का समाशोधन या निपटान करता है, इस प्रयोजन के लिए ग्राहक शब्द में एनसीडेक्स के व्यापार-सदस्यों और समाशोधन-सदस्यों के सभी निबंधित घटक शामिल होंगे।
- (9) "अंत क्रय लेन-देन" से ऐसा क्रय लेन-देन अभिप्रेत है जो प्रभावी होने पर किसी शॉर्ट पोजीशन को अंशतः या पूर्णतः ऑफसेट करेंगा।
- (10) "अंत क्रय लेन-देन" से ऐसा विक्रय अभिप्रेत है जो प्रभावी होने पर किसी लॉग पोजीशन को अंशतः या पूर्णतः ऑफसेट करे।
- (11) "संपार्श्विक" से ऐसी राशि, मीयादि जमा-रशीद, बैंक-वारंटी, प्रतिभूतियां और एक्सचेंज द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य लेन-देन अभिप्रेत है जिन्हें प्रतिभूति-जमा, मार्जिन-जमा या किसी अन्य लेन-देन के लिए एक्सचेंज द्वारा यथा-अपेक्षित प्रतिभूति के रूप में दिया जाए।
- (12) "माल" से अभिप्रेत एससीआरए की धारा 2 (बीबी) में दिया गया अर्थ होगा।
- (13) "संविदा" से अथिप्रेत, प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के लिए या संबंधित संविदा तथा जो एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए सेबी द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित की गई हो।
- (14) "सौदा" से, जब तक संदर्भ से अन्यथा निर्दिष्ट न हो, कोई व्यापार, अनुबंध, लेन-देन या सौदा अभिप्रेत है जिसे एक्सचेंज के समाशोधन-गृह के माध्यम से या एक्सचेंज द्वारा यथानिर्धारित रीति से व्यापार के लिए मंजूर किया गया हो और जिसका समाशोधन और निपटान किया जाए।
- (15) जबतक संदर्भ से अन्यथा निर्दिष्ट न हो, "सुपुर्दगी करने वाला सदस्य" से वह समाशोधन-सदस्य अभिप्रेत है जिसने ऐसे अनुबंधों को पूरा करने के लिए, जिनपर ये उपनियम, नियम और विनियम लागू हों, जिन्सों, या जिन्सों के स्वत्व संबंधी दस्तावेजों या अन्य संगत दस्तावेजों की सुपुर्दगी की हो या जिसे इनकी सुपुर्दगी करनी हो।
- (16) "सुपुर्दगी माह" से समय-समय पर संबंध प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित वह माह अभिप्रेत है जिसमें किसी अनुबंध का अंतिम रूप से निपटान किया जाना अपेक्षित है।
- (17) "सुपुर्दगी अवधि" से वह अवधि अभिप्रेत है, जिससे दौरान, एक्सचेंज द्वारा निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार सुपुर्दगी करने वाला सदस्य सुपुर्दगी देने की अपनी मंशा अधिसूचित करता है और/या भौतिक सुपुर्दगी के लिए जिन्सों की सुपुर्दगी करता है।
- (18) "एक्सचेंज" से अभिप्रेत कोमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड तथा कोमोडिटी डेरिवेटिव्स में या किसी अन्य उत्पादों/ प्रतिभूतियों, जो सेबी द्वारा अनुमत और/या अनुमोदित हों में लेनदेनों के निष्पादन के लिए परिसर और/या सिस्टम।
- (19) "अवसान-तिथि" से वह दिन अभिप्रेत है, जिस दिन अनुबंध या सौदे में अंतिम निपटान की बाध्यता निर्धारित की गई हो।
- (20) ••• निकाल दिया गया •••
- (21) "वायदा अनुबंध" से अंतर्निहित आस्ति के भविष्य में क्रय का विक्रय का कानूनी रूप से बाध्यकारी करार अभिप्रेत है।
- (22) "गोदाम/वेचर हाउस" से जिन्सों के भंडारण या संरक्षण के लिए उद्दिष्ट संबंध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर एतवर्थ अनुमोदित संरचना/सुविधा अभिप्रेत है।

- (23) "अंतिम व्यापार दिवस" से वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन तक और जिस दिन को कोई सौदा या अनुबंध व्यापार के लिए उपलब्ध होगा.
- (24) किसी अनुबंध में "लांग पोजीशन" से नियत समय पर किसी अनुमति-प्राप्त अनुबंध या जिन्स से संबंधित बकाया क्रय बाध्यता अभिप्रेत है.
- (25) "मार्केट मेकर" से एनसीडेक्स के उपनियमों के अंतर्गत निबंधित व्यापार-सदस्य अभिप्रेत है.
- (26) "ओपन पोजीशन" से किसी सदस्य का या उसके घटक का समाशोधन गृह में बकाया किसी एक अनुबंध या सभी अनुबंधों के लांग तथा शॉर्ट पोजीशनों का योग अभिप्रेत है.
- (27) "एनसीडेक्स" से नेशनल कर्मांडिटीज एंड डेरिवेटिका एक्सचेंज लिमिटेड अभिप्रेत है.
- (28) "आधिकारीक सूची" से वह सूची उपलब्ध है, जिसमें एक्सचेंज में व्यापार के लिए स्वीकृत या अनुमति-प्राप्त अनुबंध या जिन्स शामिल किए गए हैं.
- (29) "आरंभिक क्रय लेन-देन" से ऐसा क्रय लेन-देन अभिप्रेत है, जिसके प्रभावी होने पर लांग पोजीशन सुजित होगा या उसमें वृद्धि होगी.
- (30) "आरंभिक विक्रय लेन-देन" से ऐसा विक्रय लेन-देन अभिप्रेत है, जिसके प्रभावी होने पर शॉर्ट पोजीशन सुजित होगा या उसमें वृद्धि होगी.
- (31) "ओपन इंटरनेट" से अंतर्निहित जिन्स के ऐसे अनुबंध या सौदे अभिप्रेत है जिन्हें विपरीत लेन-देन के माध्यम से ऑफसेट और क्लोज नहीं किया गया है और न ही नकद या अंतर्निहित जिन्स की सुपूर्दगी के माध्यम से पूरा किया गया है.
- (32) "विनियम" जबतक कि संदर्भ अन्यथा न दर्शाये, इसमें व्यापार नियम आचार संहिता तथा एक्सचेंज के परिचालन के लिए समय-समय पर संबद्ध प्राधिकारी द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य विनियम तथा ये सेबी या किसी अन्य उनके जैसे नियामक प्राधिकारी के निर्देशों के अंतर्गत तैयार किये गये प्रतिभूति कानून, नियमों के प्रावधानों तथा संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विशेष रूप से उल्लिखित अन्य ऐसे निर्देशों तथा प्रावधानों के तहत होंगे.
- (33) "संबद्ध प्राधिकारी" से निदेशक मंडल या विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है.
- (34) "नियम" जबतक कि संदर्भ अन्यथा न दर्शाये, इससे अभिप्रेत, एनसीडीईएक्स के ट्रेडिंग सदस्यों तथा समाशोधन सदस्यों की गतिविधियों तथा जिम्मेदारियों के विनियमन के लिए सूचित नियम, तथा समय-समय पर, संविधान, संगठन तथा एक्सचेंज के कार्यकलापों के लिए संबद्ध प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये नियम, तथा ये नियम प्रतिभूति कानून के प्रावधानों, नियमों तथा सेबी एवं संबद्ध प्राधिकारियों के निर्देशों के तहत होंगे.
- (34ए). "एससीआरए" से अभिप्रेत प्रतिभूति संविदाएं (विनियम) अधिनियम 1956 तथा उसमें संशोधन".
- (34बी). "एससीआरए" से अभिप्रेत प्रतिभूति संविदाएं (विनियम) अधिनियम 1957 तथा उसमें संशोधन.
- (34सी). "सेबी" से अभिप्रेत, सेबी अधिनियम 1992 के अंतर्गत संगठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड.
- (34डी). "सेबी अधिनियम" से अभिप्रेत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 तथा उसमें संशोधन.
- (34इ). "स्टॉक ब्रोकर विनियम" से अभिप्रेत सेबी (स्टॉक ब्रोकर एवं उप-ब्रोकर) विनियम 1992 तथा उसमें संशोधन.
- (34एफ) "एसईसीसी विनियम" से अभिप्रेत प्रतिभूति संविदाएं (विनियम) (स्टॉक एक्सचेंज एवं समाशोधन निगम) विनियम 2012 तथा उसमें संशोधन.
- (34जी) "प्रतिभूति कानून" से अभिप्रेत, सेबी अधिनियम 1992, एससीआरए, 1956 डिपॉजिटरीज अधिनियम 1996 तथा उसके अंतर्गत जारी कोई नियम अधिनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश या निर्देश.
- (35) "निपटान तिथि" से व तारीख अभिप्रेत है, जिस तारीख को उपनियमों, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, अनुमति-प्राप्त अनुबंधों और सौदों की बकाया देयताओं का निपटान अपेक्षित है.
- (36) किसी अनुबंध में "शॉर्ट पोजीशन" से नियत समय पर अनुमति प्राप्त अनुबंधों या जिन्सों से संबंधित बकाया विक्रय बाध्यता अभिप्रेत है.
- (37) "निपटान तिथि" से उपनियमों के संगत प्रावधानों अनुसरण में स्थापित और रखी गई निधि अभिप्रेत है.

- (37ए) "स्वयं-समाशोधन सदस्य" से अभिप्रेत, स्टॉक ब्रोकर विनियम के विनियम 2(1) (एफ ए) में परिभाषित किये अनुसार स्टॉक ब्रोकर.
- (37बी) "समाशोधन सदस्य" से अभिप्रेत, स्टॉक ब्रोकर विनियम के विनियम 2(1) (जीबी) में परिभाषित किये अनुसार स्टॉक ब्रोकर.
- (38) "व्यापार अवधि" से एक्सचेंज द्वारा समय-समय पर यथा-अधिसूचित वह अवधि अभिप्रेत है, जिसके दौरान अनुबंध और सौदे व्यापार के लिए उपलब्ध होंगे.
- (39) "व्यापार सदस्य" से अभिप्रेत एक व्यक्ति, जिसके पास एनसीडीईएक्स में ट्रेडिंग अधिकार हों तथा इसमें स्टॉक ब्रोकर" शामिल है.
- (40) "व्यापार खंड" या "खंड" से एनसीडेक्स के निदेशक मंडल या संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथाश्रेणीकृत और यथाविनिर्दिष्ट विभिन्न खंड या प्रभाग अभिप्रेत है.
- (41) "एनसीडेक्स की व्यापार-प्रणाली" से वह प्रणाली अभिप्रेत है, जो व्यापारिक जोड़ मिलाने का और अन्य संबंधित कार्य करती हो और व्यापार-सदस्यों और निवेश करने वाले लोगों को चाहे जिस किसी भी पद्धति से एनसीडेक्स के अनुबंधों और जिन्सों में कोटेशन उपलब्ध कराती है, और किए गए व्यापार, उसकी मात्रा और अन्य संबंधित विषयों आदि के बारे में जानकारी का प्रसार करती है और संबद्ध प्राधिकारी द्वारा प्रणाली पर दी गई अन्य अधिसूचनाओं की जानकारी प्रसारित करती है.
- (42) "प्रापक सदस्य" से जबतक संदर्भ से अन्यथा निर्दिष्ट न हो, ऐसा समाशोधन-सदस्य अभिप्रेत है, जिसे उस उन अनुबंधों को पूरा करने के क्रम में, जिन पर ये नियम, उपनियम और विनियम लागू होते हैं, स्वत्व संबंधी दस्तावेज या अन्य संगत दस्तावेज प्राप्त करने हैं या जिसने उन्हें प्राप्त कर लिया है.
- (43) "वेयरहाउस रसीद" से एक्सचेंज या संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट रीति से और रूप में प्रमाणित वेयरहाउस द्वारा जारी किया गया दस्तावेज अभिप्रेत है, जिसे एक्सचेंज के समाशोधन गृह द्वारा जारी किए गए सुपुर्दगी आदेश के अनुसार प्रभाजन हेतु सुपुर्दगी योग्य जिन्सों की उपलब्धता का प्रमाण समझा जाएगा और इसमें संबद्ध प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी वेयरहाउस रसीदें शामिल होंगी.

## 2. व्यापार – खंड

- (1) संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट एक से अधिक व्यापार-खंड हो सकते हैं.
- (2) संबद्ध प्राधिकारी समय-समय पर उन अनुबंधों और/जिन्सों को विनिर्दिष्ट करेगा जो विभिन्न व्यापार-खंडों में प्रवेश के पात्र होंगे.

## 3. विनियम

- (1) निदेशक मंडल या संबद्ध प्राधिकारी समय-समय पर एक्सचेंज और समाशोधन-गृह के काम-काज और परिचालनों के लिए तथा एक्सचेंज के व्यापार और/या समाशोधन सदस्यों के काम-काज और परिचालनों के विनियमन के लिए विनियम निर्धारित करेगा.
- (2) उपर्युक्त उप-नियम (1) की सामान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निदेशक मंडल या संबद्ध प्राधिकारी समय-समय पर अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के संबंध में विनियम निर्धारित करेगा :
- (क) एक्सचेंज की अधिकाधिक सूची में किसी अनुबंध या जिन्स को सामिल करने के लिए अनुपालन किए जाने वाले मानदंड, क्रियाविधि और शर्तें :
- (ख) व्यापार और/ या समाशोधन सदस्यों के प्रवेश के लिए मानदंड और क्रियाविधि
- (ग) मार्केट मेकर के अनुमोदक के लिए मानदंड और क्रियाविधि :
- (घ) किए जाने वाले अनुबंधों के फार्म और शर्तें और व्यापार सदस्यों के बीच पारस्परिक अनुबंधों या व्यापार-सदस्यों और उनके घटकों के बीच के अनुबंधों और उनके घटकों के बीच के अनुबंधों और समाशोधन-सदस्यों के पारस्परिक अनुबंधों या समाशोधन-सदस्यों और उनके घटकों के बीच के अनुबंधों या व्यापार-सदस्यों और समाशोधन-सदस्यों के बीच के अनुबंधों के समय और तरीके और समाशोधन-सदस्यों द्वारा प्रभाषणीय शुल्क :
- (ङ) एक्सचेंज के समाशोधन गृह द्वारा समाशोधन और निपटान के लिए सौदों की मंजूरी हेतु अनुपालन किए जाने वाले मानदंड, क्रियाविधि और शर्तें :

- (च) विभिन्न समाशोधन खंडों और विभिन्न अनुबंधों/ जिन्सों के लिए सौदों के समाशोधन और निपटान हेतु मानदंड, क्रिया-विधि और शर्तें :
- (छ) एक्सचेंज द्वारा गारंटीयुक्त निपटान के लिए मानदंड, क्रियाविधि और शर्तें :
- (ज) समय-समय पर, व्यापार-सदस्यों, समाशोधन-सदस्यों, सहभागियों या अन्य मध्यस्थों द्वारा एक्सचेंज को भुगतान-योग्य शुल्कों, प्रणाली-उपयोग-प्रभारों, जमाओं, मार्जिनों और अन्य राशियों का निर्धारण :
- (झ) समय-समय पर व्यापार-सदस्यों द्वारा प्रभारणीय दलाली-शुल्कमान और समाशोधन-सदस्यों द्वारा प्रमाणित शुल्क का निर्धारण :
- (य) समय-समय पर व्यापार और/या समाशोधन-सदस्यों द्वारा बनाए रखने के लिए पूंजी-पर्याप्ता-संबंधी और अन्य मानदंडों का निर्धारण :
- (ट) बाजार या पर्यवेक्षण और ऐसे कारोबार-संबंधी नियमों तथा आचार-संहिता का प्रस्थापन, जैसा वह उचित समझे :
- (ठ) व्यापार-सदस्यों और/या समाशोधन-सदस्यों और सभी अन्य मध्यस्थों द्वारा ऐसे अभिलेखों और लेखा बहियों को रखना, जिन्हें वह ठीक समझे और एक्सचेंज द्वारा अपेक्षित अभिलेख रखना :
- (ह) अभिलेखों और लेखा बहियों का निरीक्षण और लेखापरीक्षण :
- (ढ) चूकों और उप-नियमों, विनियमों, नियमों, आचार-संहिता और पुनर्प्रवेश के मानदंडों, यदि कोई प्रस्थापित हों, के उल्लंघन के लिए निलंबन/निष्कासन सहित दंड, अर्थदंड और अन्य परिणामों का, समय-समय पर, निर्धारण और उन्हें लागू करना :
- (ण) किसी व्यापार और/या समाशोधन-सदस्य और अन्य मध्यस्थों के विरुद्ध व्यापार-सुविधाएं वापस लेने, निलंबन, चूककर्ता घोषित करने, निष्कासन आदि सहित अनुशासनिक कार्रवाई/कार्यवाही :
- (त) व्यापार-सदस्यों के बीच, समाशोधन-सदस्यों के बीच आपस में और साथ ही व्यापार-सदस्यों और उन व्यक्तियों के बीच जो व्यापार-सदस्य या समाशोधन-सदस्य नहीं हैं, उनके बीच एक्सचेंज में अनुबंधों या जिन्सों में हुए किसी लेन-देन के संबंध में उठे विवादों, आरोपों, दावों का निपटान, जिसमें विवाचन के माध्यम से निपटान शामिल है.
- (थ) विवाचन के मानदंड और क्रियाविधि :
- (द) निपटान-निधि सहित एक्सचेंज और स्थापित निधियों की समूह राशि की व्यवस्था, अनुरक्षण और निवेश :
- (ध) निपटान गारंटी निधि से, एक्सचेंज द्वारा स्थापित निधियों की समूह राशि की व्यवस्था, अनुरक्षण और निवेश को शामिल करते हुए समाशोधन और निपटान हेतु समाशोधन गृह या अन्य व्यवस्थाओं की स्थापना और कार्य-संचालन के साथ-साथ सौदों के निपटान और समाशोधन के लिए मानदंड और क्रिया-विधि :
- (न) अनुबंधों, सौदों और लेन-देनों के समापन से संबंधित, प्रासंगिक या परिणामी मानदंड और क्रियाविधि :
- (प) वेयरहाउसों, संबद्ध सुविधाओं और लेबोरेटरियों के अनुमोदन, प्रमाणन और निरीक्षण से संबंधित मानदंड और क्रियाविधि :
- (फ) जिन्सों के श्रेणीकरण सहित अनुबंध की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए सुपुर्दगी तंत्र से संबंधित मानदंड और क्रियाविधि :
- (ब) व्यापार-प्रणाली पर दी जाने वाली जानकारी, घोषणाओं का प्रसार :
- (भ) वेयरहाउसों, संबद्ध सुविधाओं लेबोरेटरियों के लिए मानदंडों और क्रियाविधि का निर्धारण :
- (म) निदेशक मंडल द्वारा यथानिर्णीत कोई अन्य विषय :

#### 4. अनुबंधों या जिन्सों के सौदे

##### 4.1 अनुमति-प्राप्त सौदे

लागू एससीआरए के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत तैयार किये गये नियमों तथा सेबी या अन्य किसी प्राधिकारी से अपेक्षित आवश्यक अनुमतियों के तहत, इन उप नियमों तथा विनियमों में उपलब्ध कराए अनुसार सेव किये जायेंगे, अन्य कोई डीलिंग्स अनुमत नहीं होंगे.

- 4.2 सौदों के लिए अनुबंधों या जिन्सों की मंजूरी एक्सचेंज में इन उपनियमों और विनियमों में इसके लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुसार उन्हीं अनुबंधों या जिन्सों के सौदों की अनुमति है जिन्हें समय-समय पर संबद्ध प्राधिकारी द्वारा व्यापारखंड में व्यापार की अनुमति दी गई हो।  
संबद्ध प्राधिकारी एक्सचेंज में व्यापार के लिए अनुमति प्राप्त अनुबंधों या जिन्सों को समय-समय पर स्वीकृति देगा।
- 4.3 प्रतिबंधित सौदे  
संबद्ध प्राधिकारी एक्सचेंज में किसी अनुबंध या जिन्स के सौदों को प्रतिबंधित कर सकता है या वापस ले सकता है।
- 4.4 एक्सचेंज में सौदों की मंजूरी का निलंबन  
संबद्ध प्राधिकारी किसी अनुबंध या जिन्स के सौदों को स्वीकृति देने का कार्य अपने द्वारा यथानिर्धारित अवधि के लिए किसी भी समय निलंबित कर सकता है। निलंबन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पहले संबद्ध प्राधिकारी निलंबित किए गए अनुबंध या जिन्स को ऐसी शर्तों के अधीन पुनःस्थापित कर सकता है, जिन्हें वह ठीक समझे।
- 4.5 एक्सचेंज में सौदों की पुनःस्वीकृति  
संबद्ध प्राधिकारी ऐसे अनुबंधों और जिन्सों के एक्सचेंज पर सौदों को, स्वविवेकाधिकार से पुनः मंजूरी दे सकता है, जिनकी मंजूरी को पहले वापस लिया गया हो।

#### 5. व्यापार—सदस्य

##### 5.1 नियुक्ति और शुल्क

- (1) संबद्ध प्राधिकारी अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमन के अनुसार समय-समय पर निर्मित उपनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसरण में व्यापार—सदस्यों को प्रवेश दे सकता है।
- (2) संबद्ध प्राधिकारी प्रत्येक व्यापारखंड में प्रवेश, समापन, पुनःप्रवेश आदि के लिए आवेदन हेतु पूर्वापेक्षाओं, शर्तों, प्ररूपों और क्रियाविधियों को विनिर्दिष्ट कर सकता है। संबद्ध प्राधिकारी को व्यापार—सदस्य के रूप में नियुक्त किए जानेवाले किसी भी आवेदक को अनुमति देने से इन्कार करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा।
- (3) व्यापार—सदस्य, व्यापार—सदस्य के रूप में प्रवेश के बाद और प्रवेश को जारी रखने के लिए निदेशक—मंडल या संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट शुल्कों, प्रतिभूति जमाओं और अन्य राशियों का भूगतान करेगा और समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट पूर्वापेक्षा संबंधी शर्तों को पूरा करेगा, नकद रूप में, बैंक गारंटी के रूप में, प्रतिभूति के रूप में, मीयादी जमा रसीद के रूप में, व्यापार—सदस्य द्वारा समय-समय पर प्रदत्त शुल्क, प्रतिभूति जमा, अन्य राशियां और कोई अन्य अतिरिक्त जमा, एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों और विनियमों के अधीन और उसके अनुसरण में किए गए सौदों या सौदों से उत्पन्न या उनसे प्रासंगिक, व्यापार—सदस्य के वायदों, बाध्यताओं और देयताओं की विधिवत पूरा करने के लिए एक्सचेंज को देय राशियों और व्यापार—सदस्य के विरुद्ध अन्य सभी दावों के लिए प्रथम और सर्वोपरि ग्रहणाधिकार के अधीन होंगी। एक्सचेंज को यह अधिकार होगा कि वह, व्यापार—सदस्य के विरुद्ध अन्य दावों को छोड़कर ऐसे देयों और दावों के लिए शुल्कों, जमाओं और अन्य राशियों को, व्यापार—सदस्य को सूचित किए बिना समायोजित या विनियोजित कर ले।
- (4) किसी व्यापारखंड का व्यापार—सदस्य एक्सचेंज में उस खंड के लिए लागू अनुबंधों या जिन्सों का व्यापार कर सकता है या उन अनुबंधों या जिन्सों का व्यापार कर सकता है, जिन्हें उस वर्ग के व्यापार—सदस्य के लिए एक्सचेंज द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (5) व्यापार—सदस्य संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित शर्तों के अधीन, प्रिंसिपल के रूप में अपने लिए या अपने ग्राहकों की ओर से संबंधित अनुबंधों या जिन्सों का व्यापार कर सकते हैं जब तक कि संबद्ध प्राधिकारी अन्यथा विनिर्दिष्ट न करें, वे, यदि उन्हें एतदर्थ प्राधिकृत किया जाए तो संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन ऐसे जिन्सों में मार्केट मेकर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं।

##### 5.2 शर्तें

- (1) व्यापार—सदस्य एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों और विनियमों का पालन करेंगे और संबद्ध प्राधिकारी के यथालागू, परिचालनात्मक मानदंडों, व्यवस्थाओं, सूचनाओं, दिशानिर्देशों और अनुदेशों का अनुपालन करेंगे।
- (2) एक्सचेंज में व्यापार के लिए जारी सभी अनुबंध एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार होंगे।
- (3) व्यापार—सदस्य अपनी गतिविधियों के बारे में विज्ञापनों और परिपत्रों को जारी करने के संबंध में संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर एक्सचेंज के संबंध में यथानिर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे।

- (4) व्यापार—सदस्य अपनी संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर यथानिर्धारित विषयों के बारे में यथानिर्धारित रूपों में घोषणाएं प्रस्तुत करेंगे.
- (5) व्यापार—सदस्य, लेखा परीक्षक द्वारा जारी किया गया एक प्रमाणपत्र, एक्सचेंज को प्रस्तुत करेंगे जिसमें यह प्रमाणित किया गया होगा कि व्यापार—सदस्य के परिचालनों के संबंध में प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर यथानिर्धारित एक्सचेंज संबंधी विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का पालन किया गया है.
- (6) व्यापार—सदस्य अपने कार्यों के संबंध में संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर यथा अपेक्षित जानकारी और आवधिक विवरणियां एक्सचेंज द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करेंगे.
- (7) व्यापार—सदस्य ऐसे लेखा—परीक्षित और/या अ—लेखापरीक्षित वित्तीय या संख्यात्मक जानकारी और विवरण संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर यथा अपेक्षित सीमा तक देंगे.
- (8) व्यापार—सदस्य पूरा सहयोग देंगे और किसी व्यापार, सौदे, उनके निपटान, लेखा विधि और/या अन्य संबंधित विषयों में या उनके बारे में संबद्ध प्राधिकारी या एक्सचेंज के अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत निरीक्षण या लेखा—परीक्षण के प्रयोजन से आवश्यक जानकारी और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे.
- (9) कोई व्यापार—सदस्य केवल अपने पंजीकृत कार्यालय, शाखा—कार्यालय या एक्सचेंज द्वारा समय—समय पर अनुमति प्राप्त अन्य स्थान से ही अपने व्यापार—टर्मिनल के परिचालन की अनुमति देगा.
- (10) व्यापार—सदस्य
  - ए. उनके द्वारा उपयोग में लाया जानेवाला, एक्सचेंज द्वारा अनुमत किसी भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के मामले में, एक्सचेंज द्वारा अपेक्षित तरीके से ऐसे सॉफ्टवेयर के परिक्षण के पश्चात आवश्यक क्लियरंस प्राप्त करेंगे, और
  - बी. समय—समय पर जैसा भी अपेक्षित हो आवश्यक दस्तावेज तथा वचनपत्र निष्पादित एवं प्रस्तुत करें, और
  - सी. उनके द्वारा उपयोग में लाये जानेवाले सॉफ्टवेयर के बिगडने/गलत तरीके से काम करने पर वे, एक्सचेंज द्वारा निर्धारित किये अनुसार दंड के भुगतान के लिए पात्र होंगे.

#### 6. व्यापार—सदस्यों द्वारा सौदा

##### 6.1 न्यायक्षेत्र

- (1) खरीद या बिक्री, या खरीद और बिक्री के किसी प्रस्ताव की मंजूरी के लिए एक्सचेंज की स्वचालित व्यापार—प्रणाली के माध्यम से किया गया कोई भी सौदा एक्सचेंज की मुंबई स्थित कम्प्यूटरीकृत प्रोसेसिंग इकाई में किया गया सौदा माना जाएगा और व्यापार—सदस्यों के बीच अनुबंध का स्थान मुंबई होगा. एक्सचेंज के व्यापार—सदस्य अपने अनुबंध नोट पर यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित करेंगे कि उन्होंने अनुबंध नोटों से या उनसे जुड़े या उनके संबंध में उत्पन्न किसी विवाद के संदर्भ में मुंबई स्थित सिविल न्यायालयों को छोड़कर, और के सिवाय सभी अन्य न्यायालयों के न्यायक्षेत्र को हटा दिया है और केवल मुंबई के सिविल न्यायालयों का ही ऐसे विवाद से उत्पन्न दावों पर पूर्ण न्यायिक क्षेत्राधिकार होगा. इस धारा के प्रावधान किसी न्यायालय के, व्यापार—सदस्यों और उसके घटकों को बीच ऐसे विवाद पर निर्णय देने के न्यायक्षेत्राधिकार को बाधित नहीं करते जिसमें एक्सचेंज पक्षकार नहीं है.
- (2) स्वचालित व्यापार—प्रणाली के माध्यम से किए गए किसी लेन—देन के संबंध में केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई या प्रोसेसिंग इकाइयों के समूह या कम्प्यूटर प्रोसेसिंग इकाइयों द्वारा किसी रजिस्टर्ड, मैग्नेटिक स्टोरेज इकाइयों, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज इकाइयों, ऑप्टिकल स्टोरेज इकाइयों या अन्य किसी तरीके से रखे गए एक्सचेंज के अभिलेख सहमत और अधिकारिक अभिलेख होंगे, किसी भी विवाद के प्रयोजन से, एक्सचेंज द्वारा कम्प्यूटर प्रोसेसिंग इकाइयों में रखा गया अभिलेख, एक्सचेंज के घटकों, व्यापार—सदस्यों के बीच या एक्सचेंज के व्यापार—सदस्यों के पारस्परिक विवाद या दावे में वैध साक्ष्य होगा.

##### 6.2 संरक्षण

व्यापार—सदस्य के नाम से किसी व्यक्ति द्वारा एक्सचेंज में किए गए अप्राधिकृत सौदों के लिए एक्सचेंज जिम्मेदान नहीं होगा.

##### 6.3 केवल व्यापार—सदस्यों का ही व्यापार में पक्ष होना

एक्सचेंज अपने व्यापार-सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को किसी सौदे के पक्षकार के रूप में मान्यता नहीं देता.

एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार प्रत्येक व्यापार-सदस्य सीधे और पूरी तरह प्रत्येक अन्य व्यापार-सदस्य के प्रति, उसके साथ किए गए सौदे को विधिवत पूरा करने के लिए, जिम्मेदार होगा, चाहे वह सौदा, सौदा करने वाले व्यापार-सदस्य ने अपने लिए किया हो या किसी घटक के लिए.

#### 6.4 सभी सौदों का उप-नियमों, नियमों और विनियमों के अधीन होगा

एक्सचेंज में उपनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार अनुबंधों और जिन्सों के सभी सौदे, उपनियमों, नियमों और विनियमों के अधीन किए गए माने जाएंगे और यह इस प्रकार के सभी सौदों की शर्तों का भाग होगा और सौदे एक्सचेंज के उप-नियमों, नियमों, और विनियमों के द्वारा संबद्ध प्राधिकारी में न्यस्त की गई तत्संबंधी शक्तियों के संबद्ध प्राधिकारी द्वारा प्रयोग के अधीन होंगे.

#### 6.5 व्यापार की अनुल्लंघनीयता

(1) एक्सचेंज में उपनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार और अधीन किए गए अनुबंधों और जिन्सों के सभी सौदे अनुल्लंघनीय होंगे और एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार उनका समाशोधन और निपटान किया जाएगा, तथापि एक्सचेंज किसी व्यापार-सदस्य से आवेदन प्राप्त होने पर सौदे को एक सूचना के माध्यम से निरस्त कर सकता है, यदि संबद्ध प्राधिकारी सौदे के दूसरे पक्ष की बात सुनने के बाद इस बात से संतुष्ट हो कि सौदा जालसाजी या गलतबयानी का व्यापार में हुई किसी महत्वपूर्ण भूल के कारण निरस्त करने योग्य है.

(2) उपर्युक्त (1) में किसी बात के होते हुए भी, एक्सचेंज अनुबंधों या जिन्सों में घटकों के हित की रक्षा के लिए और जिन्स-बाजार के उचित विनियमन के लिए किसी सौदे को किसी भी समय अपनी ओर से निरस्त कर सकता है, यदि संबद्ध प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि संबंधित सौदा जालसाजी, किसी महत्वपूर्ण भूल, गलतबयानी या बाजार या कीमतों के अपने पक्ष में दुरुपयोग या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से दोषयुक्त है, किंतु उसे कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करना होगा.

(3) उपर्युक्त खंड (1) और (2) के अनुसरण में किया गया निरस्तीकरण अंतिम होगा और व्यापार के दोनों पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा. इस स्थिति में व्यापार-सदस्य को अधिकार होगा कि वह अपने घटकों के साथ हुए संबंधित अनुबंध को रद्द कर दे.

#### 6.6 प्रतिनिधि व्यापार-सदस्यों द्वारा सौदे

(1) कोई व्यापार-सदस्य किसी अन्य व्यापार-सदस्य को संबद्ध प्राधिकारी की पूर्वानुमति से, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत कर सकता है.

(2) जब कोई व्यापार-सदस्य किसी अन्य व्यापार-सदस्य को, किसी घटक के लेन-देन के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करता है तो, प्रतिनिधि अपने नियोक्ता व्यापार-सदस्य को बाजार में हुए सौदे की वही सूचित करेगा और उस लेन-देन के मामले में नियोक्ता व्यापार-सदस्य घटक को वही कीमत सूचित करेगा.

#### 6.7 व्यापार-सदस्य पर प्रतिबंध द्वारा सौदे

(1) जब तक एक्सचेंज अन्यथा विनिर्दिष्ट न करे, कोई व्यापार-सदस्य किसी अन्य व्यापार-सदस्य का घटक नहीं बनेगा.

(2) व्यापार-प्रतिषेध : किसी व्यापार-सदस्य को जिसे एक्सचेंज या सेबी आयोग में अनुबंध करने से प्रतिषेध कर दिया हो, अपने नाम से या किसी अन्य व्यापार-सदस्य के माध्यम से किसी अनुबंध या जिन्स में व्यापार नहीं करना चाहिए.

### 6.अ. अधिकृत व्यक्ति

#### 6.अ. 1 अधिकृत व्यक्ति

6.अ.1.1 एक्सचेंज का/की/के सदस्य "अधिकृत व्यक्ति" 8 के जरिए उनके ग्राहकों को मार्केट एक्सेस दे सकता/ती/ते है.

6.अ.1.2 "अधिकृत व्यक्ति" का अर्थ और उसमें किसी व्यक्ति (मालिकों सहित), भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 द्वारा परिभाषित भागीदारी फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 द्वारा परिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी

(एलएलपी) कंपनी अधिनियम 1956 के तहत परिभाषित कार्पोरेट निकाय अथवा सहकारी संस्था अधिनियम, 1912/ बहुराज्य सहकारी संस्था अधिनियम, 2002/कोई अन्य संबंधित राज्य/ केन्द्रशासित प्रदेश संस्था अधिनियम के तहत परिभाषित सहकारी संस्था (ऐसी सहकारी संस्थाओं की फेडरेशन के सहित) का समावेश होगा, जिसे एक्सचेंज के अनुमोदन से, एक्सचेंज के सदस्य द्वारा एक्सचेंज के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का एक्सेस देने हेतु एक्सचेंज के सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया हो।

6.अ.2 अधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति

6.अ.2.1 एक्सचेंज का/की/के सदस्य एक्सचेंज का खास तौर पर पूर्वानुमोदन प्राप्त करने पर एक या अधिक अधिकृत व्यक्ति को नियुक्त कर सकता/ती/ते है।

6.अ.2.2 ऐसे प्रत्येक अधिकृत व्यक्ति के लिए अनुमोदन तथा नियुक्ति खास तौर पर होगी।

6.अ.3 नियुक्ति की प्रक्रिया

6.अ.3.1 "अधिकृत व्यक्ति" की नियुक्ति हेतु एक्सचेंज का/की सदस्य एक्सचेंज को एक्सचेंज द्वारा अधिसूचित किए गए प्रारूप में आवेदन कर सकता है।

6.अ.3.2 अधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति हेतु अपने सदस्य से आवेदन प्राप्त होने पर, एक्सचेंज:—

अ वह व्यक्ति अधिकृत व्यक्ति के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होने का विश्वास होने पर अनुमोदन देगा: अथवा

ब वह व्यक्ति अधिकृत व्यक्ति के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र न होने का विश्वास होने पर अनुमोदन देने से इन्कार करेगा:

6.अ.3.3 किसी अधिकृत व्यक्ति हो मंजूर की गई/मंजूर की जानेवाली अनुमति को किसी भी समय कोई भी कारण बताए बिना अस्वीकृत करने अथवा वापस लेने का अधिकार, यदि एक्सचेंज अपने पूरे विवेकाधिकार में ऐसी अस्वीकृति या वापसी पर बाजार के हित में विचार करता है, तो एक्सचेंज को होगा।

6.अ.4 पात्रता के मानदंड

6.अ.4.1 व्यक्ति

कोई भी व्यक्ति "अधिकृत व्यक्ति" के रूप में नियुक्ति हेतु तब पात्र होगा, यदि:

अ वह भारत का/की नागरिक है।

ब वह 18 वर्ष से कम आयु का/की नहीं है।

क वह किसी धोखाधड़ी या बेईमानी के अपराध के लिए दोषी ठहराया नहीं गया/गयी हो:

ड वह किसी स्टॉक एक्सचेंज या कोमोडिटी एक्सचेंज से लगातार छह कैलेंडर महिनो की अवधि के लिए निलंबित किया गया/की गई हो निलंबन की अवधि समाप्त होने की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की अवधि गुजर गई हो:

ई उसका/की प्रतिष्ठा तथा चरित्र अच्छा हों:

फ वह कम से कम दसवी या उसके समकक्ष परीक्षा केंद्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पास हो।

ग वह एक्सचेंज द्वारा निर्धारित ऐसा कोई प्रमाणपत्र रखता/ती हो, जो समय समय पर सेबी द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

6.अ.4.2 भागीदारी फर्म, एलएलपी अथवा कार्पोरेट संकाय

भागीदारी फर्म, एलएलपी अथवा कार्पोरेट संकाय "अधिकृत व्यक्ति" के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र होंगे :

अ. यदि सभी भागीदार या निदेशक, जैसा भी मामला हो, उपरोक्त उप-नियम 6.अ.4.1 में सम्मिलित आवश्यकताओं को पूरा करते हों:

ब. मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन या भागीदारी के कारार के उद्देश्य के खण्ड में ऐसी व्यक्ति को कोमोडिटीज डेरिवेटिव्स संविदाओं में व्यवहार करने की अनुमति सम्मिलित हो:

6.अ.4.3 सहकारी संस्था अधिकृत व्यक्ति के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगी :

- अ. यदि प्रबंधन समिति शासी निकाय के सभी सदस्य निदेशक जिस किसी नाम से जाने जाते हों, उपरोक्त खण्ड 6.अ.4.1 में समाविष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हों. फिर भी, अपरोक्त खण्ड 6अ.4.1.फ के संबंध में, एक्सचेंज अपने विवेकाधिकार के तहत शैक्षिक अर्हताओं में छूट दे सकता है.
- ब यदि सहकारी संस्था की मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के उद्देश्य खण्ड में सहकारी संस्था को कोमोडिटीज डेरिवेटिव्स संविदाओं में व्यवहार करने की अनुमति का प्रावधान हो.
- उपरोक्त विवरण के अनुसार पात्रता मानदंडों को सेबी द्वारा जारी निदेशों अथवा दिशानिर्देशों के अनुसार जोड़ा अथवा संशोधन किया जा सकता है.

6.अ.4.4 आधारभूत संरचना

अधिकृत व्यक्ति के पास आवश्यक आधारभूत संरचनाएं उदा. पर्याप्त कार्यालयीन जगह, उपकरण, मनुष्यबल और ऐसी ही अन्य आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएं होनी चाहिए, जो कि सदस्य की ओर से किए जाने वाले कार्यकलापों को प्रभावी रूप से करने हेतु एक्सचेंज द्वारा समय समय पर निर्धारित की गई हों.

6.अ.5 नियुक्ति की शर्तें

6.अ.5.1 एक्सचेंज के सदस्य की "अधिकृत व्यक्ति" के रूप में नियुक्ति होने पर, ऐसी व्यक्ति या संस्था, ऐसे सदस्य की अधिकृत व्यक्ति रहने तक, एक्सचेंज के किसी अन्य सदस्य की अधिकृत व्यक्ति रहने तक, एक्सचेंज के किसी अन्य सदस्य की अधिकृत व्यक्ति होने के लिए पात्र नहीं होगी.

6.अ.5.2 सदस्य का/की कोई भी निदेशक (यदि सदस्य कंपनी अधिनियम के तहत कंपनी हो तो) अथवा सदस्य का/की भागीदार (यदि सदस्य भागीदारी फर्म अथवा एलएलपी हो तो) अथवा सदस्य की प्रबंधन समिति/शासी निकाय का सदस्य/निदेशक (यदि सदस्य सहकारी संस्था हो तो) एक्सचेंज के किसी अन्य सदस्य की "अधिकृत व्यक्ति" होने के लिए पात्र नहीं होगा जिसमें उसकी कंपनी, भागीदारी फर्म, एलएलपी अथवा सहकारी संस्था जैसा भी मामला हो सदस्य हो.

6.अ.5.3 अधिकृत व्यक्ति अपने नाम या खाते में किसी प्रकार के धनराशि की प्राप्ति या भुगतान अथवा कोमोडिटीज की सुपर्दगी का व्यवहार नहीं करेगा. धनराशि की सभी प्राप्तियां और भुगतान तथा कोमोडिटीज व्यवहार संबंधित सदस्य के नाम से ही होंगे.

6.अ.5.4 अधिकृत व्यक्ति उसकी सेवाओं के लिए उसका पारिश्रमिक-फी, प्रभार, कमिशन, वेतन, आदि केवल उसी सदस्य से प्राप्त करेगा जिसका/की वह "अधिकृत व्यक्ति" है और वह सदस्य के ग्राहकों से किसी भी अन्य राशि को चाहे किसी भी नाम या खाते से हों, वसूल नहीं करेगा.

6.अ.5.5 अधिकृत व्यक्ति से होने वाले चूक और अपराध के सभी कृत्य सदस्य के माने जाएंगे.

6.अ.5.6 सदस्य तथा "अधिकृत व्यक्ति" एक्सचेंज द्वारा निर्धारित प्रपत्र में लिखित करार करेंगे. अन्य बातों के साथ साथ करार/करारों में, गतिविधियों का दायरा जिम्मेदारियां, जानकारी की गोपनीयता, इस खण्ड में अथवा सेबी द्वारा समय समय पर निर्धारित "अधिकृत व्यक्ति" के रूप में नियुक्ति की शर्तें, आदि का समावेश होगा.

6.अ.5.7 किसी अधिकृत व्यक्ति के लिए एक्सचेंज द्वारा दी गई अनुमति य सदस्यों को केवल एक्सचेंज के प्लॉटफॉर्म पर उनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के जरिए व्यापार करने के लिए ही होगी और ऐसी अनुमति सदस्य का दायित्व और जिम्मेदारी में किसी भी तरीके से छूट, कमी या असर करने हेतु नहीं होगी.

6.अ.6 अनुमोदन को वापस लेना

अधिकृत व्यक्ति को दिया हुआ अनुमोदन एक्सचेंज वापस ले सकता है :

6.अ.6.1 संबंधित सदस्य अथवा अधिकृत व्यक्ति से उस संबंध में अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर, जो कि एक्सचेंज द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करने के अधीन होगा.

6.अ.6.2 इस बात का विश्वास होने पर कि अधिकृत व्यक्ति का बने रहना निवेशक/को अथवा कोमोडिटीज बाजार के हित के लिए हानिकारक है.

6.अ.6.3 इस खण्ड के उपविधि 6.अ.4.1 के तहत पश्चात काल में ऐसे अधिकृत व्यक्ति के अपात्र होने पर.

6.अ.6.4 सेबी के निदेशों पर.

- 6.अ.7 सदस्य के दायित्व
- 6.अ.7.1 एक्सचेंज द्वारा ऐसे अधिकृत व्यक्ति की स्वीकृति का संदेश मिलने के बाद सदस्य ऐसे प्रत्येक अधिकृत व्यक्ति के साथ एक्सचेंज द्वारा निर्धारित करार करेगा/करेगी.
- 6.अ.7.2 सदस्य उपनियम 6.अ.7.1 के अनुसार करार करने के बाद ही अधिकृत व्यक्ति को उनकी और से ग्राहकों को दाखिल करने व परिचय कराने और ग्राहकों से आदेश लेने की अनुमति देगा/देंगे.
- 6.अ.7.3 "अधिकृत व्यक्ति" और अथवा उनके कर्मचारियों के चक और अपराध के कृत्यों से होनेवाली देयताओं सहित ऐसे सभी कृत्यों के लिए सदस्य जिम्मेदार होगा/होगी.
- 6.अ.7.4 यदि कोई ट्रेडिंग टर्मिनल सदस्य द्वारा "अधिकृत व्यक्ति" को दिया गया हो, तो जिस स्थान पर ऐसा ट्रेडिंग टर्मिनल स्थित है वह उस सदस्य का शाखा कार्यालय माना जाएगा.
- 6.अ.7.5 ऐसे प्रत्येक शाखा कार्यालय पर सदस्य, एक्सचेंज द्वारा निर्धारित की जानेवाली अतिरिक्त जानकारी प्रदर्शित करेगा जैसे उस शाखा के प्रभारी अधिकृत व्यक्ति के विवरण, उसकी नियुक्ति की शर्तें व निबंधन, अधिकृत व्यक्ति से व्यवहार करने हेतु समयसीमाएं, आदि.
- 6.अ.7.6 अधिकृत व्यक्ति में यदि कोई परिवर्तन हो, तो सदस्य उनके बारे में उस शाखा के सभी पंजीकृत ग्राहकों को ऐसे परिवर्तन के कम से कम 15 दिनों के पहले सूचित करेगा/करेगी.
- 6.अ.7.7 सदस्य अधिकृत व्यक्ति को सौपी गई शाखाओं का और उनके द्वारा किये गये परिचालन का एक्सचेंज द्वारा निर्धारित किये अनुसार आवधिक निरीक्षण करेगा/करेगी.
- 6.अ.7.8 एक्सचेंज के नियम, उप-नियम और विनियमों का अधिकृत व्यक्तियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अधिकृत व्यक्तियों के रिकार्ड की लेखापरीक्षा करने की जिम्मेदारी सदस्य की होगी.
- 6.अ.7.9 अधिकृत व्यक्ति के जरिए व्यवहार करनेवाले ग्राहक का पंजीकरण सदस्य के साथ ही किया जाएगा. ग्राहक के निधि, धनराशि, कोमोडिटीज अथवा मालगोदाम रसीद या कोमोडिटीज के इलैक्ट्रॉनिक जमा को, जैसा भी मामला हो, सीधे सदस्य और ग्राहक के बीच निपटाया जाएगा. ग्राहक का कोई भी निधि या कोमोडिटीज अधिकृत व्यक्ति के किसी भी खाते में अंतरित/जमा नहीं किया जाएगा.
- 6.अ.7.10 संविदा नोट्स, निधियों और कोमोडिटीज के विवरण आदि जैसे सभी दस्तावेज ग्राहक को सदस्य द्वारा जारी किये जाएंगे. अधिकृत व्यक्ति इन दस्तावेजों को प्राप्त करने या निपटाने में प्रशासनिक सहायता करेगा, लेकिन ग्राहक को कोई भी दस्तावेज अपने नाम से जारी नहीं करेगा/करेगी.
- 6.अ.7.11 अधिकृत व्यक्ति के परिचालन में, यदि कोई अनियमितताएं हो तो, सदस्य तुरंत वापसी का अनुमोदन लेगा, ग्राहक को शिकायतों का समाधान होने तक ऐसे अधिकृत व्यक्ति को देय सभी धनराशियों को रोक लेगा, पुलिस के पास शिकायत दर्ज करेगा, और ग्राहक तथा बाजार के हित को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सभी उपाय करेगा/करेगी.
- 6.अ.7.12 सदस्य यह सुनिश्चित करेगा/करेगी. कि ऐसे सभी ग्राहकों से जैसा भी मामला हो, सदस्य और विधायक का करार, ग्राहक पंजीकरण फॉर्म और जोखिम प्रकटन दस्तावेज या एक्सचेंज अथवा सेबी द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य दस्तावेज प्राप्त होने के पहले अधिकृत व्यक्ति की और से कोई भी आदेश निष्पादित नहीं किये जाते हैं.
- 6.अ.7.13 युनिक क्लाइंट कोड से संबंधित विवरणों को अपलोड करने की जिम्मेदारी सदस्य की होगी और अधिकृत व्यक्ति किसी ग्राहक को युनिक क्लाइंट कोड निर्माण या आबंटित नहीं कर सकता/सकती है.
- 6.अ.7.14 इन उप-नियमों में विशेषतः उपरोक्त उप-नियम 6 अ 7.12 और 6 अ.7.13 में बताए हुए सभी दस्तावेज, एक्सचेंज अथवा सेबी द्वारा मांगे जाने पर लेखापरीक्षण व निरीक्षण हेतु सदस्य के पास उपलब्ध होने चाहिए.
- 6.अ.8 एक्सचेंज के दायित्व
- 6.अ.8.1 एक्सचेंज सभी अधिकृत व्यक्तियों की जानकारी (डेटाबेस) रखेगा, जिसमें निम्न का समावेश होगा:
- अ अधिकृत व्यक्ति का स्थायी खाता क्रमांक (पैन) और भागीदारी अथवा कार्पोरेट संकाय के मामले में, सभी भागीदारों अथवा निदेशकों के, जैसा भी मामला हो उनके फोटो सहित पैन क्रमांक, सहकारी संस्था की प्रबंधन समिति/शासी निकाय के सभी सदस्य निदेशक चाहे किसी नाम से जाने जाते हो, उनके फोटो सहित पैन क्रमांक.
- ब अधिकृत व्यक्ति जिस सदस्य के पास पंजीकृत है उसके विवरण

- क अधिकृत व्यक्ति को सौंपी गई शाखाओं के स्थान
- ड प्रत्येक अधिकृत व्यक्ति को दिये गए टर्मिनल्स की संख्या और उनके विवरण
- ई अधिकृत व्यक्ति के अनुमोदन की वापसी
- फ अधिकृत व्यक्ति की स्थिति अथवा गठन में परिवर्तन
- ग किसी सदस्य के विरुद्ध प्रतिभूति कानून, उप-नियम, विनियम तथा सेबी आयोग अथवा एक्सचेंज, जैसा भी मामला हो. के निदेशों के अधिकृत व्यक्ति द्वारा उल्लंघन हेतु एक्सचेंज द्वारा की गई अनुशासनिक कार्रवाई.
- 6.अ.8.2 सदस्य का निरीक्षण करते समय, एक्सचेंज उन शाखाओं का भी निरीक्षण कर सकता है जहां पर अधिकृत व्यक्तियों के टर्मिनल्स और उनके द्वारा किये गये परिचालन के रिकार्ड रखे गये हो.
- 6.अ.8.3 ग्राहक और अधिकृत व्यक्ति के बीच का कोई भी विवाद यह ग्राहक और सदस्य के बीच का विवाद माना जाएगा और उसे एक्सचेंज के नियमों, उप-नियमों और विनियमों के तहत सभी प्रयोजनों और कृत्यों के लिए एक्सचेंज द्वारा सुलझाया जाएगा.
- 6.अ.8.4 अनुशासनिक कार्रवाई अथवा निनियामक निदेशों के कारण अधिकृत व्यक्ति के अनुमोदन की वापसी के मामले में, एक्सचेंज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करेगा और ऐसे अधिकृत व्यक्तियों के नाम अनुमोदन के निष्कासन अथवा रद्द करने के कारण देते हुए अपनी वेबसाइट पर प्रसारित करेगा.

#### 7. व्यापार-प्रणाली और मार्केट-मेकर

यदि किसी अनुबंध या जिन्स को मार्केट-मेकिंग के लिए पात्र बनाना भी होगा तो संबद्ध प्राधिकारी समय-समय पर इसके लिए विनिर्देश करेगा.

एक्सचेंज समय-समय पर मार्केट-मेकर की पात्रता के लिए मानदंड, निबंधन की क्रियाविधि, उनके कार्यों, अधिकारों, उनकी देयताओं तथा निलंबन, प्रतिषेध और परिचालनात्मक मानदंडों का निर्धारण करेगा.

#### 8. लेन-देन

##### 8.1 कारोबार के घंटे

- (1) एक्सचेंज के विभिन्न खंडों में अनुबंधों या जिन्सों के सौदों के लिए कारोबार, संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथानिर्णीत समयावधि के दौरान होगा. संबद्ध प्राधिकारी समय-समय पर विभिन्न प्रकार के सौदों के लिए कारोबार के घंटे निर्धारित करेगा.
- (2) संबद्ध प्राधिकारी कैलेंडर वर्ष के दौरान अवकाशों की सूची घोषित करेगा. इन प्रावधानों के अनुसार नियत अवकाशों में संबद्ध प्राधिकारी समय-समय परिवर्तन कर सकता है या उन्हें रद्द कर सकता है. वह अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से अवकाशों के अतिरिक्त अन्य दिनों को भी बाजार बंद कर सकता है.

##### 8.2 व्यापार-प्रणाली

- (1) अपनी कारोबार निरंतरता योजना (बिज़नेस कन्टीन्यूइटी प्लान) तथा आपदा वसूली प्रबंधन योजना (डिसास्टर रिकवरी मैनेजमेंट प्लान) के एक भाग के रूप में, एक्सचेंज द्वारा, डिसास्टर रिकवरी साइट (डीआरएस) और/या नियर साइट (एनएस) के लिए व्यवस्थाएं की जायेंगी.
- (2) सौदे, आदेश-परिचालित, बोली-परिचालित या एक्सचेंज द्वारा व्यापार-खंडों के लिए समय-समय पर यथास्थापित अन्य प्रणाली के माध्यम से किए जा सकते हैं.
- (3) व्यापार-सदस्यों के बीच सौदे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों, कंप्यूटर नेटवर्क या संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट अन्य माध्यमों से किए जा सकते हैं.
- (4) सौदे अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन, तत्काल सुपुर्दगी के आधार पर या संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट आधार पर किए जा सकते हैं.

##### 8.3 सर्वोकृष्ट बोली पर लेन-देन

ग्राहकों के साथ या उनकी ओर से किए जाने वाले लेन-देनों में व्यापार-सदस्यों को व्यापार-प्रणाली पर प्रतिबिंबित वर्तमान सर्वोकृष्ट बोली को निश्चित रूप से निर्दिष्ट करना होगा.

## 8.4 व्यापार के लिए परिचालनात्मक मानदंड

संबंध प्राधिकारी समय-समय पर एक्सचेंज में अनुबंधों या जिन्सों के संबंध में, विनियमों द्वारा या अन्यथा, उन परिचालनात्मक मानदंडों को निर्धारित और घोषित कर सकेगा जिनका पालन व्यापार-सदस्यों को करना होगा।

पारिचालनात्मक मानदंडों में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (क) अनुबंध से संबंधित विनिर्दिष्टियां, यथा अनुबंध के प्रारंभ की तारीख, अंतिम तारीख, सुपुर्दगी—अवधि, श्रेणियां, सुपुर्दगी-केंद्र और अन्य शर्तें :
- (ख) व्यापार के लिए अनुमत सेवाएं जिनमें निवल-मूल्य और पूंजी-पर्याप्तता मानदंडों के संदर्भ के व्यापार-सीमाएं शामिल हैं :
- (ग) व्यापार की वे मात्राएं और सीमाएं जिनपर व्यापार-सदस्य द्वारा एक्सचेंज को सूचित करना अपेक्षित होगा :
- (घ) यदि आवश्यक समझा जाए तो विभिन्न अनुबंधों या जिन्सों के लिए बोली और प्रस्ताव की दरों के बीच की सीमा :
- (ङ) खरीदे या बेचे जाने के लिए प्रस्तावित अनुबंधों या जिन्सों के मार्केट लॉट, ऑड लॉट और या न्यूनतम संख्या और आकार निश्चित करना :
- (च) बोली और प्रस्ताव की कीमतों में एक दिन या एकाधिक दिनों के बीच परिवर्तन की सीमा :
- (छ) आम जनता के व्यापकतर हित को ध्यान में रखते हुए अन्य ऐसे मामले जो अनुबंधों या जिन्सों के व्यापार के सहज परिचालन को दुष्प्रभावित कर सकते हों :
- (ज) सदस्य और अनुबंध या जिन्स के लिए अनुमति प्राप्त व्यापार के प्रकार।

## 8.5 व्यापार-सीमाओं का पालन करने में असफल होने पर पोजीशनों का निलंबन/बंदी

किसी व्यापार-सदस्य के, इन उपनियमों और विनियमों के अंतर्गत दी गई व्यापार-सीमाओं तक एक्सचेंज में सौदों को सीमित रखने में असफल रहने की स्थिति में संबंध प्राधिकारी उससे सौदों को तत्काल व्यापार-सीमाओं के भीतर तक कम करने की अपेक्षा कर सकता है या संबंध प्राधिकारी ऐसे व्यापार-सदस्य के पोजीशनों को बंद कर सकता है, संबंध प्राधिकारी स्वविवेक से व्यापार-सदस्य को निलंबित कर सकता है और यह निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक संबंध प्राधिकारी ऐसे निलंबन को वापस नहीं लेता।

## 8.6 अनुबंध-नोट

ग्राहकों के साथ या ग्राहकों की ओर से किए गए सौदों के लिए संबंध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुबंध नोट जारी किए जाएंगे और इन नोटों में ऐसे विवरण होंगे, जिन्हें संबंध प्राधिकारी समय-समय पर विनिर्दिष्ट करेगा। अनुबंध नोट में यह विनिर्देश होगा कि सौदा एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार और अधीन है और उनमें किए गए प्रावधान के अनुसार विवाचन के अधीन है और मुंबई की सिविल अदालतों के न्यायक्षेत्राधिकार के अधीन है, इस खंड के प्रावधान व्यापार-सदस्यों और उनके घटकों के बीच के ऐसे विवादों का फ़ैसला करने के अधिकार को बाधित नहीं करते जिनमें एक्सचेंज पक्षकार नहीं है।

किए गए सौदों के विवरण, यथाविनिर्देश लेन-देन के दिनों एक्सचेंज को सूचित किए जाएंगे। जब तक इन उपनियमों में अन्यथा प्रावधान न हो, एक्सचेंज में अनुबंधों या जिन्सों से संबंधित सभी सौदे एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार और अधीन होंगे।

## 8.7 सौदों पर दलाली

## 8.7.1 दलाली

व्यापार-सदस्यों को यह अधिकार है कि वे संबंध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित अधिकाधिक मानक से अनधिक दरों पर अनुबंधों या जिन्सों के क्रय या विक्रय से संबंधित सभी आदेशों के निष्पादन पर दलाली प्रभारित करें।

## 8.7.2 छलाली में हिस्सा बंटाना

- (क) कोई व्यापार-सदस्य ऐसे व्यक्ति के साथ दलाली में हिस्सा नहीं बंटाएगा —

- (I) जिसके लिए या जिसके साथ कारोबार करने से, एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों और विनियमों के अंतर्गत व्यापार—सदस्य को मना किया गया हो.
- (II) जो स्वयं व्यापार—सदस्य हो या किसी अन्य व्यापार—सदस्य के यहां नियुक्त कर्मचारी हो.
- (ख) किसी व्यक्ति के साथ दलाली में हिस्सा बंटाने की कोई व्यवस्था हो या न हो व्यापार—सदस्य प्रत्येक अन्य सदस्य के प्रति प्रत्यक्षतः और पूर्णतः उत्तरदायी होगा जिसके साथ उस व्यापार—सदस्य ने एक्सचेंज पर कोई सौदा किया हो.

### 9 व्यापार—सदस्यों और घटकों के अधिकार और देयताएं

#### 9.1 सभी अनुबंधों का उपनियमों, नियमों और विनियमों के अधीन होना

एक्सचेंज में अनुमति प्राप्त सौदों से संबंधित, एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार किसी व्यापार—सदस्य द्वारा किए गए सभी अनुबंध, सभी मामलों में एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों और विनियमों के अधीन किए गए माने जाएंगे. यह एक्सचेंज के सभी अनुबंधों की शर्तों का भाग माना जाएगा और उपनियमों, नियमों और विनियमों द्वारा इस संबंध में संबद्ध प्राधिकारी में न्यस्त की गई शक्तियों के संबद्ध प्राधिकारी द्वारा प्रयोग के अधीन होगा.

#### 9.2 व्यापार—सदस्य अनुदेशों और आदेशों को स्वीकार करने के लिए साध्य नहीं

यदि परिस्थितियों से प्रतीत होता हो कि ऐसी कार्रवाई करना न्यायोचित है तो, या तर्कसंगत आधारों पर कोई व्यापार—सदस्य अनुबंधों या जिन्सों के क्रय या विक्रय के लिए घटकों के अनुदेशों या आदेशों को अस्वीकार कर सकता है. यदि इस तरह का अस्वीकार किया जाता है तो उसकी सूचना घटक को दी जाएगी. व्यापार—सदस्य घटक को उसके अनुरोध करने पर ऐसे अस्वीकार के कारण भी प्रस्तुत करेगा.

#### 9.3 मार्जिन

व्यापार—सदस्य को यह अधिकार होगा कि वह घटक के लिए गए कारोबार के संबंध में इन उपनियमों नियमों और विनियमों के अंतर्गत मार्जिन जमा की जो राशि उसे देनी पड़ेगी, उस राशि की मांग अपने घटक से करे. व्यापार—सदस्य को यह अधिकार भी होगा कि वह किसी आदेश को निष्पादित करने से पहले अपने घटक से नकद/बैंक गारंटी/मीयादी जमा रसीद/वेयरहाउस रसीद या किसी अन्य स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में आरंभिक मार्जिन की मांग करे, और/या यह विनिर्धारित करे कि घटक बाजार—कीमत में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार मार्जिन जमा या अतिरिक्त मार्जिन देगा. संबंधित व्यापार—सदस्य द्वारा घटक के लिए किए गए कारोबार के संदर्भ में घटक से अब भी मांग की जाएगी, तब घटक तत्काल उन उपनियमों, नियमों और विनियमों के अंतर्गत यथा—अपेक्षित मार्जिन जमा देगा और/या अतिरिक्त मार्जिन प्रस्तुत करेगा.

#### 9.4 घटक का चूककर्ता होना

कोई व्यापार—सदस्य तब तक किसी ऐसे घटक के लिए प्रत्यक्षतः या परोक्षतः कोई कारोबारी लेन—देन नहीं करेगा या उसके लिए कोई आदेश निष्पादित नहीं करेगा, यदि उसकी जानकारी में घटक किसी अन्य व्यापार—सदस्य के प्रति चूककर्ता होगा, जब तक वह घटक अपने लेनदार व्यापार—सदस्य के साथ कोई संतोषप्रद व्यवस्था नहीं कर लेता.

जिस लेनदार व्यापार—सदस्य ने इन उपनियमों, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार चूककर्ता घटक के विरुद्ध अपना दावा विवाचन के लिए भेजा है उसका आवेदन प्राप्त होने पर संबद्ध प्राधिकारी किसी भी व्यापार—सदस्य को आदेश जारी करेगा, जिसमें उसे एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों और विनियमों के अधीन और अनुसरण में किए गए लेन—देनों के संदर्भ में चूककर्ता घटक को देय या सुपुर्दगी योग्य राशि या मूल्य से अनधिक राशि या मूल्य तक चूककर्ता घटक को कोई राशि या संपार्श्विक प्रतिभूति देने या सुपुर्द करने से मना किया जाएगा और ऐसी राशि या प्रतिभूति एक्सचेंज में जमा की जाएगी, इस प्रकार जमा की गई राशि या प्रतिभूमि का निपटान विवाचन के फ़ैसले के अनुसार किया जाएगा और विक्री के लंबित रहने की स्थिति में उन्हें, जब तक लेनदार सदस्य और चूककर्ता घटक के बीच परस्पर अन्यथा सहमति न हो, संबंधित न्यायालय में जमा किया जाएगा.

## 9.5 घटक का खाता बंद किया जाना

- (1) एक्सचेंज ऐसी परिस्थितियों में और एक्सचेंज के ऐसे व्यापारखंड के संदर्भ में किसी घटक के ओपन पोजीशनों को बंद सकता है या उन्हें अन्य व्यापार-सदस्य को अंतरित कर सकता है जो संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं.
- (2) किसी घटक के खाते को बंद करते समय व्यापार-सदस्य ओपन मार्केट में बंद कर सकता है और उसके कारण हुए खर्च या किसी हानि को घटक द्वारा वहन किया जाएगा या व्यापार-सदस्य ऐसे लेन-देनों को अपने खाते में प्रिंसिपल के रूप में, बाजार की स्थितियों के अनुसार सही और औचित्यपूर्ण कीमत पर ले लेगा या ग्रहण कर लेगा, बंद करने से संबंधित अनुबंध नोट में यह खुलासा करना होगा कि व्यापार-सदस्य प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर रहा है या अन्य घटक के लिए.

## 9.6 अनुबंध निष्पादित करने में असफल रहने की स्थिति में बंद/स्थगित किया जाना

अगर कोई व्यापार-सदस्य इन उपनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार सुपुर्दगी या भुगतान के माध्यम से अनुबंध का निष्पादन करने में असफल रहता है तो घटक, व्यापार सदस्य और एक्सचेंज को लिखित रूप में सूचित कर उस अनुबंध को एक्सचेंज के किसी अन्य व्यापार-सदस्य के माध्यम से बंद कर देगा या एक्सचेंज को अनुबंध के किसी अन्य व्यापार-सदस्य को अनुबंध के अंतरण के लिए यथाशीघ्र आवेदन करेगा और बंद करने या अंतरण के कारण होनेवाली किसी हानि या क्षति की, जैसी भी स्थिति हो, चूककर्ता व्यापार-सदस्य द्वारा घटक को भरपाई करनी होगी. यदि यहां किए गए प्रावधान के अनुसार बंदी या अंतरण नहीं प्रभावी होता तो पक्षकारों के बीच क्षति का निर्धारण संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट आधार पर किया जाएगा और घटक तथा व्यापार-सदस्य एक-दूसरे के खिलाफ आश्रय का अपना आगे का अधिकार खो देंगे.

## 9.7 घटक के जिन्सों पर न होना

यदि अपने घटक के लिए जिन्सों की सुपुर्दगी के बाद किसी व्यापार-सदस्य को चूककर्ता घोषित किया जाता है तो घटक को दावे का अधिकार होगा और संबद्ध प्राधिकारी द्वारा संतोषप्रद माना जाने वाला प्रमाण देने के बाद और संबद्ध प्राधिकारी के पूर्णविवेकाधिकार के अंतर्गत संबद्ध प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्देश के अनुसार, उसके द्वारा चूककर्ता को देय राशि के भुगतान या उसकी कटौती के अधीन एक्सचेंज से माल/जिनस या उसका मूल्य प्राप्त करेगा.

## 9.8 घटक द्वारा आरोप

जब कोई घटक संबद्ध प्राधिकारी के पास यह आरोप दाखिल करेगा कि कोई व्यापार-सदस्य उसके सौंदो को कार्यान्वित करने में असफल रहा है तो संबद्ध प्राधिकारी आरोप की जांच करेगा और यदि वह संतुष्ट होगा कि आरोप न्यायोचित है तो वह ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई कर सकता है जिसे वह ठीक समझे.

## 9.9 व्यापार-सदस्य और घटक के बीच संबंध

तत्समय लागू किसी विधि पर कोई प्रतिकूल प्रभार डाले बिना और इन उपनियमों के अधीन, व्यापार-सदस्य और उसके घटक के बीच के पारस्परिक अधिकार और दायित्व ऐसे होंगे जो संबद्ध प्राधिकारी समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे.

## 10. चूक -व्यापार-सदस्य

## 10.1 चूक की घोषणा

किसी व्यापार-सदस्य को निदेश/परिपत्र/समाशोधन-सदस्य की सूचना/व्यापारखंड के संबद्ध प्राधिकारी की अधिसूचना द्वारा चूककर्ता घोषित किया जाएगा, यदि

- (क) वह अपने दायित्व पूरा करने में असमर्थ रहे ; या
- (ख) यदि अपने कर्तव्यों, दायित्वों और देयताओं को पूरा करने में अपनी असमर्थता स्वीकार करे या प्रकट करे ; या
- (ग) वह वह इन उपनियमों, नियमों और विनियमों के अंतर्गत उसके विरुद्ध की गई बंदी के बाद देय क्षतिपूर्ति और अंतर की राशि को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर देने में असफल रहे या असमर्थ हो ; या
- (घ) वह एक्सचेंज को देय किसी राशि का भुगतान करने में या नियत तारीख को सुपुर्दगी और प्राप्ति-आदेशों, अंतर और जिन्सों से संबंधित विवरण, तुलन-पत्र और संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित अन्य समाशोधन फार्मों और विवरणों को एक्सचेंज को प्रस्तुत करने या देने में असफल रहे ; या

- (ड) वह चूककर्ता घोषित किए गए व्यापार-सदस्य को देय सभी राशियां, जिन्स और अन्य आस्तियां, उस व्यापार-सदस्य की चूक की घोषणा के बाद की संबद्ध प्राधिकारी द्वारा यथानिर्दिष्ट अवधि में अदा करने या सुपुर्द करने में असफल रहे ; या
- (च) वह उपनियमों, नियमों और विनियमों के अंतर्गत यथाविहित विवाचन की कार्यवाही का पालन करने में असफल रहे.
- (छ) उसे किसी अन्य स्टॉक या कोमोडिटी एक्सचेंज में चूककर्ता घोषित किया गया हो.
- (ज) यदि उसने व्यक्ति और या साझेदारी फर्म होने की स्थिति में/कंपनी अधिनियम के अंतर्गत गठित कंपनी होने की स्थिति में किसी न्यायालय में स्वयं को दिवालिया अधिनिर्णीत करने के लिए या अपने परिसमापन के लिए, जैसी भी स्थिति हो, अर्जी दाखिल की हो.

#### 10.2 दायित्वों को पूरा करने में असफलता

संबद्ध प्राधिकारी किसी व्यापार-सदस्य को चूककर्ता घोषित करने का आदेश दे सकता है. यदि एक्सचेंज पर होने वाले लेन-देन के कारण उत्पन्न किसी व्यापार-सदस्य या घटक या समाशोधन-सदस्य के प्रति अपने दायित्व को पूरा करने में वह व्यापार-सदस्य असफल रहे.

#### 10.3 दिवालिया – एक चूककर्ता

यदि कोई व्यापार-सदस्य जो व्यक्ति और/या साझेदारी फर्म हो और उसे दिवालिया अधिनिर्णीत किया गया हो या कंपनी अधिनियम के अंतर्गत गठित कंपनी हो और उसे उसके किसी लेनदार द्वारा दाखिल अर्जी पर न्यायालय द्वारा परिसमापन का आदेश दिया गया हो तो उसे चूककर्ता घोषित किया जाएगा, भले ही उसने एक्सचेंज से संबंधित अपने किसी दायित्व में भी चूक न की हो और बशर्ते ऐसे किसी आदेश के विरुद्ध लागू अधिनियमों के अंतर्गत अपील करने की अवधि, यदि कोई हो, बीत चुकी हो.

#### 10.4 व्यापार-सदस्य का जानकारी देने का कर्तव्य

किसी व्यापार-सदस्य द्वारा अपने दायित्वों के पूर्ण-निर्वाह में असफल होने के बारे में एक्सचेंज को तत्काल अधिसूचित करने के लिए व्यापार-सदस्य बाध्य होगा.

#### 10.5 समझौते पर रोक

किसी व्यापार-सदस्य से अनुबंधों या जिन्सों के लेन-देन के कारण उत्पन्न देयता के समझौते में पूरी और वास्तविक राशि से कम स्वीकार करने के दोषी व्यापार-सदस्य को संबद्ध प्राधिकारी द्वारा यथानिश्चित अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है.

#### 10.6 चूक की घोषणा की सूचना

किसी व्यापार-सदस्य के चूककर्ता घोषित होने पर इस आशय की सूचना संबंधित व्यापारखंड की व्यापार प्रणाली पर तत्काल दी जाएगी.

#### 10.7 चूककर्ता की बही और दस्तावेज

जब किसी व्यापार-सदस्य को चूककर्ता घोषित किया गया हो तब संबद्ध प्राधिकारी उसके कामकाज की स्थिति का निश्चय करने के लिए उसकी सभी लेखा-बहियों, दस्तावेज, कागजात और वाउचरों को अपने प्रभार में ले लेगा और चूककर्ता संबद्ध प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित ऐसी सभी बहियों, दस्तावेजों, कागजात और वाउचरों को संबद्ध प्राधिकारी को चूककर्ता के, एक्सचेंज अन्य व्यापार-सदस्यों, घटकों और समाशोधन-सदस्यों के प्रति दायित्वों का पता लगाने के लिए सौंप देगा.

#### 10.8 देनदारों और लेनदारों की सूची

चूककर्ता, उसे चूककर्ता घोषित किए जाने के बाद, संबद्ध प्राधिकारी द्वारा यथानिर्दिष्ट अवधि के भीतर संबद्ध प्राधिकारी के पास एक लिखित विवरण दाखिल करेगा, जिसमें उसके देनदारों और लेनदारों की, प्रत्येक से संबंधित देय और प्राप्य राशियों के साथ पूरी सूची होगी.

## 10.9 चूककर्ता द्वारा जानकारी देना

चूककर्ता, संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथा अपेक्षित, खातों के विवरण, जानकारी और अपने कार्यों से संबंधित विवरण उसे प्रस्तुत करेगा और यदि ऐसा वांछित हो तो उसकी चूक के संबंध में होने वाली समिति की बैठकों में, समिति के समक्ष उपस्थित होगा।

## 10.10 जांच

संबद्ध प्राधिकारी बाजार में उसके खातों और सौदों की कड़ी पडताल करेगा और इस प्रयोजन के लिए निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को अपनी जानकारी में आने वाली ऐसी किसी भी बात की सूचना देगा, जो व्यापार-सदस्य के लिए अनुचित, गैर-कारोबारी या अनपेक्षित हो।

## 10.11 आस्तियों को एक्सचेंज में न्यस्त करना

संबद्ध प्राधिकारी, चूककर्ता द्वारा उसके क्रेडिट में किसी भी रूप में रखी प्रतिभूति जमाओं, संपार्श्विक प्रतिभूतियों, मार्जिन राशि, अन्य राशियों को ले लेगा और वसूल कर लेगा तथा एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार या अधीन किए गए लेन-देन या सौदे के संदर्भ में अन्य व्यापार-सदस्य द्वारा चूककर्ता को देय भुगतान योग्य या सुपुर्दगी योग्य सभी राशियों, जिन्सों, प्रतिभूतियों और अन्य आस्तियों की वसूली करेगा और ऐसी सभी आस्तियां व्यापार-सदस्य के चूककर्ता घोषित हो जाने के बाद स्वतः एक्सचेंज, अन्य व्यापार-सदस्यों, चूककर्ता के घटकों, अनुमोदित बैंकों तथा संबद्ध प्राधिकारी और अन्य मान्यताप्राप्त एक्सचेंजों द्वारा अनुमोदित अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए और उनके देयों के कारण एक्सचेंज में न्यस्त हो जाएंगी।

## 10.12 संबद्ध प्राधिकारी को भुगतान

- (1) चूककर्ता को देय भुगतान-योग्य या सुपुर्दगी-योग्य सभी राशियां, जिन्स और अन्य आस्तियां संबद्ध प्राधिकारी द्वारा यथानिर्दिष्ट चूक की घोषणा के बाद की अवधि के भीतर संबद्ध प्राधिकारी को निश्चित रूप से अदा या सुपुर्द की जाएंगी, इस प्रावधान का उल्लंघन करनेवाले व्यापार-सदस्य को चूककर्ता घोषित किया जाएगा।
- (2) जो व्यापार-सदस्य खाता-अंतर प्राप्त कर चुका होगा अथवा ऐसे खाते या लेन-देन के निपटान के लिए निर्धारित तारीख से पहले किसी लेन-देन का कोई प्रतिफल प्राप्त कर चुका होगा वह, जिससे उसने ऐसा अंतर या प्रतिफल प्राप्त किया है, उसके चूककर्ता घोषित होने की स्थिति में प्राप्त राशि को लेनदार सदस्यों के लाभ के लिए और उनके कारण संबद्ध प्राधिकारी को वापस करेगा, जो व्यापार-सदस्य इस प्रकार के अंतर या प्रतिफल को निपटान के लिए नियत तारीख के पहले किसी व्यापार-सदस्य को भुगतान कर चुका या दे चुका होगा वह उस व्यापार-सदस्य के चूककर्ता घोषित होने की स्थिति में उसके ऋणकर्ताओं के लाभ या उनके कारण अंतर या प्रतिफल को पुनः संबद्ध प्राधिकारी को अदा करेगा।
- (3) यदि किसी व्यापार-सदस्य को किसी अन्य व्यापार-सदस्य से समाशोधन के दौरान अंतर की राशि से इतर राशि का कोई दावा नोट या क्रेडिट नोट प्राप्त होता है जो उसको या उसके घटक को देय है और वह राशि उसे अपने घटक की ओर से और उसके कारण प्राप्य है तो यदि वह अन्य व्यापार-सदस्य निपटान की निर्धारित तारीख के बाद संबद्ध प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित दिनों की संख्या के भीतर चूककर्ता घोषित किया जाता है तो वह व्यापार-सदस्य उस राशि को वापस कर देगा, राशि की ऐसी वापसी लेनदार-सदस्यों के लाभ और उनके कारण संबद्ध प्राधिकारी को की जाएगी और उसका उपयोग उन अन्य लेनदार सदस्यों के दावों को पूरा करने में किया जाएगा जिनके दावे इन उपनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार स्वीकृत किए जाएंगे।

## 10.13 वितरण

संबद्ध प्राधिकारी लेनदार-सदस्यों के जोखिम और लागत पर वसूली के क्रम में प्राप्त सभी आस्तियां संबद्ध प्राधिकारी द्वारा यथानिर्दिष्ट नामों में बैंक में और या एक्सचेंज में रखेगा, और इन उपनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार जिन लेनदार-सदस्यों के दावे स्वीकृत होंगे उनके बीच बिना ब्याज के अनुपातिक आधार पर यथाशीघ्र वितरित कर देगा।

## 10.14 बंदी

- (1) चूककर्ता के साथ ओपन लेन-देन रखनेवाले व्यापार-सदस्य चूक की घोषणा के बाद एक्सचेंज पर ऐसे लेन-देन बंद कर देंगे, यह बंदी संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित रीति से की जाएगी, संबद्ध प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में निर्धारित विनियमों के अधीन यदि संबद्ध प्राधिकारी के मत में परिस्थितियों के अनुसार ऐसा मानना अपेक्षित हो तो बंदी उस रीति से हुई मानी जाएगी जो संबद्ध प्राधिकारी या एक्सचेंज के अन्य प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा निर्धारित की जाए।

- (2) बंदी के उपर्युक्त समायोजनों के कारण उत्पन्न अंतर की राशि का दावा चूककर्ता से किया जाएगा या उसका भुगतान चूककर्ता के लेनदार व्यापार-सदस्यों के लाभ के लिए संबद्ध प्राधिकारी को किया जाएगा.
- 10.15 चूककर्ता के विरुद्ध दावे  
चूक की घोषणा के बाद संबद्ध प्राधिकारी द्वारा यथानिर्दिष्ट अवधि के भीतर एक्सचेंज में कारोबार करने वाले प्रत्येक व्यापार-सदस्य जैसा कि उससे अपेक्षित होगा, संबद्ध प्राधिकारी के साथ, चूककर्ता के साथ के अपने खातों का मिलान करेगा और इन उपनियमों, नियमों और विनियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार उसे विधिवत समायोजित और पूरा करेगा या संबद्ध प्राधिकारी को यथानिर्धारित रूप या रूपों में चूककर्ता के साथ के अपने खातों का विवरण प्रस्तुत करेगा या इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके पास ऐसा कोई खाता नहीं है.
- 10.16 खातों के मिलान या प्रस्तुति में विलंब  
यदि कोई व्यापार सदस्य निर्धारित अवधि के भीतर चूककर्ता से संबंधित अपने खातों का मिलान नहीं करेगा या विवरण नहीं भेजेगा या प्रमाणपत्र नहीं देगा तो उसे आगे यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर खातों का मिलान करने या विवरण या प्रमाणपत्र भेजने के लिए कहा जाएगा.
- 10.17 खातों का मिलान करने या उन्हें प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए दंड  
यदि कोई व्यापार-सदस्य निर्धारित अवधि के भीतर चूककर्ता के साथ के अपने खातों का मिलान करने या उनसे संबंधित विवरण भेजने या इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में कि उसका ऐसा कोई खाता नहीं है, असफल रहता है तो संबद्ध प्राधिकारी उस पर अर्थदंड लगा सकता है या उसे निलंबित या निष्कासित कर सकता है.
- 10.18 भ्रामक विवरण  
यदि संबद्ध प्राधिकारी संतुष्ट हो कि किसी व्यापार-सदस्य द्वारा चूककर्ता के संबंध में प्रेषित मिलान-विवरण या प्रमाणपत्र मित्या या भ्रामक था तो वह उस सदस्य पर अर्थदंड लगा सकता है, उसे निलंबित या निष्कासित कर सकता है.
- 10.19 संबद्ध प्राधिकारी के खाते  
संबद्ध प्राधिकारी चूककर्ता को देय सभी राशियों, जिन्सों और अन्य आस्तियों का (जो उसे प्राप्त होती है) पृथक खाता रखेगा और ऐसी आस्तियों के संहरण में या उससे संबंधित या चूक के संबंध में उसके द्वारा की गई कार्यवाहियों में हुई या उससे संबंधित सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों को उसमें से चुका देगा.
- 10.20 प्रतिवदेन  
संबद्ध प्राधिकारी प्रत्येक छह माह पर, निदेशक मंडल द्वारा इस प्रयोजन से नियुक्त प्राधिकारी को चूककर्ता के कार्यों से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा और वसूल की गई आस्तियों, पूरे किए गए दायित्वों और दिए गए लाभांशों को दिखाएगा.
- 10.21 प्रभार की मात्रा  
वसूल की गई आस्तियों पर एक्सचेंज को, संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित प्रभार देय होंगे.
- 10.22 आस्तियों का उपयोग  
उपनियमों, नियमों और विनियमों के अंतर्गत यथा-अनुमति-प्राप्त, एक्सचेंज द्वारा उठाई गई सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों को चुकता कर लेने के बाद हाथ में बची निवल आस्तियों का उपयोग निम्नलिखित प्राथमिकता-क्रम में दावों को पूरा करने के लिए किया जाएगा.
- (क) एक्सचेंज को देय राशियों, एक्सचेंज को देय अभिदान, उधारियों, अर्थदंड, शुल्क प्रभार और अन्य राशियां
- (ख) अन्य व्यापार-सदस्यों/समाशोधन-सदस्यों तथा चूककर्ता के घटकों को देय राशियां ; चूककर्ता द्वारा एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार किए गए अनुबंधों से उत्पन्न देनदारियों, देयताओं, दायित्वों और दावों के लिए अन्य व्यापार-सदस्यों, समाशोधन-सदस्यों और चूककर्ता के घटकों को देय के रूप में संबद्ध प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत राशियों का भुगतान, बशर्ते यदि राशि अपर्याप्त हो तो उसे अन्य व्यापार-सदस्यों, समाशोधन-सदस्यों और चूककर्ता के सभी घटकों के बीच आनुपातिक आधार पर वितरित किया जाएगा अन्य व्यापार-सदस्य, समाशोधन-सदस्य इस प्रकार प्राप्त राशियों को आनुपातिक आधार पर अपने घटकों के साथ बांटेंगे ;

अनुमोदित बैंकों, वेयरहाउसों, परखकर्ताओं को देय राशियां और संबद्ध प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अन्य व्यक्तियों के दावे ; उपर्युक्त खंड (ख) के अंतर्गत भुगतान करने के बाद यदि कोई राशि बच जाती है तो उसका उपयोग संबद्ध प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुमोदित बैंकों और अन्य व्यक्ति के दावों को पूरा करने के लिए किया जाएगा. अनुमोदित बैंको और अन्य व्यक्ति के दावों को पूरा करने के लिए किया जाएगा. अनुमोदित बैंको के दावे संबंधित बैंक द्वारा चूककर्ता की ओर से बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के दायित्व को पूरा करने के लिए एक्सचेंज को जारी की गई किसी बैंक गारंटी का उपयोग उपनियमों, नियमों और विनियमों के अंतर्गत दायित्व को पूरा करने की गारंटी देने में करने के कारण उत्पन्न होने चाहिए. अन्य व्यक्तियों के दावे एक्सचेंज में किए गए लेन-देन या एक्सचेंज द्वारा निश्चित की गई अपेक्षाओं के कारण उत्पन्न या उनसे संबंधित होने चाहिए, यदि उपलब्ध राशि ऐसे सभी दावों को पूर्णतः निपटाने के लिए अपर्याप्त हो तो राशि आनुपातिक आधार पर दी जानी चाहिए ; और

(घ) आधिक्य : यदि कोई राशि शेष बचे तो वह चूककर्ता व्यापार सदस्य को दी जाएगी.

#### 10.23 कुछ अविधारणीय दावे

संबद्ध प्राधिकारी किसी चूककर्ता के विरुद्ध निम्नलिखित प्रकार के दावों पर विचार नहीं करेगा ;

- (क) ऐसे अनुबंधों या जिन्सों के सौदों के अनुबंध से उत्पन्न दावा जिन्हें अनुमति प्राप्त नहीं है या जो एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार और अधीन नहीं किए गए हों या जिनमें दावा करने वाले ने लेन-देन या किसी जिन्स के अनुबंधों में देय मार्जिन राशि का भुगतान न किया हो या भुगतान न करने में चूककर्ता का साथ दिया हो;
- (ख) ऐसे अनुबंध से उत्पन्न दावा जिसमें इन उपनियमों, नियमों और विनियमों में निर्धारित तरीके से खातों का मिलान नहीं किया गया हो या उपनियमों, नियमों और विनियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार उस अनुबंध में अनुबंध नोट प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मिलान नहीं हुआ हो;
- (ग) दावों के भुगतान की निर्धारित तारीख को पूरी सही राशि के भुगतान के स्थान पर दावों के निपटान के लिए की गई किसी व्यवस्था से उत्पन्न दावा ;
- (घ) किसी प्रतिभूति सहित या प्रतिभूति रहित ऋण से संबंधित दावा ;
- (ह) ऐसा दावा जो चूक की घोषणा के बाद संबद्ध प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर संबद्ध प्राधिकारी के पास दाखिल न किया गया हो,

#### 10.24 चूककर्ता प्रतिनिधि व्यापार-सदस्य के विरुद्ध दावे

संबद्ध प्राधिकारी किसी व्यापार-सदस्य के, चूककर्ता के विरुद्ध ऐसे दावे को स्वीकार करेगा जो उस व्यापार-सदस्य द्वारा उठाई गई ऐसी हानि से संबंधित हो, जो उसने चूककर्ता द्वारा परिचित कराए गए घटक के, एक्सचेंज में कारोबार के लिए अनुमति-प्राप्त और एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार और अधीन किए गए सौदे में उत्पन्न दायित्व को पूरा करने में असफल रहने के कारण उठाई हो, बशर्त चूककर्ता ऐसे लेनदार सदस्य के साथ काम कर रहे प्रतिनिधि व्यापार-सदस्य के रूप में विधिवत निबंधित हो.

#### 10.25 चूककर्ता की संपदा पर दावों का समनुदेशन

किसी चूककर्ता का लेनदार व्यापार-सदस्य संबद्ध प्राधिकारी की सहमति के बिना ऐसे चूककर्ता की संपदा पर अपने दावों को न बेचेगा, न समनुदिष्ट करेगा या न बंधक रखेगा.

#### 10.26 चूककर्ता के नाम से या उसके विरुद्ध कार्यवाही

संबद्ध प्राधिकारी इसके लिए अधिकृत होगा, किंतु बाध्य नहीं होगा कि वह (क) किसी न्यायालय में एक्सचेंज के नाम से या चूककर्ता के नाम से, किसी व्यक्ति के विरुद्ध, चूककर्ता को देय किसी राशि की वसूली के प्रयोजन से कार्यवाही शुरू करे, (ख) किसी न्यायालय में एक्सचेंज के नाम से या चूककर्ता के लेनदारों (जो एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार और अधीन किए गए लेनदारों के कारण चूककर्ता के लेनदार बने हैं) के नाम से, चूककर्ता के विरुद्ध, चूककर्ता द्वारा देय कि राशि की वसूली के प्रयोजन से, कार्यवाही शुरू करे, यह माना जाएगा कि चूककर्ता और चूककर्ता के लेनदारों ने ऐसी कार्यवाही के प्रयोजन से एक्सचेंज को ही नियम अटॉर्नी नियुक्त किया है.

## 10.27 संबद्ध प्राधिकारों को भुगतान

- (1) यदि कोई व्यापार-सदस्य किसी चूककर्ता के विरुद्ध चूक की अवधि में या उसके पुनर्प्रवेश के बाद, उसे चूककर्ता घोषित किए जाने के पूर्व, एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार और अधीन बाजार में हुए किसी लेन-देन या सौदे से चूककर्ता की संपदा में उत्पन्न दावे को लागू करने के लिए कार्यवाही करता है, और डिक्री प्राप्त करता है और उस पर कोई वसूली करता है तो वह ऐसी वसूल की गई राशि या संबद्ध प्राधिकारी द्वारा यथानियत भाग को, चूककर्ता सदस्य के विरुद्ध लेनदार सदस्यों के लाभ या उनके लिए संबद्ध प्राधिकारी को भुगतान करेगा।
- (2) इस अध्याय के प्रयोजन से, निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर गठित समिति संबद्ध प्राधिकारी होगी।

## 11 निवेशकर्ता शिकायत निवारण एवं विवाचन

## 11.1 परिभाषाएं

इस उप-नियम 11 के प्रयोजन के लिए, उप-नियम 1ए के अलावा निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी:

1. 'विवाचक' से अभिप्रेत एक एकल विवाचक या विवाचकों का पैनल।
2. 'अधिनियम' से अभिप्रेत विवाचन और समाधान अधिनियम, 1996 तथा इसमें वर्तमान में लागू कोई वैधानिक संशोधन, प्रतिस्थापन, या उसका पुनःअधिनियमन शामिल है।
3. 'स्वीकार्य दावा मूल्य, से अभिप्रेत, निवेशकर्ता शिकायत निवारण समिति या पैनल द्वारा सुनिश्चित किया गया तथा निर्देशों या आदेश में रिकॉर्ड किये गये अनुसार, विधायकों को स्वीकार्य दावा मूल्य।
4. इन उप-नियमों के प्रयोजनों के लिए 'ऑवार्ड' से अभिप्रेत, (i) प्रथम वाद पर एकल विवाचक/विवाचकों के पैनल का निर्णय : या, (ii) अपील में विवाचकों के पैनल का निर्णय, जैसा भी मामला हो।
5. 'एप्पेलेट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, से अभिप्रेत, एक विवाचक / विवाचकों का पैनल के निर्णय के खिलाफ अपील में सुनवाई संदर्भ के प्रयोजन के लिए अभिज्ञात एक विवाचक या विवाचकों को पैनल।
6. 'निर्णय' से अभिप्रेत, एक वादी, जो आईजीआरपी के आदेश से संतुष्ट नहीं हो, उसके द्वारा, एकल विवाचक/विवाचकों के पैनल के, विवाचन संदर्भ के निष्कर्ष।
7. 'निवेशकर्ता शिकायत निवारण समिति से अभिप्रेत स्वतंत्र व्यक्तियों की वह समिति, जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग करने वाले प्रतिभागियों की निवेशकर्ता शिकायतों के निवारण के प्रयोजन के लिए बनाई गई समिति।
8. 'निवेशकर्ता सेवा कक्ष' से अभिप्रेत, एक्सचेंज का वह विभाग, जो एक्सचेंज के सदस्य के खिलाफ निवेशकर्ताओं की शिकायतों के निवारण को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है तथा एक्सचेंज के विवाचन ढांचे के अंतर्गत विवाचन के लिए स्वीकार किये गये विवाचन मामलों के संबंध में विवाचन प्रक्रियाओं के लिए प्रशासनिक सहायता भी प्रदान करता है।
9. 'आदेश' से अभिप्रेत, एक्सचेंज की निवेशकर्ता शिकायत निवारण समिति (आईजीआरसी) का आदेश।

## 11.1 ए आईजीआरसी के संदर्भ में

सार्वजनिक निवेशकर्ताओं के लाभार्थ, समय-समय पर सेबी द्वारा बतलाए गए या आवश्यक पाये जाने वाले स्थानों पर एक्सचेंज द्वारा निवेशकर्ता सेवा केंद्रों (आईएससी/निवेशकर्ता शिकायत कक्ष (आईजीसी) की स्थापना की जायेगी, आईएससी ओं/आईजीसी ओं द्वारा निवेशकर्ताओं/ग्राहकों को, समय-समय पर एक्सचेंज/सेबी द्वारा निश्चित की गई ऐसी सेवाएं दी जायेंगी, आईएससी ओं/आईजीसी ओं द्वारा निवेशकर्ताओं /ग्राहकों की शिकायतों को प्राप्त करने/रिकार्ड करने, शिकायतों को दर्ज करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी तथा निवेशकर्ताओं/ ग्राहकों को परामर्शी सेवाएं उपलब्ध करायी जायेंगी, आईसी आरसी को आवेदन करने तथा विवाचन दर्ज करने के लिए, जब भी आवश्यक हो, एक्सचेंज से दस्तावेजों/ब्यौरो को प्राप्त करने द्वारा, आईएससी/आईजीसी, विवाद वियोजन प्रक्रिया में शामिल निवेशकर्ताओं/ ग्राहकों की सहायता के लिए, सुविधा डेस्क की भूमिका निभायेंगे।

## 11.2 विवाचन के संदर्भ में

1. एक्सचेंज के उप-नियमों, नियमों के अधीन बनाये गये या उसके अनुरूप एक्सचेंज पर निष्पादित तथा रिपोर्ट किये गये सौदों, संविदाओं, या उससे प्रासंगिक या उनके अनुसरण में या उसकी व्याख्या, पक्षों के अधिकारों, वचनबद्धताओं तथा देयताओं को पूरा किये जाने से संबंधित या की वजह से ट्रेडिंग सदस्यों के बीच आपस में तथा

ट्रेडिंग सदस्यों और विधायकों के बीच तथा समाशोधन सदस्यों के बीच आपस में तथा समाशोधन सदस्यों तथा विधायकों के बीच तथा समाशोधन सदस्यों और ट्रेडिंग सदस्यों के बीच होने वाले सभी दावे, मतभेद, या विवादों को, इन उप-नियमों, नियमों तथा विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप विवाचन में प्रस्तुत किया जायेगा।

ट्रेडिंग/समाशोधन सदस्य, व्दारा, आईजीआरसी के निर्देशों या आदेश खिलाफ दर्ज किये गये संदर्भों के लिए सहित ऐसे विवादों के लिए एक्सचेंज द्वारा विवाचन को सुविधाजनक बनाया जायेगा।

2. उपर खंड (1) के प्रावधान, एक्सचेंज के उप-नियमों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार उसमें उल्लिखित सभी सौदों, संविदाओं तथा लेनदेनों से संबंधित, उसमें उल्लिखित पक्षों के बीच सभी दावों, मतभेदों, विवादों के लिए लागू होंगे, बशर्ते कि, ऐसे सौदे, संविदाएं तथा लेनदेन उसमें उल्लिखित दो पक्षों के बीच, पहले या उस तारीख को किये गये हों, जब ट्रेडिंग सदस्य और / या समाशोधन सदस्य चूककर्ता घोषित किया गया हो या निष्काषित किया गया हो या उसने अपनी सदस्यता सुपुर्द कर दी हो।

11.3 इन उप-नियमों तथा विनियमों के प्रावधानों को सभी सौदों, संविदाओं तथा लेनदेनों का एक हिस्सा माना जायेगा।

किये गये सभी सौदे, संविदाएं तथा लेनदेन या एक्सचेंज के उप-नियमों, नियमों तथा विनियमों के तहत किये गये माने गये, इन उप-नियमों तथा विनियमों में प्रावधानित विवाचन संबंधी प्रावधान, सौदों, संविदाओं तथा लेनदेनों का हिस्सा होंगे तथा हिस्सा माने जायेंगे, तथा पक्षों द्वारा लिखित में विवाचन करार किया गया माना जायेगा, जिसके द्वारा उपर खंड (1) में उल्लिखित सभी दावे, मतभेद या विवाद, इन उप-नियमों, नियमों तथा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार विवाचन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे।

11.4 दावों, मदभेदों या विवादों के विवाचन के निर्देशन के लिए सीमाबद्ध अवधि

खंड (1) में उल्लिखित सभी दावों, मतभेद या विवाद के लिए, दावा, मतभेद या विवाद उत्पन्न होने की तारीख से या जिस तारीख से दावा, मतभेद या विवाद उत्पन्न होना माना जाय, उस तारीख से तीन वर्षों के अंदर विवाचन को प्रस्तुत किये जायेंगे, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आरंभ की गई, की गई समाधान प्रक्रियाओं, यदि कोई; के लिए लिया गया समय तथा प्रशासनिक तौर पर दावों, मतभेदों या विवादों के निवारण के लिए संबद्ध प्राधिकारी द्वारा लिये गये समय को, तीन (03) वर्षों की अवधि निर्धारित करने के प्रयोजन में शामिल न किया जाय।

11.5 विनियम निर्धारित करने का संबद्ध प्राधिकारी का अधिकार

संबद्ध प्राधिकारी, समय-समय पर निम्नलिखित के लिए विनियम निर्धारित करेंगे :

1. आईजीआरसी तंत्र में, विवाचन तथा अपील कार्रवाईयों, (विवाचक कार्रवाईयों) में विशेषतः तथा पूर्वोल्लिखित अधिकार की सामान्यता के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के, ऐसी प्रक्रिया, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्न के लिए प्रावधान करेंगे:
  - (क) उपयोग में लाये जानेवाले फॉर्म
  - (ख) दी जाने वाली फीस
  - (ग) दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अभिवचनों के लिए माध्यम, तरीका तथा समय अवधि
  - (घ) अभिवचनों को संशोधित या आपूरित करने के लिए पक्षों से प्राप्त संबंधी मामले
  - (ह) पक्षों द्वारा ऐसे अभिवचन प्रस्तुत करने में चूक के परिणाम
2. विवाचकों द्वारा विवाचक कार्रवाई करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, विशेषतः तथा पूर्वोल्लिखित अधिकार की सामान्यता के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के, ऐसी प्रक्रिया, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्न के लिए प्रावधान करेंगे:
  - ए. सुनवाई का स्थगन; और
  - बी. शर्तें तथा निबंधन, जिसके तहत विशिष्ट मामलों पर रिपोर्ट देने के लिए विवाचक, विशेषज्ञ की नियुक्ति करेंगे तथा ऐसी नियुक्ति पर विवाचक कार्रवाई के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।
3. संबद्ध प्राधिकारी द्वारा उचित समझे जाने वाली परिस्थितियां तथा तथ्यों को विचाराधीन लेते हुए विभिन्न दावों, मतभेदों या विवादों के लिए अलग-अलग विवाचक प्रक्रियाएं. परिस्थितियों तथा तथ्यों में, विषय वस्तु का मूल्य, तथा ऐसे दावों, मतभेदों या विवादों में पक्षों के रूप में शामिल व्यक्ति समाहित है।

4. विवाचन/विभिन्न क्षेत्रों के लिए अपील विवाचन या विवाचन के लिए भौगोलिक स्थान निर्धारित करना तथा अधिनियम के प्रयोजन के लिए यह निर्धारित करना कि, किस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र होगा.
  5. यह तय करना कि, कौन से दावे, मतभेद या विवाद एकल विवाचक को सौंपे जाय तथा कौनसे दावे, मतभेद या विवाद विवाचकों के पैनल को सौंपे जाएं.
  6. विवाचकों के रूप में कार्य करने के लिए पात्र व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया.
  7. विवाचकों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया
  8. शर्तें तथा निबंधन एवं शैक्षणिक योग्ताएं जिसके तहत विवाचक की नियुक्ति की जायेगी
  9. विवाचकों के पैनल के मामले में विवाचकों की संख्या का निर्धारण इस शर्त के तहत किया जायेगा कि, जहाँ कोई दावा, मतभेद या विवाद की सुनवाई विवाचकों के पैनल द्वारा की जायेगी, ऐसे पैनल में विवाचकों की संख्या नहीं होगी.
  10. किसी कारणवश यदि विवाचक के कार्यालय में रिक्ति हो जाने के मामले में, विवाचक की प्रतिस्थापना के लिए समय सीमा निर्धारण.
  11. विवाचक के रूप में संभावित नियुक्ति के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा रहा हो, उसके द्वारा मामले बतलाए जाएं.
  12. किसी विवाचक को चुनौती देने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया
  13. बिना सुनवाई के विवाचक द्वारा निपटाए गए दावों, मतभेदों या विवाद, के लिए दोनों पक्षों द्वारा ऐसी सुनवाई के लिए संबद्ध प्राधिकारी को लिखित में अनुरोध करने के संबंध में समय सीमा निर्धारण.
  14. पक्षों की सुनवाई द्वारा विवाचकों द्वारा दावों, मतभेदों या विवादों के लिए निर्णय किया जाए, बशर्ते कि, दोनों पक्षों द्वारा सयुक्त रूप से ऐसी सुनवाई न करने का आग्रह न किया जाए, तथा ऐसे आग्रह देने के लिए समय सीमा निर्धारण.
  15. प्रत्येक संदर्भ/प्रसंग के लिए स्थान, तथा उन सभी स्थानों का निर्धारण, जहां विवाचक, परामर्श के लिए, गवाहों, विशेषज्ञों या पक्षों को सुनने के लिए या दस्तावेजों, माल या अन्य संपत्ति की जांच करने के लिए मिल सकता है.
  16. विवाचकों के पैनल के मामले में किस तरह से निर्णय लेना है के सहित, निर्णय करना और / या विवाचक अर्थदंड तय करना तथा विवाचक अर्थदंड की विषयवस्तु निर्मित करना.
  17. पारिभाषिक शब्द विवाचक अर्थदंड से अभिप्रेत, सहमत शर्तों पर विवाचक अर्थदंड, विवाचक अर्थदंड के निर्धारण की विषयवस्तु में, लागतों के लिए प्रावधान तथा विवाचक अर्थदंड में पैसे का भुगतान जहां पर करना है, उसमें देय मूल रकम पर ब्याज भी देय होगा.
  18. जमा की रकम या अनुपूरक जमा, जैसा भी मामला हो, दावों, मतभेदों या विवादों के लिए अग्रिम के रूप में लागतों के लिए अनुमानित रकम का भुगतान किया जाना होगा, बशर्ते कि, विवाचक को एक प्रति-दावा किया गया हो, प्रति-दावे के लिए भी एक अलग जमा की रकम का निर्धारण किया जाए.
  19. विवाचक कार्रवाई के आचरण को सुविधाजनक बनाने के लिए, एक्सचेंज द्वारा प्रशासनिक सहायता दी जायेगी.
  20. विवाचक को भेजे गये पत्राचार सहित, पार्टी द्वारा दी गई नोटिसों तथा किये गये पत्राचारों का माध्यम तथा तरीके से संबंधित सभी मामले.
  21. आईजीआरसी विवाचन को सुविधाजनक बनाने के लिए, संबद्ध प्राधिकारी की राय में विनियमों में निपटाए जाने अपेक्षित कोई अन्य मामले.
  22. संबद्ध प्राधिकारी समय-समय पर, विनियमों के प्रावधानों को संशोधित, आशोधित, परिवर्तित, निरस्त या जोड़ सकते हैं.
- 11.6 आईजीआरसी सदस्य/विवाचक के रूप में नियुक्त किये जाने संभावित व्यक्तियों द्वारा बतलाया जाना
- हर व्यक्ति जिससे आईजीआरसी के सदस्य/विवाचक के रूप में नियुक्ति के लिए संपर्क किया गया हो, वो संबद्ध प्राधिकारी को लिखित रूप से उन परिस्थितियों,

- जिससे उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर तर्कसंगत संदेह उठता हो, के बारे में सूचित करेगा। यदि वह व्यक्ति परिस्थितियों को बतलाता है जिससे संबद्ध प्राधिकारी की राय में उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर तर्कसंगत संदेह उठता हो, तो उसे आईजीआरसी सदस्य/विवाचक के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा।
- 11.7 आईजीआरसी सदस्य/विवाचक के रूप में नियुक्त किये जाने संभावित व्यक्तियों द्वारा बतलाया जाना  
विवाचक के रूप में उसकी नियुक्ति के पश्चात्, उपर खंड (11.6) में दर्शायी गई परिस्थिति के बारे में एक आईजीआरसी सदस्य/विवाचक को, नियुक्ति के समय से विवाचन की कार्रवाई के दौरान पता चलने पर, वह अविलंब उसके बारे में संबद्ध प्राधिकारी को लिखित रूप से सूचित करेगा।
- 11.8 आईजीआरसी सदस्य/विवाचक के रूप में नियुक्ति के आदेश को समाप्त करना  
आईजीआरसी सदस्य/विवाचक के रूप में नियुक्ति को आदेश हो जायेगा यदि:
- (क) किसी कारणवश विवाचक कार्यालय से चला जाए; या
- (ख) संबद्ध प्राधिकारी की राय में, उसके द्वारा निर्धारित समय के अंदर विवाचक अर्थदंड लगाने में चूकने सहित, यदि आईजीआरसी सदस्य/विवाचक, किसी कारण से अनावश्यक विलंब के कार्य नहीं कर पाता या कानूनी तौर पर या वास्तविक कारण से अपना कार्य नहीं कर पाता तब संबद्ध प्राधिकारी का ऐसा निर्णय अंतिम और पक्षों पर बंधनकारक होगा; या
- (ग) संबद्ध प्राधिकारी द्वारा आईजीआरसी सदस्य/विवाचक या आदेश समाप्त कर दिया जायेगा यदि आईजीआरसी कार्रवाई / विवाचन किया जाने वाले, दोनों पक्षों से उन्हें लिखित में आईजीआरसी सदस्य/विवाचक से उन्हें लिखित में आईजीआरसी सदस्य/विवाचक का आदेश समाप्त करने के लिए आवेदन प्राप्त हो तो; या
- (घ) आईजीआरसी सदस्य/विवाचक द्वारा खंड (11.6) तथा (11.7) में दर्शायी गयी किसी परिस्थिति बतलायी जाती है, जो संबद्ध प्राधिकारी की राज्य में उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर तर्कसंगत संदेह उठता हो।
- (ङ) इसमें प्रावधान किये अनुसार आईजीआरसी/विवाचक कार्रवाई समाप्त किये जाने पर
- 11.9 आईजीआरसी सदस्य/विवाचक के कार्यालय की रिक्ति को आपूरित करना  
आईजीआरसी सदस्य/विवाचक की बीमारी या मृत्यु के कारण रिक्ति या संबद्ध प्राधिकारी द्वारा आईजीआरसी सदस्य/विवाचक का आदेश समाप्त किये जाने या अन्यथा सहित किसी भी कारण से, आदेश/अर्थदंड तैयार करने से पहले आईजीआरसी सदस्य/विवाचक के कार्यालय में रिक्ति होती है तो, संबद्ध प्राधिकारी द्वारा, आईजीआरसी सदस्य/विवाचक को नियुक्त किये जाने के लिए उल्लिखित प्रक्रिया के समान प्रक्रिया द्वारा रिक्ति आपूरित की जायेगी।
- 11.10 रिकॉर्ड की गई कार्रवाई तथा प्रमाण पर विचार करना  
जब तक पक्षों द्वारा अन्यथा सहमत न किया जाए, कोई भी आईजीआरसी सदस्य/विवाचक, आईजीआरसी सदस्य/विवाचक के कार्यालय की रिक्ति भरने के लिए संबद्ध प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया हो, वह पहले हुई सुनवाई को दोहरा सकता है।
- 11.11 पिछले विवाचन का आदेश या निर्णय अवैध नहीं  
आईजीआरसी सदस्य/विवाचक का, समाप्त किये जाने से पहले किया गया आदेश या निर्णय, उसका आदेश समाप्त किये जाने के कारण, पूर्णतः अवैध नहीं होगा जबकि, खंड (11.8) (डी) के अनुरूप समापन प्रभावी किया गया हो, आईजीआरसी सदस्य/विवाचक का, उसके आदेश को समाप्त किये जाने से पहले किये गये आदेश या निर्णय हो जायेंगे, जब तक पक्षों द्वारा अन्यथा सहमत न किया गया हो।
- 11.12 विवाचक द्वारा आदेशित अंतरिम विवाचक अर्थदंड (अवार्ड) अंतरिम उपाय  
विवाचक को, अंतरिम विवाचक अर्थदंड बनाने तथा सुरक्षा के लिए अंतरिम उपाय उपलब्ध कराने का अधिकार दिया जा सकता है, एक विवाचक को, अंतरिम उपायों के संबंध में उचित उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए एक पक्ष की आवश्यकता हो सकती है।
- 11.13 काउंसिल, अटॉर्नी या वकील की विवाचक कार्रवाई में उपस्थिति  
विवाचक कार्रवाई में, जहाँ दोनों पक्ष या तो ट्रेडिंग सदस्य हैं या दोनों समाशोधन सदस्य हैं या एक पक्ष सदस्य है और दूसरा समाशोधन सदस्य है, पक्षों को काउंसिल, अटॉर्नी या वकील के जरिए उपस्थित होना अनुमत नहीं होगा,

- लेकिन जहां एक पक्ष विधायक होगा, तो उसे काउंसिल अटॉर्नि या वकील के जरिए उपस्थित होना अनुमत होगा, यदि विधायक काउंसिल, अटॉर्नि या वकील के जरिए उपस्थित होना चुनता है तो, ट्रेडिंग और/या समाशोधन सदस्य को भी ऐसी विशेष सुविधा दी जा सकती है.
- 11.14 स्थगन  
स्थगन, यदि कोई, लिखित में दर्ज किये गये वास्तविक कारणों के लिए, विवाचक द्वारा, अपवादात्मक मामलों के लिए मंजूर किया जायेगा.
- 11.15 आईजीआरसी/विवाचन पूरा करने के लिए समयावधि  
संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये अनुसार अवधि के अंदर आईजी-आरसी आदेश बनायेंगे. सामान्यतः विवाचन के संदर्भ में प्रवेश की तारीख से 3 माह के अंदर विवाचक, विवाचक अर्थदंड (अवार्ड) बनायेगा.
- 11.16 आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध  
प्रबंध निदेशक या संबद्ध प्राधिकारी द्वारा, किसी एक पक्ष या विवाचक के आवेदन पर, अवार्ड बनाने के लिए लिया जानेवाला समय 3 बार से ज्यादा विस्तारित नहीं किया जा सकेगा, जो कि 6 माह अधिक नहीं होगा.
- 11.17 विवाचन संदर्भ में प्रवेश  
इन उप-नियमों के प्रयोजन के लिए, जिस दिन विवाचक द्वारा पहली सुनवाई की गई हो उस तारीख को विवाचक द्वारा विवाचन संदर्भ में प्रवेश किया गया माना जायेगा.
- 11.18 अधिनियम के प्रावधानों के तहत विवाचन कार्रवाई  
इन उप-नियमों, नियमों तथा विनियमों के प्रावधानों द्वारा उपलब्ध कराई गई विवाचन कार्रवाई, उस सीमा तक अधिनियम के प्रावधानों के तहत होगी, जिस सीमा तक इन उप-नियमों, नियमों तथा विनियमों में प्रावधान नहीं किये गये हैं.
- 11.19 संदर्भों की संरचना :  
अधिनियम के खंड 2(6) के प्रावधानों के लिए, इन उप-नियमों, नियमों तथा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, जो दावे, मतभेद या विवाद विवाचक को प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित हैं, उसमें जहां अधिनियम के भाग 1 पक्षों को कुछ मामले निश्चित करने की छूट देता है, यह माना जायेगा कि संबद्ध प्राधिकारी भी उस मामले को निश्चित करने के लिए प्राधिकृत है.
- 11.20 प्रशासनिक सहायता  
अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजन के लिए, इन उप-नियमों तथा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार विवाचक को प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित सभी दावे, मतभेद या विवादों में, यह माना जायेगा कि, विवाचन कार्रवाई के आयोजन को सुविधाजनक बनाने के लिए, प्रशासनिक सहायता की व्यवस्था की गई है.
- 11.21 क्षेत्राधिकार  
इन उप-नियमों, नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत विवाचन के संदर्भ में शामिल सभी पक्ष तथा उसके अंतर्गत दावा करने वाले व्यक्ति, यदि कोई, के संबंध में यह माना जायेगा कि, अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, उनके द्वारा, संबद्ध प्राधिकारी/नियामक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये अनुसार, मुंबई में विशेष न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में दावा प्रस्तुत किया गया है.
- 11.22 अपील  
एक विवाचक/विवाचकों के पैनल के निर्णय से असंतुष्ट कोई पार्टी, संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित समयावधि तथा तरीके से, विवाचक/विवाचकों के पैनल के निर्णय के खिलाफ एपेलेट आब्रिट्रल ट्रिब्यूनल में अपील कर सकती है.  
एपेलेट आब्रिट्रल ट्रिब्यूनल, संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित समयावधि के अंदर, अवॉर्ड जारी करते हुए, अपील का निपटान करेंगे.

जहां किसी पक्ष द्वारा कोई अपील न की गई हो तथा अपील करने का समय समाप्त हो गया हो वहां विवाचक/विवाचकों के पैनल का निर्णय अंतिम अधिनिर्णय/अर्थदंड (अवॉर्ड) होगा।

जहां एक निर्णय के खिलाफ अपील की गई हो, अधिनियम तथा एक्सचेंज के उप-नियम, नियम तथा विनियमों के प्रयोजन के लिए, एपेलेट आबिट्रल ट्रिब्युनल द्वारा पारित अवॉर्ड अंतिम अधिनिर्णय / अर्थदंड (अवॉर्ड) अंतिम अधिनिर्णय/अर्थदंड (अवॉर्ड) होगा।

## 12. विविध

- (1) संबद्ध प्राधिकारी को यह शक्ति प्राप्त होगी कि यदि वह अपनी समझ में अनुबंधों या जिन्सों को न्यायोचित और सुव्यवस्थित बाजार बनाए रखने के लिए या व्यापार हित या लोकहित की दृष्टि से ऐसा करना बांछनीय समझे तो एक या अधिक अनुबंधों या जिन्सों के लेनदेन पर प्रतिबंध लागू करे। प्रतिबंधों के लागू रहने के दौरान कोई व्यापार-सदस्य किसी ऐसे खाते के लिए जिसमें उसका हित हो, या अपने किसी ग्राहक के खाते के लिए, इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए किसी लेनदेन में शामिल न हो,
- (2) समाशोधन और निपटान व्यवस्था के संबंध में, उपनियमों, नियमों और विनियमों में विशेषरूप से किए अन्यथा प्रावधान और संबद्ध प्राधिकारी के विनिर्देश को छोड़कर, एक्सचेंज और/या समाशोधन गृह के संवर्धन, सुकरण, सहायन, विनियमन, प्रबंधन और संचालन के क्रम में ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि एक्सचेंज या समाशोधन-गृह ने कोई देयता अर्जित कर ली है और तदनुसार ही एक्सचेंज या समाशोधन-गृह या एक्सचेंज या समाशोधन-गृह के लिए कार्य करने वाले किसी प्राधिकृत व्यक्ति के विरुद्ध, अनुबंधों या जिन्सों के किसी सौदे या उससे जुड़े किसी अन्य मामले के संबंध में कोई दावा या आश्रय नहीं होगा।
- (3) इस उपनियम या किन्हीं उपनियमों, नियमों और विनियमों की कोई अपेक्षा जहां लागू होने योग्य हो, वहां उसके पालन या अनुपालन में किसी उसफलता को संबद्ध प्राधिकारी द्वारा उन उपनियमों, नियमों और विनियमों के उल्लंघन के रूप में लिया जाएगा।
- (4) एक्सचेंज के ट्रेडिंग सदस्य के रूप में, कपटपूर्ण तथा अनुचित ट्रेड पध्दतियों तथा अन्य ऐसी सूचनाएं/पध्दतियों, जो एक्सचेंज के कुशल परिचालनों के लिए हानिकारक माना जाय तथा जैसा कि प्रतिभूति कानूनों तथा विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित हो, के बारे में एक्सचेंज को सूचित किया जाना, ट्रेडिंग सदस्य का दायित्व होगा।
- (5) एक्सचेंज और/या समाशोधन-गृह या एक्सचेंज और/या समाशोधन गृह के लिए काम कर रहे किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी कार्य के लिए, जो तत्समय लागू किसी विधि या प्रत्यायोजित विधायन के अंतर्गत एक्सचेंज और/या समाशोधन-गृह को जारी किसी आदेश या किसी अन्य बाध्यकारी निदेश के अनुपालन में सध्दावनापूर्वक किया गया हो, या जिसे किए जाने की मंशा हो, कोई दावा, वाद, अभियोजन या कोई विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

## 13. बचत तथा शेष बनाए रखना (कन्टीन्यूएशन)

ए. फॉरवर्ड संविदाएं (एफसीआरए) की धारा 28 ए के अनुसार, एफसीआरए के अंतर्गत बनाए गए एक्सचेंज के (वर्तमान एक्सचेंज नियम कहे जानेवाले) उपनियम, 29 सितंबर 2015 से प्रभावी, एफसीआरए के निरसन के कारण, 29 सितंबर 2015 से एक वर्ष की अवधि के पश्चात लागू नहीं होंगे, ऐसे निरसन के बावजूद—

- 1) वर्तमान एक्सचेंज उपनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत निष्पादित, समाशोधन, निपटान, निलामियां, विवाद संकल्प या विवाचन तथा चूक सुधार सहित परंतु सीमित नहीं, सभी कार्रवाई या गतिविधियां, इन नियमों के तदनुसारी प्रावधानों के अंतर्गत की जानी लागू रहेंगी।
- 2) निवेशकर्ताओं की सुरक्षा निधि का रखरखाव तथा निपटान निधि जैसे जोखिम प्रबंधन उपायों सहित परंतु सीमित नहीं, वर्तमान एक्सचेंज उपनियमों के अंतर्गत उपचित सभी अधिकार तथा देयताएं, इन उपनियमों के तदनुसारी प्रावधानों के अंतर्गत उपचित होना जारी रहेंगे।
- 3) वर्तमान एक्सचेंज उपनियमों के अनुसार, डिलिंग्स में प्रवेश अनुमत या एक्सचेंज के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर पहुंचने की अनुमति प्राप्त, एक्सचेंज के सभी प्रात्र सदस्य या उनके एजेंट्स एएससीआरए तथा उसके अंतर्गत बनाए उपनियमों तथा विनियमों के प्रावधानों तथा सेबी अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए उपनियमों तथा विनियमों और समय-समय पर सेबी द्वारा जारी किसी निर्देशों या परिपत्रों के तहत? इन उपनियमों के तदनुसारी प्रावधानों के अनुसार एक्सचेंज में ऐसे अधिकारों का उपयोग करना जारी रखेंगे।
- 4) कोई किया गया निरीक्षण, ऑर्डर, दंडात्मक कार्रवाई, कार्यवाही या नोटिस जारी की गई या कोई पुष्टि या घोषणा की गई या कोई लाइसेंस? अनुमति, प्राधिकरण या छूट मंजूर की गई, संशोधित या रद्द की गई या कोई दस्तवेज या लिखत निष्पादित किया गया या वर्तमान एक्सचेंज उपनियमों के अंतर्गत कोई निर्देश दिया गया सहित, कुछ भी

किया गया या कोई कार्रवाई की गई या की गई दर्शायी गई हो, वह इन उपनियमों के तदनुरूपी प्रावधानों के अनुसार, एक्सचेंज द्वारा लागू या जारी रखा जायेगा।

- 5) 28 सितंबर 2016 को वर्तमान एक्सचेंज उपनियमों के प्रावधानों के सभी उल्लंघन तथा आरंभ की गई या लंबित कोई कार्यवाही, इन उपनियमों के तदनुरूपी प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होना जारी रहेगा।

बी. सेबी द्वारा निर्देश दिए अनुसार, इन उपनियमों के किसी भी प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने के संबंध में एक्सचेंज को अधिकार दिया गया है।

#### भाग – आ

##### 1. समाशोधन खंड

- (1) संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट एक से अधिक समाशोधन खंड हो सकते हैं।
- (2) संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर उन अनुबंधों या जिन्सों को विनिर्दिष्ट करेगा, जो विभिन्न समाशोधन खंडों में के पा.. कप्रवेश होंगे।

##### 2. समाशोधन सदस्य

- (1) संबद्ध प्राधिकारी में यह शक्ति निहित होगी कि वह एक्सचेंज द्वारा निर्धारित न्यूनतम वित्तीय अपेक्षाओं के अधीन, उपनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार समाशोधन-सदस्यों को प्रवेश दे. समाशोधन-सदस्य के रूप में प्रवेश किए जाने पर और उसे बनाए रखने के लिए समाशोधन-सदस्य निदेशक मंडल या संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट शुल्क, प्रतिभूति जमाओं और अन्य राशियों का भुगतान करेंगे, समाशोधन-सदस्यों द्वारा एक्सचेंज में नकदी, बैंक गारंटी, प्रतिभूति या अन्य रूपों में जमा किए गए शुल्क, प्रतिभूति जमाएं, अन्य राशियां और अतिरिक्त जमाएं एक्सचेंज को देय राशियों के लिए और एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार और अधीन किए गए सौदों से उत्पन्न या उनसे संबंधित, व्यापार-सदस्यों के ठहरावों, दायित्वों और देयताओं को विधिवत पूरा करने के लिए उनके विरुद्ध दावों को पूरा करने के लिए प्रयत्न और सर्वोपरि ग्रहणाधिकार के अधीन होंगी एक्सचेंज को यह अधिकार होता कि वह, समाशोधन-सदस्य के विरुद्ध अन्य दावों को छोड़ते हुए इन देय राशियों और दावों के लिए ऐसे शुल्कों, जमाओं और अन्य राशियों को समायोजित या विनियोजित करे।
- (2) एक्सचेंज का समाशोधन-सदस्य सौदों का समाशोधन और निपटान समाशोधन-गृह के माध्यम से समाशोधन-सदस्य के लिए विनिर्दिष्ट शर्तों और क्रियाविधि के अधीन, विनिर्दिष्ट रीति से और रूप में कर सकता है।
- (3) व्यापार-सदस्य सौदों का समाशोधन या निपटान अपने मदे या अपने ग्राहकों की ओर से कर सकते हैं और वे समाशोधन और निपटान का कार्य निष्पादित करते समय समाशोधन सदस्य के रूप में अभिहित किए जाएंगे, व्यावसायिक समाशोधन सदस्य, संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय यथानिर्धारित शर्तों के अधीन अपने ग्राहकों और व्यापार-सदस्यों की ओर से सौदों का समाशोधन और निपटान कर सकते हैं।

##### 3. सौदों का समाशोधन और निपटान

###### 3.1 समाशोधन और निपटान के लिए सौदे

एक्सचेंज उपनियमों, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार सौदों का समाशोधन और निपटान करेगा और इस प्रकार किए गए प्रावधान को छोड़कर किसी अन्य सौदे का समाशोधन और निपटान नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त की सामान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संबद्ध प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार से और ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें वह उचित समझे, अन्य सौदों को भी प्रवेश दे सकता है।

सौदों का समाशोधन और निपटान समाशोधन-सदस्य या उसके माध्यम से कार्य कर रहे अन्य व्यक्तियों द्वारा, संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट या यथानिर्धारित व्यवस्थाओं, प्रणालियों, अभिकरणों या क्रियाविधियों को अपनाते हुए और उपयोग करते हुए किया जाएगा, पूर्वोल्लिखित की सामान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संबद्ध प्राधिकारी समय-समय पर, समाशोधन और निपटान-व्यवस्था या प्रणाली के सहज परिचालन को सुकर बनाने के लिए, समाशोधन-सदस्यों, व्यापार-सदस्यों, सहभागियों और अन्य विनिर्दिष्ट घटकों द्वारा अपनाए और उपयोग किए जाने के लिए अभिकरणात्मक या अन्य सेवाएं निर्धारित या विनिर्दिष्ट कर सकता है, समाशोधन गृह की भूमिका एक्सचेंज में किए गए व्यापारों के लिए समाशोधन-सदस्यों, व्यापार-सदस्यों/सहभागियों के बीच सुपुर्दगी और भुगतान की प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करने वाले की होगी।

समाशोधन-गृह का कार्य एक्सचेंज, समाशोधन-गृह या संबद्ध प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन से अभिज्ञापित किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया जा सकता है।

एक्सचेंज अपने समाशोधन और निपटान संबंधी कार्य के संचालन के लिए किसी स्वतंत्र सत्ता को शामिल करने पर विचार कर सकता है। ऐसी स्थिति में समाशोधन-गृह के सभी अधिकार और दायित्व उस सत्ता को अंतरित किए जा सकते हैं, और समाशोधन-सदस्यों को, उस सत्ता के साथ निर्बंधित माना जा सकता है और समाशोधन-सदस्य को उस समय-समय यथानिर्धारित उपनियमों, नियमों और विनियमों का पालन करना होगा।

समाशोधन-गृह की भूमिका समाशोधन-सदस्यों, व्यापार - सदस्यों/व्यापार के सहभागियों द्वारा किए गए व्यापार के लिए उनके बीच सुपुर्दगी और भुगतान के प्रक्रिया के सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करने वाले की है।

बाजार के प्रत्येक खंड में निपटान निवल आधार पर, सकल आधार पर व्यापार के लिए व्यापार के आधार पर या संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट किसी अन्य आधार पर होगा। निपटान का कार्य समाशोधन-सदस्यों द्वारा उपनियमों और विनियमों में संबद्ध प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट, सुपुर्दगी देकर या लेकर और या निधियों के भुगतान और प्रापण कर किया जाएगा। नियमों, उपनियमों, और विनियमों में स्पष्ट रूप से अन्यथा किए गए प्रावधान की स्थिति को छोड़कर, जब निधियों या जिन्सों पर स्वत्वाधिकार संबंधी दस्तावेजों का किसी निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत, समाशोधन-गृह के माध्यम से आवागमन होता है, तब निपटान का दायित्व पूर्णतः और एकल रूप से व्यापार के प्रति-पक्षकारों पर और/या संबंधित समाशोधन सदस्यों पर, जैसी भी स्थिति हो, होगी और समाशोधन-गृह प्रिंसिपल के रूप में बिना किसी देयता या दायित्व के, जिन्सों की सुपुर्दगी लेने या देने और निधियां प्राप्त करने या अदा करने के लिए समाशोधन-सदस्यों, व्यापार - सदस्यों, घटकों के साझा अभिकरण के रूप में कार्य करेगा।

### 3.2 सौदों की स्वीकृति

- (1) एक्सचेंज के समाशोधन-गृह में उन्हीं सौदों के समाशोधन और निपटान की अनुमति दी जाएगी, जिन्हें संबद्ध प्राधिकारी द्वारा उपनियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसरण में स्वीकृति दी जाएगी।
- (2) संबद्ध प्राधिकारी समय-समय पर उन अनुबंधों या जिन्सों को विनिर्दिष्ट करेगा, जिनमें उपनियमों और विनियमों के एतत्संबंधी के अनुसरण में सौदे करने को मंजूरी दी जाएगी।

### 3.3 समाशोधन और निपटान की शर्तें और अपेक्षाएं

संबद्ध प्राधिकारी एक्सचेंज पर किए गए सौदों को अनुमति तभी देगा जब उपनियमों और विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी शर्तें और अपेक्षाएं और संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित अन्य शर्तें और अपेक्षाएं पूरी कर ली जाएं।

### 3.4 सौदों की स्वीकृति से इन्कार

संबद्ध प्राधिकारी ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें वह ठीक समझे, अपने विवेकाधिकार से एक्सचेंज के समाशोधन और निपटान के लिए सौदों को स्वीकृति दे सकता है, उन्हें अस्थगित कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है।

### 3.5 सौदों की स्वीकृति का निलंबन

संबद्ध प्राधिकारी किसी भी समय किसी भी अनुबंध या जिन्स या विनिर्दिष्ट एक्सचेंज सहित सौदों की स्वीकृति को अपने द्वारा यथानिर्धारित अवधि के लिए निलंबित कर सकता है और उन्हें ऐसी शर्तों के अधीन पुनः स्वीकृत कर सकता है, जिन्हें वह ठीक समझे।

### 3.6 सौदों की स्वीकृत को वापस लेना

संबद्ध प्राधिकारी, जहां वह आवश्यक समझे, किसी विनिर्दिष्ट एक्सचेंज के सौदों की स्वीकृति को, सौदों की स्वीकृति की किसी शर्त या अपेक्षा के उल्लंघन, अननुपालन या किसी भी अन्य कारण से वापस ले सकता है।

### 3.7 सौदों की पुनः स्वीकृति

संबद्ध प्राधिकारी स्वविवेक से किसी विनिर्दिष्ट एक्सचेंज के ऐसे सौदों को पुनः स्वीकृत कर सकता है, जिनकी स्वीकृति को पहले वापस ले लिया गया हो,

### 3.8 अनुबंध का संबंध

एतवन्तर्गत किए गए प्रावधान को छोड़कर, उपनियमों और विनियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार सुपुर्दगी देने और लेने वाले समाशोधन-सदस्यों को, उनके बीच किसी प्रत्यक्ष अनुबंध के अस्तित्व में नहीं रहने के बावजूद, यह

समझा जाएगा कि उन्होंने क्रेता और विक्रेता के रूप में एक दूसरे से अनुबंध किया है, तथापि इसके द्वारा सुपुर्दगी देने और लेने वाले सदस्य की निकटतम अनुबंधकारी पक्षकार के प्रति अधिकार और वेधताएं दुष्प्रभावित नहीं मानी जाएगी, सिवाय इसके कि विक्रेता सदस्य (जब तक वह स्वयं सुपुर्दगी देने वाला सदस्य न हो) प्राप्तकर्ता सदस्य द्वारा प्राप्त दस्तावेज/जिन्स के स्वत्वाधिकार, स्वामित्व, प्रामाणिकता, नियमितता और वैधता और तदुत्पन्न हानि और क्षति से संबंधित सभी दायित्वों से संबंधित सभी दायित्वों से मुक्त हो जाएगा, जिनके साथ उपनियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।

जिन मामलों में समाशोधन-गृह सामान्यतः या विशिष्टतः उपनियमों और विनियमों में किए गए प्रावधानों के अनुसार सुपुर्दगी देने या लेने वाले और निधियां देने या लेनेवाले समाशोधन-सदस्यों को विनिर्दिष्ट करेगा, उनमें बीच किसी अनुबंध के अस्तित्व में नहीं रहने के बावजूद, यह माना जाएगा कि उन्होंने विक्रेता और क्रेता के रूप में समाशोधन-गृह के साथ और सुपुर्दगी देने और लेने वाले के रूप में अनुबंध किया है : बशर्ते ऐसी स्थिति में इसके द्वारा समाशोधन-गृह के साथ सुपुर्दगी देने और लेने वाले सदस्यों के अधिकार और देयताएं दुष्प्रभावित नहीं होंगी, सिवाय इसके कि समाशोधन-गृह, सुपुर्द किए गए और प्राप्त किए गए दस्तावेजों के स्वत्वाधिकार, स्वामित्व, प्रामाणिकता, नियमितता, और वैधता के संबंध में और तदुत्पन्न हानि और क्षतियों के संबंध में दायी नहीं होगा, जिनके साथ उपनियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।

ऊपर किसी बात के होते हुए भी समाशोधन-गृह सामान्य रूप से या विशिष्ट रूप से यह विनिर्दिष्ट कर सकता है कि समाशोधन गृह स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट सौदों में और एक्सचेंज की व्यापार-प्रणाली पर निष्पादित/सूचित और समाशोधन तथा निपटान के लिए स्वीकृत व्यापारों से उत्पन्न सौदों में प्रति-पक्षकार होगा, इस तथ्य को छोड़कर कि यदि विक्रेता सुपुर्दगी करने में असफल होता है, तो समाशोधन-गृह का दायित्व केवल अंतर की राशि के निपटान का होगा, न विक्रेता को वस्तु रूप में सुपुर्दगी करने का, समाशोधन-गृह, एक्सचेंज की व्यापार-प्रणाली पर जिन्सों के विधिवत निष्पादित/सूचित व्यापार से उत्पन्न सभी सौदों की गारंटी लेने का वचन देगा, चाहे संबंधित सदस्य की ओर से चूक दिवालियापन या असफल ही क्यों न हो, किंतु यह इस शर्त के अधीन होगा कि समाशोधन-गृह द्वारा निपटान की गारंटी केवल निम्नलिखित के लिए होगी :

- (1) समाशोधन-गृह के अपने सदस्य,
- (2) एक्सचेंज द्वारा जोड़ा मिलाए जाने के बाद समाशोधन-गृह द्वारा समाशोधन और निपटान के लिए निष्पादित, निबंधित और स्वीकृत लेन-देन और
- (3) वे सदस्य, जिन्होंने समाशोधन-गृह अथवा एक्सचेंज के प्रति अपने वित्तीय दायित्वों में चूक नहीं की है,

तथापि, शर्त यह होगी कि यह नहीं माना जाएगा कि समाशोधन-गृह, समाशोधन-गृह के माध्यम से गुजर रहे किसी माल या दस्तावेज के स्वत्वाधिकार, स्वामित्व, प्रामाणिकता, नियमितता, या वैधता की गारंटी लेता है, क्योंकि समाशोधन-गृह का उद्देश सदस्यों के बीच माल और दस्तावेजों के संदर्भ में सुपुर्दगी की सुविधा प्रदान करना है।

तथापि, यह भी कि समाशोधन-गृह द्वारा गारंटी पूर्णतः वित्तीय प्रकृति की होगी, अर्थात्

- (1) विक्रेता को आश्वस्त किया जाएगा कि समाशोधन-गृह के इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सुपुर्दगी पूरी हो चुकी है, सुपुर्दगी/समापन की तारीख को संबद्ध प्राधिकारी द्वारा निर्धारित निपटान कीमत का भूगतान कर दिया जाएगा : और
- (2) क्रेता को सुपुर्दगी आदेश के लिए आश्वस्त किया जाएगा या विक्रेता के सुपुर्दगी देने में असफल होने की स्थिति में, सुपुर्दगी/प्राधिकारी द्वारा निर्धारित निपटान कीमत पर आधारित, सुपुर्दगी में कमी की मौद्रिक कीमत के लिए और संबद्ध प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट सुपुर्दगी की अपेक्षित तारीख को हाजिरबाजार भाव पर आधारित मौद्रिक कीमत के लिए आश्वस्त किया जाएगा।

### 3.9 समाशोधन के लिए परिचालनात्मक मानदंड

संबद्ध प्राधिकारी समय-समय पर समाशोधन-गृह के माध्यम से सौदों के समाशोधन के लिए परिचालनात्मक मानदंड निर्धारित और घोषित करेगा और समाशोधन-सदस्य उनका पालन करेंगे, परिचालनात्मक मानदंडों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (क) अनुमति प्राप्त समाशोधन/एक्सपोजर सीमाएं जिनमें निवल मूल्य और पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के संदर्भ में समाशोधन एक्सपोजर सीमाएं शामिल होंगी :
- (ख) समाशोधन की वे मात्राएं और सीमाएं जिन पर समाशोधन-सदस्यों के लिए एक्सचेंज को सूचित करना आवश्यक होगा :

- (ग) विभिन्न प्रकार के निपटानों के लिए सुपुर्दगी लाटस के निर्धारण :
- (घ) जनता के व्यापकतर हित को ध्यान में रखते हुए सौदों के समाशोधन के सहज परिचालन को दुष्प्रभावित करने वाले अन्य विषय :
- (ङ) किसी समाशोधन—सदस्य और किसी अनुबंध या जिन्स के लिए अनुमत सौदों के प्रकारों का निर्धारण :
- (च) प्रणाली के डिजाइन, उपयोगकर्ता के लिए बुनियादी सुविधाओं और प्रणाली के परिचालन सहित समाशोधन और निपटान प्रणाली के परिचालनात्मक ब्यौरो का निर्धारण.

### 3.10 समाशोधन के लिए निर्धारित समय

- (1) समाशोधन— गृह में समाशोधन और निपटान के लिए निर्धारित समय वह होगा, जो संबंध प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर निर्धारित किया जाए. संबंध प्राधिकारी समय—समय पर विभिन्न प्रकार के सौदों के समाशोधन के लिए समय विनिर्दिष्ट करेगा.
- (2) संबंध प्राधिकारी कैलेण्डर वर्ष के दौरान छुट्टियों की सूची घोषित करेगा, संबंध प्राधिकारी इन प्रावधानों के अनुसरण में निर्धारित छुट्टियों को परिवर्तित या रद्द कर सकता है, वह छुट्टियों से इतर और उनके अतिरिक्त अन्य दिनों को भी, कारणों को अभिलिखित करते हुए, एक्सचेंज के समाशोधन—गृह में समाशोधन और निपटान के कार्य को निलंबित कर सकता है.

### 3.11 जिन्सों की सुपुर्दगी

- (1) सभी जिन्सों, दस्तावेजों और कागजात तथा भुगतानों की सुपुर्दगी संबंध प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर यथानिर्धारित रीति और स्थान पर होगी.
- (2) संबंध प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर उन जिन्सों, दस्तावेजों और कागजात को विनिर्दिष्ट करेगा जिनकी निर्धारित रीति से सुपुर्दगी कर देने पर सुपुर्दगी ठीक हुई मानी जाएगी, यदि किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा करना आवश्यक हो तो संबंध प्राधिकारी, कारणों को अभिलिखित करते हुए, यह निर्धारित कर सकता है कि कोई सुपुर्दगी ठीक है या नहीं और ऐसा निष्कर्ष संबंधित पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा. जिन मामलों में संबंध प्राधिकारी यह निर्धारित करता है कि सुपुर्दगी ठीक सुपुर्दगी नहीं है, उनमें सुपुर्दगी करने वाले पक्षकार से यह अपेक्षित होगा कि वह बदले में ठीक सुपुर्दगी करे या संबंध प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित भुगतान यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करे, और ऐसा करने में असफल रहने पर संबंध प्राधिकारी उप—नियमों, नियमों और विनियमों में समय—समय पर किए गए प्रावधानों के अनुसार समुचित कार्रवाई शुरू कर सकता है.
- (3) संबंध प्राधिकारी समय—समय पर मानदंड और क्रियाविधियां निर्धारित कर सकता जिनमें मार्केट लॉट, ऑड लॉट, न्यूनतम लॉट, आंशिक लॉट, आदि के संबंध में सुपुर्दगी, सुपुर्दगी—अवधि, समापन की तारीख, टेण्डर की निर्दिष्ट तारीखों, सुपुर्दगी आदेश, सुपुर्दगी की श्रेणियों, सुपुर्दगी के केंद्रों, भाडा—समायोजन कारकों, नमूना विश्लेषण और प्रमाणन—पध्दति आदि से संबंधित मानदंड और क्रियाविधियां समय—समय पर संबंध प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित होंगी.
- (4) संबंध प्राधिकारी समय—समय पर विवादित सुपुर्दगी, या त्रुटीपूर्ण सुपुर्दगी के निर्धारण के लिए, अपेक्षाओं और क्रियाविधियों का, और विवाद या त्रुटि के या उसके परिणामों के हल के उपायों, क्रियाविधियों और प्रणाली का, उपनियमों, नियमों और विनियमों के अधीन निर्धारण करेगा.

### 3.12 बंदी

- (1) सौदों की सुपुर्दगी, भुगतान और निपटान से संबंधित प्रावधानों में से किसी का पालन करने में, या कोई सौदा जिन शर्तों के अधीन किया गया है, उन्हें पूरा करने में, समाशोधन—सदस्य के असफल रहने की स्थिति में, या संबंध प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अन्य परिस्थितियों में समाशोधन और निपटान के लिए मंजूर किए गए किसी सौदे को, किसी अन्य समाशोधन—सदस्य के पास, उसकी सहमति से अंतरिम किया जा सकता है. समाशोधन—गृह द्वारा सौदे को किसी अन्य समाशोधन—सदस्य को, संबंध प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित समयावधि के भीतर, और संबंध प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित शर्तों और क्रिया विधि के अधीन अंतरिम किया जा सकेगा.
- (2) सौदों की सुपुर्दगी, भुगतान और निपटान से संबंधित प्रावधानों में से किसी का पालन करने में, या कोई सौदा जिन शर्तों के अधीन किया गया है, उन्हें पूरा करने में, समाशोधन—सदस्य के असफल रहने की स्थिति में, या संबंध प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अन्य परिस्थितियों में समाशोधन—सदस्य के असफल रहने की स्थिति में, या संबंध प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अन्य परिस्थितियों में समाशोधन और निपटान के लिए मंजूर किए गए

- किसी सौदे को, किसी अन्य समाशोधन-सदस्य के पास, उसकी सहमति से अंतरिम किया जा सकता है। समाशोधन-गृह द्वारा सौदे को किसी अन्य समाशोधन-सदस्य को, संबंध प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित समयावधि के भीतर, और संबंध प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित शर्तों और क्रियाविधि के अधीन अंतरित किया जा सकेगा
- (3) उपर्युक्त की सामान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संबंध प्राधिकारी निम्नलिखित परिस्थितियों में अन्य बातों के साथ-साथ, किसी समाशोधन-सदस्य के विरुद्ध खरीद या विक्री के द्वारा सौदों की बंदी कर सकता है :
- (क) विक्रेता समाशोधन-सदस्य के मामले में, नियत तारीख को सुपुर्दगी को पूरा करने में असफल रहने पर : और
- (ख) क्रेता समाशोधन-सदस्य के मामले में, नियत तारीख पर देय राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर,
- (ग) और ऐसी बंदी के परिणामस्वरूप उठाई गई या झेली गई किसी हानि, क्षति या कमी की भरपाई उन समाशोधन-सदस्यों द्वारा की जानी होगी, जो देय सुपुर्दगी देने में या देय राशि के भुगतान असफल हुए होंगे।

### 3.13 दायित्वों को निभाने में असफलता

स्वीकृत सौदों के समाशोधन और निपटान कार्य से, एक्सचेंज के समाशोधन-गृह के प्रति उत्पन्न दायित्वों को निभाने में किसी समाशोधन-सदस्य के असफल रहने की स्थिति में संबंध प्राधिकारी समय-समय पर अपने द्वारा यथानिर्धारित ब्याज प्रभारित कर सकता है, दंड और अर्धदंड लगा सकता है और समाशोधन-सदस्य के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई कर सकता है। उपर्युक्त के अनुसरण में संबंध प्राधिकारी जो अनुशासनिक कार्रवाई करेगा, उससे एक्सचेंज के प्रति समाशोधन-सदस्य के दायित्व, या लागू विधी के अंतर्गत एक्सचेंज का समाशोधन-गृह जिस निदान का अधिकारी होगा, वह दुष्प्रभावित नहीं होगा।

## 4. समाशोधन-सदस्यों द्वारा सौदे

### 4.1 कार्यक्षेत्र

- (1) समाशोधन-गृह द्वारा समाशोधन और निपटान के लिए स्वीकृत सभी सौदे तब तक मुंबई नगर में किए गए माने जाएंगे, जब तक संबंध प्राधिकारी द्वारा व्यक्त रूप से अन्यथा प्रावधान न किया गया हो।
- (2) सौदे के प्रकार और प्रकृति, सौदा किस एक्सचेंज में किया गया और अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए संबंध प्राधिकारी समय-समय पर किसी विशेष कार्यक्षेत्र के अधीन सौदों को विनिर्दिष्ट कर सकता है।

### 4.2 साक्ष्य के लिए अभिलेख

एक्सचेंज के समाशोधन-गृह के माध्यम से समाशोधित और निपटान किए गए सौदों के संदर्भ में केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, या प्रसंस्करण-इकाइयों के समूह या कंप्यूटर प्रसंस्करण इकाइयों या किसी भी अन्य तरीके से रखे गए एक्सचेंज के अभिलेख सहमत और अधिकारिक अभिलेख होंगे। सौदों के समाशोधन और निपटान के बारे में किसी विवाद के प्रयोजन से, घटकों और समाशोधन-सदस्यों, या समाशोधन-सदस्यों के पारस्परिक, या समाशोधन-सदस्यों और एक्सचेंज के बीच के विवादों और दावों में एक्सचेंज द्वारा रखे गए अभिलेख वैध साक्ष्य होंगे।

### 4.3 केवल समाशोधन-सदस्यों का ही सौदों में पक्षकार होना

समाशोधन-गृह अपने समाशोधन-सदस्यों से इतर किसी व्यक्ति को सौदों के पक्षकार के रूप में मान्यता नहीं देता, और प्रत्येक समाशोधन-सदस्य प्रत्यक्षतः और पूर्णतः जिसके साथ समाशोधन-सदस्य ने कोई सौदा किया है, उसके अनुसरण में, सौदे को विधिवत पूरा करने के लिए या एक्सचेंज के प्रति दायी होगा, जैसा कि संबंध प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, चाहे वह सौदा समाशोधन-सदस्य ने अपने खाते किया हो, या किसी घटक के खाते,

### 4.4 सभी सौदों का उप-नियमों, नियमों और विनियमों के अधीन होना

सभी सौदे उप-नियमों, नियमों और विनियमों के अधीन और अनुसरण में किए जाएंगे, और सभी सौदों में यह शर्तों का एक भाग होगा और सौदे इस संदर्भ में संबंध प्राधिकारी में उप-नियमों, नियमों और विनियमों द्वारा न्यस्त शक्तियों के संबंध प्राधिकारी द्वारा प्रयोग के अधीन होंगे।

## 4.5 स्वीकृत सौंदो की अनुल्लंघनीयता

- (1) एक्सचेंज के समाशोधन-गृह में उप-नियमों, नियमों और विनियमों के अधीन और अनुसार किए गए, अनुबंधों या जिन्सों के सभी सौदे अनुल्लंघनीय होंगे, और उप-नियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार उनका समाशोधन और निपटान किया जाएगा। तथापि, एक्सचेंज का समाशोधन-गृह, किसी समाशोधन-सदस्य के इसके लिए आवेदन करने पर एक नोटीस के माध्यम से सौदे को निष्प्रभावी कर सकता है, यदि संबंध प्राधिकारी सौदे के दूसरे पक्षकार/पक्षकारों की बात सुनने के बाद इस बात से संतुष्ट हो कि सौदा जालासाजी या जानबूझकर की गई गलतबयानी या सौदे में किसी वाहद गलती के कारण निष्प्रभावी किए जाने के योग्य है।
- (2) उपर्युक्त खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी एक्सचेंज का समाशोधन-गृह अनुबंधों या जिन्सों में घटकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए और जिन्स बाजार के समुचित विनियमन के लिए अपनी ओर से किसी सौदे को किसी भी समय निष्प्रभावी कर सकता है, यदि संबंध प्राधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए जानेवाले कारणों से, इस बात से संतुष्ट हो कि वह सौदा जालासाजी, किसी वाहद गलती, गलतबयानी या बाजार या कीमतों के छलसाधन या इसी प्रकार के अन्य कारणों से दोषयुक्त है।
- (3) उपर्युक्त खंड (1) और (2) के अनुसरण में किया गया निष्प्रभावीकरण अंतिम और सौदे के पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा। ऐसी स्थिति में, समाशोधन-सदस्य को अपने घटकों के साथ किए गए संबंधित सौदे को रद्द करने का अधिकार होगा।

## 4.6 प्रतिनिधि समाशोधन-सदस्यों द्वारा सौदे

संबंध प्राधिकारी की पूर्व-अनुमति से कोई समाशोधन-सदस्य किसी अन्य समाशोधन-सदस्य को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है,

## 4.7 सुरक्षा

एक्सचेंज का समाशोधन-गृह, समाशोधन-गृह के माध्यम से समाशोधित और निपटान किए गए सौंदो सहित किसी समाशोधन-सदस्य या समाशोधन सदस्य के नाम में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति, चाहे वह प्राधिकृत हो या अप्राधिकृत, के किसी कार्य के लिए, उप-नियमों, नियमों और विनियमों में किए गए प्रावधान में यथानिर्दिष्ट सीमा तक को छोड़कर और उसके सिवाय, दायी नहीं होगा।

## 5 मार्जिन और सीमाएं

## 5.1 मार्जिन संबंधी अपेक्षाएं

- (1) संबंध प्राधिकारी समय-समय पर एक्सचेंज के समाशोधन-गृह के माध्यम से समाशोधित और निपटान किए गए सौंदो के लिए मार्जिन संबंधित अपेक्षाएं निर्धारित करेगा और समाशोधन-सदस्य पूर्वशर्त के रूप में वह मार्जिन प्रस्तुत करेगा।
- (2) प्रत्येक समाशोधन-सदस्य का यह निरंतर दायित्व होगा कि वह एक्सचेंज के गृह के समाशोधन-गृह द्वारा यथानिर्धारित अवधि के दौरान मार्जिन का यथानिर्धारित स्तर बनाए रखे।

## 5.2 मार्जिन का स्वरूप

एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों और विनियमों के अंतर्गत समाशोधन-सदस्य द्वारा दिया जाने वाल मार्जिन ऐसे स्वरूप में होगा, जैसा संबंध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए, संबंध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथालागू शर्तों के अधीन, संबंध प्राधिकारी अपने विवेक से अपने द्वारा अनुमोदित जमा रसीदों, बैंक/बैंको की गारंटी, या अनुमोदित प्रतिभूतियों को स्वीकार कर सकता है। जमा रसीद, इसके द्वारा अनुमोदित प्रतिभूति या विधिवत अनुमोदित किसी भी प्रकार का स्थानापन्न, एक्सचेंज के समाशोधन-गृह के पक्ष में, यथास्थिति बंधक और/या दृष्टिबंधक रखा माना जाएगा।

## 5.3 मार्जिन की प्रमात्रा

बंधक या अन्यथा या संबंध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित किसी भी प्रकार से प्रतिभूतियों के रूप में मार्जिन जमा करने वाले समाशोधन-सदस्य को, उसका मूल्य उसके द्वारा कवर किए गए मार्जिन की तत्समय अपेक्षित प्रमात्रा से, संबंध प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार और अधिक प्रतिभूति देकर, अन्याय रखना होगा। उक्त मूल्य का निर्धारण संबंध प्राधिकारी करेगा और उसके मूल्य-निर्धारण से समय-समय पर किसी न्यूनता को पूरा करने के लिए अपेक्षित/मात्रा तय होगी।

#### 5.4 मार्जिन का समाशोधन—गृह द्वारा रखा जाना

मार्जिनो को एक्सचेंज का समाशोधन गृह रखेगा और जब मार्जिन बैंक जमा रसीदों और प्रतिभूतियों के रूप में होंगे, तो ऐसी रसीदें और प्रतिभूतियां एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित व्यक्ति या संरक्षक या किसी अन्य सत्ता को हस्तांतरित की जा सकती है। सभी मार्जिन जमाओं को एक्सचेंज द्वारा और/या अनुमोदित संरक्षक द्वारा, जमा करने वाले समाशोधन—सदस्य या जिनको ऐसे विवेकाधिकार के प्रयोग पर प्रश्न उठाने का अधिकार है, उनकी ओर से बिना किसी अधिकार के ऐसे रूपों में और ऐसे खाते में रखा जाएगा जैसा एक्सचेंज उचित समझे।

#### 5.5 घोषणा पत्र

इन उपनियमों और विनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत मार्जिन जमा करने वाला समाशोधन—सदस्य, जब भी ऐसा करना अपेक्षित होगा, तब संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर यथानिर्धारित मामलों के संदर्भ में और यथानिर्धारित रूप या रूपों में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेगा।

#### 5.6 मार्जिनो पर ग्रहणाधिकार

इन उपनियमों, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत समाशोधन—सदस्य द्वारा मार्जिन के रूप में या बंधक या दृष्टिबंधक बैंक जमा रसीदों के रूप में या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में या अन्य आस्तियों के रूप में, भुगतान की गई राशियां समाशोधन—गृह को देय सभी राशियों के लिए एक प्राथमिक और सर्वोपरि ग्रहणाधिकार के अधीन होंगी, मार्जिन इन नियमों, उपनियमों और विनियमों के अनुसार और अधीन किए गए सौदों या उनके प्रसंग में उत्पन्न या उपनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसरण में किए गए कार्यों से उत्पन्न देयताओं और दायित्वों को विधिवत पूरा करने के लिए समाशोधन—सदस्य के विरुद्ध सभी दावों पर अधिमानता देते हुए उपलब्ध होगा।

#### 5.7 दायित्वों को पूरा करने में असफल रहने के लिए उपयोग

यदि कोई समाशोधन—सदस्य उपनियमों, नियमों और विनियमों में किए गए प्रावधानों के अनुसार समाशोधन गृह में सौदे के समाशोधन और निपटान परिचालनों से समाशोधन—गृह के प्रति उत्पन्न दायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है, तो ऐसी स्थिति में संबद्ध प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उक्त समाशोधन—सदस्य द्वारा मार्जिन के रूप में अदा की गई किसी भी राशि या एक्सचेंज में समाशोधन और निपटान के प्रयोजन से समाशोधन—गृह द्वारा रोक रखे गए किसी अन्य भुगतान का उपयोग कर ले।

#### 5.8 मार्जिन संबंधी अपेक्षाओं की अनदेखी करने पर प्रतिबंध

कोई समाशोधन—सदस्य उपनियमों, नियमों और विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मार्जिन संबंधी अपेक्षाओं की अनदेखी करने या अनदेखी करने में सहायता करने के प्रयोजन से प्रत्यक्षतः या परोक्षतः किसी व्यवस्था में शामिल नहीं होगा या किसी क्रिया विधि को नहीं अपनाएगा।

#### 5.9 मार्जिन अदा करने में असफल रहने पर निलंबन

यदि कोई समाशोधन—सदस्य उपनियमों, नियमों और विनियमों में यथाअपेक्षित मार्जिन अदा करने में असफल रहता है तो संबद्ध प्राधिकारी जैसा उचित समझे, वैसी और निलंबन सहित समय—समय पर विनिर्दिष्ट अन्य कार्रवाई कर सकता है। निलंबन तब तक जारी रहेगा, जब तक अपेक्षित मार्जिन विधिवत जमा नहीं कर दिया जाता।

#### 5.10 सीमाएं

एक्सचेंज किसी भी समय अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, किसी व्यापार—सदस्य/समाशोधन—सदस्य या किसी जिन्स के लिए, मात्रा में, या मूल्य में या पूंजीपर्याप्तता/निवल मूल्य/आधार पूंजी के प्रतिशत के रूप में या उपर्युक्त में से किन्हीं को जोड़कर या किसी अन्य पद्धति के रूप में एक्सपोअर/टर्न—ओवर/ओपन पोजीशन/ओपन इंटररेस्ट पर सीमाएं निर्धारित कर सकता है, जैसा कि संबद्ध प्राधिकारी सभी या किसी व्यापार/ समाशोधन—सदस्य/जिन्स के लिए समय—समय पर निर्णय करे।

एक्सचेंज उपर्युक्त खंड के अनुसरण में किन्हीं सीमाओं को किसी भी समय लागू कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है या हटा सकता है।

यदि कोई व्यापार/ समाशोधन—सदस्य एक्सचेंज द्वारा लागू किसी सीमा को पार कर जाता है, तो संबद्ध प्राधिकारी जैसा उचित समझे, वैसी, और सदस्य पर ओपन पोजीशनों की बंदी या व्यापार और/या समाशोधन सुविधा वापस लेने सहित, समय—समय पर विनिर्दिष्ट अन्य कार्रवाई कर सकता है।

#### 5.11 सीमाएं

संबद्ध प्राधिकारी समय—समय पर सौदों के समाशोधन और निपटान के संबंध में समाशोधन सदस्यों पर लगाए जाने वाले शुल्कों, प्रभारों और वसूलियों का निर्धारण कर सकता है।

## 6. समाशोधन—सदस्यों और घटकों के अधिकार और देयताएं

## 6.1 विधायकों से मार्जिन

विधायक के लिए किये गये कारोबार के संबंध में, एक समाशोधन सदस्य अपने विधायक से मार्जिन की मांग कर सकता है, जो उसके द्वारा, नियमों, उप नियमों तथा विनियमों तथा विनियमों के तहत उपलब्ध कराया जाना देय है। ग्राहकों पर लागू मार्जिन, अनिवार्य रूप से ग्राहकों से वसूल करके, सदस्यों द्वारा एक्सचेंज को रिपोर्ट किया जाना होगा। समाशोधन सदस्य, अपने विधायक से, इस अनुबंध के साथ कि वह, समय—समय पर एक्सचेंज के समाशोधन गृह द्वारा निर्धारित मार्जिन या अतिरिक्त मार्जिन का भुगतान करेगा, उसकी वचनबद्धताओं को पूरा करने से पहले, नकद में, प्रतिभूति के रूप में, मियादी जमा रसीदों के रूप में। तरल आस्तियों या ऐसे किसी अन्य स्वरूप में निर्धारित मार्जिन की मांग करते हुए उसे वसूल करेगा, विधायक, उसकी वचनबद्धताओं के संबंध में तथा उसके द्वारा संबंधित समाशोधन सदस्य के साथ की गई सहमति के तहत, जब भी समय—समय पर, उससे मांग की जायेगी, नियमों, उप—नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत मार्जिन तथा अतिरिक्त मार्जिन का अवलिंब भुगतान करेगा।

## 6.2 घटक का चूककर्ता होना

(1) कोई समाशोधन—सदस्य तब तक किसी ऐसे व्यापार—सदस्य या घटक के लिए प्रत्यक्षतः या परोक्षतः कोई कारोबारी लेन—देन नहीं करेगा, यदि उसकी जानकारी में घटक किसी अन्य समाशोधन—सदस्य के प्रति चूककर्ता होगा, जब तक वह घटक अपने लेनदार समाशोधन—सदस्य के साथ कोई संतोषप्रद व्यवस्था नहीं कर लेता।

(2) जिस लेनदार समाशोधन—सदस्य ने इन उपनियमों, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार चूककर्ता घटक के विरुद्ध अपना दावा विवाचन के लिए भेजा है उसका आवेदन प्राप्त होने पर संबद्ध प्राधिकारी किसी भी समाशोधन—सदस्य को आदेश जारी करेगा, जिसमें उसे एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों और विनियमों के अधीन और अनुसरण में किए गए लेन—देनों के संदर्भ में चूककर्ता घटक को देय या सुपुर्दगी योग्य राशि या प्रतिभूति देने या सुपुर्द करने से मना किया जाएगा और ऐसी राशि या प्रतिभूति एक्सचेंज में जमा की जाएगी। इस प्रकार जमा की गई राशि या प्रतिभूति का निपटान विवाचन के फैसले के अनुसार किया जाएगा और विक्री के लंबित रहने की स्थिति में, उन्हें, जब तक लेनदार सदस्य और चूककर्ता घटक के बीच परस्पर अन्यथा सहमति न हो, संबंधित न्यायालय में जमा किया जाएगा।

## 6.3 घटक का खाता बंद किया जाना

जब तक संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, किसी व्यापार—सदस्य या घटक का खाता बंद करते समय कोई समाशोधन—सदस्य ऐसे सौदों को प्रिंसिपल के रूप में बाजार की स्थितियों के अनुसार न्यायपूर्ण और सही कीमतों पर अपने खाते गृही या अधिगृहीत कर सकता है या वह खुले बाजार में बंदी कर सकता है और उससे होने वाले व्यय या किसी हानि का वहन घटक को करना होगा।

## 6.4 अनुबंध निष्पादित करने में असफल रहने की स्थिति घटक द्वारा बंदी

अगर कोई समाशोधन—सदस्य इन उपनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार सुपुर्दगी या भुगतान के माध्यम से सौदे को पूरा करने में असफल रहता है तो घटक, समाशोधन—सदस्य को लिखित रूप में सूचित कर उस सौदे को किसी अन्य समाशोधन—सदस्य के माध्यम से यथासंभव शीघ्र बंद कर देगा और बंद करने के कारण होनेवाली किसी हानि या क्षति की, चूककर्ता समाशोधन—सदस्य द्वारा घटक को भरपाई करनी होगी। यदि यहां किए गए प्रावधान के अनुसार बंदी प्रभावी नहीं होती तो पक्षकारों के बीच क्षति का निर्धारण संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर यथाविनिर्दिष्ट आधार पर किया जाएगा और घटक तथा समाशोधन—सदस्य एक—दूसरे के खिलाफ आश्रय का अपना आगे का अधिकार खो देंगे।

## 6.5 घटक के जिन्सों पर पुनर्ग्रहणाधिकार न होना

यदि अपने घटक के लिए जिन्सों की सुपुर्दगी के बाद किसी समाशोधन—सदस्य को चूककर्ता घोषित किया जाता है तो घटक को दावे का अधिकार होगा और संबद्ध प्राधिकारी द्वारा संतोषप्रद माना जाने वाला प्रमाण देने के बाद और संबद्ध प्राधिकारी के पूर्णविवेकाधिकार के अंतर्गत संबद्ध प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार, उसके द्वारा चूककर्ता को देय राशि के भुगतान या उसकी कटौली के अधीन एक्सचेंज से माल/जिन्स या उसका मूल्य प्राप्त करेगा।

## 6.6 घटक द्वारा आरोप

जब कोई घटक संबद्ध प्राधिकारी के पास यह आरोप दाखिल करेगा कि कोई समाशोधन—सदस्य उसके सौदों को कार्यान्वित करने में असफल रहा है तो संबद्ध प्राधिकारी आरोप की जांच करेगा और यदि वह संतुष्ट होगा कि आरोप न्यायोचित है तो वह ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई कर सकता है जिसे वह ठीक समझे।

## 6.7 समाशोधन-सदस्य और घटक के बीच संबंध

तत्समय लागू किसी विधि पर कोई प्रतिकूल प्रभार डाले बिना और इन उपनियमों, नियमों और विनियमों के अधीन, समाशोधन-सदस्य और उसके घटक के बीच के पारस्परिक अधिकार और दायित्व ऐसे होंगे जैसा संबद्ध प्राधिकारी समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे.

## 7 चूक-समाशोधन-सदस्य

## 7.1 चूक की घोषणा

किसी समाशोधन-सदस्य को निदेश/परिपत्र/संबद्ध प्राधिकारी की अधिसूचना द्वारा चूककर्ता घोषित किया जाएगा, यदि

- (क) वह किसी एक्सचेंज का सदस्य हो और उस एक्सचेंज ने उसे चूककर्ता घोषित किया हो ; या
- (ख) वह किसी समाशोधन-गृह/ समाशोधन निगम का सदस्य हो और उस समाशोधन निगम ने उसे चूककर्ता घोषित किया हो ; या
- (ग) वह अपने समाशोधन, निपटान या दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ रहे ; या
- (घ) वह अपने कर्तव्यों, दायित्वों और देयताओं को पूरा करने में अपनी असमर्थता स्वीकार करे या प्रकट करे ; या
- (ङ) वह इन उपनियमों, नियमों और विनियमों के अंतर्गत उसके विरुद्ध की गई बंदी के बाद देय क्षतिपूर्ति और अंतर की राशि को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर देने में असफल रहे या असमर्थ हो ; या
- (च) वह संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट, समाशोधन-गृह को देय किसी राशि का भुगतान करने में असफल रहे ; या
- (छ) वह चूककर्ता घोषित किए गए समाशोधन-सदस्य को देय सभी राशियां, जिन्स और अन्य आस्तियां, उस समाशोधन-सदस्य की चूक की घोषणा के बाद की, संबद्ध प्राधिकारी द्वारा यथानिर्दिष्ट अवधि में अदा करने या सुपुर्द करने में असफल रहे ; या
- (ज) वह उपनियमों, नियमों और विनियमों के अंतर्गत यथाविहित विवाचन की कार्यवाही का पालन करने में असफल रहे.
- (झ) यदि उसे उसके किसी लेनदार द्वारा दाखिल की गई याचिका में किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया अधिनिर्णीत किया गया हो, या कंपनी अधिनियम के अंतर्गत गठित कंपनी होने की स्थिति में किसी न्यायालय द्वारा परिसमान का आदेश दिया गया हो, तो वह स्वतः चूककर्ता घोषित होगा, भले ही उसने तत्समय समाशोधन-गृह के प्रति किसी दायित्व में चूक न की हो ; या
- (ञ) उसने किसी न्यायालय में स्वयं को दिवालिया अधिनिर्णीत करने के लिए या अपने परिसमान के लिए, जैसी भी स्थिति हो, अर्जी दाखिल की हो, भले ही उसने तत्समय समाशोधन-गृह के प्रति किसी दायित्व में चूक न की हो ; या
- (ट) संबद्ध प्राधिकारी द्वारा यथानिर्णीत किसी अन्य परिस्थिति में.

## 7.2 समाशोधन-सदस्य का जानकारी देने का कर्तव्य

किसी समाशोधन-सदस्य द्वारा अपने दायित्वों के पूर्ण निर्वाह में असफल होने के बारे में एक्सचेंज को तत्काल अधिसूचित करने के लिए समाशोधन-सदस्य बाध्य होगा.

## 7.3 समझौते पर रोक

कोई समाशोधन-सदस्य एक्सचेंज के समाशोधन-गृह के माध्यम से समाशोधित किसी सौदे कारण उत्पन्न देनकारी के निपटान में पूरी और वास्तविक राशि से कम राशि का भुगतान स्वीकार नहीं करेगा.

## 7.4 चूक की घोषणा की सूचना

किसी समाशोधन-सदस्य के चूककर्ता घोषित होने पर इस आशय की सूचना समाशोधन-गृह के सभी समाशोधन-सदस्यों को जारी की जाएगी.

## 7.5 चूककर्ता की बही और दस्तावेज

जब किसी समाशोधन-सदस्य को चूककर्ता घोषित किया गया हो तब संबद्ध प्राधिकारी उसके कामकाज की स्थिति का निश्चय करने के लिए उसकी सभी लेखा-बहियों, दस्तावेज, कागजात और वाउचरों को अपने प्रभार में ले लेगा और चूककर्ता संबद्ध प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित ऐसी सभी बहियों, दस्तावेजों, कागजात और वाउचरों को संबद्ध प्राधिकारी को सौंप देगा।

## 7.6 देनदारों और लेनदारों की सूची

चूककर्ता, उसे चूककर्ता घोषित किए जाने के बाद, संबद्ध प्राधिकारी के पास एक लिखित विवरण दाखिल करेगा, जिसमें उसके देनदारों और लेनदारों की, प्रत्येक से संबंधित देय और प्राप्य राशियों के साथ पूरी सूची होगी।

## 7.7 चूककर्ता द्वारा जानकारी देना

चूककर्ता, संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथा अपेक्षित, खातों के विवरण, जानकारी और अपने कार्यों से संबंधित विवरण उसे प्रस्तुत करेगा और यदि ऐसा वांछित हो तो उसकी चूक के संबंध में होनेवाली समिति की बैठकों में, समिति के समक्ष उपस्थित होगा।

## 7.8 जांच

संबद्ध प्राधिकारी बाजार में उसके खातों और सौदों की कड़ी पडताल करेगा और इस प्रयोजन के लिए निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त संबद्ध प्राधिकारी को अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए उनके संबंध में अपनी जानकारी में आनेवाली ऐसी किसी भी बात की सूचना देगा, जो समाशोधन-सदस्य के लिए अनुचित, गैर-कारोबारी या अनपेक्षित हो।

## 7.9 चूककर्ता की आस्तियों को एक्सचेंज में न्यस्त करना

संबद्ध प्राधिकारी, चूककर्ता द्वारा उसके क्रेडिट में किसी भी रूप में रखी प्रतिभूति जमाओं, संपार्श्विक प्रतिभूतियों, मार्जिन राशि, अन्य राशियों को ले लेगा और वसूल कर लेगा तथा एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार या अधीन किए गए लेन-देन या सौदे के संदर्भ में अन्य व्यापार-सदस्य द्वारा चूककर्ता को देय भुगतान योग्य या सुपुर्दगी योग्य सभी राशियों, जिन्सों, प्रतिभूतियों और अन्य आस्तियों की वसुली करेगा और ऐसी सभी आस्तियां व्यापार-सदस्य के चूककर्ता घोषित हो जाने के बाद स्वतः, एक्सचेंज, अन्य व्यापार-सदस्यों, चूककर्ता के घटकों, अनुमोदित बैंकों तथा संबद्ध प्राधिकारी और अन्य मान्यताप्राप्त एक्सचेंजों द्वारा अनुमोदित अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए और उनके देयों के कारण एक्सचेंज में न्यस्त हो जाएंगी।

## 7.10 संबद्ध प्राधिकारी को भुगतान

- (1) चूककर्ता को देय भुगतान-योग्य या सुपुर्दगी-योग्य सभी राशियां, प्रतिभूतियां और अन्य आस्तियां संबद्ध प्राधिकारी द्वारा यथानिर्दिष्ट चूक की घोषणा के बाद की अवधि के भीतर संबद्ध प्राधिकारी को निश्चित रूप से अदा या सुपुर्द की जाएंगी, इस प्रावधान का उल्लंघन करनेवाले व्यापार-सदस्य को चूककर्ता घोषित किया जाएगा।
- (2) जो समाशोधन-सदस्य खाता अंतर प्राप्त कर चुका होगा अथवा ऐसे खाते या लेन-देन के निपटान के लिए निर्धारित तारीख से पहले किसी लेन-देन का कोई प्रतिफल प्राप्त कर चुका होगा वह, जिससे उसने ऐसा अंतर या प्रतिफल प्राप्त किया है, उसके चूककर्ता घोषित होने की स्थिति में प्राप्त राशि को लेनदार सदस्यों के लाभ के लिए और उनके कारण संबद्ध प्राधिकारी को वापस करेगा। जो समाशोधन-सदस्य इस प्रकार के अंतर या प्रतिफल को निपटान के लिए नियत तारीख के पहले किसी समाशोधन-सदस्य को भुगतान कर चुका या दे चुका होगा वह उस समाशोधन-सदस्य के चूककर्ता घोषित होने की स्थिति में उसके ऋणकर्ताओं के लाभ या उनके कारण अंतर या प्रतिफल को पुनः संबद्ध प्राधिकारी को अदा करेगा।
- (3) यदि किसी समाशोधन सदस्य को किसी अन्य समाशोधन-सदस्य से समाशोधन के दौरान अंतर की राशि से इतर राशि का कोई दावा नोट या क्रेडिट प्राप्त होता है जो उसको या उसके घटक को देय है आर वह राशि उसे अपने घटक की ओर से और उसके कारण प्राप्त है तो यदि वह अन्य समाशोधन-सदस्य निपटान की निर्धारित तारीख के बाद संबद्ध प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित दिनों की संख्या के भीतर चूककर्ता घोषित किया जाता है तो वह समाशोधन-सदस्य उस राशि को वापस कर देगा, राशि की ऐसी वापसी लेनदार-सदस्यों के लाभ और उनके कारण संबद्ध प्राधिकारी को की जाएगी और उसका उपयोग उन अन्य लेनदार सदस्यों के दावों को पूरा करने में किया जाएगा जिनके दावे इन उपनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार स्वीकृत किए जाएंगे।

## 7.11 वितरण

संबंध प्राधिकारी लेनदार-सदस्यों के जोखिम और लागत पर वसूली के क्रम में प्राप्त सभी आस्तियां संबंध प्राधिकारी द्वारा यथानिर्दिष्ट नामों में बैंक में और/या समाशोधन-गृह में रखेगा, और इन उपनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार जिन लेनदार-सदस्यों के दावे स्वीकृत होंगे उनके बीच बिना ब्याज के अनुपालक आधार पर यथाशीघ्र वितरित कर देगा।

## 7.12 बंदी

(1) चूककर्ता के साथ ओपन सौदे रखनेवाले समाशोधन-सदस्य चूक की घोषणा के बाद ऐसे सौदे बंद कर देंगे, यह बंदी संबंध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर थानिर्धारित रीति से की जाएगी, संबंध प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में निर्धारित विनियमों के अधीन यदि संबंध प्राधिकारी के मत में परिस्थितियों के अनुसार ऐसा मानना अपेक्षित हो तो बंद उस रीति से हुई मानी जाएगी जो संबंध प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए।

(2) बंदी के उपर्युक्त समायोजनों के कारण उत्पन्न अंतर की राशि का दावा चूककर्ता से किया जाएगा या उसका भुगतान चूककर्ता के लेनदार समाशोधन-सदस्य के लाभ के लिए संबंध प्राधिकारी को किया जाएगा।

## 7.13 चूककर्ता के विरुद्ध दावे

चूक की घोषणा के बाद संबंध प्राधिकारी द्वारा यथानिर्दिष्ट अवधि के भीतर एक्सचेंज में कारोबार करने वाले प्रत्येक समाशोधन-सदस्य जैसा कि उससे अपेक्षित होगा, संबंध प्राधिकारी के साथ, चूककर्ता के साथ के अपने खातों का मिलान करेगा और इन उपनियमों, नियमों और विनियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार उसे विधिवत् समायोजित और पूरा करेगा या संबंध प्राधिकारी को यथानिर्धारित रूप या रूपों में चूककर्ता के साथ के अपने खातों का विवरण प्रस्तुत करेगा या इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके पास ऐसा कोई खाता नहीं है,

## 7.14 खातों के मिलान या प्रस्तुति में विलंब

यदि कोई समाशोधन-सदस्य निर्धारित अवधि के भीतर चूककर्ता से संबंधित अपने खातों का मिलान नहीं करेगा या विवरण नहीं भेजेगा या प्रमाणपत्र नहीं देगा तो उसे आगे यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर खातों का मिलान करने या विवरण या प्रमाणपत्र भेजने के लिए कहा जाएगा।

7.15 खातों का मिलान करने या उन्हें प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए दंड यदि कोई समाशोधन-सदस्य निर्धारित अवधि के भीतर चूककर्ता के साथ के अपने खातों का मिलान करने या उनसे संबंधित विवरण भेजने या इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में कि उसका ऐसा कोई खाता नहीं है, असफल रहता है तो संबंध प्राधिकारी उस पर अर्थदंड लगा सकता है या उसे निलंबित या ऐसी कार्रवाई कर सकता है, जो वह उचित समझे।

## 7.16 भ्रामक विवरण

यदि संबंध प्राधिकारी संतुष्ट हो कि किसी समाशोधन-सदस्य द्वारा चूककर्ता के संबंध में प्रेषित मिलान-विवरण या प्रमाणपत्र मिथ्या या भ्रामक था तो वह उस सदस्य पर अर्थदंड लगा सकता है, उसे निलंबित कर सकता है, या ऐसी कार्रवाई कर सकता है, जो वह उचित समझे।

## 7.17 संबंध प्राधिकारी के खाते

संबंध प्राधिकारी चूककर्ता को देय सभी राशियों, जिन्सों, प्रतिभूतियों और अन्य अस्तियों का, जो उसे प्राप्त होती हैं, पृथक खाता रखेगा और ऐसी अस्तियों के संग्रहण में या उससे संबंधित या चूक के संबंध में उसके द्वारा की गई कार्यवाहियों में हुई या उससे संबंधित सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों को उसमें से चुका देगा।

## 7.18 आस्तियों का उपयोग

संबंध प्राधिकारी, उपनियमों, नियमों और विनियमों के अंतर्गत यथा-अनुमति-प्राप्त, एक्सचेंज द्वारा उठाई गई सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों को चुकता कर लेने के बाद हाथ में बची निवल आस्तियों का उपयोग, निम्नलिखित प्राथमिकता- क्रम में दावों को पूरा करने के लिए करेगा:

(क) एक्सचेंज को देय राशियां : एक्सचेंज / एक्सचेंज के समाशोधन-गृह को देय अभिदान, उधारियां, अर्थदंड, शुल्क, प्रभार और अन्य राशियां,

(ख) अन्य व्यापार-सदस्यों/समाशोधन-सदस्यों तथा चूककर्ता के घटकों को देय राशियां : चूककर्ता द्वारा एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार किए गए अनुबंधों से उत्पन्न देनदारियों, देयताओं, दायित्वों और दावों के लिए अन्य व्यापार-सदस्यों, समाशोधन-सदस्य और चूककर्ता के घटकों को देय के रूप में संबद्ध प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत राशियों का भुगतान, बशर्तें यदि राशि अपर्याप्त हो तो उसे अन्य व्यापार-सदस्यों, समाशोधन-सदस्य और चूककर्ता के सभी घटकों के बीच आनुपातिक आधार पर वितरित किया जाएगा. अन्य व्यापार-सदस्य/ समाशोधन-सदस्य इस प्रकार प्राप्त राशियों को आनुपातिक आधार पर अपने घटकों के साथ बांटेंगे.

(ग) अनुमोदित बैंको, वेयरहाउसों, परखकर्ताओं को देय राशियां और संबद्ध प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अन्य व्यक्तियों के दावे : उपर्युक्त खंड (ख) के अंतर्गत भुगतान करने के बाद कोई राशि बच जाती है तो उसका उपयोग संबद्ध प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुमोदित बैंको और अन्य व्यक्ति के दावों को पूरा करने के लिए किया जाएगा अनुमोदित बैंको के दावे संबंधित बैंक द्वारा चूककर्ता की ओर से बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के दायित्व को पूरा करने के लिए एक्सचेंज को जारी की गई किसी बैंक गारंटी का उपयोग उपनियमों, नियमों और विनियमों के अंतर्गत दायित्व को पूरा करने की गारंटी देने में करने के कारण उत्पन्न होने चाहिए. अन्य व्यक्तियों के दावे एक्सचेंज में किए गए लेन-देन या एक्सचेंज द्वारा निश्चित की गई अपेक्षाओं के कारण उत्पन्न या उनसे संबंधित होने चाहिए, यदि उपलब्ध राशि ऐसे सभी दावों को पूर्णतः निपटाने के लिए अपर्याप्त हो तो राशि आनुपातिक आधार पर दी जानी चाहिए: और

(घ) आधिक्य: यदि कोई राशि शेष बचे तो वह चूककर्ता समाशोधन-सदस्य को दी जाएगी.

#### 7.19 कुछ अविचारणीय दावे

संबद्ध प्राधिकारी किसी चूककर्ता के विरुद्ध निम्नलिखित प्रकार के दावों पर विचार नहीं करेगा:

(क) ऐसे अनुबंधों या जिन्सों के सौदों के अनुबंध से उत्पन्न दावा जिन्हें अनुमति प्राप्त नहीं हो या जो एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार और अधीन नहीं किए गए हों या जिनमें दावा करने वाले ने लेन-देन या किसी जिन्स के अनुबंधों में मोलभाव पर देय मार्जिन राशि का भुगतान न किया हो या भुगतान न करने में चूककर्ता का साथ दिया हो;

(ख) ऐसे अनुबंध से उत्पन्न दावा जिसमें इन उपनियमों, नियमों और विनियमों में निर्धारित तरीके से खातों का मिलान नहीं किया गया हो या उपनियमों, नियमों और विनियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार उस सौदे में अनुबंध नोट प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मिलान नहीं हुआ हो;

(ग) दावों के भुगतान की निर्धारित तारीख को पूरी सही राशि के भुगतान के स्थान पर दावों के निपटान के लिए की गई किसी व्यवस्था से उत्पन्ना दावा :

(घ) किसी प्रतिभूति सहित या प्रतिभूति रहित ऋण से संबंधित दावा;

(ङ.) ऐसा दावा जो चूक की घोषणा के बाद संबद्ध प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर संबद्ध प्राधिकारी के पास दाखिल न किया गया हो.

#### 7.20 चूककर्ता की संपदा पर दावों का समनुदेशन

किसी चूककर्ता का लेनदार समाशोधन-सदस्य संबद्ध प्राधिकारी की सहमति के बिना ऐसे चूककर्ता की संपदा पर अपने दावों को न बेचेगा, न समनुदिष्ट करेगा या न बंधक रखेगा.

#### 7.21 चूककर्ता के नाम में कार्यवाही

संबद्ध प्राधिकारी इसके लिए अधिकृत होगा, किंतु बाध्य नहीं होगा कि वह किसी न्यायालय में अपने नाम में या चूककर्ता के नाम में, जैसा कि उसे कहा जाए, चूककर्ता की आस्ति की वसूली के प्रयोजन से कार्यवाही करे.

#### 7.22 संबद्ध प्राधिकारी को भुगतान

यदि कोई समाशोधन-सदस्य किसी चूककर्ता के विरुद्ध चूक की अवधि में या उसके पुनप्रवेश के बाद, उसे चूककर्ता घोषित किए जाने के पूर्व, एक्सचेंज के उपनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार और अधीन बाजार में हुए किसी स्वीकृत सौदे से चूककर्ता की संपदा में उत्पन्न दावे को लागू करने के लिए कार्यवाही करता है, और डिक्री प्राप्त करता है और उस पर कोई वसूली करता है तो वह ऐसी वसूल की गई राशि या संबद्ध प्राधिकारी द्वारा यथानियत भाग को, चूककर्ता सदस्य के विरुद्ध लेनदार सदस्यों के लाभ या उनके लिए संबद्ध प्राधिकार को भुगतान करेगा.

## 8. निपटान निधि

## 8.1 समाशोधन-गृह द्वारा निपटान निधि रखना

- (1) समाशोधन गृह, संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए निपटान निधि (निधियां) रखेगा, निपटान निधि की आरंभिक समूह निधि रु. 5 (पांच) करोड़ या उतनी होगी, जितनी संबद्ध प्राधिकारी समय-समय पर निर्धारित करे.
- (2) संबद्ध प्राधिकारी समय-समय पर प्रत्येक निपटान निधि के संचालित करने वाले मानदंडों, क्रियाविधियों और शर्तों का निर्धारण करेगा, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित निधि में प्रत्येक समाशोधन-सदस्य द्वारा जमा या अंशदान की राशि, जमा या अंशदान की शर्तों, रीति और माध्यम, जमा की चुकौती की शर्तों या निधि से अंशदान को वापस लेने की शर्तों उपयोग-प्रभार दंड और उनके गैर-निष्पादन के लिए अनुशासनिक कार्रवाई को विनिर्दिष्ट किया जाएगा.

## 8.2 निपटान निधि में अंशदान

- (1) प्रत्येक समाशोधन-सदस्य को संबंधित निपटान निधि में, संबद्ध प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित अंशदान करना होगा और जमा राशि देनी होगी और उस निधि को समाशोधन-गृह द्वारा उप-नियमों, नियमों और विनियमों में किए गए प्रावधानों के अनुसार उपयोग करने के लिए रखा जाएगा.
- (2) संबद्ध प्राधिकारी प्रत्येक समाशोधन-सदस्य और / या समाशोधन-सदस्यों की श्रेणी के लिए अंशदान या जमा की राशि विनिर्दिष्ट करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक समाशोधन-सदस्य द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम राशि शामिल होगी.
- (3) संबद्ध प्राधिकारी उस अतिरिक्त अंशदान या जमा को भी विनिर्दिष्ट करेगा, जो समय-समय पर निपटान निधि के घटक के रूप में निपटान निधि के लिए देय होगी.

## 8.3 अंशदान/जमा का स्वरूप

संबद्ध प्राधिकारी समय-समय पर निपटान निधि में अंशदान या जमा के स्वरूप को निर्धारित करेगा, संबद्ध प्राधिकारी अपने विवेक से किसी समाशोधन-सदस्य को नकद रूप में, प्रतिभूतियों के रूप में, बैंक गारंटी के रूप में या संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट पद्धति से और शर्तों के अधीन अंशदान या जमा करने की अनुमति दे सकता है.

## 8.4 जमा को बदलना

समाशोधन-गृह को उपयुक्त सूचना देकर तथा संबद्ध प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, कोई समाशोधन-सदस्य पात्र प्रतिभूतियों को बंधक से वापस ले सकता है या समाशोधन-गृह से ऐसे स्वीकार्य साखपत्र या बैंक गारंटी को प्रतिसंहात करवा सकता है, जिसने निपटान निधि में समाशोधन-सदस्य के अंशदान या जमा की जमानत कर रखी थी, बशर्तें समाशोधन-सदस्य ने ऐसी वापसी या प्रतिसंहरण के समय से ही प्रभावी नकदी जमा या पात्र प्रतिभूतियों के बंधक या समाशोधन-गृह द्वारा समय-समय पर अनुमोदित अन्य प्रकारों के माध्यम से समाशोधन-गृह द्वारा समय-समय पर अनुमोदित अन्य प्रकारों के माध्यम से समाशोधन-गृह में जमा करा कर आने अपेक्षित अंशदान या जमा को पूरा कर दिया हो.

## 8.5 निपटान निधि की व्यवस्था और उपयोग

- (1) निपटान निधि का उपयोग, उपनियमों, नियमों और विनियमों में यथाविहित प्रयोजनों और संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित शर्तों के अधीन किया जाएगा, इनमें निम्नलिखित शामिल होंगे;
  - (क) निपटान निधि के सृजन, रखरखाव और चुकौती से संबंधित खर्चों की अदायगी;
  - (ख) संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथानिर्णीत शर्तों के अधीन अनुमोदित प्रतिभूतियों और क्षेत्रों में निवेश;
  - (ग) संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय कराई जाने वाली बीमा-सुरक्षा के प्रिमियम के भुगतान के लिए निपटान निधि का उपयोग;
  - (घ) उपनियमों, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, सौदों के समाशोधन और निपटान के कार्य में उत्पन्न कमियों को पूरा करने के लिए निपटान निधि का उपयोग;

- (ड.) उपनियमों, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, सौंदो के समाशोधन और निपटान के कार्य में उत्पन्न, समाशोधन-गृह की हानि या देयता को पूरा करने के लिए निपटान निधि के उपयोग;
- (च) जब कोई समाशोधन सदस्य, सदस्य न रह जाए तो इन उपनियमों, नियमों और विनियमों के अंतर्गत सभी दायित्वों को पूरा करने के बाद, जमा की चुकौती से संबंधित प्रावधानों के अनुसरण में समाशोधन-सदस्य को शेष की चुकौती;
- (छ) संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य प्रयोजन.
- (2) इन उपनियमों, नियमों और विनियमों में व्यक्त रूप से किए गए अन्यथा प्रावधानों को छोड़कर निपटान निधि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा.
- (3) समाशोधन-गृह को (1) निपटान निधि की नकदी को, (2) निपटान निधि की नकदी का जिन प्रतिभूतियों या अन्य लिखितों में निवेश किया गया है, उन्हें (3) समाशोधन-सदस्यों द्वारा बंधक रखी गई पात्र प्रतिभूतियों को या निपटान निधि में जमा के रूप में समाशोधन-गृह के पक्ष में समाशोधन-सदस्य की आरे से जारी किसी साखपत्र या किसी अन्य लिखित इनमें से किसी या सभी को बंधक रखने, पुनः बंधक रखने, दृष्टि बंधक रखने, अंतरित करने, उसमें/उनमें प्रतिभूति-हित सृजित करने, उसे/उन्हे समनुदेशित करने का पूर्ण अधिकार और प्राधिकार होगा.

#### 8.6 दायित्वों को पूरा करने में असफलता के लिए उपयोग

इन उपनियमों, नियमों और विनियमों में यथाविहित सौंदो के समाशोधन और निपटान से समाशोधन-गृह के प्रति उत्पन्न दायित्वों को पूरा करने में समाशोधन सदस्य के असफल रहने की स्थिति में संबद्ध प्राधिकारी निपटान-निधि और अन्य राशियों का उपयोग दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक सीमा तक, संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत करेगा.

#### 8.7 चूक के मामले में उपयोग

किसी समाशोधन-सदस्य के चूककर्ता घोषित होने की स्थिति में और उसके द्वारा, उपनियमों नियमों और विनियमों में यथाविहित सौंदो के समाशोधन और निपटान कार्य से समाशोधन-गृह के प्रति उत्पन्न समाशोधन और निपटान संबंधी दायित्वों को पूरा करने में समाशोधन-सदस्य के असफल रहने की स्थिति में, संबद्ध प्राधिकारी निपटान-निधि और अन्य राशियों का उपयोग दायित्वों को समाप्त करने के लिए आवश्यक सीमा तक निम्नलिखित क्रम में करेगा.

- (क) मार्जिन के रूप में भुगतान की जामे वाली राशि या समाशोधन-गृह द्वारा समाशोधन या निपटान के प्रयोजन से समाशोधन-गृह द्वारा रख लिया गया, चूककर्ता सदस्य का अन्य कोई भुगतान;
- (ख) निपटान-निधि में चूककर्ता सदस्य का कोई अंशदान या जमा या उसके द्वारा जुटाई गई बैंक गारंटी, चाहे वह नकदी या प्रतिभूति या बैंक गारंटी के रूप में हो, यदि यह राशि दायित्वों निपटान के लिए पर्याप्त न हो.
- (ग) चूककर्ता-सदस्य द्वारा विनिर्दिष्ट एक्सचेंज को की गई प्रतिभूति जमा की राशि, यदि कोई हो, तो उस सीमा तक, जिस सीमा तक विनिर्दिष्ट एक्सचेंज द्वारा उसका विनियोजन चूककर्ता-सदस्य के एक्सचेंज के प्रति दायित्वों के समक्ष न किया गया हो, यदि यह राशि दायित्वों के निपटान के लिए पर्याप्त न हो.
- (घ) विनिर्दिष्ट एक्सचेंज, में चूककर्ता-सदस्य की सदस्यता की नीलामी या अंतरण से वसूल हुई राशि, यदि कोई हो तो, किन्तु नीलामी से संबंधित या प्रासांगिक खर्चों की कटौती के अधीन, यदि यह राशि दायित्वों के निपटान के लिए पर्याप्त न हो;
- (ड.) जिस वर्ष में चूक हुई, उस वर्ष में विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ, यदि यह राशि दायित्वों के निपटान के लिए पूरी न हो;
- (च) उपलब्धता की सीमा तक, इस प्रयोजन के लिए सुजित प्रारक्षित राशि सहित समाशोधन-गृह की रोक ली गई आय, यदि यह राशि दायित्वों के निपटान के लिए पर्याप्त न हो;
- (छ) प्रत्येक समाशोधन-सदस्य द्वारा निपटान फंड में किए गए कुल अंशदान और जमा के अनुपात में समाशोधन-सदस्यों की सभी श्रेणियों द्वारा किए गए अंशदान और जमा की राशि;
- (ज) यदि उपर्युक्त राशि पर्याप्त न हो, तो उपर्युक्त निधियों के उपयोग के बाद समाशोधन-सदस्यों के प्रति बच गए दायित्वों का मूल्यांकन उसी अनुपात में किया जाएगा जिस अनुपात में उनका कुल अंशदान और

जमा होंगे और समाशोधन-सदस्यों की कमी की राशि की पूर्ति के लिए संबद्ध प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित समय-सीमा के भीतर निपटान निधि में अंशदान और जमा करना होगा।

#### 8.8 अतिरिक्त अंशदान या जमा लाने का दायित्व

- (1) यदि उपर्युक्त प्रावधान में किए गए उल्लेख के अनुसार किसी समाशोधन-सदस्य के वास्तविक अंशदान और जमा के समक्ष कोई आनुपातिक प्रभार किया जाता है और उसके परिणाम-स्वरूप समाशोधन-सदस्य का, निपटान निधियों में बचा हुआ अंशदान और जमा, उसके अपेक्षित अंशदान या जमा से कम हो जाता है जो उसे कम राशि की पूर्ति के लिए संबद्ध प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित समय-सीमा के भीतर अंशदान या जमा करना होगा।
- (2) यदि समाशोधन सदस्य ऐसा करने में चूक करता है तो, संबद्ध प्राधिकारी ऐसा ब्याज लगा सकता है, दंड तथा शुल्क लागू कर सकता है तथा समय-समय पर जैसा भी निश्चित किया जाय, समाशोधन सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, उक्त प्रावधानों के अनुरूप, संबद्ध प्राधिकारी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है या समाशोधन सदस्य द्वारा सदस्यता की अनैच्छिक समाप्ति की जाती है तो समाशोधन गृह के प्रति समाशोधन सदस्य की वचनबद्धताओं या कोई रेमेडी, जिसका, लागू कानून के अंतर्गत समाशोधन गृह हकदार हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

#### 8.9 अंशदान या जमा का निर्धारण

किसी समाशोधन-सदस्य के कार्यों से संबंधित समाशोधन-गृह की हानियों और देयताओं को पूरा करने के लिए, निपटान निधि में उस समाशोधन-सदस्य के अंशदान और जमा का निर्णय समाशोधन-गृह अपने विवेक के आधार पर करेगा।

#### 8.10 समाशोधन-सदस्य का सदस्य न रहना

- (1) किसी समाशोधन-सदस्य को निपटान निधि में की गई जमा का वापस पाने का अधिकार होगा;
  - (क) समाशोधन-सदस्य के, सदस्य न रह जाने के बाद, और
  - (ख) समाशोधन-सदस्य के, समाशोधन-सदस्य न रह जाने के समय ऐसे लंबित सौदों के बंद और उनका निपटान हो जाने के बाद, जिनके परिणामस्वरूप निपटान निधि पर कोई प्रभार उत्पन्न होता, और
  - (ग) समाशोधन-सदस्य के प्रति उन सभी दायित्वों के पूरा हो जाने के बाद, जिनके लिए वह, सदस्य रहते समय जिम्मेदार था, या संबद्ध प्राधिकारी के विवेकानुसार, समाशोधन-सदस्य की वास्तविक जमा में से समाशोधन-गृह द्वारा उन सभी दायित्वों की कटौती कर लिए जाने के बाद, हालांकि शर्त यह होगी कि समाशोधन-सदस्य, समाशोधन-गृह को, संबद्ध प्राधिकारी द्वारा संतोषप्रद मानी गई क्षतिपूर्ती-सुरक्षा या गारंटी प्रस्तुत कर चुका हो, या समाशोधन-सदस्य के सभी सौदों और दायित्वों को अन्य समाशोधन-सदस्य में स्थानापन्न कर दिया गया हो, और
  - (घ) संबद्ध प्राधिकारी के विवेकानुसार भविष्य में सामने आने वाली किसी दस्तावेजी त्रुटि के कारण होने वाली हानि की पूर्ति के लिए निर्धारित उपयुक्त राशि को अलग कर दिये जाने के बाद और
  - (ङ) संबद्ध प्राधिकारी के विवेकानुसार समाशोधन- गृह की धारणा में वर्तमान या भविष्यगत किसी अन्य दायित्व के समक्ष निर्धारित उपयुक्त राशि के बाद।
- (2) संबद्ध प्राधिकारी जमा की चुकौती के लिए नियम विनिर्दिष्ट करेगा, जिसमें भुगतान के तरीके, राशि और उस अवधि से संबंधित नियम शामिल होंगे, जिसके भीतर भुगतान किया जाना होगा, किन्तु किसी भी समय चुकौती की राशि, समाशोधन-सदस्य के खाते, उससे से आवश्यक प्रभारों की कटौती के बाद, उपलब्ध वास्तविक जमा से अधिक नहीं होगी।
- (3) समाशोधन-सदस्य का समाशोधन-गृह के प्रति, उसके समाशोधन-सदस्य नहीं रहने के समय बकाया दायित्व, उसकी सदस्यता के नहीं रह जाने से दुष्प्रभावित नहीं होंगे।

#### 8.11 हानि की वसूली और पुनर्वितरण

यदि अनुपालक आधार पर प्रभारित किसी हानि की वसूली, बीमा के माध्यम से या अन्यथा, समाशोधन-गृह द्वारा की जाती है, तो वसूली की निवल राशि उन व्यक्तियों के खाते, जिनके विरुद्ध हानि प्रभारित की गई थी, उस अनुपात में जमा की जाएगी, जिस अनुपात में उनके विरुद्ध राशियां प्रभारित की गई थी।

## 8.12 देयता की सीमा

समाशोधन-सदस्यों की, समाशोधन-गृह के साथ उनके मान्य अनुबंधों के परिणामस्वरूप उत्पन्न और उनसे संबंधित हानियों के प्रति समाशोधन-गृह की देयता, निपटान निधि को उपलब्ध अंशदानों तक सीमित होगी। एक्सचेंज का समाशोधन-गृह, गैर-समाशोधन-सदस्यों के दायित्वों, किसी समाशोधन-सदस्य के, समाशोधन-गृह के किसी अन्य समाशोधन-सदस्य के उन सौंदो से उत्पन्न दायित्वों, जिनमें समाशोधन-गृह पक्षकार नहीं है, तथा किसी समाशोधन-सदस्य के द्वारा किसी घटक के प्रति दायित्वों और उससे संबंधित हानियों के लिए दायी नहीं होगा।

## 9. निवेशक(ग्राहक)सुरक्षा निधि

9.1 एक्सचेंज "निवेशक(ग्राहक)सुरक्षा निधि" की स्थापना और रखरखाव करेगा तथा उसे एनसीडीईएक्स निवेशक (ग्राहक) सुरक्षा निधि ट्रस्ट में रखा जाएगा।

## 9.2 निधि का उद्देश्य

इस निधि का उद्देश्य निम्नानुसार होगा

अ एक्सचेंज के सदस्य की चूक होने से बनने वाले योग्य व वैध दावों के संबंध में, निवेशक/ग्राहक के हित की रक्षा एवं बचाव करना ,और

ब निधियों के निवेशों पर कमाया गये ब्याज में से, समय-समय पर सेबी और या एक्सचेंज द्वारा निश्चित किये अनुसार, निवेशकर्ताओं/ ग्राहकों के लिए अध्ययनात्मक, जानकारीमूलक, अनुसंधानात्मक या अन्य ऐसे कार्यक्रमों के आयोजनों द्वारा जानकारी देना।

## 9.3 निधि की रचना :

निधि में निम्न का समावेश होगा,

अ सेबी द्वारा समय पर निर्धारित/निर्देशित अंशदान :

ब समय समय पर एक्सचेंज द्वारा वसूले गए/लगाए गए और निधि में अंतरित सभी दण्ड की राशि:

क निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज, लाभांश तथा अन्य आय

ड निधि के निवेश में होने वाली वृद्धि

ई निधि में समाविष्ट अन्य किसी प्रकार की राशि अथवा संपत्ति

फ एक्सचेंज द्वारा समय समय पर निर्धारित, एक्सचेंज के सदस्य से प्राप्त कोई योगदान।

इसके अलावा आवश्यकता के अनुसार निधि में यदि कोई कमी हो तो उसे पूरा करने हेतु एक्सचेंज के निर्णयाधिकार में एक्सचेंज को समय समय पर सदस्यों से ऐसे अतिरिक्त योगदान मांगने का अधिकार होगा।

एक्सचेंज यह सुनिश्चित करेगा कि यह निधि एक्सचेंज के निधि से अच्छी तरह से अलग किए जाएंगे और यह निधि एक्सचेंज की किसी देयता से मुक्त होंगे।

## 9.4 निधि का प्रबंधन :

निधि के प्रबंधन पर ट्रस्टीज का पूरा नियंत्रण होगा ट्रस्टीज वर्ष के दौरान कम से कम तीन बार मिलेंगे और किन्ही दो बैठकों के बीच चार महिनो से ज्यादा का अंतर नही होगा। ऐसी बैठकों की गणपूर्ति किन्ही तीन ट्रस्टीज की उपस्थिति से होगी। प्रत्येक ट्रस्टी का एक मत होगा और बहुमत से निर्णय किए जाएंगे। मतों के समान विभाजन की स्थिति में अध्यक्ष का मत निर्णायक मत होगा।

## 9.5 निधि का लेखा और लेखा परीक्षण :

जबतक की एक्सचेंज का निदेशक मंडल निदेश नही देता है। निधि के लेखा एक्सचेंज के लेखाओं के भाग के रूप में लेखा परिक्षित किए जाएंगे।

## 9.6 एक्सचेंज द्वारा निधि में योगदान :

सेबी के किसी अन्य निदेशों अथवा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन, एक्सचेंज निधि में अपना योगदान निम्नानुसार देगा :

अ. वित्तीय वर्ष में एक्सचेंज के सदस्य पर लगाई गई टर्नओवर फी के 1 के समकक्ष राशि अथवा रु. 25,00,000/- (सिर्फ पच्चीस लाख रुपये) इनमें से जो भी कम हो :

ब. प्रशासन की लागत को घटाने के बाद सभी प्रकार के दण्ड की राशि जो कुल के 10 फीसदी से अधिक न हो अथवा समय समय पर सेबी के दर के अनुसार हो.

क. एक्सचेंज का निदेशक बोर्ड भी निवेशक निधि में ऐसे स्रोतों से निवेशक (ग्राहक) संरक्षण निधि को बढ़ा सकता है जो उसे ठीक लगे.

9.7 सदस्यों द्वारा निधि में योगदान :

एक्सचेंज का प्रत्येक सदस्य निधि में नियमित रूप से ऐसी राशि का योगदान देगा, जो एक्सचेंज द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाएगी.

9.8 दावों के लिए अवसीमा:

ए. ट्रस्ट के साथ परामर्श द्वारा, एक्सचेंज उचित मुआवजा सीमा निश्चित कर सकते हैं, तथापि, एक्सचेंज के किसी सदस्य की चूक के कारण होने वाले किसी निवेशकर्ता/ग्राहक के एक दावे के पेटे उपलब्ध मुआवजे की अधिकतम रकम, सेबी के निर्देशों, यदि कोई, के तहत एक्सचेंज द्वारा निर्धारित किये अनुसार होगी.

बी. देय मुआवजा, समय-समय पर एक्सचेंज या एफएमसी द्वारा तय की गई अधिकतम सीमा के तहत, निवेशकर्ता/ग्राहक को देय वास्तविक रकम से अधिक नहीं होगा, हानि को कम करने के लिए, ऐसे निवेशकर्ता/ग्राहक द्वारा सदस्य को देय किसी रकम में से, या उन्हें प्राप्त या प्राप्त होने वाले लाभों में से कोई भी रकम कम कर दी जायेगी.

सी. प्रत्येक चूककर्ता सदस्य के खिलाफ दावों के संबंध में देय मुआवजा, एक्सचेंज द्वारा निर्धारित किये अनुसार होगा, तथापि, ऐसी रकम, सेबी द्वारा निर्धारित अधिकतम रकम से ज्यादा नहीं होगी.

एक्सचेंज द्वारा जारी परिपत्रों के वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक रूप से प्रसारित की जायेगी. तथापि, जब भी उचित समझा जायेगा, एफएमसी द्वारा ग्राहक के एकल दावे या प्रत्येक चूककर्ता सदस्य के खिलाफ, उपलब्ध मुआवजे की रकम की समीक्षा की जायेगी.

डी. एक्सचेंज द्वारा, आईपीएफ ट्रस्ट के साथ परामर्श द्वारा, कम से कम प्रत्येक तीन वर्षों में, निवेश-कर्ता के एकल दावे के पेटे उपलब्ध होने वाली मुआवजे की रकम को प्रगतिशील तरीके से बढ़वाने के लिए समीक्षा की जायेगी.

9.9 निधि से क्षतिपूर्ति के लिए पात्र व्यक्ति :

निवेशक/ग्राहक के केवल वैध दावे ही निधि के जरिए क्षतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे. किसी सदस्य अथवा उसके अधिकृत व्यक्ति (इससे पहले सब-ब्रोकर के नाम से ) अथवा फ्रेन्चाइजी अथवा किसी भी नाम अथवा पदनाम से बाजार के किसी अन्य मध्यस्थ के दावे निधि से क्षतिपूर्ति पाने के लिए पात्र नहीं होंगे.

9.10 निधि के अंतर्गत पात्र दावे:

एक्सचेंज के नियमों, उप-नियमों तथा विनियमों के तहत.

ए. सेबी/संबद्ध प्राधिकारी द्वारा, समय-समय पर निम्नलिखित परिस्थितियों के लिए, निर्धारित किये गये तरीके तथा सीमा तक, एक्सचेंज पर किये गये लेनदेन से हुए निवेशकर्ता/ग्राहक के पात्र वैध दावों की भरपाई के लिए निधि का उपयोग किया जायेगा.

1. चूककर्ता घोषित किये गये सदस्य के विरुद्ध
2. एक सदस्य के विरुद्ध, जिसने आईजीआरसी के आदेश के अनुसार विवाचन संदर्भ का चयन किया हो.
3. एक सदस्य के विरुद्ध, किसी निर्णय/अवार्ड, जैसा भी मामला हो, के पेटे अपील की हो,
4. एक सदस्य के विरुद्ध, जिसने विवाचन और समाधान अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अंतर्गत आवदेन किया हो.
5. निवेशकर्ता की सुरक्षा के लिए खर्च किया गया टोवर्ड धन.
6. एक्सचेंज द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली ऐसी अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने वाले दावों के लिए.

- बी. एक्सचेंज द्वारा अधिसूचित समयावधि के दौरान, चूककर्ता सदस्य के विरुद्ध प्राप्त दावे, निधि से मुआवजा दिये जाने के लिए विचाराधीन लिये जाने के लिए पात्र होंगे.
- सी. यदि कोई पात्र दावा, निर्धारित समयावधि की समाप्ति की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के अंदर किया जाता है तो, ऐसे दावे.
1. चूककर्ता सदस्य की निधियां अपर्याप्त होने के मामले में, आईपीएफ से मुआवजे के लिए पात्र माने जायेंगे, ऐसे मामलों में, आईपीएफ ट्रस्ट, खुद को इस बात से संतुष्ट कर लेगा कि, ऐसे दावे, दावेदार के नियंत्रण के बाहर के कारणों की वजह से निर्धारित समयावधि के दौरान प्रस्तुत नहीं किये जा सकते थे.
  2. ऐसे मामलों में जहां चूककर्ता सदस्य की अधिशेष रकम उसे लौटाई गई हो, आईपीएफ से मुआवजे के लिए पात्र नहीं माने जायेंगे, जांच के पश्चात तथा स्वयं को इस बात से संतुष्ट को लेने पश्चात कि, दावेदार के नियंत्रण के बाहर के कारणों की वजह से निर्धारित समयावधि के दौरान प्रस्तुत नहीं किये जा सकते थे, एक्सचेंज द्वारा वहन किया जायेगा.

बशर्ते कि, निर्धारित समयावधि की समाप्ति की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के पश्चात प्राप्त दावा दिवाली के रूप में निपटाया जायेगा.

#### 9.11. क्षतिपूर्ति के लिए अपात्र दावे

एक्सचेंज का निदेशक बोर्ड अथवा एक्सचेंज की चूककर्ताओं की समिति अथवा ट्रस्ट के ट्रस्टी उन दावों का विचार करने के लिए बाध्य नहीं होंगे, यदि ऐसे दावे निम्न से संबंधित हों :

- अ. उन कोमोडिटीज की संविदा, जिनके व्यवहार अनुमत नहीं है अथवा जो एक्सचेंज के उप-नियम, नियमों और विनियमों/कारोबार के नियमों के अधीन न हों अथवा जिनमें दावेदार ने या तो अपने आप को भुगतान न किया हो अथवा चूककर्ता के साथ किसी कोमोडिटी में लेनदेन अथवा संविदा पर देय मार्जिन को टालने के लिए मिलीभगत की हो (इसमें समय समय पर लागू आरम्भिक, वीएआर, निविदा अवधि मार्जिन, सुपुर्दगी अवधि मार्जिन, विशेष/अतिरिक्त मार्जिन आदि शामिल हैं); अथवा
- (ब) पिछले लेनदेन में बकाया शेष रकम अथवा कोई बकाया अंतर जिसके लिए उचित समय पर तथा एक्सचेंज के उप-नियम, नियमों और विनियमों/ कारोबार के नियमों के अधीन दावा न किया गया हो तथा अथवा जो वास्तविक पूरे अथवा आंशिक रकम के भुगतान कि बदले में ऐसे दावे जब देय होते हैं उस दिन पर निपटान की व्यवस्था से देय होता हो; अथवा
- (क) प्रतिभूति के साथ अथवा बिना लिया गया ऋण अथवा
- (ड) कपट से अथवा धोखेबाजी से किये गए व्यवहार
- (एफ) किसी सदस्य के विरुद्ध प्राप्त दावे, आईपीएफ से मुआवजे के लिए पात्र नहीं माने जायेंगे,

जहां;

ए. चूककर्ता सदस्य की अधिशेष रकम उसे लौटाई गई हो, तथा

बी. दावा निर्धारित समयावधि में दर्ज न कराया गया हो

सी. निर्धारित समयावधि की समाप्ति की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के पश्चात दावा अर्ज कराया गया हो.

इस अध्याय के लिए निर्धारित अवधि से अभिप्रेत ऐसी अवधि जो दावे आमंत्रित करने के लिए, एफएमसी/सेबी/संबद्ध प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा अधिसूचित की गई हो.

#### 9.12 निर्धारित की जानेवाली प्रक्रिया:

समय-समय पर सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों / निर्देशों के तहत एक्सचेंज तथा न्यासी दल प्रक्रियाओं का विशेष उल्लेख करने इस अध्याय के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए पात्र होंगे तथा इस अध्याय के प्रावधानों के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की मुश्किलों को हटाने के लिए स्पष्टीकरणों तथा दिशानिर्देशों को जारी करने के लिए भी पात्र होंगे.

### 9.13 बकायादार समिति द्वारा दावों की छानबीन

एक्सचेंज बकायादार समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दावों की कार्यवाही करेगा, यदि ग्राहक के पक्ष में निर्णय होता है और दायित्वों के गठित होने पर और यदि बकायादार सदस्य की अस्तित्वा अनुमोदित दावे को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हो, तो बकायादार समिति अपनी सिफारिशों सहित दावों को ट्रस्ट के पास भेजेगा।

### 9.14 दावों के स्वरूप और भुगतान का निर्णय

दावों के असलियत सहित उनके स्वरूप की जांच की रिति व पद्धति के बारे में पूरा अधिकार ट्रस्टी के पास रहेगा और उसी तरह से उनके निर्णय से वे उन्हें जो योग्य तथा उचित लगे उस प्रकार से दावों को स्वीकृत, अस्वीकार, अथवा आंशिक रूप से स्वीकृत या दावे अनुमत करेंगे तथा उसका उसमें निर्दिष्ट सीमाओं के अनुसार भुगतान करेंगे ट्रस्टीज केवल ऐसे दावे ही स्वीकृत करेंगे जो बकायादार समिति ने दाखिल किये हो अथवा निवेशकों के शिकायत विभाग/ एक्सचेंज की समिति ने दाखिल किये हो और जो बकायादार सदस्य के अस्तित्वा से पूरे नहीं हो सके हो यदि ट्रस्टीज इस बात से संतुष्ट न हो कि दावा वास्तविक नहीं है तो वे निवेशक ग्राहक को तदनुसार सूचित करेंगे तथा उस दावे को कारण के साथ अस्वीकृत कर सकते हैं, ट्रस्टीज एक्सचेंज में दावेदारों से प्राप्त दावों की वैधता निश्चित करने हेतु मध्यस्थता की प्रणाली का अंगीकार कर सकते हैं ट्रस्टीज दावेदारों को दावों की स्वीकृति तथा भुगतान करने से पहले बकायादार समिति की सलाह भी ले सकते हैं।

### 9.15 ट्रस्टीज का निर्णय अंतिम होगा :

दावों के निर्णय अथवा अन्यथा के बारे में ट्रस्टीज का निर्णय अंतिम होगा और दावेदारों पर बाध्य रहेगा। दावेदार निर्णयों से बाध्य होने के बारे में एक वचनपत्र हस्ताक्षरित करेंगे।

### 9.16 याचिका :

यदि किसी दावे पर बकायादार समिति ने विचार नहीं किया अथवा ट्रस्टीज ने उसे अस्वीकृत किया, तो दावेदार एक्सचेंज के निदेशक बोर्ड को अथवा एक्सचेंज के निदेशक बोर्ड की इस संबंध में गठित उप-समिति को याचिका प्रस्तुत कर सकता है।

एक्सचेंज का निदेशक बोर्ड अथवा एक्सचेंज के निदेशक बोर्ड की ऐसी उप-समिति, ग्राहक के दावे की छानबीन के लिए जैसे आवश्यक समझो, ग्राहक से ऐसी अन्य जानकारी तथा दस्तावेज मांग सकती है और यदि ग्राहक ऐसी जानकारी तथा दस्तावेज देने में असमर्थ हो तो उसका दावा अस्वीकृत कर सकती है,

### 9.17 चूककर्ता के आस्तित्वा पर भार :

निधि की राशि में से भुगतान किये जाने पर, संबंधित चूककर्ता सदस्य समय समय पर प्रतिमाह 3 फीसदी के दर से ब्याज सहित रकम (अथवा एक्सचेंज के निदेशक बोर्ड द्वारा निर्धारित किये गए ऐसे दूसरे दर से) तुरन्त निधि को वापस लौटा देगा, निधि के लाभ हेतु ऐसी रकम के वापसी भुगतान तथा उसपर समय समय पर प्रतिमाह 2 फीसदी के दर से (अथवा एक्सचेंज के निदेशक बोर्ड द्वारा निर्धारित किये गए ऐसे दूसरे दर से) लगाए गए ब्याज के भुगतान हेतु चूककर्ता सदस्य की सभी आस्तित्वा तथा संपत्तियों पर चाहे वे कहीं भी स्थित हो और किसी भी स्वरूप की हो एक्सचेंज का पहला भार, (एक्सचेंज के इन नियमों, उप-नियमों तथा विनियमों कारोबार नियमों के अंतर्गत केवल निपटान गारंटी निधि के पक्ष में प्रभार की सहायता के अधीन), वास्तविक चूककर्ता सदस्य द्वारा उसके चूककर्ता घोषित होने के दिन से पहले उसके मूल्य के विचारार्थ निर्मित सिर्फ किसी एक और सभी भारों, बंधकों तथा प्रतिबंधों के अधीन होगा।

### 9.18 एक्सचेंज के निदेशक बोर्ड द्वारा की जानेवाली कार्यवाही:

चूककर्ता सदस्य द्वारा निधि को देय किसी रकम की वसूली के लिए, एक्सचेंज का निदेशक बोर्ड तथा/अथवा प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी चूककर्ता सदस्य, चूककर्ता सदस्य की संपत्ति तथा ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे चूककर्ता को कोई रकम देय है उसके विरुद्ध, ऐसे कदम उठाने तथा कार्यवाही करने के हकदार होंगे (जिसमें चूककर्ता सदस्य की किसी संपत्ति तथा उसके भाग की बिक्री करना शामिल है परंतु उसतक ही सीमित नहीं है) जैसा वे/वह उचित समझें।

### 9.19 दावों का विधिक कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पडना

ट्रस्टी अथवा निदेशक बोर्ड जैसा भी मामला हो, के द्वारा किसी दावे की आंशिक रूप से अस्वीकृति अथवा स्वीकृति अथवा ग्राहक दावेदार को किसी क्षतिपूर्ति के दिये जाने से ऐसे ग्राहक को चूककर्ता सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में अथवा अन्यथा देयताओं के लिए उसके निवेशक/दावे को किसी भी प्रकार की कृति के कारण से रोका नहीं जा सकता है, फिर भी यह ऐसे निवेशक ग्राहक के चूककर्ता सदस्य के विरुद्ध के निवल दावे के अधीन होगा जो कि निधि में से उसके द्वारा से प्राप्त क्षतिपूर्ति की रकम में से घटाया जाएगा।

## 9.20 निधि का निवेश:

निधि की सभी रकम का ट्रस्टीज द्वारा समय समय पर सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के निधि के निवेश के लिए विधि द्वारा अधिकृत पद्धति से निवेश किया जाएगा, निधि के सभी निवेश तथा बैंक खाते ट्रस्टीज द्वारा निधि के नाम से रखे जाएंगे।

निधि तथा निवेशों को ट्रस्टीज द्वारा इस प्रकार से संचालित किया जाएगा जो ट्रस्ट के नियमों तथा समय समय पर लागू कानून के अंतर्गत अनुमति के अनुसार हो।

## 9.22 निधि पाने के लिए अपात्र प्राप्तकर्ता द्वारा रकम की वापसी :

यदि किसी दावे की राशि का भुगतान निधि से किया गया हो और बाद में यह पाया गया हो किसी कारण से वह प्राप्तकर्ता ऐसे दावे को पाने का हकदार नहीं था तो प्राप्तकर्ता तुरन्त उस रकम को समय समय पर प्रतिमाह 2 फीसदी दर से उस अवधि के लिए लगाए गए ब्याज के साथ (अथवा एक्सचेंज) के निदेशक बोर्ड द्वारा निर्धारित किये गए ऐसे दूसरे दर से) निधि को वापस करेगा, जो अवधि प्राप्तकर्ता द्वारा जिस तारीख को रकम प्राप्त की गई उस तारीख से आरंभ होने वाले और जिस तारीख को प्राप्तकर्ता द्वारा रकम लौटाई गई उस तारीख तक समाप्त होने वाली अवधि के लिए होगा।

## 9.23 निधि के प्रशासन की लागत/व्यय:

ट्रस्टीज द्वारा निधि के निर्माण, प्रशासन तथा प्रबंधन के संबंध में किये गए निम्न सहित सभी व्यय:

- अ. ट्रस्टीज के लिए बैठक फी, वाहन भत्ता तथा अन्य व्यय आदि
- ब. ट्रस्ट के कर्मचारियों के मानदेय/वेतन
- क. लेखा परीक्षक, चार्टर्ड अकाउन्टन्ट, विधिक सलाहकार, वकील का शुल्क.
- ड. ट्रस्ट की किसी संपत्ति, आय, वसूली, निवेश, अंशदान, और सेवाओं के संबंध में यदि देय हो तो ऐसे सभी दर, कर, उपकर, मूल्यांकन, देयताएं और शुल्क,
- ई. ट्रस्ट की संपत्ति के भाग होने वाली इमारत अथवा अन्य कोई बीमायोग्य चल अथवा उचल संपत्ति के बीमे का प्रिमियम
- फ. निम्न के लिए की गई लागत और व्यय
  1. निवेशक से क्षतिपूर्ति के लिए आमंत्रित दावे
  2. दावों का निपटान, विज्ञापनों, प्रशिक्षण, कोमोडिटीज डेरिवेटिव्स मार्केट पर पुस्तको व पत्रिकाओं का प्रकाशन व वितरण

## 9.24 निधि के निवेश की हानि :

किसी भी कारण से निधि के निवेशों के मूल्य की कोई हानि अथवा कमी, जो कि एक्सचेंज के किसी सदस्य/सदस्यों अथवा ट्रस्ट की किसी उप-समिती द्वारा जानबूझकर अथवा धोखाधड़ी से न हुए हो, तो उनका वहन निधि द्वारा किया जाएगा और एक्सचेंज के सदस्य अथवा उप-समिती अथवा ट्रस्टी/ट्रस्टीज उसके कारण से कोई भी जिम्मेदारी अथवा दायित्व नहीं लेंगे, यदि एक्सचेंज के किसी सदस्य अथवा किसी उप-समिती अथवा किसी ट्रस्टी द्वारा जानबूझकर अथवा धोखाधड़ी से ऐसी कोई हानि हुई हो तो उस मामले में, ऐसी चूक अथवा धोखाधड़ी करनेवाले व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उस हानि अथवा कमी के लिए जिम्मेदार होंगे और अन्य व्यक्ति जो ऐसे जानबूझकर किये गए चूक अथवा धोखाधड़ी में शामिल नहीं होंगे व ऐसी हानि अथवा कमी के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

## 9.25 सचिवालय

निधि/ट्रस्ट के लिए एक्सचेंज सचिवालय की सुविधा उपलब्ध करा देगा।

## 9.26 क्षतिपूर्ति :

ट्रस्टीज के विरुद्ध दर्ज अथवा दाखिल किये गए सभी मुकदमों, कार्रवाईयों, कार्यान्वयन और दावों के संबंध में किए गए सभी लागतों, प्रभार तथा व्ययों का वहन निधि द्वारा किया जाएगा।

## 9.27 पत्राचार :

एक्सचेंज तथा अथवा ट्रस्टीज ऐसे किसी प्रकार के संप्रेषण को मान्यता नहीं देगा अथवा कार्रवाई नहीं करेगा जबतक की वह लिखित रूप में हो, संप्रेषण करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा पता बताता हो और संप्रेषण करने वाले व्यक्ति द्वारा मूल प्रति में हस्ताक्षर करके प्रस्तुत किया गया हो।

## 9.28 निधि का दायित्व :

निधि का दायित्व ट्रस्ट के साथ उपलब्ध निधियों से अधिक नहीं होगा और निधि की अनुपलब्धता के कारण किसी न चुकाये गए दावों के संबंध में, एक्सचेंज/ट्रस्ट/ट्रस्टी जिम्मेदार नहीं होंगे तथा निवेशक/ग्राहक चूककर्ता घोषित किये गए सदस्य के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं।

## 9.29 समापन के मामले में अनुपयोगी निधि

यदि एक्सचेंज द्वारा समापन किया जा रहा हो तो, ट्रस्ट के साथ उपयोग न की गई रखी गई निधि में शेष को सेबी को अंतरित कर दिया जायेगा, ऐसे अवसर पर, निधियों को एक अलग खाते में रखा जायेगा तथा सेबी निधियों के न्यासी (ट्रस्टी) की भूमिका निभायेगा, निधियों का उपयोग, निवेशकर्ताओं/ग्राहकों के लिए अध्ययनात्मक, जानकारी मूलक, अनुसंधानात्मक या समय-समय पर सेबी द्वारा निश्चित किये गये अन्य ऐसे कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए किया जायेगा।

## 9.30 निधिका स्वतंत्र स्वरूप :

यह निधि स्वतंत्र निधि होगा तथा ट्रस्ट/ट्रस्टीज अथवा एक्सचेंज चूककर्ता सदस्य से ऋण की वसूली करने और/अथवा इस प्रकरण में बताए अनुसार निधि में से भुगतान करने के लिए विधिक रूप जिम्मेदार नहीं होंगा।

## 9.31 समनुदेशन पर रोक :

सदस्य का योगदान निधि से देय ऋण नहीं होगा तथा कोई भी सदस्य निधि में उसके योगदान को किसी भी प्रकार से अंतरित, अथवा समनुदेशन करने के लिए हकदार नहीं होगा।

## 9.32 निधि पर किसी अन्य प्राधिकारी के निदेश पर दावा :

निधि पर किसी अन्य प्राधिकारी के निदेश पर दावा वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) के माध्यम से भेजा जा सकता है।

## 9.33 सदस्यता की समाप्ति तथा निलम्बन स अप्रभावित सदस्य का दायित्व :

सदस्यता के निलम्बन अथवा समाप्ति के कारण निधि की ओर सदस्य के किसी असमाधानकारक दायित्व का विसर्जन अथवा अन्यथा कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## 9.34 निधि का भुगतान न करने पर कार्रवाई :

एक्सचेंज का निदेशक बोर्ड, निधि की किसी राशि का भुगतान करने में असफल होनेवाले सदस्य के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई कर सकता है जो वही ठीक और उचित समझे, जिसमें निलम्बन, दण्ड लगाना, उसे चूककर्ता घोषित करना, उसके सदस्यत्व का पंजीकरण रद्द करना अथवा एक्सचेंज की उसकी सदस्यता को समाप्त करना इनका समावेश होगा।

## 9.35 किसी राशि को वापस मांगने के लिए ट्रस्ट के अधिकार :

(1) हालांकि एक्सचेंज के नियमों, उप-नियमों तथा कारोबारी नियमों में किसी उल्लेख के होते हुए, यदि ट्रस्ट को निम्न प्रकार के किसी लेनदेन होने का विश्वास हो-

(अ) कि वह धोखाधड़ी है, अथवा

(ब) सदस्य के अपराध से संबंधित एक्सचेंज के नियमों, उप-नियमों तथा कारोबारी नियमों के अंतर्गत उसे अस्वीकृत किया गया हो; अथवा

(क) वह जमा अथवा ऋण के भुगतान अथवा पुनर्भुगतान से संबंधित हो; अथवा

(ड) यदि उसे गलती से भुगतान किया गया हो तो ट्रस्ट को ऐसी राशि की वसूली करने का अधिकार होगा।

(2) ट्रस्ट किसी राशि को वापस लेने का अंतिम निर्णय लेने के पहले संबंधित व्यक्ति व्यक्तियों को कम से कम सात दिनों की सूचना देकर सुनवाई करने का अवसर प्रदान करेगा।

(3) किसी राशि को वापस लेने या न लेने का निर्णय लेने हेतु, ट्रस्ट आसपास की परिस्थितियों के रहते हुए, एक्सचेंज पर लेनदेन के सामान्य स्वरूप, अपराधी सदस्य तथा दावेदार, लेनदेन से संबंधित संविदा की मात्रा तथा मूल्य, दूसरे इसी प्रकार के व्यापार और ऐसे ही अन्य मामले जो ट्रस्ट को इससे संबंधित लगे, उनपर विचार करने का हकदार होगा।

## 9.36 विवाचन (मध्यस्थता):

बकायादार समिति/एक्सचेंज अथवा एक्सचेंज के निदेशक बोर्ड द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार किसी देय राशि के संबंध में एक तरफ बकायादार समिति /एक्सचेंज अथवा एक्सचेंज के निदेशक बोर्ड और दूसरी ओर चूककर्ता सदस्य के बीच का कोई दावा, विवाद अथवा मतभेद एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक /मुख्य कार्यपालक अधिकारी के विवाचन (मध्यस्थता) अथवा एक्सचेंज के मध्यस्थों के पैनल से किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपे जाएंगे, जिसे एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी उनकी ओर से नामित करेंगे।

## 10. बचत तथा शेष बनाए रखना (कन्टीन्यूएशन)

ए. फॉरवर्ड संविदाएं (एफसीआरए) की धारा 28 ए के अनुसार, एफसीआरए के अंतर्गत बनाए गए एक्सचेंज के (वर्तमान एक्सचेंज नियम कहे जानेवाले) उपनियम, 29 सितंबर 2015 से प्रभावी, एफसीआरए के निरसन के कारण, 29 सितंबर 2015 से एक वर्ष की अवधि के पश्चात लागू नहीं होंगे, ऐसे निरसन के बावजूद—

- 1) वर्तमान एक्सचेंज उपनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत निष्पादित, समाशोधन, निपटान, निलामियां, विवाद संकल्प या विवाचन तथा चूक सुधार सहित परंतु सीमित नहीं, सभी कार्रवाई या गतिविधियां, इन नियमों के तदनुरूपी प्रावधानों के अंतर्गत की जानी लागू रहेंगी।
- 2) निवेशकर्ताओं की सुरक्षा निधि का रखरखाव तथा निपटान निधि जैसे जोखिम प्रबंधन उपायों सहित परंतु सीमित नहीं, वर्तमान एक्सचेंज उपनियमों के अंतर्गत उपचित सभी अधिकार तथा देयताएं, इन उपनियमों के तदनुरूपी प्रावधानों के अंतर्गत उपचित होना जारी रहेंगे।
- 3) वर्तमान एक्सचेंज उपनियमों के अनुसार, डिलिंग्स में प्रवेश अनुमत या एक्सचेंज के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर पहुंचने की अनुमति प्राप्त, एक्सचेंज के सभी प्रात्र सदस्य या उनके एजेंट्स एससीआरए तथा उसके अंतर्गत बनाए उपनियमों तथा विनियमों के प्रावधानों तथा सेबी अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए उपनियमों तथा विनियमों और समय-समय पर सेबी द्वारा जारी किसी निर्देशों या परिपत्रों के तहत? इन उपनियमों के तदनुरूपी प्रावधानों के अनुसार एक्सचेंज में ऐसे अधिकारों का उपयोग करना जारी रखेंगे।
- 4) कोई किया गया निरीक्षण, ऑर्डर, दंडात्मक कार्रवाई, कार्यवाही या नोटिस जारी की गई या कोई पुष्टि या घोषणा की गई या कोई लाइसेंस? अनुमति, प्राधिकरण या छूट मंजूर की गई, संशोधित या रद्द की गई या कोई दस्तावेज या लिखत निष्पादित किया गया या वर्तमान एक्सचेंज उपनियमों के अंतर्गत कोई निर्देश दिया गया सहित, कुछ भी किया गया या कोई कार्रवाई की गई या की गई दर्शायी गई हो, वह इन उपनियमों के तदनुरूपी प्रावधानों के अनुसार, एक्सचेंज द्वारा लागू या जारी रखा जायेगा।
- 5) 28 सितंबर 2016 को वर्तमान एक्सचेंज उपनियमों के प्रावधानों के सभी उल्लंघन तथा आरंभ की गई या लंबित कोई कार्यवाही, इन उपनियमों के तदनुरूपी प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होना जारी रहेगा।

बी. सेबी द्वारा निर्देश दिए अनुसार, इन उपनियमों के किसी भी प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने के संबंध में एक्सचेंज को अधिकार दिया गया है।

दिनांक 23 सितंबर 2016

स्थान : मुंबई

श्री समीर शाह

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

-----

## NATIONAL COMMODITY &amp; DERIVATIVES EXCHANGE LIMITED

## Mumbai

Pursuant to the merger of FMC with SEBI and repeal of FCR Act, 1952, the amendments in the National Commodity & Derivatives Exchange Bye Laws, 2003 and National Commodity & Derivatives Exchange Rules, 2003 were carried out in accordance with the directives of Securities and Exchange Board of India (SEBI). The said amendments to Rules and Bye-laws were published in the Gazette of India in Part-IV, Saturday, May 21, 2016 - Friday, May 27, 2016 in accordance with Rule 18 of Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957.

The Rules and Bye-laws of the Exchange have been amended/approved by the SEBI vide its letter No SEBI/HO/CDMRD/DEA/OW/P/2016/25792/1 dated September 14, 2016 as under:

## RULES

## 1. DEFINITIONS

1. "Board" means Board of Directors of National Commodity & Derivatives Exchange Limited.
2. "Bye Laws" means the Bye Laws of the National Commodity & Derivatives Exchange Limited for the time being in force.
3. "Exchange" means National Commodity and Derivatives Exchange Limited and the premises and/ or the system for executing transactions in commodity derivatives or any other products/ securities that are permitted and/ or approved by SEBI.
4. "Clearing Bank(s)" means such bank(s) as NCDEX may appoint to act as funds settling agency, for the collection of margin money for all deals cleared through exchange and any other funds movement between clearing members and the Clearing House and between clearing members as may be directed by the Clearing House from time to time.
5. "Clearing Member" means a person having clearing and settlement rights in any recognized clearing corporation and shall include any person having clearing and settlement rights on the Exchange.  
Provided that such a clearing member of the Exchange shall be required to become a member of a recognized clearing corporation from such date as may be specified by the SEBI.
6. "Clearing House" means a division of the Exchange or any agency identified by the relevant authority or any independent entity such as Clearing Corporation set up and empowered suitably to act as a facilitator for processing of deliveries and payments between clearing members /trading members and participants for trades effected by them on the Exchange.
7. "Goods" mean the meaning assigned to it in section 2 (bb) of SCRA.
- 7A. "Commodity Derivative" shall have the meaning as assigned to it in section 2 (bc) of SCRA.
- 7B. "Contract" means a contract for or relating to the purchase or sale of securities and which is specifically approved by SEBI for trading on the Exchange.
8. "Trading Member" means a person having trading rights in NCDEX and includes a stock broker".
9. "Regulations", unless the context indicates otherwise, includes business rules, code of conduct and such other regulations prescribed by the Relevant Authority from time to time for the operations of the Exchange and these shall be subject to the provisions of the Securities Laws, Rules framed thereunder, the directives of SEBI or any other similar regulatory authority and such other directives and provisions as may be specified from time to time by the Relevant Authority.
10. "Relevant Authority" means the Board or such other authority as specified by the Board from time to time as relevant authority for a specified purpose.
- 10A. "SCRA" means Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and amendments thereto.
- 10B. "SCRR" means Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 and amendments thereto.
- 10C. "SEBI" means Securities and Exchange Board of India constituted under SEBI Act, 1992.
- 10D. "SEBI Act" means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and amendments thereto.

- 10E. "Stock Broker Regulations" means SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992 and amendments thereto.
- 10F. "SECC Regulations" means Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 and amendments thereto.
- 10G. "Securities Laws" means the SEBI Act, 1992, SCRA, 1956, Depositories Act, 1996 and any rules, regulations, circulars, guidelines, or directions issued thereunder.
- 10H. "Self-Clearing Member" means the self-clearing member as defined in Regulations 2 (1) (fa) of the Stock Broker Regulations.
- 10 I. "Stock Broker" means the Stock Broker as defined in Regulation 2 (1) (gb) of the Stock Broker Regulations.
11. Settlement Fund means a fund established and maintained in accordance with the relevant provisions of the Bye Laws.

## 2. BOARD

1. The Board may organise, maintain, control, manage, regulate and facilitate the operations of the Exchange and of commodities transactions by trading members / clearing members, subject to the provisions of the Securities Laws, and any directives issued thereunder as may be prescribed from time to time.
2. Directors of the National Commodity & Derivatives Exchange Limited shall be appointed in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company as amended from time to time. The Central Government may nominate one person as its representatives for appointment as Director and not more than three persons representing interests not directly represented through membership of the Exchange, for appointment as Directors in accordance with Section 6 (2) (b) of Forward Contracts (Regulation) Act, 1952. Any such appointment of Directors shall be considered as one being made under the provisions of these rules.
3. All appointments to the Board of Directors shall be in accordance with the procedure prescribed for appointment of Directors under The Companies Act, 1956 and by the Exchange.
4. The Board is empowered to make Bye Laws, Rules and regulations from time to time, for all or any matters relating to the conduct of business of the Exchange, the business and transactions of trading members / clearing members between trading members / clearing members inter-se as well as the business and transactions between trading members / clearing members and persons who are not trading members / clearing members, and to control, define and regulate all such transactions and dealings and to do such acts and things which are necessary for the purposes of the Exchange.
5. Without prejudice to the generality of the foregoing, the Board is empowered to make Regulations, subject to the provisions of the Securities Laws, for all or any of the following matters:
  - a) Norms, procedures, terms and conditions for admission to membership of the Exchange;
  - b) Conduct of business of the Exchange;
  - c) Conduct of trading members / clearing members with regard to the business of the Exchange;
  - d) Prescription from time to time, and administration of penalties, fines and other consequences, including suspension/expulsion of Trading / Clearing Members from the Exchange for violation of any requirements of the Rules, Bye Laws and Regulations and the codes of conduct;
  - e) Manner of operations and interfacing with clearing bank(s) and other clearing and settlement agencies;
  - f) Prescription, from time to time, of capital adequacy and other norms which shall be required to be maintained by different categories of Trading / Clearing Members;
  - g) Maintenance of records and books of accounts by Trading / Clearing Members as may be specified from time to time;
  - h) Investigation of the financial condition, business conduct and dealings of the Trading / Clearing Members;

- i) Disciplinary action/procedures against any Trading / Clearing Member;
  - j) Declaration of any trading member / clearing member as a defaulter or suspension or resignation or exclusion from trading membership / clearing membership and consequences thereof and Readmission;
  - k) Conditions, levy for admission or subscription for admission or continuance of trading membership / clearing membership;
  - l) Charges payable by trading members / clearing members for business transacted through the Exchange, as may be laid down from time to time;
  - m) Investigation of the financial condition, business conduct and dealings of the trading members / clearing members;
  - n) Appointment and dissolution of Committee or Committees for any purpose of the Exchange;
  - o) Such other matters in relation to the Exchange as may be specified under the provisions of the Articles of Association, Bye Laws or these Rules or as may be necessary or expedient for the organisation, maintenance, control, management, regulation and facilitation of the operation of the Exchange.
6. The Board is empowered to delegate, from time to time, to the Executive Committee(s) or to the Managing Director or to any person or committee of persons which may be referred to as Relevant Authority, such of the powers vested in it and upon such terms as it may think fit, to manage all or any of the affairs of the Exchange and from time to time, to revoke, withdraw, alter or vary all or any of such powers.
7. The Board may, from time to time, constitute one or more committees comprising of members of the Board or such others as the Board may in its discretion deem fit or necessary and delegate to such committees such powers as the Board may deem fit and the Board may from time to time revoke such delegation. The Committees constituted by the Board may inter alia include:
- a) Admissions Committee for admission of trading members / clearing members;
  - b) Infrastructure Committee to recommend appropriate infrastructure and implement the same;
  - c) Systems Committee to recommend setting up of systems for carrying on the functioning of the Exchange and to implement and monitor the same;
  - d) Any other matter which the Board may think fit.
8. The Board shall have the authority to issue directives from time to time to the Executive Committee or any other Committees or any other person or persons to whom any powers have been delegated by the Board. Such directives issued in exercise of this power, which may be of policy nature or may include directives to dispose off a particular matter or issue, shall be binding on the concerned Committee(s) or person(s).
9. Subject to the approval of SEBI under the provisions of the Securities Laws, the Board is empowered to vary, amend, repeal or add to Bye Laws, Rules and Regulations framed by it.
10. The Members of the Board and of such committees as may be identified by the Board shall adhere to the Code of Conduct as may be prescribed by the Board from time to time.
11. Notwithstanding anything contained in the Rules, Bye Laws, Regulation or any circular, in the event of any conflict or ambiguity on any matter, the decision of Board shall supersede and the Board shall have final say on all matters including but not limited to the matters concerning functioning, regulation, business, membership, and day to day management of Exchange. Board may delegate and instruct any authority or committee to exercise such powers and functions as it may deem fit irrespective of such powers and functions being vested in any other authority or committee or subcommittee under Rules, Bye Laws, Regulations or any directions and any such delegation of power and functions by the Board shall supersede in the event of any conflict or ambiguity.

### 3. CHIEF EXECUTIVE

- 3.1 The Managing Director of the Exchange shall be the Chief Executive of the Exchange and shall be the Relevant Authority for day-to-day management and affairs of the Exchange including but not limited to trading, clearing and settlement of trades.

- 3.2 The Managing Director/Chief Executive shall represent the Exchange officially in all public matters.
- 3.3 Without prejudice the generality of above provisions, the Managing Director shall perform such function and shall exercise such powers as may be delegated to him by the Board.
- 3.4 The Managing Director shall function in accordance with the directions of Board from time to time on matters as the Board may deem fit.
- 3.5 The Managing Director may delegate any of his powers and functions from time to time to any person, committee of persons or sub committee of persons who may be referred to as Relevant Authority for exercise of such delegated power/s and function/s.
- 3.6 The Managing Director may revoke, modify, substitute or alter at any time, any power or function delegated by him to any person, committee or sub committee.

#### 4. EXECUTIVE COMMITTEE

##### 4.1 CONSTITUTION

1. One or more Executive Committee(s) may be appointed by the Board for the purposes mentioned in 4.2 here below. The Executive Committee may also be referred to as Governing Body for the functions delegated to it by the Board.
2. Executive Committee(s) appointed by the Board may, inter alia, include:
  - a) Managing Director of the NCDEX,
  - b) Not more than one person nominated by the Central Government as its representative;
  - c) Not more than three persons representing interests not directly represented through membership of the Exchange;
  - d) Such number of persons and such other persons as may be decided by the Board from time to time;
3. The maximum strength of any Executive Committee shall be decided by the Board or any other authority or committee to whom the Board delegates this authority from time to time.
4. The person nominated under clauses b), c) and d) above shall hold office for a period of one year or for a period as mentioned by the authority nominating him, whichever is lesser.

##### 4.2 POWERS OF EXECUTIVE COMMITTEE

1. The Board may delegate from time to time to the Executive Committee such of the powers vested in it and upon such terms as it may think fit, from time to time, to revoke, withdraw, alter or vary all or any of such powers.
2. The Executive Committee shall have such responsibilities and powers as may be delegated to it by the Board from time to time which may include the following responsibilities and powers to be discharged in accordance with the provisions of the Bye Laws and Rules:
  - a) Approving commodities/goods for admission to the relevant Official List which can be traded in spot and derivative segment of the Exchange;
  - b) Devise policies for development of market for commodities and derivatives and recommend to the Board for implementation.
  - c) Any other matter delegated by the Board.
3. The Board or Executive Committee may from time to time constitute such sub-committees and sub delegate any or all its functions to such Sub Committees. The constitution, quorum and responsibilities of such sub committees will be determined by Board/Executive Committee.
4. The Executive Committee may delegate from time to time and authorize the Managing Director to carry out any of its functions, as it may deem appropriate.

5. The Executive Committee(s)/Sub committee (s) shall be bound and obliged to carry out and implement any directives issued by the Board from time to time and shall be bound to comply with all conditions of delegation and limitations on the powers of the Executive Committee(s) as may be prescribed.

#### 4.3 FILLING UP OF VACANCIES

1. Any vacancy caused by resignation, withdrawal of nomination, death or otherwise of a particular category of nominated person on the Executive committee shall be filled in by Board by nominating another person.

#### 4.4 VACATION OF OFFICE OF MEMBERS OF THE BOARD/ EXECUTIVE COMMITTEE

1. The office of any member of the Board or Executive Committee including that of the public representatives, trading members and other nominees on the Executive Committee shall ipso facto be vacated if:
  - a) He is adjudicated as insolvent;
  - b) He applied to be adjudicated insolvent;
  - c) He is convicted by any Court in India of any offence and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than 30 days;
  - d) He absents himself from three consecutive meetings of the Executive Committee or for a continuous period of three months whichever is longer without obtaining leave of absence from the Committee meeting;
  - e) In the case of a trading member / clearing member, if he ceases to be a trading member of the Exchange / member of the clearing house of the Exchange, or if he, by notice in writing addressed to the Board or Executive Committee as the case may be, resigns his office or if he is suspended or expelled or if his membership is terminated;
2. Provided however that if at any time the Board is satisfied that circumstances exist which render it necessary in public interest to do so, the Board may revoke the nomination of any such person.

#### 4.5 ELIGIBILITY OF TRADING MEMBER / CLEARING MEMBER TO BECOME EXECUTIVE COMMITTEE MEMBER

1. No trading member/clearing member shall be eligible to be nominated as a member of an Executive Committee:
  - a) Unless he satisfies the requirement, if any, prescribed in that behalf by the Rules framed under the Securities Laws ;
  - b) Unless he is a trading member / clearing member of Exchange for such period as may be decided by the Board from time to time;
  - c) If he is a partner with a trading member who is already a member of that Executive Committee;
  - d) If he has at any time been declared as defaulter or failed to meet his liabilities in ordinary course or compounded with his creditors;
  - e) If his certificate of registration as a broker has been cancelled by the competent authority or he has been expelled by the Exchange;
  - f) If his certificate of registration as a broker or his trading rights have been suspended by the Relevant Authority or the Exchange as the case may be or his membership rights have been suspended by the Exchange on account of any disciplinary action taken against him under the Rules, Regulations or Bye laws of the Exchange and two years have not elapsed from the date of expiry of such suspension of certificate of registration, trading rights or membership rights;
2. A trading member nominated for two consecutive years as a member on an Executive Committee shall not be eligible to be nominated to the Executive Committee unless a period of two years has elapsed since his last nomination.

#### 4.6 OFFICE BEARERS OF EXECUTIVE COMMITTEE

1. The Executive Committee shall from time to time have the following office-bearers namely, the Chairman and Vice Chairman.
2. The Managing Director of the Exchange shall be the Chairman of Executive Committee(s).
3. The Executive Committee members shall elect one among themselves as the Vice Chairman.
4. The Vice Chairman so elected shall hold office for a period of one year and shall be eligible for re-election.
5. In the event of any casual vacancy arising in the office of the Vice-Chairman due to death, resignation or any other cause, the Executive Committee shall nominate a successor from among the members of the Executive Committee.
6. The persons nominated/elected as above in any casual vacancy shall hold office for the same period for which the office-bearer in whose place he was appointed would have held office if it had not been vacated as aforesaid.

#### 4.7 MEETINGS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE

1. The Executive Committee may meet at such times and at such periodicity as may be required due to business exigency and may adjourn and otherwise regulate its meetings and proceedings as it thinks fit.
2. The quorum for a meeting of the Executive Committee, shall be one-third of the total strength of the Executive Committee, any fraction being rounded off as one, or five members whichever is lower; provided that where at any time the number of interested members exceeds two-thirds of the total strength, then the number of remaining members, i.e., the number of members present and not interested shall be the quorum for the meeting.
3. The Chairman of the Executive Committee may at any time convene a meeting of the Executive Committee.
4. Questions arising at any meeting of the Executive Committee shall be decided by a majority of the votes cast excepting in cases where a larger majority is required by any provision of the Rules, Bye Laws and Regulations of the Exchange. In the case of equality of votes on matters, which can be decided by a majority of votes, the Chairman presiding over the meeting shall have a second or casting vote.
5. At all meetings of the Executive Committee the Chairman shall ordinarily preside and in his absence the Vice-Chairman shall preside. If the Vice-Chairman also were not present at the meeting, the members of the Executive Committee present shall choose one from among themselves to be Chairman of such meeting.
6. Subject to the conditions stated elsewhere every member of the Executive Committee shall have only one vote whether on a show of hands or on a poll except that in the case of a poll resulting in equal votes, the Chairman who presides over the meeting shall have a casting vote.
7. No vote by proxy shall be allowed either on a show of hands or on a poll in respect of any matter.
8. No member, who has been suspended, expelled or declared defaulter shall be entitled to be present at a meeting or to take part in any proceedings or to vote thereat.

#### 4.8 CHAIRMAN AND VICE CHAIRMAN

1. The Chairman may assume and exercise all such powers and perform all such duties as may be delegated to him by the Executive Committee from time to time as provided in the Rules, Bye Laws and Regulations of the Exchange.
2. The Chairman, shall be entitled to exercise any or all of the powers exercisable by the Executive Committee whenever he be of the opinion that immediate action is necessary, subject to such action being placed before by the Executive Committee within twenty-four hours.

- 3 A meeting of the Executive Committee for the time being, at which a quorum is present shall be competent to exercise all or any of the authorities, powers and discretion for the time being vested in or exercisable by the Executive Committee generally.

#### 5. TRADING MEMBERSHIP / CLEARING MEMBERSHIP

1. The Exchange shall have following categories of Members:
  - i. Trading Members: Trading Members shall be the Members admitted as such by the Exchange who shall be entitled to trade on Exchange on behalf of their constituents or on their own account and shall also be bound to clear and settle all such trade done by them unless responsibility to clear and settle is expressly accepted by a Professional Clearing Members in the manner prescribed by the Relevant Authority.
  - ii. Professional Clearing Members: Professional Clearing Members shall be the Members admitted as such by the Exchange who shall be entitled to clear and settle the trades done by their Constituents though Trading Members in the manner as prescribed by the Relevant Authority from time to time.

The term 'Clearing Member' as used in Rules, Bye Laws and Regulations shall include Professional Clearing Members and Trading Members (while performing function of clearing) unless the context to the contrary.

2. The rights and privileges of a trading member / clearing member shall be subject to the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange.
3. All trading members / clearing members of the Exchange shall have to register themselves prior to commencing operations on the Exchange, with the competent authority.
4. The relevant authority may define and admit more than one category of Trading / Clearing Member and may specify different norms including eligibility, admission and cessation of membership for each type of Trading / Clearing Members.
5. The relevant authority may specify pre-requisites, conditions, formats and procedures for application for admission, termination, re-admission, etc. of Trading / Clearing Members and eligibility criteria for trading / clearing in all or any of the trading / clearing segments of the Exchange. The relevant authority may, at its absolute discretion, refuse permission to any applicant to be admitted as Trading / Clearing Member.
6. Such fees, security deposit, contribution and other money as are specified by the relevant authority would be payable on or before admission as Trading / Clearing Member and for continued appointment thereof.

#### 5.1 ELIGIBILITY FOR TRADING MEMBERS / CLEARING MEMBERS

1. The following persons shall be eligible to become trading members / clearing members of the Exchange:
  - a) Individuals
  - b) Sole proprietorship
  - c) Partnership firms
  - d) Cooperative Societies registered with the registrar of cooperative societies of respective states/union territories.
  - e) Bodies corporate
  - f) Companies as defined in the Companies Act, 1956 and
  - g) Such other persons or entities as may be permitted under the Securities Laws.
2. No person shall be admitted as a trading member / clearing member of the Exchange if such proposed member:
  - a) Is an individual who has not completed 21 years of age;
  - b) Is a body corporate who has committed any act which renders the entity liable to be wound up under the provisions of the law;

- c) Is a body corporate who has had a provisional liquidator or receiver or official liquidator appointed to the person;
  - d) Has been adjudged bankrupt or a receiving order in bankruptcy has been made against the person or the person has been proved to be insolvent even though he has obtained his final discharge;
  - e) Has been convicted of an offence involving a fraud or dishonesty;
  - f) Has compounded with his creditors for less than full discharge of debts;
  - g) Has been at any time expelled or declared a defaulter by any other Commodity / Stock Exchange / Clearing Corporation;
  - h) Has been previously refused admission to membership unless the period of one year has elapsed since the date of rejection;
  - i) Incurs such disqualification under the provisions of the Securities Laws as disentitles such person from seeking membership of a commodity exchange.
  - j) Exchange determines that it is not in public interest to admit him as Member of Exchange.
3. No person shall be eligible to be admitted to the trading membership / clearing membership of the Exchange unless the person satisfies:
- a) The requirements as may be prescribed in that behalf under the Securities Laws,
  - b) The requirements of passing the certification programme as may be prescribed by the Exchange as eligibility criteria, and
  - c) Such additional eligibility criteria as the Board or relevant authority may prescribe for the different classes of trading / clearing members.

## 5.2 ADMISSION

1. Any person desirous of becoming a trading member / professional clearing member shall apply to the Exchange for admission to the trading membership / professional clearing membership during the period as permitted by the Exchange and specify the relevant trading segment / clearing segment of the Exchange he is desirous of trading / clearing in. Every applicant shall be dealt with by the relevant authority who shall be entitled to admit or reject such applications at its discretion.
2. The application shall be made in such formats as may be specified by the Relevant Authority from time to time for application for admission of trading members / clearing members.
3. The application shall have to be submitted along with such fees, security deposit and other monies in such form and in such manner as may be specified by the relevant authority from time to time. For the time being the fee, security deposit and the net worth requirements for Trading Member and Professional Clearing Member shall be as under:

Trading Member (cum Clearing Member):

- a. Interest Free Cash Security Deposit: Rs. 15 lacs
- b. Collateral Security Deposit in the format as may be prescribed by relevant authority: Rs.15 lacs.
- c. Annual subscription Charges: Rs.0.50 lacs
- d. Advance Minimum Transaction Charges: Rs. 0.50 lacs
- e. Net worth requirement in the form and manner as may be stipulated by relevant authority: Rs. 50 lacs

Professional Clearing Member:

- a. Interest Free Cash Security Deposit: Rs. 25 lacs
- b. Collateral Security Deposit in the format as may be prescribed by relevant authority: Rs.25 lacs.
- c. Annual subscription Charges: Rs.1.00 lacs
- d. Advance Minimum Transaction Charges: Rs. 1.00 lacs

- e. Net worth requirement in the form and manner as may be stipulated by relevant authority: Rs. 5000 lacs

Relevant Authority may modify, waive, and increase all or any of the above requirements or the manner of calculation of any or all the requirements from time to time in respect of Trading Member and/or Professional Clearing Member.

4. The applicant shall have to furnish such documents and declarations as may be specified from time to time by the relevant authority.
5. The relevant authority shall have the right to call upon the applicant to pay such fees or deposit such additional security in cash or kind, to furnish any additional guarantee or to require the deposit of any building fund, computerisation fund, training fund or fee as the relevant authority may prescribe from time to time.
6. The relevant authority may admit the applicant to the trading membership / professional clearing membership of the Exchange provided that the person satisfies the eligibility conditions and other procedures and requirements of admission. The relevant authority may at its absolute discretion reject any application for admission without communicating the reason thereof.
7. If for any reason the application is rejected, the application fee or admission fee, as the case may be, or part thereof as may be decided by the relevant authority may at its discretion be refunded to the applicant, without any interest.
8. Relevant Authority may, at its discretion, accept application/s for further admissions to trading membership and/or professional clearing membership of Exchange as and when deemed appropriate by it and may stipulate any premium amount as precondition/s for granting such membership.
9. The relevant authority may at any time from the date of admission to the trading membership / professional clearing membership of the Exchange cancel the admission and expel a trading member / professional clearing member if he has in or at the time of his application for admission to membership or during the course of the inquiry made by the relevant authority preceding his admission:
  - a) Made any willful misrepresentation; or
  - b) Suppressed any material information required of him as to his character and antecedents; or
  - c) Has directly or indirectly given false particulars or information or made a false declaration.
10. When a person is admitted to the trading membership / professional clearing membership of the Exchange, intimation of the person's admission shall be sent to the person and to the competent authority. If the person admitted to the membership of the Exchange and after intimation of his admission is duly sent, does not become a member by complying with acts and procedures for exercising the privileges of membership as may be prescribed by the relevant authority within a specified time period from the date of despatch of the intimation of admission, the admission fee paid by him shall be forfeited by the Exchange.
11. Every trading member / professional clearing member of the Exchange shall, upon being admitted as a trading member / professional clearing member of the Exchange be issued a certificate or entitlement slip / membership as proof of having been admitted to the benefits and privileges of the trading membership / clearing membership of the Exchange. Such a certificate or entitlement slip / membership shall not be transferable or transmittable except as herein mentioned.
12. Subject to such terms and conditions as the relevant authority may prescribe from time to time and to the prior written approval of the relevant authority, transfer of the certificate / entitlement slip, membership may be effected as follows:
  - a) By making nomination under these Rules;
  - b) By an amalgamation or merger of a trading member / clearing member company;
  - c) By takeover of a trading member / clearing member company;

- d) By transfer of the trading membership / clearing membership of a trading member / clearing member firm to a new firm, in which, all the existing partners are not partners; and
  - e) By two or more trading members / trading member firms or professional clearing member / clearing member firms coming together to form a new partnership firm/company.
13. An individual/sole proprietorship Trading Member / professional clearing member or his successor(s) may make a nomination to the certificate / entitlement slip of trading membership / professional clearing membership. The nomination(s) made by a trading member / clearing member or successor(s) of a trading member / clearing member shall be subject to the following conditions, namely:
- a) The nominee(s) shall, at the time when the nomination becomes effective, be person(s) who shall be qualified to be admitted as trading member(s) of the Exchange;
  - b) The nominee(s) shall give to the relevant authority his/their unconditional and irrevocable acceptance of his/their nomination;
  - c) A trading member / clearing member shall nominate one or more of his successor(s) as per the applicable succession laws. If the trading member / clearing member has no successor(s) willing to carry on the trading membership / clearing membership, then, the trading member / clearing member may nominate person(s) other than his successor(s);
  - d) If the trading member / clearing member has not nominated any person and is rendered incompetent to carry on his business on the Exchange on account of physical disability, then the trading member may, within a period of six months, make a nomination as per the provisions of sub-clause (c) above;
  - e) If the trading member / clearing member has not nominated any person, the successor(s) of the trading member / clearing member may nominate one or more persons from among themselves within six months from the date of the death of the trading member / clearing member;
  - f) If the nomination of the trading member / clearing member is such that it cannot be given effect to by the relevant authority, at the time when the nomination would have become effective, then the successor(s) of such a trading member / clearing member may nominate any other person(s) within six months from the date on which the nomination would have become effective;
  - g) If more than one person(s) are nominated by the trading member / clearing member or the successor(s), then such nominated person(s) shall be required to form a company/partnership firm to carry on the trading membership / clearing membership;
  - h) A nomination made by a trading member / clearing member or successor(s) may be revoked with the prior written approval of the relevant authority and subject to such terms and conditions as the relevant authority may prescribe from time to time. No such revocation shall be permitted after the nomination becomes effective; and
  - i) The nomination shall become effective in the case of a nomination made by a trading member / clearing member, from the date of his death or physical disability or from the date of approval by the relevant authority, whichever is later and in the case of a nomination made by successor(s), from the date on which such nomination is made or from the date of approval by the relevant authority, whichever is later.
14. The relevant authority may permit the transfer of the certificate / entitlement slip / membership subject to payment of such transfer fee as it may be fit in the following circumstances:
- a) Death of a trading member / clearing member;
  - b) If in the opinion of the relevant authority, the trading member / clearing member is rendered incompetent to carry on his business on the Exchange on account of physical disability;
  - c) Upon amalgamation or merger of a trading member / clearing member company;
  - d) Upon take over of a trading member / clearing member company; and

- e) Upon the death of or resignation or notice of dissolution by a partner of a trading member firm / clearing member firm, and re-alignment, if any, by the partners in such firm or by the partners in such firm and the nominee(s)/successor(s) of the outgoing partner or by the partners in such firm and person(s) other than the nominee(s)/successor(s) of the outgoing partner in a new firm, within a period of six months from the date of such death or resignation or notice of dissolution.
15. For the purpose of the clauses (11) to (14), the term 'trading member / clearing member' shall to the extent applicable, include a partner of a trading member firm / clearing member firm or a shareholder of a trading member company / clearing member company. The term successor(s) shall to the extent applicable, include successor(s) of a partner of a trading member firm / clearing member firm or successor(s) of a shareholder of a trading member company / clearing member company.
16. Without prejudice to any other provision of the Rules, the trading membership / clearing membership may be suspended, for such period as the relevant authority may deem fit, in the following circumstances:
- a) Upon the individual trading member / clearing member or a partner of a trading member firm / clearing member firm, in the opinion of the relevant authority, being rendered incompetent to carry on his business on account of physical disability;
- b) Upon the mental disability of the individual trading member / clearing member or a partner of a trading member firm / clearing member firm provided the partner holds at least 51% of share in the profits and losses of and / or at least 51% of share in the capital of such firm or a shareholder of a trading member company / clearing member company provided the shareholder is a majority shareholder in such trading member company / clearing member company;
- c) Upon the death of an individual trading member / clearing member or a partner of a trading member firm / clearing member firm provided the partner holds at least 51% of share in the profits & losses of and / or at least 51% of share in the capital of such firm or a shareholder of a trading member company / clearing member company, provided the shareholder is a majority shareholder in such trading member company / clearing member company and during the six month period within which successor(s) of such individual trading member / clearing member or partner or shareholder, may nominate person(s) to take up the stake/ shares of such deceased individual trading member / clearing member or partner or shareholder;
- d) Upon the dissolution of a trading member firm / clearing member firm and during the six month period as referred to in sub clause (e) of clause (13); and
- e) Upon any deadlock in the management of a trading member firm / clearing member firm or trading member company / clearing member company, which, in the opinion of the relevant authority will affect the ability of the such trading member firm or trading member company / clearing member company to carry on its business. The trading member / clearing member shall be entitled for an opportunity for representation before the relevant authority, before being suspended under this sub-clause, but the decision of the relevant authority shall be final.

#### Explanation I

For the purposes of this sub-clause, the term " Deadlock in the Management " means a situation wherein there is a loss of confidence or disagreement among the partners of a trading member firm / clearing member firm or among the directors/shareholders of a trading member company / clearing member company, which, in the opinion of the relevant authority, will affect or is likely to affect the conduct of business by the trading member firm / clearing member firm or trading member company / clearing member company, as the case may be or an equality of vote at a meeting of the directors or shareholders of a trading member company / clearing member company.

17. Without prejudice to any other provision of the Rules, the trading membership / clearing membership may be terminated by the relevant authority if an acceptable nomination or realignment, as the case may be, does not take place to the satisfaction of the relevant authority, within the said period of six months.
18. The nominee(s), successor(s), partners of a trading member firm / clearing member firm or such other persons, as the case may be shall be entitled for an opportunity for representation before the relevant authority, before being terminated under clause (h) above, but the decision of the relevant authority shall be final.

### 5.3 CONVERSION OF LEGAL STATUS OF THE TRADING MEMBER / CLEARING MEMBER

1. Subject to such terms and conditions as the relevant authority may prescribe from time to time and to the prior written approval of the relevant authority, conversion of the legal status of a trading member / clearing member may be effected as follows:
  - a) By conversion of an individual trading member / clearing member into a partnership firm / company;
  - b) By conversion of a Trading Member firm / clearing member firm into a company.
2. The entitlement slip / membership does not confer any ownership right as a member of the Exchange and shall not be a transferable instrument without prior specific permission in writing from the Relevant Authority and subject to these Bye Laws and conditions as may be stipulated by the Relevant Authority from time to time.
3. A trading member / clearing member shall not assign, mortgage, pledge, hypothecate or charge his right of membership or any rights or privileges attached thereto and no such attempted assignment mortgage, pledge, hypothecation or charge shall be effective as against the Exchange for any purpose, nor shall any right or interest in any trading membership / clearing membership other than the personal right or interest of the trading member / clearing member therein be recognised by the Exchange. The relevant authority shall expel any trading member / clearing member of the Exchange who acts or attempts to act in violation of the provisions of this Rule.

#### CONDITIONS

- 1) Trading / Professional Clearing Members shall adhere to the Rules, Bye Laws and Regulations and shall comply with such operational parameters, rulings, notices, guidelines and instructions of the relevant authority as may be applicable.
- 2) Trading/Professional Clearing Members shall be bound by the provisions of Securities Laws as in force from time to time and all other applicable laws in force from time to time.
- 3) All contracts issued for admitted deals shall be in accordance with and subject to Rules, Bye Laws and Regulations.
- 4) Trading / Professional Clearing Members shall furnish declarations, undertakings, confirmation and such other documents and papers relating to such matters and in such forms as may be specified by the relevant authority from time to time.
- 5) Trading / Professional Clearing Members shall furnish to the Exchange, within such time as may be specified, an annual Auditors' Certificate certifying that specified requirements as may be specified by the relevant authority from time to time pertaining to their operations have been complied with.
- 6) Trading / Professional Clearing Members shall furnish such information and periodic returns pertaining to their operations as may be required by the relevant authority from time to time.
- 7) Trading / Professional Clearing Members shall furnish to the Exchange such audited and/or unaudited financial or qualitative information and statements and in such manner as may be required by the relevant authority from time to time.
- 8) Trading / Professional Clearing Members shall comply with such requirements as may be specified by the relevant authority from time to time with regard to advertisements, booklets and issue of circulars in connection with their activities as Trading / Clearing Members.
- 9) Trading / Clearing Members shall extend full cooperation and furnish such information and explanation and in such manner as may be required by the relevant authority or authorised person of the Exchange for inspection or audit or in regard to any dealings, settlement, accounting and/or other related matters.
- 10) Trading/Professional Clearing Members shall maintain the net worth requirement as may be stipulated by the relevant authority from time to time.
- 11) Trading/Professional Clearing Members shall pay such fees, security deposits and other charges as may be stipulated by the relevant authority from time to time.

#### 5.4 PARTNERSHIP

1. No trading member / clearing member shall form a partnership or admit a new partner to an existing partnership or make any change in the name of an existing partnership without intimation and prior approval of the relevant authority in such form and manner and subject to such requirements as the relevant authority may specify from time to time; these requirements may, inter alia, include deposits, declarations, guarantees and other conditions to be met by and which may be binding on partners of the firm who are not trading members / clearing members.
2. No trading member / clearing member shall, at the same time, be a partner in more than one partnership firm which is a trading member / clearing member of the Exchange.
3. No trading member / clearing member who is a partner in any partnership firm shall assign or in any way encumber his interest in such partnership firm.
4. The partnership firm shall register with the Income Tax authorities and with the Registrar of Firms and other such authorities as may be required and shall produce a proof of such registration to the Exchange.
5. The partners of the firm shall do business only on account of the firm and jointly in the name of the partnership firm. No single partner or group of partners are entitled to any rights and privileges of Trading / Clearing Membership independent from that of their partnership firm.
6. The members of the partnership firm must communicate to the Exchange in writing under the signatures of all the partners or surviving partners any change in such partnership either by dissolution or retirement or death of any partner or partners. Any notice to the Exchange intimating dissolution of a partnership shall contain a statement as to who undertakes the responsibility of settling all outstanding contracts and liabilities of the dissolved partnership firm but that shall not be deemed to absolve the other partner or partners of his or their responsibility for such outstanding contracts and liabilities.

#### 5.5 TERMINATION OF MEMBERSHIP

Any trading member / professional clearing member may cease to be a member, if one or more apply:

1. By surrender of membership;
2. By death;
3. By expulsion in accordance with the provisions contained in the Bye Laws, Rules and Regulations;
4. By being declared a defaulter in accordance with the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange;
5. By dissolution in case of partnership firm;
6. By winding up or dissolution of such company in case of a limited company.

The termination of Trading / Clearing Membership shall not in any way absolve the Trading / Clearing Member from any obligations and liabilities incurred by the Trading / Clearing Member prior to such termination.

#### 5.6 SURRENDER OF MEMBERSHIP

A trading member / clearing member who intends to surrender the trading membership / clearing membership of the Exchange shall intimate to the Exchange by a written notice to that effect which shall be displayed on the trading system or through such other mode.

Any member of the Exchange objecting to any such surrender shall communicate the grounds of his objection to the relevant authority by letter within such period as may be specified by the relevant authority from time to time.

The relevant authority may accept the surrender of a member either unconditionally or on such conditions as it may think fit or may refuse to accept such surrender and in particular may refuse to accept such surrender until it is satisfied that all outstanding transactions with such member have been settled.

### 5.7 DEATH

On the death of a trading member / clearing member, his legal representatives and authorised representatives, if any, shall communicate due intimation thereof to the relevant authority in writing immediately and all future activities of the Trading / Clearing Member shall cease immediately except so far as it pertains to past obligations prior to his death.

### 5.8 FAILURE TO PAY CHARGES

Save as otherwise provided in the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange if a member fails to pay his annual subscription, fees, charges, deposits, fines, penalties, contribution to Settlement Fund(s), other charges, or other monies which may be due by him to the Exchange or to the Clearing House within such time as the relevant authority may prescribe from time to time after notice in writing has been served upon him by the Exchange, he may be suspended by the relevant authority until he makes payment and if within a further period of time as may be specified by the relevant authority from time to time, he fails to make such payment, he may be declared a defaulter or expelled by the relevant authority.

### 5.9 CONTINUED ADMITTANCE

The relevant authority shall from time to time prescribe conditions and requirements for continued admittance to trading membership / clearing membership which may, inter alia, include maintenance of minimum networth and capital adequacy. The trading membership / clearing membership of any person who fails to meet these requirements shall be liable to be terminated.

### 5.10 READMISSION OF DEFAULTERS

A trading member's / clearing member's right of membership shall lapse and vest with the Exchange immediately he is declared a defaulter. The member who is declared a defaulter shall forfeit all his rights and privileges as a member of the Exchange, including any right to use of or any claim upon or any interest in any property or funds of the Exchange, if any.

The relevant authority may, at its absolute discretion, readmit a defaulter as a trading member / clearing member subject to the provisions, terms and conditions as may be prescribed by the relevant authority from time to time.

The relevant authority may readmit only such defaulter who in its opinion:

1. Has paid up all dues to the Exchange, other trading members / clearing members and constituents;
2. Has no insolvency proceedings against him in a Court or has not been declared insolvent by any Court;
3. Has defaulted owing to the default of principals whom he might have reasonably expected to be good for their commitments;
4. Has not been guilty of bad faith or breach of the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange;
5. Has been irreproachable in his general conduct.

## 6. TRADING MEMBERSHIP / CLEARING MEMBERSHIP

### 6.1 DISCIPLINARY JURISDICTION

The relevant authority may expel or suspend and/or fine under censure and/or warn and/or withdraw any of the membership rights of a trading member / clearing member if it be guilty of contravention, non-compliance, disobedience, disregard or evasion of any of the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange or of any resolutions, orders, notices, directions or decisions or rulings of the Exchange or the relevant authority or of any other Committee or officer of the Exchange authorised in that behalf or of any conduct, proceeding or method of business which the relevant authority in its absolute discretion deems dishonourable, disgraceful or unbecoming a trading member / clearing member or inconsistent with just and equitable principles of trade or detrimental to the interests, good name or welfare of the Exchange or prejudicial or subversive to its objects and purposes.

## 6.2 PENALTY FOR MISCONDUCT, UNBUSINESSLIKE CONDUCT AND UNPROFESSIONAL CONDUCT

In particular and without in any way limiting or prejudicing the generality of the provisions in Rule 6.1 above, a trading member / clearing member shall be liable to expulsion or suspension or withdrawal of all or any of its membership rights and/or to payment of a fine and/or to be censured, reprimanded or warned for any misconduct, unbusinesslike conduct or unprofessional conduct in the sense of the provision in that behalf contained herein.

## 6.3 MISCONDUCT

A trading member / clearing member shall be deemed guilty of misconduct for any of the following or similar acts or omissions namely:

1. Fraud: If it is convicted of a criminal offence or commits fraud or a fraudulent act which in the opinion of the relevant authority renders it unfit to be a trading member / clearing member;
2. Violation: If it has violated provisions of any statute governing the activities, business and operations of the Exchange, trading members / clearing members and commodities business in general;
3. Improper Conduct: If in the opinion of the relevant authority it is guilty of dishonourable or disgraceful or disorderly or improper conduct on the Exchange or of willfully obstructing the business of the Exchange;
4. Breach of Rules, Bye Laws and Regulations: If it shields or assists or omits to report any trading member / clearing member whom it has known to have committed a breach or evasion of any Rule, Bye-law and Regulation of the Exchange or of any resolution, order, notice or direction thereunder of the relevant authority or of any Committee or officer or the Exchange authorised in that behalf;
5. Failure to comply with Resolutions: If it contravenes or refuses or fails to comply with or abide by any resolution, order, notice, direction, decision or ruling of the relevant authority or of any Committee or officer of the Exchange or other person authorised in that behalf under the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange;
6. Failure to submit to or abide by Arbitration: If it neglects or fails or refuses to submit to arbitration or to abide by or carry out any award, decision or order of the relevant authority or the Arbitration Committee or the arbitrators made in connection with a reference under the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange;
7. Failure to testify or give information: If it neglects or fails or refuses to submit to the relevant authority or to a Committee or an officer of the Exchange authorised in that behalf, such books, correspondence, documents and papers or any part thereof as may be required to be produced or to appeal and testify before or cause any of its partners, attorneys, agents, authorised representatives or employees to appear and testify before the relevant authority or such Committee or officer of the Exchange or other person authorised in that behalf;
8. Failure to submit Special Returns: If it neglects or fails or refuses to submit to the relevant authority within the time notified in that behalf special returns in such form as the relevant authority may from time to time prescribe together with such other information as the relevant authority may require whenever circumstances arise which in the opinion of the relevant authority make it desirable that such special returns or information should be furnished by any or all the trading members / clearing members;
9. Failure to submit Audited Accounts: If it neglects or fails or refuses to submit its audited accounts to the Exchange within such time as may be prescribed by the relevant authority from time to time.
10. Failure to compare or submit accounts with Defaulter: If it neglects or fails to compare its accounts with the Defaulters' Committee or to submit to it a statement of its accounts with a defaulter or a certificate that it has no such account or if it makes a false or misleading statement therein;
11. False or misleading Returns: If it neglects or fails or refuses to submit or makes any false or misleading statement in its clearing forms or returns required to be submitted to the Exchange under the Bye Laws, Rules and Regulations;

12. Vexatious complaints: If it or its agent brings before the relevant authority or a Committee or an officer of the Exchange or other person authorised in that behalf a charge, complaint or suit which in the opinion of the relevant authority is frivolous, vexatious or malicious;
13. Failure to pay dues and fees: If it fails to pay its subscription, fees, arbitration charges or any other money which may be due by it or any fine or penalty imposed on it.

#### 6.4 UNBUSINESSLIKE CONDUCT

A trading member / clearing member shall be deemed guilty of unbusinesslike conduct for any of the following or similar acts or omissions namely:

1. Fictitious Names: If it transacts its own business or the business of its constituent in fictitious names or if he carries on business in more than one trading segment / clearing segment of the Exchange under fictitious names;
2. Fictitious Dealings: If it makes a fictitious transaction or gives an order for the purchase or sale of goods/commodities the execution of which would involve no change of ownership or executes such an order with knowledge of its character;
3. Circulation of rumours: If it, in any manner, circulates or causes to be circulated, any rumours;
4. Prejudicial Business: If it makes or assists in making or with such knowledge is a party to or assists in carrying out any plan or scheme for the making of any purchases or sales or offers of purchase or sale of commodities for the purpose of upsetting the equilibrium of the market or bringing about a condition in which prices will not fairly reflect market values;
5. Market Manipulation and Rigging: If it, directly or indirectly, alone or with other persons, effects transactions in any commodity to create actual or apparent active trading in such commodity or raising or depressing the prices of such commodity for the purpose of inducing purchase or sale of such commodity/goods by others;
6. Unwarrantable Business: If it engages in reckless or unwarrantable or unbusinesslike dealings in the market or effects purchases or sales for its constituent's account or for any account in which it is directly or indirectly interested which purchases or sales are excessive in view of its constituent's or his own means and financial resources or in view of the market for such commodity/goods;
7. Compromise: If it connives at a private failure of a trading member / clearing member or accepts less than a full and bona fide money payment in settlement of a debt due by a trading member arising out of a transaction in goods/commodities;
8. Dishonoured Cheque: If it issues to any other trading member / clearing member or to its constituents a cheque which is dishonoured on presentation for whatever reasons;
9. Failure to carry out transactions with Constituents: If it fails in the opinion of the relevant authority to carry out its committed transactions with its constituents;

#### 6.5 UNPROFESSIONAL CONDUCT

A trading member / clearing member shall be deemed guilty of unprofessional conduct for any of the following or similar acts or omissions namely:

1. Business in commodities in which dealings not permitted: If it enters into dealings in goods/commodities in which dealings are not permitted;
2. Business for Defaulting Constituent: If it deals or transacts business directly or indirectly or executes an order for a constituent who has within its knowledge failed to carry out engagements relating to commodities and is in default to another trading member / clearing member unless such constituent shall have made a satisfactory arrangement with the trading member / clearing member who is its creditor;

3. Business for Insolvent: If without first obtaining the consent of the relevant authority it directly or indirectly is interested in or associated in business with or transacts any business with or for any individual who has been bankrupt or insolvent even though such individual shall have obtained his final discharge from an Insolvency Court;
4. Business without permission when under suspension: If without the permission of the relevant authority it does business on its own account or on account of a principal with or through a trading member / clearing member during the period it is required by the relevant authority to suspend business on the Exchange;
5. Business for or with suspended, expelled and defaulter trading members / clearing members: If without the special permission of the relevant authority it shares brokerage with or carries on business or makes any deal for or with any trading member / clearing member who has been suspended, expelled or declared a defaulter;
6. Business for Employees of other trading members / clearing members: If it transacts business directly or indirectly for or with or executes an order for a authorised representative or employee of another trading member / clearing member without the written consent of such employing trading member / clearing member;
7. Business for Exchange Employees: If it makes a speculative transaction in which an employee of the Exchange is directly or indirectly interested;
8. Advertisement: If it advertises contrary to guidelines if any, issued by the Relevant Authority for advertisement by the Trading/Clearing Members.
9. Evasion of Margin Requirements: If it will fully evades or attempts to evade or assists in evading the margin requirements prescribed by relevant authority and/or in Bye Laws and Regulations;
10. Brokerage Charge: If it deviates from or evades or attempts to evade the Bye Laws and Regulations relating to charging and sharing of brokerage.

#### 6.6 TRADING MEMBER'S / CLEARING MEMBER'S RESPONSIBILITY FOR PARTNERS, AGENTS AND EMPLOYEES

A trading member / clearing member shall be fully responsible for the acts and omissions of its authorised officials, attorneys, agents, authorised representatives and employees and if any such act or omission be held by the relevant authority to be one which if committed or omitted by the trading member / clearing member would subject it to any of the penalties as provided in the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange then such trading member / clearing member shall be liable therefore to the same penalty to the same extent as if such act or omission had been done or omitted by itself.

#### 6.7 SUSPENSION ON FAILURE TO PROVIDE MARGIN DEPOSIT AND/OR CAPITAL ADEQUACY REQUIREMENTS AND / OR DEPOSIT OR CONTRIBUTION TO SETTLEMENT FUND

The relevant authority shall require a trading member / clearing member to suspend its business when it fails to provide the margin deposits, deposits and contribution to Settlement Fund and/or meet capital adequacy norms as provided in these Bye Laws, Rules and Regulations and the suspension of business shall continue until it furnishes the necessary margin deposits, deposits and contribution to Settlement Fund or meet capital adequacy requirements. The relevant authority may expel a trading member / clearing member acting in contravention of this provision.

#### 6.8 SUSPENSION OF BUSINESS

The relevant authority may require a trading member / clearing member to suspend its business in part or in whole:

1. Prejudicial Business: When in the opinion of the relevant authority, the trading member / clearing member conducts business in a manner prejudicial to the Exchange by making purchases or sales of goods/commodities or offers to purchase or sell goods/commodities for the purpose of upsetting equilibrium of the market or bringing about a condition of demoralisation in which prices will not fairly reflect market values, or]

2. Unwarrantable Business: When in the opinion of the relevant authority it engages in unwarrantable business or effects purchases or sales for its constituent's account or for any account in which it is directly or indirectly interested which purchases or sales are excessive in view of its constituent's or its own means and financial resources or in view of the market for such commodity, or
3. Unsatisfactory Financial Condition: When in the opinion of the relevant authority it is in such financial condition that it cannot be permitted to do business with safety to its creditors or the Exchange.

#### 6.9 REMOVAL OF SUSPENSION

The suspension of business under clause 6.8 above shall continue until the trading member / clearing member has been allowed by the relevant authority to resume business on its paying such deposit or on its doing such act or providing such thing as the relevant authority may require.

#### 6.10 PENALTY FOR CONTRAVENTION

A trading member / clearing member who is required to suspend its business shall be expelled by the relevant authority if he acts in contravention of this provision.

#### 6.11 TRADING MEMBERS / CLEARING MEMBERS AND OTHERS TO TESTIFY AND GIVE INFORMATION

A trading member / clearing member shall appear and testify before and cause its partners, attorneys, agents, authorised representatives and employees to appear and testify before the relevant authority or before other Committee(s) or an officer of the Exchange authorised in that behalf and shall produce before the relevant authority or before other Committee(s) or an officer of the Exchange authorised in that behalf, such books, correspondence, documents, papers and records or any part thereof which may be in its possession and which may be deemed relevant or material to any matter under inquiry or investigation.

#### 6.12 PERMISSION NECESSARY FOR LEGAL REPRESENTATION

No person shall have the right to be represented by professional counsel, attorney, advocate or other representative in any investigation or hearing before the relevant authority or any other Committee unless the relevant authority or other Committee so permits.

#### 6.13 EXPLANATION BEFORE SUSPENSION OR EXPULSION

A trading member / clearing member shall be entitled to be summoned before the relevant authority and afforded an opportunity for explanation before being suspended or expelled but in all cases the findings of the relevant authority shall be final and conclusive.

#### 6.14 TEMPORARY SUSPENSION

1. Notwithstanding what is contained in clause 6.13 herein above if in the opinion of the Managing Director it is necessary to do so, he may, for reasons to be recorded in writing, temporarily suspend a trading member / clearing member, pending completion of the proceedings for suspension under this chapter by the relevant authority, and no notice of hearing shall be required for such temporary suspension and such temporary suspension shall have the same consequences of suspension under this chapter.
2. A notice to show cause shall be issued to the trading member / clearing member within five working days of such temporary suspension.
3. Any such temporary suspension may be revoked at the discretion of the Managing Director, for reasons to be recorded in writing, if the Managing Director is satisfied that the circumstances leading to the formations of opinion of the Managing Director to effect temporary suspension, have ceased to exist or are satisfactorily resolved.
4. A trading member / clearing member aggrieved by the temporary suspension may appeal to the relevant authority, provided that such appeal shall not automatically suspend the temporary suspension unless otherwise directed by the relevant authority.

#### 6.15 IMPOSITION OF PENALTIES

The penalty of suspension, withdrawal of all or any of the membership rights, fine, censure or warning may be inflicted singly or conjointly by the relevant authority. The penalty of expulsion may be inflicted by the relevant authority.

#### 6.16 PRE- DETERMINATION OF PENALTIES

The relevant authority shall have the power to pre-determine the penalties, the period of any suspension, the withdrawal of particular membership rights and the amount of any fine that would be imposed on contravention, non-compliance, disobedience, disregard or evasion of any Bye Law, Rules or Regulation of the Exchange or of any resolution, order, notice, direction, decision or ruling thereunder of the Exchange, the relevant authority or of any other Committee or officer of the Exchange authorised in that behalf.

#### 6.17 COMMUTATION

Subject to the provision of the Securities Laws, the relevant authority in its discretion may in any case suspend a trading member / clearing member in lieu of the penalty of expulsion or may withdraw all or any of the membership rights or impose a fine in lieu of the penalty of suspension or expulsion and may direct that the guilty trading member / clearing member be censured or warned or may reduce or remit any such penalty on such terms and conditions as it deems fair and equitable.

#### 6.18 RECONSIDERATION/REVIEW

Subject to the provisions of the Securities Laws, the relevant authority may of its own motion or on appeal by the trading member / clearing member concerned reconsider and may rescind, revoke or modify its resolution withdrawing all or any of the membership rights or fining, censuring or warning any trading member / clearing member. In a like manner the relevant authority may rescind revoke or modify its resolution expelling or suspending any trading member / clearing member.

#### 6.19 FAILURE TO PAY FINES AND PENALTIES

If a trading member / clearing member fails to pay any fine or penalty imposed on it within such period as prescribed from time to time by the relevant authority after notice in writing has been served on it by the Exchange it may be suspended by the relevant authority until it makes payment and if within a further period as prescribed from time to time it fails to make such payment it may be expelled by the relevant authority.

#### 6.20 CONSEQUENCE OF SUSPENSION

The suspension of a trading member / clearing member shall have the following consequences namely:

- (1) Suspension of Membership Rights: The suspended trading member / clearing member shall during the terms of its suspension be deprived of and excluded from all the rights and privileges of membership including the right to attend or vote at any meeting of the general body of trading members / clearing members of the relevant segment, but it may be proceeded against by the relevant authority for any offence committed by it either before or after its suspension and the relevant authority shall not be debarred from taking cognizance of and adjudicating on or dealing with any claim made against it by other trading members / clearing members;
- (2) Rights of creditors unimpaired: The suspension shall not affect the rights of the trading members / clearing members who are creditors of the suspended trading member / clearing member;
- (3) Fulfillment of Contracts: The suspended trading member / clearing member shall be bound to fulfill contracts outstanding at the time of its suspension;
- (4) Further business prohibited: The suspended trading member / clearing member shall not during the terms of its suspension make any trade or transact any business with or through a trading member / clearing member provided that it may with the permission of the relevant authority close with or through a trading member / clearing member the transactions outstanding at the time of its suspension;
- (5) Trading members / clearing members not to deal: No trading member / clearing member shall transact business for or with or share brokerage with a suspended trading member / clearing member during the terms of its suspension except with the previous permission of the relevant authority.

#### 6.21 CONSEQUENCES OF EXPULSION

The expulsion of a trading member / clearing member shall have the following consequences namely:

1. Trading membership / clearing membership rights forfeited: The expelled trading member / clearing member shall forfeit to the Exchange its right of trading membership / clearing membership and all rights and privileges as a trading member / clearing member of the Exchange including any right to the use of or any claim upon or any interest in any property or funds of the Exchange but any liability of any such trading member / clearing member to the Exchange or to any trading member / clearing member of the Exchange shall continue and remain unaffected by its expulsion;
2. Office vacated: The expulsion shall create a vacancy in any office or position held by the expelled trading member / clearing member;
3. Rights of Creditors unimpaired: The expulsion shall not affect the rights of the trading members / clearing members who are creditors of the expelled trading member / clearing member;
4. Fulfillment of Contracts and Obligations: The expelled trading member / clearing member shall be bound to fulfill transactions and obligations outstanding at the time of his expulsion and it may with the permission of the relevant authority close such outstanding transactions with or through a trading member / clearing member;
5. Trading / Clearing members not to deal: No trading member / clearing member shall transact business for or with or share brokerage with the expelled trading member / clearing member except with the previous permission of the relevant authority.
6. Consequences of declaration of defaulter to follow: The provisions of Chapter XII of the Bye Laws pertaining to default, shall become applicable to the Trading / Clearing Member expelled from the Exchange as if such Trading / Clearing Member has been declared a defaulter.

#### 6.22 EXPULSION RULES TO APPLY

When a trading member / clearing member ceases to be such under the provisions of these Bye Laws otherwise than by death, default or resignation it shall be as if such trading member / clearing member has been expelled by the relevant authority and in that event all the provisions relating to expulsion contained in these Rules shall apply to such trading member / clearing member in all respects.

#### 6.23 SUSPENSION OF BUSINESS

1. The relevant authority shall require a trading member / clearing member to suspend its business when it fails to maintain or provide further security as prescribed in the Bye Laws and Regulations and the suspension shall continue until it pays the necessary amount by way of security.
2. Penalty for Contravention: A trading member / clearing member who is required to suspend its business under clause 6.23 (1) shall be expelled by the relevant authority if it acts in contravention of the provisions of the Bye Laws.

#### 6.24 NOTICE OF PENALTY AND SUSPENSION OF BUSINESS

Notice shall be given to the trading member / clearing member concerned and to the trading members / clearing members in general by a notice on the trading system or such other method as the Exchange may decide of the expulsion or suspension or default of or of the suspension of business by a trading member / clearing member or of any other penalty imposed on it or on its partners, attorneys, agents, authorised representatives or other employees. The relevant authority may in its absolute discretion and in such manner as it thinks fit notify or cause to be notified to the trading members / clearing members of the Exchange or to the public that any person who is named in such notification has been expelled, suspended, penalised or declared a defaulter or has suspended its business or ceased to be a trading member / clearing member. No action or other proceedings shall in any circumstances be maintainable by such person against the Exchange or the relevant authority or any officer or employee of the Exchange for the publication or circulation of such notification and the application for trading membership / clearing membership or the application for registration as the constituted attorney or authorised representative or by the person concerned shall operate as license and the Bye Laws, Rules and Regulations shall operate as leave to print, publish or circulate such advertisement or notification and be pleadable accordingly.

Notwithstanding anything contained in these provisions, if in the opinion of the relevant authority it is necessary to do so, he may, for reasons to be recorded in writing, temporarily suspend forthwith the Trading / Clearing Member, pending completion of appropriate proceedings for suspension under this chapter by the relevant authority, and no notice of hearing shall be required for such temporary suspension and such temporary suspension shall have the same consequences of suspension under this chapter, provided that appropriate proceedings provided in this chapter shall be commenced by issue of a notice to show cause to the Trading / Clearing Member within 10 days of such temporary suspension. Any such temporary suspension may be revoked at the discretion of the relevant authority, for reasons to be recorded in writing, if the relevant authority is satisfied that the circumstances leading to the formation of opinion of the relevant authority to suspend, has ceased to exist or are satisfactorily resolved.

## 7. SAVINGS AND CONTINUATION

A. In pursuance of section 28A of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (FCRA) the Rules of the Exchange made under the FCRA (referred to as 'the existing Exchange Rules'), shall not be applicable after a period of one year from September 29, 2015 due to repeal of FCRA with effect from September 29, 2015. Notwithstanding such repeal, -

- (i) All actions or activities pursuant to trades executed under the provisions of the existing Exchange Rules, including but not limited to clearing, settlement, auctions, dispute resolution or arbitration and default redressal shall be undertaken and enforced under the corresponding provisions of these Rules.
- (ii) All rights and liabilities accruing under the existing Exchange Rules including but not limited to risk management measures such as maintenance of Investor Protection Fund and Settlement Fund shall continue to accrue under the corresponding provisions of these Rules.
- (iii) All eligible members of the Exchange or their agents granted admission to dealings or granted permission to access the trading platform of the Exchange in terms of the existing Exchange Rules, shall continue to exercise such rights in the Exchange in terms of the corresponding provisions of these Rules, subject to provisions of SCRA and the Rules and Regulations made thereunder and the SEBI act and the Rules and Regulations made thereunder and any directives or Circulars etc. issued by SEBI from time to time.
- (iv) Anything done or any action taken or purported to have been done or taken including any inspection, order, penalty, proceeding or notice, made, initiated or issued or any confirmation or declaration made or any license, permission, authorization or exemption granted, modified or revoked or any document or instrument executed, or any direction given under the existing Exchange Rules, shall be continued or enforced by the Exchange, in terms of the corresponding provisions of these Rules.
- (v) All violations of provisions of the existing Exchange Rules and any proceedings initiated or pending as on September 28, 2016, shall continue to be governed by the corresponding provisions of these Rules.

B. The Exchange, as directed by SEBI shall be empowered to issue clarifications with regard to any of the provisions of these Rules.

## BYE-LAWS

### PART A

#### 1. DEFINITIONS

1. "Approved Laboratory" means a laboratory approved as such by the relevant authority for certifying the commodities as per specification prescribed in the Bye Laws, Rules and Regulations.
2. "Board" means Board of Directors of National Commodity & Derivatives Exchange Limited.
3. "Certified/Approved Warehouse" means a go-down or warehouse approved by the Exchange or any agency authorised by it and designated as such for making deliveries to and taking delivery of commodities.
4. "Clearing and Settlement" means clearing or settlement or clearing and settlement of deals in respect of contracts or commodities in such manner and subject to such conditions as may be specified by the Relevant Authority from time to time, unless the context indicates otherwise.
5. "Clearing Bank(s)" is such bank(s) as NCDEX may appoint to act as a funds settling agency, for the collection of margin money for all deals cleared through exchange and any other funds movement between clearing

members and the Clearing House and between clearing members as may be directed by the Clearing House from time to time.

6. "Clearing House" means a division of the Exchange or any agency identified by the relevant authority or any independent entity such as Clearing Corporation set up and empowered suitably to act as a facilitator for processing of deliveries and payments between clearing members /trading members and participants for trades effected by them on the exchange.
7. "Clearing Member" means a person having clearing and settlement rights in any recognized clearing corporation and shall include any person having clearing and settlement rights on the Exchange.  
Provided that such a clearing member of the Exchange shall be required to become a member of a recognized clearing corporation from such date as may be specified by the SEBI.
8. "Client/Constituent" means a person, on whose instructions and on whose account the Trading Member enters into a deal on the Exchange or Clearing Member clears and settles deals. For this purpose the term "Client" shall include all registered constituents of Trading Members and Clearing Members of NCDEX.
9. "Closing Buy Transaction" means a buy transaction, which will have the effect of partly or fully offsetting a short position.
10. "Closing Sell Transaction" means a sell transaction, which will have the effect of partly or fully offsetting long position.
11. "Collateral" means money, fixed deposit receipt, bank guarantee, securities or any other transactions as specified by the exchange, offered as security deposit, margin deposit or as such security for any other transaction as required by the exchange.
12. "Goods" mean the meaning assigned to it in section 2 (bb) of SCRA.
- 12A. "Commodity Derivative" shall have the meaning as assigned to it in section 2 (bc) of SCRA.
13. "Contract" means a contract for or relating to the purchase or sale of securities and which is specifically approved by SEBI for trading on the Exchange.
14. "Deal" means, unless the context indicates otherwise, a trade, contract, transaction or a deal which is admitted for trading and cleared and settled, through the Clearing House of the exchange or as prescribed by the exchange.
15. "Delivering Member" means a clearing member who has to or has delivered commodities or documents of title or other relevant documents for commodities in fulfilment of contract to which these Bye Laws, Rules and Regulations apply unless the context indicates otherwise.
16. "Delivery month" means the month in which a contract is required to be finally settled as prescribed by the relevant authority from time to time.
17. "Delivery Period" means the period during which the delivering member notifies his intent to deliver and or deliver commodities for physical settlement as per the procedures prescribed by the exchange.
18. "Exchange" means National Commodity and Derivatives Exchange Limited and the premises and/ or the system for executing transactions in commodity derivatives or any other products/ securities that are permitted and/ or approved by SEBI.
19. "Expiration Day" is the day on which the final settlement obligation is determined in the contract or deal.
20. \*\*\*Deleted\*\*\*
21. "Futures Contract" means a legally binding agreement to buy or sell the underlying asset in the future.
22. "Godown/Warehouse" means any structure/facility meant for storing and preserving the commodities approved in this behalf by the relevant authority from time to time.
23. "Last Trading Day" means the day upto and on which a deal or contract is available for trading.
24. "Long Position" in a contract means outstanding purchase obligations in respect of a permitted contract or commodity at any point of time.

25. "Market-Maker" means a trading member registered under the Bye Laws of NCDEX.
26. "Open Position" means the sum of the long and short positions of the member and his constituent in any or all of the contracts or commodities outstanding with the Clearing House.
27. "NCDEX" means the National Commodity & Derivatives Exchange Limited.
28. "Official List" means the list including the contracts or commodities admitted or permitted for trading on the exchange.
29. "Opening Buy Transaction" means a buy transaction which will have the effect of creating or increasing a long position.
30. "Opening Sell Transaction" means a sell transaction, which will have the effect of creating or increasing a short position.
31. "Open Interest" means the total number of contracts or deals of an underlying commodity that have not been offset and closed by an opposite transaction nor fulfilled by delivery of the cash or underlying commodity.
32. "Regulations", unless the context indicates otherwise, includes business rules, code of conduct and such other regulations prescribed by the relevant authority from time to time for the operations of the Exchange and these shall be subject to the provisions of the Securities Laws, and directives of SEBI and such other directives and provisions of relevant authority as may be specified from time to time.
33. "Relevant Authority" means the Board or such other authority as specified by the Board from time to time as relevant for a specified purpose.
34. "Rules", unless the context indicates otherwise, means rules as intimated for regulating the activities and responsibilities of trading members and clearing members of NCDEX and as prescribed by the relevant authority from time to time for the constitutions, organisation and functioning of the Exchange and these rules shall be subject to the provisions of the Securities Laws, Rules and directives of SEBI and relevant authority.
- 34A. "SCRA" means Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and amendments thereto.
- 34B. "SCRR" means Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 and amendments thereto.
- 34C. "SEBI" means Securities and Exchange Board of India constituted under SEBI Act, 1992.
- 34D. "SEBI Act" means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and amendments thereto.
- 34E. "Stock Broker Regulations" means SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992 and amendments thereto.
- 34F. "SECC Regulations" means Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 and amendments thereto.
- 34G. "Securities Laws" means the SEBI Act, 1992, SCRA, 1956, Depositories Act, 1996 and any rules, regulations, circulars, guidelines, or directions issued thereunder."
35. "Settlement Date" means the date on which the settlement of outstanding obligations in permitted contracts and deals are required to be settled as provided in the Bye laws, Rules and Regulations.
36. "Short Position" in a contract or deal means outstanding sell obligation in respect of permitted contracts or commodities at any point of time.
37. "Settlement Fund" means a fund established and maintained in accordance with the relevant provisions of the Bye Laws.
- 37A. "Self-Clearing Member" means the self-clearing member as defined in Regulations 2 (1) (fa) of the Stock Broker Regulations.
- 37B. "Stock Broker" means the Stock Broker as defined in Regulation 2 (1) (gb) of the Stock Broker Regulations.
38. "Trading Cycle" means the period as notified by the exchange from time to time, during which the contracts and deals will be available for trading.
39. "Trading Member" means a person having trading rights in NCDEX and includes a stock broker".

40. "Trading Segments" or "Segments" mean the different segments or divisions of NCDEX as may be classified and specified by the Board or relevant authority from time to time.
41. "Trading system of the NCDEX" means a system which carries out trade matching and allied functions and makes available to trading members and the investing public, by whatever method, quotations in NCDEX contracts or commodities and disseminates information regarding trades effected, volumes or any other relevant matter, etc. and such other notifications as may be placed thereon by the relevant authority.
42. "Receiving Member" means a clearing member who has to receive or has received documents of title or other relevant documents in fulfilment of contracts to which these Rules, Bye Laws and Regulations apply unless the context indicates otherwise.
43. "Warehouse Receipts" means a document issued by a certified warehouse in the manner and form stipulated by the Exchange or relevant authority from time to time shall be deemed to be proof as to the availability of the deliverable commodities for apportionment as per the delivery orders released by the Clearing House of the Exchange and shall include warehouse receipts in electronic form as may be prescribed by Relevant Authority.

## 2. TRADING SEGMENTS

1. There may be more than one trading segment as may be specified by the relevant authority from time to time.
2. The relevant authority will specify contracts and/or commodities, which will be eligible for admission to the different trading segment from time to time.

## 3. REGULATIONS

1. The Board or relevant authority may prescribe Regulations from time to time for the functioning and operations of the Exchange and the Clearing House and to regulate the functioning and operations of the trading and/or clearing members of the Exchange.
2. Without prejudice to the generality of Bye law (1) above, the Board or relevant authority may prescribe regulations from time to time, inter alia, with respect to:
  - a. Norms, procedures, terms and conditions to be complied with for inclusion of a contract or commodity in the Official List of Exchange;
  - b. Norms and procedures for admission of trading and/or clearing members;
  - c. Norms and procedures for approval of market-makers;
  - d. Forms and conditions of contracts to be entered into, and the time, mode and manner for performance of contracts between trading members inter se or between trading members and their constituents and between clearing members inter se or between clearing members and their constituents or between clearing members and trading members and fee chargeable by clearing members;
  - e. Norms, procedures, terms and conditions to be complied with for admission of deals for clearing and settlement by the Clearing House of the Exchange;
  - f. Norms, procedures, terms and conditions for clearing and settlement of deals for different clearing segments and different contracts / commodities;
  - g. Norms, procedures, terms and conditions for guaranteed settlement by the Exchange;
  - h. Determination from time to time, of fees, system usage charges, deposits, margins and other monies payable to the Exchange by trading members, clearing members, participants or any other intermediaries;
  - i. Prescription, from time to time, of the scale of brokerage chargeable by trading members and fee chargeable by clearing members;
  - j. Prescription, from time to time, of capital adequacy and other norms which shall be required to be maintained by trading and/or clearing members;
  - k. Supervision of the market and promulgation of such Business Rules and Codes of Conduct as it may deem fit;

- l. Maintenance of records and books of accounts by trading members and/or clearing members and all the other intermediaries as it may deem fit and records as required by the Exchange;
- m. Inspection and audit of records and books of accounts;
- n. Prescription, from time to time, and administration of penalties, fines and other consequences, including suspension/expulsion for defaults or violation of any requirements of the Bye Laws and Regulations and the Rules and Codes of Conduct and criteria for readmission, if any promulgated hereunder;
- o. Disciplinary action/procedures including withdrawal of trading facilities, suspension, declaration as defaulter, expulsion etc. against any trading and/or clearing member and other intermediaries;
- p. Settlement of disputes, complaints, claims arising between trading members inter se, clearing members inter se, as well as between trading members and clearing members and persons who are not trading members or clearing members relating to any transaction in contracts or commodities made on the Exchange including settlement by arbitration;
- q. Norms and procedures for arbitration;
- r. Administration, maintenance and investment of the corpus of the Fund(s) set up by the Exchange including Settlement Fund(s);
- s. Norms and procedures for settlement and clearing of deals, including establishment and functioning of Clearing House or other arrangements for clearing and settlement including administration, maintenance and investment of the corpus of the Fund(s) set up by the Exchange including Settlement Guarantee Fund;
- t. Norms and procedures in respect of, incidental or consequential to closing out of contracts, deals or transactions;
- u. Norms and procedures for approval, certification and inspection of warehouses, allied facilities and laboratories;
- v. Norms and procedures pertaining to delivery mechanism to meet contractual obligations including gradation of commodities;
- w. Dissemination of information, announcements to be placed on the trading system;
- x. Prescribe norms and procedure for ware houses, allied facilities and laboratories;
- y. Any other matter as may be decided by the Board.

#### 4. DEALINGS IN CONTRACTS OR COMMODITIES

##### 4.1 DEALINGS ALLOWED

Subject to the provisions of SCRA in force and rules framed hereunder and requisite permissions required from SEBI or any other authority, dealings in contracts or commodities shall be permitted on the Exchange as provided for in these Bye Laws and Regulations and save as so provided, no other dealings are permitted.

##### 4.2 ADMISSION OF CONTRACTS OR COMMODITIES TO DEALINGS

Dealings are permitted on the Exchange in accordance with the provisions prescribed in these Bye Laws and Regulations in that behalf, in contracts or commodities which are, from time to time, permitted to trade on the trading segments by the relevant authority.

The relevant authority may admit from time to time contracts or commodities, which are permitted to trade on the Exchange.

##### 4.3 PROHIBITED DEALINGS

The relevant authority may prohibit or withdraw dealings on the Exchange in any contract or commodity.

##### 4.4 SUSPENSION OF ADMISSION TO DEALINGS ON THE EXCHANGE

The relevant authority may suspend at any time the admission to dealings on the Exchange granted to any contract or commodity for such period as it may determine. At the expiration or prior to the expiration of the

period of suspension the relevant authority may reinstate such contract or commodity subject to such conditions, as it deems fit.

#### 4.5 READMISSION TO DEALINGS ON THE EXCHANGE

The relevant authority in its discretion may, readmit to dealings on the Exchange the contracts or commodities whose admission to dealings has been previously withdrawn.

### 5. TRADING MEMBERS

#### 5.1 APPOINTMENT AND FEES

1. The relevant authority may admit trading members in accordance with the Bye Laws, Rules and Regulations it may frame from time to time in accordance with the SCRA or any other relevant enactment.
2. The relevant authority may specify prerequisites, conditions, formats and procedures for application for admission, termination, re-admission etc. of trading members to each trading segment. The relevant authority may, at its absolute discretion, refuse permission to any applicant to be appointed as trading member.
3. The trading member shall pay such fees, security deposits and other monies as may be specified by the Board or the relevant authority from time to time, and meet such prerequisite condition as may be specified from time to time, on admission as trading member and for continued admission. The fees, security deposits, other monies and any additional deposits paid, whether in the form of cash, Bank Guarantee, Securities, fixed deposit receipt, warehouse receipt, or otherwise, with the Exchange, by a trading member from time to time, shall be subject to a first and paramount lien for any sum due to the Exchange and all other claims against the trading member for due fulfilment of engagements, obligations and liabilities of trading members arising out of or incidental to any dealings made subject to and in accordance with the Bye laws, Rules and Regulations of the Exchange. The Exchange shall be entitled to adjust or appropriate such fees, deposits and other monies for such dues and claims, to the exclusion of the other claims against the trading member, without any reference to the trading member.
4. Trading member of any trading segment may trade on the Exchange in the contracts or commodities applicable to that segment or such contracts or commodities as may be specified by the exchange for such class of trading members.
5. Trading members may trade in relevant contracts or commodities either on their own account as principals or on behalf of their clients unless otherwise specified by the relevant authority and subject to such conditions, which the relevant authority may prescribe from time to time. They may also act as market-makers in such commodities if they are so authorised and subject to such conditions as may be prescribed by the relevant authority from time to time.

#### 5.2 CONDITIONS

1. Trading members shall adhere to the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange and shall comply with such operational parameters, rulings, notices, guidelines and instructions of the relevant authority as may be applicable.
2. All contracts issued for trades on the Exchange shall be in accordance with the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange.
3. Trading members shall comply with such Exchange requirements as may be prescribed by the relevant authority from time to time with regard to advertisements and issue of circulars in connection with their activities as trading members.
4. Trading members shall furnish declarations relating to such matters and in such forms as may be prescribed by the relevant authority from time to time.
5. Trading members shall furnish to the Exchange an Auditors' Certificate certifying that specified Exchange requirements as may be prescribed from time to time by the relevant authority pertaining to their operations have been complied with.

6. Trading members shall furnish such information and periodic returns pertaining to their operations as may be required by the relevant authority from time to time within such period of time that the Exchange may stipulate.
7. Trading members shall furnish to the extent such audited and/or unaudited financial or quantitative information and statements as may be required by the relevant authority from time to time.
8. Trading members shall extend full co-operation and furnish such information and explanation as may be required for the purpose of any inspection or audit authorised by the relevant authority or other authorised official of the Exchange into or in regard to any trades, dealings, their settlement, accounting and/or other related matters.
9. A trading member shall allow operation of its trading terminal only at its registered office, branch offices or such other place as may be permitted by the Exchange from time to time.
10. Trading members shall,
  - a. with respect to any trading software permitted by the Exchange for use by them, obtain necessary clearance after testing of such Software in the manner required by the Exchange; and
  - b. execute and submit necessary documents and undertakings as may be required from time to time; and
  - c. in the event of any malfunction of software used by them, be liable to pay such penalty, as may be stipulated by the Exchange.

## 6. DEALINGS BY TRADING MEMBERS

### 6.1 JURISDICTION

1. Any deal entered into through automated trading system of the Exchange for buying or selling or any acceptance of any such proposal for buying and selling shall be deemed to have been entered at the computerised processing unit of the Exchange at Mumbai and the place of contracting as between the trading members shall be at Mumbai. The trading members of the Exchange shall expressly record on their contract note that they have excluded the jurisdiction of all other Courts save and except, Civil Courts in Mumbai in relation to any dispute arising out of or in connection with or in relation to the contract notes, and that only the Civil Courts at Mumbai have exclusive jurisdiction in claims arising out of such dispute. The provisions of this section shall not object the jurisdiction of any court deciding any dispute as between trading members and their constituents to which the Exchange is not a party.
2. The record of the Exchange as maintained by a central processing unit or a cluster of processing units or computer processing units, whether maintained in any register, magnetic storage units, electronic storage units, optical storage units or computer storage units or in any other manner shall constitute the agreed and authentic record in relation to any transaction entered into through automated trading system. For the purposes of any dispute the record as maintained by the computer processing units by the Exchange shall constitute valid evidence in any dispute or claim between the constituents and the trading member of the Exchange or between the trading members of the Exchange inter-se.

### 6.2 INDEMNITY

The Exchange shall not be liable for any unauthorised dealings on the Exchange by any persons acting in the name of trading member(s).

### 6.3 TRADING MEMBERS ONLY PARTIES TO TRADE

The Exchange does not recognise as parties to any deal any persons other than its own trading members.

Every trading member is directly and wholly liable, in accordance with the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange, to every other trading member with whom such trading member effects any deal on the Exchange for due fulfilment of the deal, whether such deal be for account of the trading member effecting it or for account of a constituent.

### 6.4 ALL DEALINGS SUBJECT TO BYE LAWS, RULES AND REGULATIONS

All dealings in contracts or commodities on the Exchange made in accordance with the Byelaws, Rules and Regulations of the Exchange shall be deemed made subject to the Bye Laws, Rules and Regulations of the

Exchange and this shall be a part of the terms and conditions of all such deals and the deals shall be subject to the exercise by the relevant authority of the powers with respect thereto vested in it by the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange.

#### 6.5 INVIOLABILITY OF TRADE

1. All the dealings in contracts or commodities on the Exchange made subject to and in accordance with the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange shall be in-violable and shall be cleared and settled in accordance with the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange. However, the Exchange may by a notice annul the deal(s) on an application by a Trading Member in that behalf; if the relevant authority is satisfied after hearing the other party/parties to the deal(s) that the deal(s) is/are fit for annulment on account of fraud or wilful misrepresentation or material mistake in the trade.
2. Notwithstanding anything contained in clause (1) above, the Exchange may, to protect the interest of constituents in contracts or commodities and for proper regulation of the commodities market, suo motu annul deal(s) at any time if the relevant authority is satisfied for reasons to be recorded in writing that such deal(s) is/are vitiated by fraud, material mistake, misrepresentation or market or price manipulation and the like.
3. Any annulment made pursuant to clauses (1) and (2) above, shall be final and binding upon the parties to trade(s). In such an event, the trading member shall be entitled to cancel the relevant contracts with its constituents.

#### 6.6 DEALS BY REPRESENTATIVE TRADING MEMBERS

1. A trading member may authorise another trading member to act as a representative for a specified period with the prior permission of the relevant authority.
2. When a trading member employs another trading member as a representative to put through the transaction of a constituent such representative shall report the transaction to the employing trading member at the same price as dealt in the market and the employing trading member shall report the same price to the constituent in respect of such transaction.

#### 6.7 RESTRICTION ON THE TRADING MEMBERS

1. Unless the Exchange otherwise specifies, a Trading Member shall not become a constituent of another Trading Member.
2. Prohibition from Trading: A trading member should not trade in his own name or through another trading member in any contracts or commodities, if the Exchange or *SEBI* prohibits him from entering into any such contracts.

### 6A. AUTHORISED PERSON

#### 6A.1 AUTHORISED PERSON

6A.1.1 Any deal entered into through automated trading system of the Exchange for buying or selling or any acceptance of any such proposal for buying and selling

6A.1.2 "Authorized Person" means and includes any person whether being an individual (including proprietors), a partnership firm as defined under the Indian Partnership Act, 1942, a Limited Liability Partnership (LLP) as defined under the Limited Liability Partnership Act, 2008, a body corporate as defined under the Companies Act, 1956, or a Co-operative Society as defined under the Cooperative Societies Act, 1912/Multi State Cooperative Societies Act, 2002/any other respective State/UT Cooperative Society Act (including federations of such cooperative societies), who is appointed as such by a Member of the Exchange upon the approval of Exchange, for providing access to the trading platform of the Exchange, as an agent of the Member of the Exchange.

#### 6A.2 APPOINTMENT OF AUTHORISED PERSON

6A.2.1 Member(s) of the Exchange may appoint one or more Authorized Persons after obtaining specific prior approval from the Exchange.

6A.2.2 The approval as well as the appointment shall be specific for each such Authorized Person.

#### 6A.3 APPOINTMENT OF AUTHORISED PERSON

6A.3.1 A Member of the Exchange may apply to the Exchange in such format as may be notified by the Exchange for appointment of "Authorized Person".

6A.3.2 On receipt of the application for approval of the appointment of an Authorized Person from its Member, the Exchange may:-

- a. accord approval on satisfying itself that the person is eligible for appointment as Authorised Person; or
- b. refuse approval on satisfying itself that the person is not eligible for appointment as Authorised Person;

6A.3.3 The Exchange will have the discretion to refuse or withdraw permission, if any, granted/to be granted to any Authorized Person at any time without assigning any reason, if the Exchange, in its absolute discretion, considers such refusal or withdrawal to be in the interest of the market

#### 6A.4 ELIGIBILITY CRITERIA

##### 6A.4.1 Individuals

An individual is eligible to be appointed as "Authorised Person", if he/she:

- a. is a Citizen of India;
- b. is not less than 18 years of age;
- c. has not been convicted of any offence involving fraud or dishonesty;
- d. in case, he/she has been suspended or barred by any Stock or Commodity Exchange for a period of more than six continuous calendar months, a period of at least three years has elapsed from the completion of the period of suspension;
- e. has good reputation and character;
- f. has passed at least 10<sup>th</sup> standard or equivalent examination from an institution recognized by the Central/State Government; and
- g. possess such certification that may be prescribed by the Exchange, as approved by the SEBI from time to time.

6A.4.2 A Partnership Firm, LLP Or A Body Corporate A partnership firm, LLP or a body corporate is eligible to be appointed as Authorized Person:

- a) if all the partners or directors, as the case may be, comply with the requirements contained in Bye-law 6A.4.1 above;
- b) the object clause of the partnership deed or of the Memorandum of Association contains a clause permitting the person to deal in commodities derivatives contracts;

6A.4.3 A cooperative society shall be eligible to be appointed as an Authorized Person:

- a) If all the Members/Directors by whatever name called, of the Managing Committee/Governing Body comply with the requirements contained in clause 6A.4.1 above. However, in respect of clause 6A.4.1.(f) above, the Exchange may at its discretion relax the criteria of the Educational qualifications.
- b) If the object clause of the Memorandum of Association of the Co-operative society contains a clause permitting the Co-operative society to deal in commodities derivatives contracts. The eligibility criteria as detailed above may be added or amended from time to time as per directives or guidelines issued by the SEBI.

##### 6A.4.4 Infrastructure:

The Authorized Person must have necessary infrastructure, viz., adequate office space, equipment, manpower and such other infrastructural facilities, which the Exchange may prescribe from time to time, to effectively discharge the activities on behalf of the Member.

#### 6A.5. CONDITIONS OF APPOINTMENT

- 6A.5.1 On being appointed as an "Authorized Person" of a Member of the Exchange, such person or entity shall not, during continuation of being an Authorized Person of such Member, qualify for becoming Authorized Person of any other Member of the Exchange
- 6A.5.2 No director of a Member (if Member is a company under the Companies Act) or a partner of the Member (if Member is a partnership firm or a LLP) or a Member/Director of the Managing Committee/ Governing Body of a Member (if the Member is a co-operative society) shall be eligible to become an "Authorized Person" of any other Member of the Exchange in which its company, partnership firm, LLP or co-operative society as the case may be, is a member.
- 6A.5.3 The Authorized Person shall not receive or pay any money or deal in deliveries of commodities in its own name or account. All receipts and payments of money and dealings in commodities shall be in the name or account of the concerned Member.
- 6A.5.4 The Authorized Person shall receive his remuneration - fees, charges, commission, salary, etc. - for his services only from the Member of which it is an "Authorized Person" and he shall not charge any amount under whatever head from the Clients of the Member.
- 6A.5.5 All acts of omission and commission of the Authorized Person shall be deemed to be those of the Member.
- 6A.5.6 The Member and the "Authorized Person" shall enter into written agreement(s) in the forms specified by the Exchange. The agreement shall, inter alia, cover scope of the activities, responsibilities, confidentiality of information, conditions for appointment as "Authorized Persons" as prescribed in this chapter or as may be directed by the SEBI from time to time, particulars of remuneration (whether by way of salary, commission, allowance or otherwise), termination clause, etc.
- 6A.5.7 The permission granted by the Exchange for any Authorized Person is only to facilitate the Members to trade on the Exchange platform through persons authorized by them and such permission shall not be construed in any manner whatsoever to waive, reduce or affect the liability and responsibility of the Member in such matter.

#### 6A.6. WITHDRAWAL OF APPROVAL

The Exchange may withdraw approval given to an Authorized Person:

- 6A.6.1 On receipt of a request to that effect from the Member or the Authorized Person concerned, subject to compliance with the requirements as may be prescribed by the Exchange.
- 6A.6.2 On being satisfied that the continuation of the Authorized Person is detrimental to the interests of investor/s or the commodities market.
- 6A.6.3 On such Authorized Person becoming ineligible under Bye-law 6A.4.1 of this chapter, at a subsequent date.
- 6A.6.4 Upon the directions of the SEBI.

#### 6A.7. OBLIGATIONS OF THE MEMBER

- 6A.7.1 The Member shall enter into an agreement prescribed by the Exchange with each of such Authorized Persons after receipt of communication of acceptance of such Authorized Persons by the Exchange.
- 6A.7.2 The Member shall permit the Authorized Person to admit or introduce Clients and accept orders from the Clients on their behalf only after execution of the Agreement as stated at Bye-law 6A.7.1 above.
- 6A.7.3 The Member shall be responsible for all acts of omission and commission of his Authorized Person and/or their employees, including liabilities arising therefrom.
- 6A.7.4 If any trading terminal is provided by the Member to an "Authorized Person", the place where such trading terminal is located shall be treated as branch office of the Member.
- 6A.7.5 The Member shall display at each such branch office, additional information such as particulars of Authorized Person in charge of that branch, terms and conditions of his appointment, time lines for dealing through Authorized Person, etc., as may be specified by the Exchange.

- 6A.7.6 The Member shall notify changes, if any, in the Authorized Person to all registered Clients of that branch at least 15 days before the change.
- 6A.7.7 The Member shall conduct periodic inspection of the branches assigned to Authorized Persons and records of the operations carried out by them, as prescribed by the Exchange.
- 6A.7.8 It shall be the responsibility of the Member to audit the records of its Authorized Person to ensure that they comply with the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange.
- 6A.7.9 The Client dealing through an Authorized Person shall be registered with the Member only. The funds, monies, commodities or warehouse receipts or electronic credit of commodities, as the case may be, of the Clients shall be settled directly between the Member and Client. No fund or commodities of the Clients shall be transferred/ deposited/credited into any account of an Authorized Person.
- 6A.7.10 All documents like contract notes, statement of funds and commodities etc. would be issued by the Member to the Client. Authorized Person may provide administrative assistance in procurement of documents and settlement, but shall not issue any document to Client in its own name.
- 6A.7.11 On noticing irregularities, if any, in the operations of an Authorized Person, the Member shall forthwith seek withdrawal of approval, withhold all monies due to such Authorized Person till resolution of Client grievances, alert Clients in the location where the Authorized Person operates, file a complaint with the police, and take all measures as may be required to protect the interest of its Clients and the market.
- 6A.7.12 Members shall ensure that no orders are executed at the Authorized Person's end before all documents as prescribed by the Exchange or the SEBI, as the case may be, including the Member and Constituents agreement, Client Registration Form and Risk Disclosure Document or such other documents as prescribed by the Exchange or the SEBI are obtained from each such Client.
- 6A.7.13 Uploading of details pertaining to the Unique Client Code shall be the responsibility of the Member and the Authorised Person cannot create or allot Unique Client Code to any Client.
- 6A.7.14 All documents as mentioned in these Byelaws with specific reference to Bye-laws 6A.7.12 and 6A.7.13 above, should be available with the Member for audit and inspection as and when required by the Exchange or the SEBI.

#### 6A.8. OBLIGATIONS OF THE EXCHANGE

- 6A.8.1 The Exchange shall maintain a database of all the Authorised Persons, which shall include the following:
- a. Permanent Account Number (PAN) of Authorised Person and in case of partnership or body corporate, PAN number of all the partners or directors as the case may be along with photographs, PAN number of all the Members/Directors by whatever name called, of the Managing Committee/ Government Body of a Co-operative society along with photographs.
  - b. Details of the member with whom the Authorised Person is registered.
  - c. Location of the branch assigned to the Authorised Person.
  - d. Number of terminals and their details, given to each Authorized Person.
  - e. Withdrawal of approval of an Authorised Person.
  - f. Change in status of constitution of Authorized Person.
  - g. Disciplinary action taken by the Exchange against any member for violations of the Securities Laws, Bye-Laws, of the SEBI or the Exchange, as the case may be, by the Authorised Person.
- 6A.8.2 While conducting the inspection of the Member, the Exchange may also conduct inspection of the branches where the terminals of Authorized Persons are located and records of the operations carried out by them.
- 6A.8.3 Any dispute between a Client and an Authorized Person shall be treated as a dispute between the Client and the Member and the same shall be redressed by the Exchange accordingly under the Rules, Bye Laws and Regulations of the Exchange for all purposes and actions.

6A.8.4 In case of withdrawal of approval of an Authorized Person due to disciplinary action or upon the regulatory directive, the Exchange shall issue a press release and disseminate the names of such Authorized Persons on its website citing the reason for withdrawal or cancellation of approval.

## 7. TRADING SYSTEM AND MARKET MAKERS

Contracts or commodities, which will be eligible for market making, if at all, will be specified by the relevant authority from time to time.

The Exchange may prescribe from time to time the criteria for eligibility of market makers, procedure for registration, functions, rights, liabilities of market makers, suspension and prohibition of market makers and operational parameters for market makers.

## 8. TRANSACTIONS

### 8.1 BUSINESS HOURS

1. The business hours for dealing in contracts or commodities in different segments on the Exchange shall be during such time as may be decided by the relevant authority from time to time. The relevant authority may, from time to time, specify business hours for different types of deals.
2. The relevant authority may declare a list of holidays in a calendar year. The relevant authority may from time to time alter or cancel any of the Exchange holidays fixed in accordance with these provisions. It may, for reasons to be recorded, close the market on days other than or in addition to holidays.

### 8.2 TRADING SYSTEM

1. The Exchange may make arrangement for Disaster Recovery Site (DRS) and/or Near Site (NS) as a part of its Business Continuity Plan and Disaster Recovery management plan.
2. Deals may be affected through order driven, quote driven (market makers) or such other system as the Exchange may put in place for the trading segments from time to time.
3. Deals between trading members may be effected by electronic media or computer network or such other media as specified by the relevant authority from time to time.
4. Deals may be affected on ready delivery or on such basis as may be specified by the relevant authority from time to time, subject to the Securities Laws.

### 8.3 TRANSACTION AT BEST QUOTATION

In transaction with or on behalf of clients, trading members must indicate to the clients the current best quotation as reflected in the trading system

### 8.4 OPERATIONAL PARAMETERS FOR TRADING

The relevant authority may determine and announce by Regulations or otherwise, from time to time operational parameters regarding dealing of contracts or commodities on the Exchange which trading members shall adhere to.

The operational parameters may, inter alia, include:

- a) Contract specifications such as date of commencement, last date of contract, delivery period, grades, delivery centers and all other conditions;
- b) Trading limits allowed which may include trading limits with reference to net worth and capital adequacy norms;
- c) Trading volumes and limits at which it will be incumbent for trading members to intimate the Exchange;
- d) Limit of spread between bid and offer rates for different contracts or commodities, if found necessary;
- e) Fixation of market lots, odd lots and/or minimum number and size of contracts or commodities to be offered to be bought or sold;

- f) Limit of variation within a day or between days in bid and offer prices;
- g) Other matters which may affect smooth operation of trading in contracts or commodities keeping in view larger interest of the public;
- h) The types of trades permitted for a member and a contract or commodity;
- i) The functional details of the trading system including the system design, users, infrastructure, system operation.

#### 8.5 SUSPENSION/CLOSE OUT OF POSITIONS ON FAILURE TO MEET TRADING LIMITS

A trading member failing to restrict dealings on the Exchange to his trading limits as provided in these Bye Laws and Regulations may be required by the relevant authority to reduce dealings to within trading limits forthwith or the relevant authority may close out the positions of such trading members. The relevant authority may also at its discretion suspend a trading member for violation of trading limits and the suspension shall continue until the relevant authority withdraws such suspension

#### 8.6 CONTRACT NOTES

Contract Notes shall be issued within such period as may be specified by the relevant authority from time to time for deals effected with clients or on behalf of clients, and will contain such details as the relevant authority may specify from time to time. The contract notes shall specify that the deal is subject to and in accordance with the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange and subject to arbitration as provided therein and subject to the jurisdiction of the Civil Courts of Mumbai. The provisions of this section shall not object the jurisdiction of any court deciding any dispute as between trading members and their constituents to which the Exchange is not a party.

Details of all deals affected, as may be specified, shall be communicated to the Exchange on the day of the transaction.

Unless otherwise provided in these Bye Laws, all dealings carried out in respect of Exchange contracts or commodities shall be subject to and in accordance with the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange.

#### 8.7 BROKERAGE ON DEALINGS

##### 8.7.1 Brokerage

Trading members are entitled to charge brokerage upon the execution of all orders in respect of purchase or sale of contracts or commodities at rates not exceeding the official scale prescribed by the relevant authority from time to time.

##### 8.7.2 Sharing of Brokerage

- (a) A trading member shall not share brokerage with a person who –
  - (i) Is one for or with whom trading members are forbidden to do business under the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange;
  - (ii) Is a trading member or employee in the employment of another trading member;
- (b) Irrespective of any arrangement for the sharing of brokerage with any person, the trading member shall be directly and wholly liable to every other member with whom such trading member effects any deal on the Exchange.

### 9. RIGHTS AND LIABILITIES OF TRADING MEMBERS AND CONSTITUENTS

#### 9.1 ALL CONTRACTS SUBJECT TO BYE LAWS, RULES AND REGULATIONS

All contracts relating to dealings permitted on the Exchange made by a trading member in accordance with the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange shall in all cases be deemed made subject to the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange. This shall be deemed to be a part of the terms and conditions of all such contracts and shall be subject to the exercise by the relevant authority of the powers with respect thereto vested in it by the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange.

## 9.2 TRADING MEMBERS NOT BOUND TO ACCEPT INSTRUCTIONS AND ORDERS

A trading member may not accept instructions or orders of constituents for purchase or sale of contracts or commodities where circumstances appear to justify such action or on reasonable grounds. Where such refusal is made, the same may be communicated to the constituent. The trading member shall also furnish the constituent the reasons for such refusal on a request being made by him.

## 9.3 MARGIN

A trading member shall have the right to demand from its constituent the margin deposit he has to provide under these Bye Laws, Rules and Regulations in respect of the business done by it for such constituent. A trading member shall also have the right to demand an initial margin in cash/ bank guarantee / fixed deposit receipts/ warehouse receipts or such other acceptable mode of collateral from its constituent before executing an order and/or to stipulate that the constituent shall make a margin deposit or furnish additional margin according to changes in market prices. The constituent shall when from time to time called upon to do so forthwith provide a margin deposit and/or furnish additional margin as required under these Bye Laws, Rules and Regulations in respect of the business done for him by and/or as agreed upon by him with the trading member concerned.

## 9.4 CONSTITUENT IN DEFAULT

A trading member shall not transact business directly or indirectly or execute an order for a constituent who to his knowledge is in default to another trading member unless such constituent shall have made a satisfactory arrangement with the trading member who is his creditor.

On the application of a creditor trading member who refers or has referred to arbitration its claim against the defaulting constituent as provided in these Bye Laws, Rules and Regulations, the relevant authority shall issue orders against any trading members restraining them from paying or delivering to the defaulting constituent any monies or collateral, up to an amount or value not exceeding the creditor member's claim payable or deliverable by him to the defaulting constituent in respect of transactions entered into subject to and in accordance with the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange, which monies and securities shall be deposited with the Exchange. The monies, and collateral deposited shall be disposed of in terms of the award in arbitration and pending a decree shall be deposited with the concerned Court when filing the award unless the creditor member and the defaulting constituent mutually agree otherwise.

## 9.5 CLOSING-OUT OF CONSTITUENT'S ACCOUNT

1. The Exchange may close-out open positions of a constituent or transfer his open positions to another trading member under such circumstances and in respect of such trading segment of the Exchange as may be specified by the relevant authority from time to time.
2. When closing-out the account of a constituent a trading member may close-out in the open market and any expense incurred or any loss arising therefrom shall be borne by the constituent or assume or take over such transactions to his own account as a principal at prices which are fair and justified by the condition of the market. The contract note in respect of such closing-out shall disclose whether the trading member is acting as a principal or on account of another constituent.

## 9.6 CLOSING-OUT/ TRANSFER BY CONSTITUENT ON FAILURE TO PERFORM A CONTRACT

If a trading member fails to complete the performance of a contract by delivery or payment in accordance with the provisions of these Bye Laws, Rules and Regulations the constituent shall, after giving notice in writing to the trading member and Exchange, close-out such contract through any other trading member of the Exchange or make an application to the Exchange for transfer of contracts to another trading member as soon as possible and any loss or damages sustained as a result of such closing-out or transfer, as the case may be, shall be immediately payable by the defaulting trading member to the constituent. If closing-out or transfer be not effected as provided herein, the damages between the parties shall be determined on such basis as specified by the relevant authority from time to time and the constituent and the trading member shall forfeit all further right of recourse against each other.

## 9.7 NO LIEN ON CONSTITUENT'S COMMODITIES

If a trading member is declared a defaulter after delivering commodities on account of his constituent, the constituent shall be entitled to claim and on offering proof considered satisfactory by the relevant authority, and in the absolute discretion of the relevant authority, receive from the Exchange accordingly as the

relevant authority directs either such goods / commodities or the value thereof subject to payment or deduction of the amount if any due by him to the defaulter.

#### 9.8 COMPLAINT BY CONSTITUENT

When a complaint has been lodged by a constituent with the relevant authority that any trading member has failed to implement his dealings, the relevant authority shall investigate the complaint and if it is satisfied that the complaint is justified it may take such disciplinary action as it deems fit.

#### 9.9 RELATIONSHIP BETWEEN TRADING MEMBER AND CONSTITUENTS

Without prejudice to any other law for the time being in force and subject to these Bye Laws, the mutual rights and obligations inter se between the trading member and his/its constituent shall be such as may be prescribed by the relevant authority from time to time.

### 10. DEFAULT - TRADING MEMBER

#### 10.1 DECLARATION OF DEFAULT

A trading member may be declared a defaulter by direction / circular / intimation of the clearing member / notification of the relevant authority of the trading segment if:

- a) He is unable to fulfil his obligations; or
- b) He admits or discloses his inability to fulfil or discharge his duties, obligations and liabilities; or
- c) He fails or is unable to pay within the specified time the damages and the money difference due on a closing-out effected against him under these Bye Laws, Rules and Regulations; or
- d) He fails to pay any sum due to the Exchange or to submit or deliver to the Exchange on the due date, delivery and receipt orders, statement of differences and commodities, balance sheet and such other clearing forms and other statements as the relevant authority may from time to time prescribe; or
- e) He fails to pay or deliver to the Relevant Authority all monies, commodities and other assets due to a trading member who has been declared a defaulter within such time of the declaration of default of such trading member as the relevant authority may direct; or
- f) He fails to abide by the arbitration proceedings as laid down under the Bye Laws, Rules and Regulations
- g) He has been declared a defaulter in any other stock / commodity exchange
- h) He, being an individual and /or partnership firm, /it, being a company incorporated under the Companies Act, files a petition before a Court of Law for adjudication of himself as an insolvent or for its winding up, as the case may be.

#### 10.2 FAILURE TO FULFILL OBLIGATIONS

The relevant authority may order a trading member to be declared a defaulter if he fails to meet an obligation to a trading member or constituent or clearing member arising out of Exchange transactions.

#### 10.3 INSOLVENT A DEFAULTER

A trading member, being an individual and/or partnership firm, has been adjudicated as an insolvent or it, being a company incorporated under the Companies Act, has been ordered to be wound up by a Court of Law in the petition filed by any of his/its creditors, shall be declared although he/it may not have at the same time defaulted on any of his / its obligations on the Exchange provided however the time for preferring an appeal against such order under the applicable Acts, if any, has expired.

#### 10.4 TRADING MEMBER'S DUTY TO INFORM

A trading member shall be bound to notify the Exchange immediately if there be a failure by any trading member to discharge his liabilities in full.

#### 10.5 COMPROMISE FORBIDDEN

A trading member guilty of accepting from any trading member anything less than a full and bona fide money payment in settlement of a debt arising out of a transaction in contracts or commodities may be suspended for such period as the relevant authority may determine.

#### 10.6 NOTICE OF DECLARATION OF DEFAULT

On a trading member being declared a defaulter a notice to that effect shall be placed forthwith on the trading system of the relevant trading segment.

#### 10.7 DEFAULTER'S BOOK AND DOCUMENTS

When a trading member has been declared a defaulter, the Relevant Authority shall take charge of all his books of accounts, documents, papers and vouchers to ascertain the state of his affairs and the defaulter shall hand over such books, documents, papers and vouchers to the Relevant Authority as may be required by Relevant Authority to find out the obligations of the defaulting trading member towards Exchange, other trading members, constituents and clearing members.

#### 10.8 LIST OF DEBTORS AND CREDITORS

The defaulter shall file with the Relevant Authority within such time of the declaration of his default as the relevant authority may direct a written statement containing a complete list of his debtors and creditors and the sum owing by and to each.

#### 10.9 DEFAULTER TO GIVE INFORMATION

The defaulter shall submit to the Relevant Authority such statement of accounts, information and particulars of his affairs as the Relevant Authority may from time to time require and if so desired shall appear before the Committee at its meetings held in connection with its default.

#### 10.10 INQUIRY

The Relevant Authority shall enter into a strict inquiry into the accounts and dealings of the defaulter in the market and shall report to the such authority as may be appointed by Board for this purpose, anything improper, un-businesslike or unbecoming a trading member in connection therewith which may come to its knowledge.

#### 10.11 VESTING OF ASSETS IN THE EXCHANGE

The Relevant Authority shall call in and realise the security deposits in any form, collateral, margin money, other amounts lying to the credit of and commodities and securities deposited by the defaulter and recover all moneys, commodities, securities and other assets due, payable or deliverable to the defaulter by any other Trading Member in respect of any transaction or dealing made subject to and in accordance with the Bye-laws, Rules and Regulations of the Exchange and such assets shall vest ipso facto, on declaration of any trading member as a defaulter, in the Exchange for the benefit of and on account of any dues of the Exchange, other trading members, Constituents of the defaulter, approved banks and any other persons as may be approved by the Relevant Authority and other recognised Exchanges.

#### 10.12 PAYMENT TO RELEVANT AUTHORITY

1. All monies, commodities and other assets due, payable or deliverable to the defaulter must be paid or delivered to the Relevant Authority within such time of the declaration of default as the relevant authority may direct. A trading member violating this provision shall be declared a defaulter.
2. A trading member who shall have received a difference on account or shall have received any consideration in any transaction prior to the date fixed for settling such account or transaction shall, in the event of the trading member from whom he received such difference or consideration being declared a defaulter, refund the same to the Relevant Authority for the benefit and on account of the creditor members. Any trading member who shall have paid or given such difference or consideration to any other trading member prior to such settlement day shall again pay or give the same to the Relevant Authority for the benefit and on account of the creditor member in the event of the default of such other member.
3. A trading member who receives from another trading member during any clearing a claim note or credit note representing a sum other than a difference due to him or due to his constituent which amount is to be received by him on behalf and for the account of that constituent shall refund such sum if such other trading member be declared a defaulter within such number of days as prescribed by the relevant authority after the settling day. Such refunds shall be made to the Relevant Authority for the benefit and on account of the

creditor members and it shall be applied in liquidation of the claims of such creditor members whose claims are admitted in accordance with these Bye Laws, Rules and Regulations.

#### 10.13 DISTRIBUTION

The Relevant Authority shall at the risk and cost of the creditor members pay all assets received in the course of realisation into such bank and/or keep them with the Exchange in such names as the relevant authority may from time to time direct and shall distribute the same as soon as possible pro rata but without interest among creditor members whose claims are admitted in accordance with these Bye Laws, Rules and Regulations.

#### 10.14 CLOSING-OUT

1. Trading members having open transactions with the defaulter shall close out such transactions on the Exchange after declaration of default. Such closing out shall be in such manner as may be prescribed by the relevant authority from time to time. Subject to the regulations in this regard prescribed by the relevant authority, when in the opinion of the relevant authority, circumstances so warrant, such closing out shall be deemed to have taken place in such manner as may be determined by the relevant authority or other authorised persons of the Exchange.
2. Differences arising from the above adjustments of closing out shall be claimed from the defaulter or paid to the Relevant Authority for the benefit of creditor trading members of the defaulter.

#### 10.15 CLAIMS AGAINST DEFAULTER

Within such time of the declaration of default as the relevant authority may direct every trading member carrying on business on the Exchange shall, as it may be required to do, either compare with the Relevant Authority his accounts with the defaulter duly adjusted and made up as provided in these Bye Laws, Rules and Regulations or furnish a statement of such accounts with the defaulter in such form or forms as the relevant authority may prescribe or render a certificate that he has no such account.

#### 10.16 DELAY IN COMPARISON OR SUBMISSION OF ACCOUNTS

Any trading member failing to compare his accounts or send a statement or certificate relating to a defaulter within the time prescribed shall be called upon to compare his accounts or send such statement or certificate within such further time as may be specified.

#### 10.17 PENALTY FOR FAILURE TO COMPARE OR SUBMIT ACCOUNTS

The relevant authority may fine, suspend or expel any trading member who fails to compare his accounts or submit a statement of its account with the defaulter or a certificate that he has no such account within the prescribed time.

#### 10.18 MISLEADING STATEMENT

The relevant authority may fine, suspend or expel a member if it is satisfied that any comparison statement or certificate relating to a defaulter sent by such trading member was false or misleading.

#### 10.19 ACCOUNTS OF RELEVANT AUTHORITY

The Relevant Authority shall keep a separate account in respect of all monies, commodities and other assets payable to a defaulter which are received by him and shall defray therefrom all costs, charges and expenses incurred in or about the collection of such assets or in or about any proceedings it takes in connection with the default.

#### 10.20 REPORT

The Relevant Authority shall every six months present a report to such authority as may be appointed by the Board for this purpose, relating to the affairs of a defaulter and shall show the assets realised, the liabilities discharged and dividends given.

#### 10.21 SCALE OF CHARGES

The charges to be paid to the Exchange on the assets collected shall be such sum as the relevant authority may from time to time prescribe.

## 10.22 APPLICATION OF ASSETS

The Relevant Authority shall apply the net assets remaining in its hands after defraying all such costs, charges and expenses as are allowed under Bye laws, Rules and Regulations to be incurred by the Exchange, in satisfying the claims in the order of priority provided hereunder:

- a) Dues to the Exchange: The payment of such subscriptions, debts, fines, fees, charges and other moneys due to the Exchange.
- b) Dues to other Trading Members / Clearing Members and to Constituents of the defaulter: The payments as may be admitted by the Relevant Authority, as being due to other Trading Members, Clearing Members and Constituents of the defaulter for debts, liabilities, obligations and claims arising out of any contracts made by the defaulter subject to and in accordance with the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange, provided that if the amount is insufficient then the amounts shall be distributed pro rata amongst other Trading Members, Clearing Members and all the Constituents of the defaulter. The other Trading Members / Clearing Members shall in turn share the amounts so received with their Constituents on pro rata basis.
- c) Dues to the Approved Banks, Warehouses, Assayers and claims of any other persons as approved by the Relevant Authority: After making payments under Clause (b) above, the amounts remaining, if any, shall be utilised to meet the claims of the approved banks and of any other person as may be admitted by the Relevant Authority. The claims of the approved banks should have arisen by virtue of the Exchange invoking any bank guarantee issued by the bank concerned to the Exchange on behalf of the defaulter to fulfill his obligation of submitting bank guarantee, guaranteeing discharge of obligations under the Byelaws, Rules and Regulations of the Exchange. The claims of other persons should have arisen out of or incidental to the transaction done on the Exchange or requirements laid down by the Exchange, provided that if the amount available be insufficient to pay all such claims in full, they shall be paid pro rata, and
- d) Surplus: Surplus, if any, to the defaulter trading member.

## 10.23 CERTAIN CLAIMS NOT TO BE ENTERTAINED

The Relevant Authority shall not entertain any claim against a defaulter:

- a) which arises out of a contract in contracts or commodities dealings in which are not permitted or which are not made subject to and in accordance with Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange or in which the claimant has either not paid himself or colluded with the defaulter in evasion of margin payable on transactions or contracts in any commodity;
- b) which arises out of a contract in respect of which comparison of accounts has not been made in the manner prescribed in these Bye Laws, Rules and Regulations or when there has been no comparison if a contract note in respect of such contract has not been rendered as provided in these Bye Laws, Rules and Regulations;
- c) which arises from any arrangement for settlement of claims in lieu of bona fide money payment in full on the day when such claims become due;
- d) which is in respect of a loan with or without security;
- e) which is not filed with the Relevant Authority within such time of date of declaration of default as may be prescribed by the relevant authority.

## 10.24 CLAIMS AGAINST DEFAULTING REPRESENTATIVE TRADING MEMBER

The Relevant Authority shall entertain the claim of a trading member against a defaulter in respect of loss incurred by it by reason of the failure of the constituents introduced by such defaulter to fulfil their obligations arising out of dealings which are permitted on the Exchange and made subject to and in accordance with the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange provided the defaulter was duly registered as a representative trading member working with such creditor member.

#### 10.25 ASSIGNMENT OF CLAIMS ON DEFAULTERS' ESTATE

A trading member being a creditor of a defaulter shall not sell, assign or pledge its claim on the estate of such defaulter without the consent of the relevant authority.

#### 10.26 PROCEEDINGS IN NAME OF OR AGAINST THE DEFAULTER

The Relevant Authority shall be entitled to but not bound to (a) initiate any proceedings in a court of law either in the name of the Exchange or in the name of the defaulter against any person for the purpose of recovering any amounts due to the defaulter (b) to initiate any proceedings in a court of law either in the name of the Exchange or in the name of creditors (who have become creditors of the defaulter as a result of transactions executed subject to and in accordance with Bye laws, Rules and Regulations of Exchange) of the defaulter against the default for the purpose of recovering any amounts due from the defaulter. The defaulter as well as the creditors of the defaulter shall be deemed to have appointed the Exchange as their constituted attorney for the purpose of taking such proceedings.

#### 10.27 PAYMENT OF RELEVANT AUTHORITY

1. If any trading member takes any proceedings in a court of law against a defaulter whether during the period of its default or subsequent to its re-admission to enforce any claim against the defaulter's estate arising out of any transaction or dealing in the market made subject to and in accordance with the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange before it was declared a defaulter and obtains a decree and recovers any sum of money thereon it shall pay such amount or any portion thereof as may be fixed by the Relevant Authority to the Relevant Authority for the benefit and on account of the creditor members having claims against such default.
2. The Relevant Authority for the purpose of this Chapter shall be a Committee as may be constituted by the Board of Directors from time to time.

### 11. INVESTOR GRIEVANCE REDRESSAL & ARBITRATION

#### 11.1 DEFINITIONS

For the purposes of this Bye Law 11, the following definitions shall apply in addition to Bye Law 1A

1. 'Arbitrator' shall mean a sole arbitrator or a panel of arbitrators.
2. 'Act' shall mean the Arbitration and Conciliation Act, 1996 and includes any statutory modification, replacement or re-enactment thereof, for the time being in force.
3. 'Admissible claim value' shall mean the claim value admissible to the Constituent as ascertained by the Investor Grievance Redressal Committee or Panel and recorded in the directions or Order.
4. 'Award' for the purposes of these bye laws shall mean (i) the Decision of sole/panel of arbitrators at the first instance; or (ii) the Decision of the panel of arbitrators in appeal; as the case may be.
5. 'Appellate Arbitral Tribunal' shall mean an Arbitrator or panel of Arbitrators as the case may be identified for the purpose of hearing reference in appeal against a decision of an Arbitrator/Panel of Arbitrator.
6. 'Decision' shall mean the findings of the sole/panel of arbitrators in an arbitration reference by a party who is not satisfied with the Order of IGRP.
7. 'Investor Grievance Redressal Committee' shall mean a Committee consisting of Independent persons, identified for the purpose of addressing Investor Grievances of the participants trading on the Exchange platform.
8. 'Investor Service Cell' means the department of the Exchange which facilitates resolution of complaints of investors against the Member of the Exchange and also renders administrative assistance to arbitration proceedings in respect of arbitration cases that are admitted for Arbitration under the Exchange's Arbitration Framework.
9. 'Order' shall mean the Order of the Investor Grievance Redressal Committee of the Exchange (IGRC).

### 11.1A REFERENCE TO IGRC

The Exchange shall set up investor service centers (ISC)/Investor Grievances Cell (IGC) in such places as may be necessary or identified by the SEBI from time to time, for the benefit of public/investors. The ISCs/IGCs shall render such services as may be decided by the Exchange/ SEBI from time to time to the investors/ clients. The ISCs/IGCs shall also provide facilities for receiving/ recording investors/ clients complaints, register the complaints and provide counselling service to the investors/ clients. The ISCs/IGCs shall act as facilitation desks to assist investors/ clients engaged in dispute resolution process by obtaining documents/ details from the Exchange wherever so required for making application to IGRC and filing Arbitration.

### 11.2 REFERENCE TO ARBITRATION

1. All claims, differences or disputes between the Trading Members inter se and between Trading Members and Constituents and Clearing Members inter se and Clearing Members and constituents and between Clearing Members and Trading Members arising out of or in relation to dealings, contracts and transactions executed or reported on the Exchange and made subject to and in accordance with the Bye-Laws, Rules and Regulations of the Exchange or with reference to anything incidental thereto or in pursuance thereof or relating to interpretation, fulfilment or the rights, obligations and liabilities of the parties thereto shall be submitted to arbitration in accordance with the provisions of these Bye laws, Rules and Regulations.

Provided however that the Relevant Authority may satisfy itself that the above referred claims, differences or disputes arise out of or in relation to dealings, contracts and transactions executed/reported on the Exchange and are in accordance with and subject to the Byelaws, Rules and Regulations of the Exchange and are referable to Arbitration.

The Exchange shall facilitate arbitration for such disputes including for references filed by Trading/Clearing Member against the directions or order of the IGRC.

2. The provisions of clause (1) above shall become applicable to all claims, differences, disputes between the parties mentioned therein for all dealings, contracts and transactions made subject to and in accordance with the Bye laws, Rules and Regulations of the Exchange provided such dealings, contracts and transactions had been entered into between the parties mentioned therein prior or to the date on which the Trading Member and/or Clearing Member was either declared a defaulter or expelled or has surrendered his trading membership.

### 11.3 PROVISIONS OF THESE BYE LAWS, RULES AND REGULATIONS DEEMED TO FORM PART OF ALL DEALINGS, CONTRACTS AND TRANSACTIONS

In all dealings, contracts and transactions, which are made or deemed to be made subject to the Bye laws, Rules and Regulations of the Exchange, the provisions relating to arbitration as provided in these Bye laws, Rules and Regulations shall form and shall be deemed to form part of the dealings, contracts and transactions and the parties shall be deemed to have entered into an arbitration agreement in writing by which all claims, differences or disputes of the nature referred to in clause (1) above shall be submitted to arbitration as per the provisions of these Bye Laws, Rules and Regulations.

### 11.4 LIMITATION PERIOD FOR REFERENCE OF CLAIMS, DIFFERENCES OR DISPUTES FOR ARBITRATION

All claims, differences or disputes referred to in clause (1) above shall be submitted to arbitration within three years from the date on which the claim, difference or dispute arose or shall be deemed to have arisen. The time taken in conciliation proceedings, if any, initiated and conducted as per the provisions of the Act and the time taken by the Relevant Authority to administratively resolve the claim, differences or disputes shall be excluded for the purpose of determining the period of three (03) years.

### 11.5 POWER OF THE RELEVANT AUTHORITY TO PRESCRIBE REGULATIONS

The Relevant Authority may, from time to time prescribe Regulations for the following:

1. The procedure to be followed in IGRC mechanism, in arbitration and appeal proceedings (arbitral proceedings). In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such procedure may, inter alia, provide for the following:
  - a) the forms to be used;

- b) the fees to be paid;
  - c) the mode, manner and time period for submission of all pleadings by both the parties;
  - d) matters relating to requests from the parties for amending or supplementing the pleadings; and
  - e) the consequences upon failure to submit such pleadings by the parties.
2. The procedure to be followed by the arbitrator in conducting the arbitral proceedings. In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such procedure may, inter alia, provide for:
    - a) adjournment of hearings; and
    - b) terms and conditions subject to which the arbitrator may appoint experts to report on specific issues and the procedure to be followed in arbitral proceedings upon such an appointment.
  3. Different set of arbitration procedures for different claims, differences or disputes after taking into consideration such circumstances and facts as the Relevant Authority may deem fit, which circumstances and facts may include the value of the subject matter and the persons who are involved as parties to such claims, differences or disputes.
  4. Creation of seats of arbitration/appellate arbitration for different regions or prescribing geographical locations for conducting arbitration and prescribing the courts which shall have jurisdiction for the purpose of the Act.
  5. The claims, differences or disputes which may be referred to a sole arbitrator and the claims, differences or disputes which may be referred to a panel of arbitrators.
  6. The procedure for selection of persons eligible to act as arbitrators.
  7. The procedure for appointment of arbitrator.
  8. The terms, conditions and qualifications subject to which any arbitrator may be appointed.
  9. Determination of the number of arbitrators in the case of a panel of arbitrators, subject to the condition that where any claim, difference or dispute is heard and determined by Panel of Arbitrators, the number of arbitrators of such a panel shall not be an even number.
  10. The time period within which a substitute arbitrator has to be appointed in case the office of the arbitrator falls vacant for any reason whatsoever.
  11. The matters to be disclosed by any person who is approached in connection with his possible appointment as an arbitrator.
  12. The procedure to be adopted by the parties for challenging an arbitrator.
  13. The claims, differences or disputes which, may be decided by the arbitrator without a hearing unless either party in writing requests the Relevant Authority for a hearing and the time period within which such a request shall be made.
  14. The claims, differences or disputes which, may be decided by the arbitrator only by hearing the parties unless both the parties jointly waive the right to such hearing and the time period within which such a waiver shall be made.
  15. The place of arbitration for each reference and the places where the arbitrator can meet for consultation, for hearing witnesses, experts, or the parties, or for inspection of documents, goods or other property.
  16. The making of the Decision and/or arbitral award including the manner in which a decision is to be taken in the case of panel of arbitrators and the form and contents of the arbitral award.
  17. The term arbitral award shall also include an arbitral award on agreed terms. Prescriptions as to the contents of the arbitral award may include provisions for costs and where the arbitral award is for the payment of money, may include interest payable on principal sum due.
  18. The amount of deposit or supplementary deposit, as the case may be, as an advance for the costs, which it expects, will be incurred in respect of the claim, difference or dispute. Provided where a counter-claim is submitted to the arbitrator, a separate amount of deposit for the counter-claim may also be prescribed.

19. The administrative assistance, which the Exchange may render in order to facilitate the conduct of arbitral proceedings.
20. All matters regarding the mode and the manner of service of notices and communications by the parties including communication addressed to arbitrator.
21. Any other matter which in the opinion of the Relevant Authority is required to be dealt with in the Regulations to facilitate IGRC, arbitration.
22. The Relevant Authority from time to time may amend, modify, alter, repeal, or add to the provisions of the Regulations.

#### 11.6 DISCLOSURE BY PERSONS TO BE APPOINTED AS IGRC MEMBERS/ ARBITRATORS

Every person who is approached in connection with his possible appointment as an IGRC member/ arbitrator shall disclose to the Relevant Authority in writing any circumstances likely to give rise to justifiable doubts as to his independence and impartiality. If the person discloses any circumstances, which in the opinion of the Relevant Authority are likely to give, rise to justifiable doubts as to his independence and impartiality, then he shall not be appointed as an IGRC member/ arbitrator.

#### 11.7 DISCLOSURE BY PERSONS APPOINTED AS IGRC MEMBERS/ ARBITRATORS

An IGRC member/arbitrator, from the time of his appointment and throughout the arbitral proceedings, shall, without delay, disclose to the Relevant Authority in writing any circumstances referred to in clause (11.6) above which have come to his knowledge after his appointment as an arbitrator.

#### 11.8 TERMINATION OF MANDATE OF THE IGRC MEMBER/ ARBITRATOR

The mandate of the IGRC member/ arbitrator shall terminate if:

- a. The arbitrator withdraws from office for any reason; or
- b. In the opinion of the relevant authority, the IGRC member/ arbitrator becomes de jure or de facto unable to perform his functions or for other reasons fails to act without undue delay including failure to make the arbitral award within the time period prescribed by the relevant authority. Such a decision of the relevant authority shall be final and binding on the parties; or
- c. The mandate of the IGRC member/ arbitrator is terminated by the Relevant Authority upon receipt of written request for the termination of the mandate of the IGRC member/ arbitrator from both the parties to IGRC proceeding/ arbitration; or
- d. The IGRC member/ arbitrator discloses any circumstances referred to in clauses (11.6) and (11.7) which in the opinion of the Relevant Authority are likely to give rise to justifiable doubts as to his independence and impartiality
- e. The IGRC/ arbitral proceedings are terminated as provided for herein.

#### 11.9 SUPPLYING OF VACANCY TO THE OFFICE OF THE IGRC MEMBER/ ARBITRATOR

At any time before the making of the Order/ award should the office of the IGRC Member/arbitrator fall vacant for any reason whatsoever including any vacancy due to the illness or death of the IGRC Member/arbitrator or termination of the mandate of the IGRC Member/ arbitrator by the Relevant Authority or otherwise, the vacancy shall be supplied by the Relevant Authority by following the same procedure as specified by it for appointment of the IGRC Member/arbitrator.

#### 11.10 CONSIDERATION OF RECORDED PROCEEDINGS AND EVIDENCE

Unless otherwise agreed by parties, any IGRC Member/arbitrator who has been appointed by the Relevant Authority to supply a vacancy to the office of the IGRC Member/arbitrator may repeat any hearings previously held.

#### 11.11 ORDER OR RULING OF PREVIOUS ARBITRATOR NOT INVALID

An order or ruling of the IGRC Member/arbitrator made prior to the termination of his mandate shall not be invalid solely because his mandate has been terminated. Provided that when the termination has been effected

pursuant to clause (11.8)(d), the order or ruling of the IGRC Member/arbitrator made prior to termination of his mandate shall become invalid unless otherwise agreed upon by the parties.

#### 11.12 INTERIM ARBITRAL AWARD AND INTERIM MEASURES ORDERED BY THE ARBITRATOR

The arbitrator may be empowered to make an interim arbitral award as well as to provide interim measures of protection. An arbitrator may require a party to provide appropriate commodity in connection with an interim measure.

#### 11.13 APPEARANCE IN ARBITRAL PROCEEDINGS BY COUNSEL, ATTORNEY OR ADVOCATE

In arbitral proceedings where both the parties are either Trading Members or both Clearing members or one party is a Trading member and the other a Clearing member, the parties shall not be permitted to appear by counsel, attorney or advocate but where one of the parties is a Constituent, then the Constituent shall be permitted to appear by counsel, attorney or advocate. If the Constituent chooses to appear by counsel, attorney or advocate, then the trading and/or clearing member shall be granted a similar privilege.

#### 11.14 ADJOURNMENT

Adjournment, if any, shall be granted by the arbitrator only in exceptional cases, for bonafide reasons to be recorded in writing.

#### 11.15 TIME FOR COMPLETION OF IGRC/ARBITRATION

The IGRC shall make the order within such period as may be prescribed by Relevant Authority from time to time.

The arbitrator shall make the arbitral award normally within 3 months from the date of entering upon the reference.

#### 11.16 REQUEST FOR EXTENSION

The time taken to make the award may not be extended beyond 3 times, not exceeding 6 months, by the Managing Director or Relevant Authority on an application by either of the parties or the arbitrator, as the case may be.

#### 11.17 DATE OF ENTERING REFERENCE

For the purposes of these byelaws, the arbitrator shall be deemed to have entered upon a reference on the date on which the arbitrator has held the first hearing.

#### 11.18 ARBITRATION PROCEEDINGS SUBJECT TO THE PROVISIONS OF THE ACT

The arbitration proceedings as provided for by the provisions of these Bye Laws, Rules and Regulations shall be subject to the provisions of the Act to the extent not provided for in these Bye Laws, Rules and Regulations.

#### 11.19 CONSTRUCTION OF REFERENCES

For the purposes of section 2(6) of the Act, in all claims, differences or disputes which are required to be submitted to arbitration as per the provisions of these Bye Laws, Rules and the Regulations, wherever Part 1 of the Act leaves the parties free to determine a certain issue, the parties shall be deemed to have authorised the Relevant Authority to determine that issue.

#### 11.20 ADMINISTRATIVE ASSISTANCE

For the purpose of section 6 of the Act, in all claims, differences or disputes which are required to be submitted to arbitration as per the provisions of these Bye Laws, Rules and Regulations, the parties shall be deemed to have arranged for administrative assistance of the Relevant Authority in order to facilitate the conduct of the arbitral proceedings.

#### 11.21 JURISDICTION

All parties to a reference to arbitration under these Bye Laws, Rules and Regulations and the persons, if any, claiming under them, shall be deemed to have submitted to the exclusive jurisdiction of the courts in Mumbai or any other court as may be prescribed by the Relevant Authority/Regulatory Authority for the purpose of giving effect to the provisions of the Act. The Exchange shall not be construed to be a party to the dealings, contracts and transactions referred to under these Byelaws; and the provisions of this Bye law shall not apply in case of

claims, differences or disputes between the Exchange and a Trading/Clearing Member/Constituents and no arbitration shall lie between the Exchange and a Trading Member/Clearing Member/ Constituents.

#### 11.22 APPEAL

Any party aggrieved by a Decision of an Arbitrator/Panel of Arbitrators may prefer an appeal to the Appellate Arbitral Tribunal against a Decision of an Arbitrator/Panel of Arbitrators within such time and in such manner as prescribed by the Relevant Authority from time to time.

The Appellate Arbitral Tribunal shall dispose of the appeal by way of issuance of an Award within such period as may be prescribed by Relevant Authority from time to time

The Decision of an Arbitrator/panel of arbitrator shall be the final Award where no appeal has been preferred by any of the parties and the time for preferring an appeal has lapsed.

Where an appeal has been preferred against a Decision, the Award passed by the Appellate Arbitral Tribunal shall be the final Award for the purposes of the Act and the Rules, Bye laws and Regulations of the Exchange.

#### 12. MISCELLANEOUS

1. The relevant authority shall be empowered to impose such restrictions on transactions in one or more contracts or commodities as the relevant authority in its judgment deems advisable in the interest of maintaining a fair and orderly market in the contracts or commodities or if it otherwise deems advisable in the interest of trade and public interest. During the effectiveness of such restrictions, no trading member shall, for any account in which it has an interest or for the account of any client, engage in any transaction in contravention of such restrictions.
2. Save as otherwise specifically provided in the Bye Laws, Rules and Regulations specified by the relevant authority regarding trading, clearing and settlement arrangement, in promoting, facilitating, assisting, regulating, managing and operating the Exchange and/or Clearing House, the exchange or the clearing house should not be deemed to have incurred any liability, and accordingly no claim or recourse in respect of or in relation to any dealing in contracts or commodities or any matter connected therewith shall lie against the Exchange or Clearing House or any authorised person(s) acting for the exchange or the Clearing House.
3. Any failure to observe or comply with any requirement of this Bye Law, or any Bye Laws, Rules or Regulations, where applicable, may be dealt with by the relevant authority as a violation of such Bye Laws, Rules or Regulations.
4. Trading members have an obligation as the trading members of the Exchange to inform the relevant authority of the Exchange about fraudulent and unfair trade practices and other such information/practices as may be construed as being detrimental to the efficient operations of the Exchange and as may be required under Securities Laws and Regulations.
5. No claim, suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Exchange and/or Clearing House any authorised person(s) acting for the Exchange and/or Clearing House, in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any order or other binding directive issued to the Exchange and/or Clearing House under any law or delegated legislation for the time being in force.

#### 13. SAVINGS AND CONTINUATION

A. In pursuance of section 28A of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (FCRA) the Bye laws of the Exchange made under the FCRA (referred to as 'the existing Exchange Bye laws'), shall not be applicable after a period of one year from September 29, 2015 due to repeal of FCRA with effect from September 29, 2015. Notwithstanding such repeal, -

- (i) All actions or activities pursuant to trades executed under the provisions of the existing Exchange Bye laws, including but not limited to clearing, settlement, auctions, dispute resolution or arbitration and default redressal shall be undertaken and enforced under the corresponding provisions of these Bye laws.
- (ii) All rights and liabilities accruing under the existing Exchange Bye laws including but not limited to risk management measures such as maintenance of Investor Protection Fund and Settlement Fund shall continue to accrue under the corresponding provisions of these Bye laws.
- (iii) All eligible members of the Exchange or their agents granted admission to dealings or granted permission to access the trading platform of the Exchange in terms of the existing Exchange Bye laws, shall continue to

exercise such rights in the Exchange in terms of the corresponding provisions of these Bye laws, subject to provisions of SCRA and the Rules and Regulations made thereunder and the SEBI Act and the Rules and Regulations made thereunder and any directives or Circulars etc. issued by SEBI from time to time.

- (iv) Anything done or any action taken or purported to have been done or taken including any inspection, order, penalty, proceeding or notice, made, initiated or issued or any confirmation or declaration made or any license, permission, authorization or exemption granted, modified or revoked or any document or instrument executed, or any direction given under the existing Exchange Bye laws, shall be continued or enforced by the Exchange, in terms of the corresponding provisions of these Bye laws.
- (v) All violations of provisions of the existing Exchange Bye laws and any proceedings initiated or pending as on September 28, 2016, shall continue to be governed by the corresponding provisions of these Bye laws.

B. The Exchange, as directed by SEBI shall be empowered to issue clarifications with regard to any of the provisions of these Bye laws.

## BYE LAWS

### PART B

#### 1. CLEARING SEGMENTS

1. There may be more than one clearing segment as may be specified by the relevant authority from time to time.
2. The relevant authority will specify the Contracts or Commodities, which will be eligible for admission to the different clearing segment from time to time.

#### 2. CLEARING MEMBERS

1. The relevant authority is empowered to admit clearing members in accordance with the Bye Laws, Rules and Regulations subject to the minimum financial requirements prescribed by the Exchange. Such Clearing Members shall pay such fees, security deposits and other monies as may be specified by the Board or the relevant authority from time to time, on admission as Clearing Member and for continued admission. The fees, security deposits, other monies and any additional deposits paid, whether in the form of cash, bank guarantee, securities or otherwise, with the Exchange, by a Clearing Member from time to time, shall be subject to a first and paramount lien for any sum due to the Exchange and all other claims against the Clearing Member for due fulfilment of engagements, obligations and liabilities of Clearing Members arising out of or incidental to any dealings made subject to and in accordance with the Bye laws, Rules and Regulations of the Exchange. The Exchange shall be entitled to adjust or appropriate such fees, deposits and other monies for such dues and claims, to the exclusion of the other claims against the Clearing member, without any reference to the Clearing member.
2. Clearing Member of the Exchange may clear and settle deals through the Clearing House in such manner and mode and subject to such terms and conditions and procedures as may be specified for the clearing member.
3. Trading Members may clear and settle deals either on their own account or on behalf of their clients and shall be referred to as Clearing Members while performing functions of clearing and settlement. Professional Clearing Members may clear and settle deals on behalf of their clients and trading members subject to such terms and conditions, which the relevant authority may prescribe from time to time.

#### 3. CLEARING AND SETTLEMENT OF DEALS

##### 3.1 DEALS FOR CLEARING AND SETTLEMENT

The Exchange shall clear and settle such deals as provided in the Bye Laws and Regulations and save as so provided, no other deals shall be cleared and settled.

Without prejudice to the generality of the above, the relevant authority may in its discretion and subject to such conditions as it may deem fit admit any other deals.

The clearing and settlement of deals shall be effected by the Clearing Member or any other persons acting through them by adopting and using such arrangements, systems, agencies or procedures as may be prescribed or specified by the relevant authority from time to time. Without prejudice to the generality of the foregoing, the relevant authority may prescribe or specify, for adoption and use by the clearing members, trading members,

participants, and other specified constituents, such custodial or other similar services from time to time to facilitate smooth operation of the clearing and settlement arrangement or system.

The function of the Clearing House may be performed by the Exchange, Clearing House or any agency identified by the relevant authority for this purpose; The Exchange may consider incorporating an independent entity to handle the clearing and settlement activities of the Exchange. As such all rights and obligations of the Clearing House may be transferred to that entity and the clearing members may be considered to be registered with it and will have to adhere to its bye-laws, rules and regulations as prescribed from time to time.

The role of the Clearing House shall be to act as a facilitator for processing of deliveries and payments between clearing members, trading members/participants for trades effected by them on the Exchange.

Settlement in each market segment of the Exchange shall be either on netted basis, gross basis, trade for trade basis or any other basis as may be specified by the relevant authority from time to time. Settlement shall be effected by clearing members giving and receiving delivery and /or paying and receiving funds as may be specified by the relevant authority from time to time in the Bye Laws and Regulations.

Save as otherwise expressly provided in the Rules, Bye Laws and Regulations, when funds and commodities or documents of title to commodities are, under a prescribed arrangement, routed through the Clearing House, the settlement responsibility shall rest wholly and solely upon the counter parties to the trade and /or the concerned clearing members as the case may be; and the Clearing House shall act as the common agent of the clearing members/ trading members / Constituents for receiving or giving delivery of commodities and for receiving and paying funds, without incurring any liability or obligation as a principal.

### 3.2 ADMISSION OF DEALS

1. Clearing and settlement shall be permitted on the Clearing House of the Exchange in deals, which are from time to time admitted on the Exchange by the relevant authority in accordance with the provisions of the Bye Laws and Regulations.
2. The relevant authority may specify contracts or commodities from time to time dealings on which may be admitted in accordance with the provisions of the Bye Laws and Regulations in that regard.

### 3.3 CONDITIONS AND REQUIREMENTS OF CLEARING AND SETTLEMENT

The relevant authority may grant admission of deals dealt in the Exchange provided all the conditions and requirements specified in the Bye Laws and Regulations and such other conditions and requirements as the relevant authority may prescribe from time to time are complied with.

### 3.4 REFUSAL OF ADMISSION OF DEALS

The relevant authority may, in its discretion, approve admission of deals or defer, or reject admission of deals for clearing and settlement on the Clearing House of the Exchange, subject to such terms as it deems fit.

### 3.5 SUSPENSION OF ADMISSION OF DEALS

The relevant authority may suspend at any time the admission of deals including of any contract or commodity or specified exchange or Exchange for such period as it may determine and reinstate such deals subject to such conditions as it may deem fit.

### 3.6 WITHDRAWAL OF ADMISSION OF DEALS

The relevant authority may where it deems necessary withdraw the admission to dealings of a specified exchange either for breach of or non-compliance with any of the conditions or requirements of admission of dealings or for any other reason whatsoever.

### 3.7 READMISSION OF DEALS

The relevant authority in its discretion may readmit deals of a specified exchange, which has been previously withdrawn.

### 3.8 PRIVACY OF CONTRACT

Except as provided herein, clearing members giving and receiving delivery as provided in the Bye Laws and Regulations shall be deemed, notwithstanding that no direct contract may exist between them, to have made a

contract with each other as sellers and buyers. However the rights and liabilities of delivering and receiving member in relation to their immediate contracting party shall not be deemed to be affected thereby except that the selling member (unless he be himself the delivering member) shall be released from all responsibility in regard to the title, ownership, genuineness, regularity and validity of the documents / commodity received by the receiving member and in regard to the loss and damages arising therefrom, which shall be dealt with in accordance with the provisions of Bye Laws and Regulations thereof.

In cases where the Clearing House may specify either generally or specifically, clearing members giving and receiving delivery and paying and receiving funds as provided in the Bye Laws and Regulations shall be deemed, notwithstanding that no direct contract exists between them, to have made a contract with the Clearing House as sellers and buyers and between themselves as delivering and receiving members; provided further however that in such event the rights and liabilities of delivering and receiving members with the Clearing House shall not be deemed to be affected thereby except that the Clearing House shall not be responsible in respect of the title, ownership, genuineness, regularity and validity of the documents delivered or received and in regard to the loss and damages arising therefrom, which shall be dealt with in accordance with the provisions of Bye Laws and Regulations thereof.

Notwithstanding anything contained above, the Clearing House may specify either generally or specifically that the Clearing House shall be counterparty to the deal specified by it and arising out of trades executed / reported on the trading system of the Exchange, admitted for clearing and settlement except the fact that in respect of failure on the part of the seller in tendering delivery, the Clearing House shall be responsible only to settle the difference amount and not to give physical delivery to the buyer. The Clearing House shall undertake to guarantee the financial settlement of all deals arising out of trades in commodities duly executed / reported on the trading system of the Exchange irrespective of default, insolvency or failure on the part of the corresponding member. Provided that the settlement guarantee by the Clearing House extends only:

- i. to its own members, and
- ii. to those transactions that have been executed, registered and accepted for clearing and settlement by the Clearing House after having been matched by the Exchange, and
- iii. to those members who are not in default in their financial obligations to the Clearing House or the Exchange

Provided however, the Clearing House shall not be deemed to guarantee the title, ownership, genuineness, regularity or validity of any goods or any document passing through the Clearing House, the object of maintaining the Clearing House being to facilitate the delivery and payment in respect of the goods or documents between members.

Provided however that the nature of guarantee by the Clearing House is strictly financial, that is:

- i. The seller will be assured the payment of the settlement price fixed by the relevant authority on the delivery/expiry date after the Clearing House is satisfied that the delivery has been completed; and
- ii. The buyer will be assured either a delivery order, or upon failure of the seller to give delivery, the monetary value of the short delivery based on the settlement price fixed by the relevant authority as on the delivery / expiry date and the monetary value based on the ready market price on the expected delivery day as may be specified by the Relevant Authority.

### 3.9 OPERATIONAL PARAMETER FOR CLEARING

The relevant authority may determine and announce from time to time operational parameters regarding clearing of deals through the Clearing House of the Exchange, which the clearing members shall adhere to.

The operational parameters may, inter alia, include:

- a) Clearing/exposure limits allowed which may include clearing/exposure limits with reference to net worth and capital adequacy norms;
- b) Clearing volumes and limits at which it will be incumbent for clearing members to intimate the exchange,
- c) Fixation of delivery lots for different settlement types;

- d) Other matters which may affect smooth operation of clearing of deals keeping in view larger interest of the public;
- e) Determining types of deals permitted for a clearing member and for a contract or commodity;
- f) Determining functional details of the clearing and settlement system including the system design, user infrastructure and system operation;

### 3.10 CLEARING HOURS

1. The hours for clearing and settling at the Clearing House shall be during such time as may be decided by the relevant authority from time to time. The relevant authority may, from time to time, specify clearing hours for different types of deals.
2. The relevant authority may declare a list of holidays in a calendar year. The relevant authority may from time to time alter or cancel any of the holidays fixed in accordance with these provisions. It may, for reasons to be recorded, suspend clearing and settlement operations in the Clearing House of the Exchange on days other than or in addition to holidays.

### 3.11 DELIVERY OF COMMODITIES

1. Delivery of all commodities, documents and papers and payments in respect of all deals shall be in such manner and the relevant authority may prescribe such place (s) as from time to time.
2. The relevant authority shall specify from time to time, the commodities, documents and papers which, when delivered in prescribed manner, shall constitute good delivery. Where circumstances so warrant, the relevant authority may determine, for reasons to be recorded, whether or not a delivery constitutes a good delivery, and such finding shall be binding on the parties concerned. Where the relevant authority determines that a delivery does not constitute a good delivery, the delivering party shall be required to substitute good delivery instead or make such payment as has been prescribed by the relevant authority within such time period as may be specified failing which appropriate action may be initiated by the relevant authority as provided in the Bye Laws, Rules and regulations from time to time.
3. The relevant authority may prescribe from time to time such norms and procedures which may include delivery with respect to market lot, odd lot, minimum lot, part delivery, delivery period, expiry date, designated tender days, delivery orders, delivery grades, delivery centers, freight adjustment factors, sampling analysis & certification method etc. shall be as prescribed by the relevant authority from time to time.
4. The relevant authority may prescribe from time to time the requirements and procedures for determining disputed deliveries or defective deliveries, and measures, procedures and system of resolving the dispute or defect in deliveries or of consequences of such deliveries or the resolution shall, subject to and in accordance with the Bye Laws, Rules and Regulations.

### 3.12 CLOSING OUT

1. A deal admitted for clearing and settlement may be transferred to another clearing member with his consent on the failure of a clearing member to comply with any of the provisions relating to delivery, payment and settlement of deals or on any failure to fulfil the terms and conditions subject to which the deal has been made, or such other circumstances as the relevant authority may specify from time to time. The deal may be transferred to another clearing member by the Clearing House in such manner, within such time frame, and subject to such conditions and procedures as the relevant authority may prescribe from time to time.
2. A deal admitted for clearing and settlement may be closed out on failure of a clearing member to comply with any of the provisions relating to delivery, payment and settlement of deals or on any failure to fulfil the terms and conditions subject to which the deal has been made, or such other circumstances as the relevant authority may specify from time to time. The deal may be closed out by the Clearing House of the Exchange in such manner, within such time frame, and subject to such conditions and procedures as the relevant authority may prescribe from time to time.
3. Without prejudice to the generality of the foregoing, the relevant authority may close out deals, inter alia, by buying in or selling out against a clearing member in the following circumstances,
  - a) in case of the selling clearing members, on failure to complete delivery on the due date; and
  - b) in case of the buying clearing members, on failure to pay the amount due on the due date,

- c) and any loss, damage or shortfall sustained or suffered as result of such closing out shall be payable by the clearing members who failed to give due delivery or to pay amount due.

### 3.13 FAILURE TO MEET OBLIGATIONS

In the event a clearing member fails to meet obligations to the Clearing House of the Exchange arising out of clearing and settlement operations of admitted deals the relevant authority may charge such interest, impose such penalties and fines and take such disciplinary action against the clearing member as it may determine from time to time. Any disciplinary action, which the relevant authority takes pursuant to the above, shall not affect the obligations of the clearing member to the Clearing House of the Exchange or any remedy to which the Clearing House of the Exchange may be entitled under applicable law.

## 4. DEALINGS BY CLEARING MEMBERS

### 4.1 JURISDICTION

1. All deals admitted by the Clearing House for clearing and settlement shall be deemed to have been entered into in the city of Mumbai unless provided otherwise expressly by the relevant authority.
2. The relevant authority may, from time to time, specify deals as subject to a particular jurisdiction, having regard to the type or nature of the deal, the exchange on which the deal was struck and other relevant factors.

### 4.2 RECORD FOR EVIDENCE

The record of the Exchange as maintained by a central processing unit or a cluster of processing units or computer processing units, whether maintained in any other manner shall constitute the agreed and authentic record in relation to any deals cleared and settled through the Clearing House of the exchange. For the purposes of any disputes regarding clearing and settlement of deals, the records as maintained by the Exchange shall constitute valid evidence in any dispute or claim between the constituents and the clearing member or between the clearing members inter-se or between the clearing members and the exchange.

### 4.3 CLEARING MEMBER ONLY PARTIES TO DEALS

The Clearing House of the exchange does not recognise as parties to deals any persons other than its own clearing members, and every clearing member is directly and wholly liable in accordance with whom such clearing member has any deal for due fulfilment of the deal or to the exchange as may be specified by the relevant authority, whether such deal be for account of the clearing member effecting it or for account of a constituent.

### 4.4 ALL DEALS SUBJECT TO BYE LAWS, RULES AND REGULATIONS

All deals shall be made subject to and in accordance with the Rules, Bye Laws, Rules and Regulations and this shall be a part of the terms and conditions of all such deals and the deals shall be subject to the exercise by the relevant authority of the powers with respect thereto vested in it by the Bye Laws, Rules and Regulations.

### 4.5 INVIOABILITY OF ADMITTED DEALS

1. All the dealings in contracts or commodities on the Clearing House of the exchange made subject to and in accordance with the Bye laws, Rules and Regulations shall be in-violable and shall be cleared and settled in accordance with the Bye laws, Rules and Regulations. However, the Clearing House of the exchange may by a notice annul the deal(s) on an application by a Clearing Member in that behalf; if the relevant authority is satisfied after hearing the other party/parties to the deal(s) that the deal(s) is /are fit for annulment on account of fraud or wilful misrepresentation or material mistake in the deal.
2. Notwithstanding anything contained in clause (1) above, the Clearing House of the Exchange may, to protect the interest of constituents in contracts or commodities and for proper regulation of the commodities market, suo moto annul deal(s) at any time if the relevant authority is satisfied for reasons to be recorded in writing that such deal(s) is/ are vitiated by fraud, material mistake, misrepresentation or market or price manipulation and the like.

3. Any annulment made pursuant to clause (1) and (2) above, shall be final and binding upon the parties to deal(s). In such an event, the Clearing Member shall be entitled to cancel the relevant deal(s) with its constituents

#### 4.6 DEALS BY REPRESENTATIVE CLEARING MEMBERS

A clearing member may authorise another clearing member to act as his representative for a specified period with the prior permission of the relevant authority.

#### 4.7 INDEMNITY

The Clearing House of the exchange shall not be liable for any activity of the clearing member or any person acting in the name of the clearing person whether authorised or unauthorised including deals cleared and settled through the Clearing House of the exchange save and except as and to the extent provided in the Bye Laws, Rules and Regulations

### 5. MARGINS AND LIMIT

#### 5.1 MARGIN REQUIREMENTS

1. The relevant authority may from time to time prescribe requirements of margins for deals cleared and settled through the Clearing House of the Exchange and the clearing member shall furnish such margin as a condition precedent.
2. Every Clearing Member has a continuing obligation to maintain margins at such levels and during such periods as may be stipulated by the Clearing House of the exchange from time to time.

#### 5.2 FORM OF MARGIN

The margins to be provided by a clearing member under the Bye Laws, Rules and Regulations in the exchange shall be in such form as may be prescribed by the relevant authority from time to time. The relevant authority may at its discretion accept deposit receipts, guarantee of a bank(s) approved by the relevant authority or securities approved by subject to such terms and conditions as the relevant authority may impose from time to time. Any such substitute like deposit receipt, securities approved by it or any other mode duly approved shall be deemed to have been pledged and/or hypothecated as the case may be in favour of the Clearing House of the exchange in respect of Exchange.

#### 5.3 QUANTUM OF MARGIN

The Clearing Member depositing margins, in the form of securities by way of pledge or otherwise or in such other mode as may be specified by the relevant authority from time to time, shall always maintain the value thereof at not less than the quantum of margin required for the time being covered by them by providing further security to the satisfaction of the relevant authority which shall determine the said value and whose valuation shall conclusively fix the amount of any deficiency to be made up from time to time

#### 5.4 MARGIN TO BE HELD BY THE CLEARING HOUSE

The margins shall be held by the Clearing House of the Exchange and when they are in the form of bank deposit receipts and securities, such receipts and securities may be transferred to such persons or to the name of a custodian or such other entity approved by the exchange. All margin deposits shall be held by the exchange and/or by the approved persons and/or by the approved custodian in such form and on such account as the exchange may deem fit without any right whatsoever on the part of the depositing clearing member or those in its right to call in question the exercise of such discretion.

#### 5.5 LETTER OF DECLARATION

A clearing member depositing margin under the provisions of these Bye Laws and Regulations shall when required to do so sign a Letter of Declaration in respect of such matters and in such form or forms as the relevant authority may from time to time prescribe.

#### 5.6 LIEN ON MARGINS

The monies paid by way of margin or bank deposit receipts or other securities or assets pledged or hypothecated by a clearing member in lieu of margin under the provisions of the Bye Laws, Rules and Regulations shall be subject to a first and paramount lien for all sums due to the Clearing House. Margin shall be available in preference to all other claims against the clearing member for the due fulfilment of his obligations and liabilities

arising out of or incidental to any deals made subject to and in accordance with the Bye Laws, Rules and Regulations or anything done in pursuance thereof.

#### 5.7 UTILISATION FOR FAILURE TO MEET OBLIGATIONS

In the event a clearing member fails to meet obligations to the Clearing House arising out of clearing and settlement operations of such deals on Clearing House as provided in the Bye Laws, Rules and Regulations, the relevant authority shall be entitled to utilise any amount paid by the said clearing member in the form of margin or any other payment retained by the Clearing House for the purpose of clearing and settlement on the Exchange.

#### 5.8 EVASION OF MARGIN REQUIREMENTS FORBIDDEN

A clearing member shall not directly or indirectly enter into any arrangement or adopt any procedure for the purpose of evading or assisting in the evasion of the margin requirements specified under the Bye Laws, Rules and Regulations.

#### 5.9 SUSPENSION ON FAILURE TO PAY MARGIN

If a clearing member fails to pay margin as required in the Bye Laws, Rules and Regulations, the relevant authority may take such action, as it may deem fit and specified from time to time including suspension. The suspension shall continue until the margin required is duly deposited.

#### 5.10 LIMITS

The Exchange may at any time in its absolute discretion, prescribe limits on exposure / turnover / open positions / open-interest for a trading member / clearing member or in a commodity, either in quantity or value or as a percentage of capital adequacy / networth / base capital or a combination of any of the above or such other method as the relevant authority may decide from time to time for all or any of the trading / clearing members / commodities.

The Exchange may at any time impose, increase, reduce or remove any limits pursuant to the above clause.

If a trading / clearing member exceeds any limit imposed by the Exchange, the relevant authority may take such action as it may deem fit and specified from time to time including close out of open positions on the member or withdrawal of trading and/or clearing facility.

#### 5.11 CLEARING FEES

The relevant authority may prescribe from time to time fees, charges and recoveries to be levied on the clearing members in respect of clearing and settlement of deals.

### 6. RIGHTS AND LIABILITIES OF CLEARING MEMBERS AND CONSTITUENTS

#### 6.1 MARGIN FROM CONSTITUENTS

A clearing member shall demand from his constituent the margin he has to provide under the Rules, Bye Laws, Rules and Regulations in respect of the business done by him for such constituent. Margins applicable on client positions have to be compulsorily collected from the clients and reported to the Exchange by the members. A clearing member shall also demand and collect such prescribed margin in cash, securities, fixed deposit receipts, liquid assets or such other forms from his constituent before undertaking to clear their obligations and to stipulate that the constituent shall pay a margin or furnish additional margin as may be specified by the Clearing House of the exchange from time to time. The constituent shall when from time to time called upon to do so forthwith pay margins and furnish additional margins as required under the Rules, Bye Laws and Regulations in respect of his obligations and as agreed upon by him with the clearing member concerned.

#### 6.2 CONSTITUENT IN DEFAULT

1. A clearing member shall not transact business directly or indirectly for a trading member or a constituent who to his knowledge is in default to another clearing member unless such trading member or constituent shall have made a satisfactory arrangement with the clearing member who is his creditor.
2. On the application of a creditor clearing member who refers or has referred to arbitration his claim against the defaulting constituent as provided in the Rules, Bye Laws, Rules and Regulations, the relevant authority shall issue orders against any clearing members restraining them from paying or delivering to the defaulting constituent any monies or securities up to an amount or value not exceeding the creditor member's claim payable

or deliverable by him to the defaulting constituent in respect of deals to the Bye Laws, Rules and Regulations, which moneys, commodities and securities shall be deposited with the exchange. The moneys and securities deposited shall be disposed of in terms of the award in arbitration and pending a decree shall be deposited with the concerned Court when filing the award unless the creditor clearing member and the defaulting constituent mutually agree otherwise.

### 6.3 CLOSING-OUT OF CONSTITUENT'S ACCOUNT

Unless otherwise specified by the relevant authority from time to time, when closing-out the account of a trading member or a constituent a clearing member may assume or take over such deals to his own account as a principal at prices which are fair and justified by the condition of the market or he may close-out in the open market and any expense incurred or any loss arising therefrom shall be borne by the constituent.

### 6.4 CLOSING-OUT BY CONSTITUENT ON FAILURE TO PERFORM A DEAL

If a clearing member fails to complete the performance of a deal by delivery or payment in accordance with provisions of the Rules, Bye Laws, Rules and Regulations, the constituent shall, after giving notice in writing to the clearing member, close out such deal through any other clearing member as soon as possible and any loss or damages sustained as a result of such closing out shall be immediately payable by the defaulting clearing member to the constituent. If the closing out be not effected as provided herein, the damages between the parties shall be determined on such basis as may be specified by the relevant authority from time to time and the constituent and the clearing member shall forfeit all further rights of recourse against each other.

### 6.5 NO LIEN ON CONSTITUENT'S COMMODITIES

If a clearing member is declared a defaulter after delivering commodities on account of his constituent, the constituent shall be entitled to claim and on offering proof considered satisfactory by the relevant authority, and in the absolute discretion of the relevant authority, receive from the Exchange accordingly as the relevant authority directs either such goods / commodities or the value thereof subject to payment or deduction of the amount if any due by him to the defaulter.

### 6.6 COMPLAINT BY CONSTITUENT

When a complaint has been lodged by a constituent with the relevant authority that any clearing member has failed to perform his dealings, the relevant authority shall investigate the complaint and if it is satisfied that the complaint is justified it may take such disciplinary action as it deems fit in accordance with the provisions of the Rules of the Exchange.

### 6.7 RELATIONSHIP BETWEEN CLEARING MEMBER AND CONSTITUENT

Without prejudice to any other law for the time being in force and subject to the Bye Laws, Rules and Regulations, the mutual rights and obligations inter se between the clearing members and their constituents shall be such as may be specified by the relevant authority from time to time.

## 7. DEFAULT - CLEARING MEMBER

### 7.1 DECLARATION OF DEFAULT

A clearing member may be declared a defaulter by direction/circular/notification of the relevant authority if:

- a) He is trading member of any exchange and the said exchange declares him as a defaulter; or
- b) He is a clearing member of any clearing house / clearing corporation and the said clearing corporation declares him to be a defaulter; or
- c) He is unable to fulfil his clearing, settlement or obligations; or
- d) He admits or discloses his inability to fulfil or discharge his duties, obligations and liabilities; or
- e) He fails or is unable to pay within the specified time the damages and the money difference due on a closing-out effected against him under the Rules, Bye Laws, Rules and Regulations; or
- f) He fails to pay any sum due to the Clearing House as the relevant authority may from time to time prescribe; or
- g) If he fails to pay or deliver all moneys, commodities, securities and other assets due to a clearing member who has been declared a defaulter within such time of declaration of default of such clearing member in such manner and to such person as the relevant authority may direct; or

- h) If he fails to abide by the arbitration award as laid down under the Rules, Bye Laws, Rules and Regulations; or
- i) If he has been adjudicated as an insolvent or being a Company incorporated under the Companies Act, has been ordered to be wound-up by a court of law in the petition filed by any of his creditors, he shall ipso facto be declared a defaulter though he may not have at the same time defaulted on any of his obligations on the Clearing House; or
- j) If he files a petition before a court of law for adjudication of himself as an insolvent or for winding-up, as the case may be, although he may not have at the same time defaulted on any of his obligations on the Clearing House; or
- k) Under any other circumstances as may be decided by the relevant authority from time to time;

#### 7.2 CLEARING MEMBER'S DUTY TO INFORM

A clearing member shall be bound to notify the Clearing House of the Exchange immediately if there by a failure by any clearing member to discharge his liabilities in full.

#### 7.3 COMPROMISE FORBIDDEN

A clearing member shall not accept from any clearing member anything less than a full and bona fide money payment in settlement of a debt arising out of a deal cleared through the Clearing House of the Exchange.

#### 7.4 NOTICE OF DECLARATION OF DEFAULT

On a clearing member being declared a defaulter a notice shall be forthwith issued to all the clearing members of the Clearing House.

#### 7.5 DEFAULTER'S BOOK AND DOCUMENTS

When a clearing member has been declared a defaulter, the relevant authority shall take charge of all his books of accounts, documents, papers and vouchers to ascertain the state of his affairs and the defaulter shall hand over such books, documents, papers and vouchers to the relevant authority.

#### 7.6 LIST OF DEBTORS AND CREDITORS

The defaulter shall file with the relevant authority within such time of the declaration of his default as the relevant authority may direct, a written statement containing the complete list of his debtors and creditors and the sum owing by and to each.

#### 7.7 DEFAULTER TO GIVE INFORMATION

The defaulter shall submit to the relevant authority such statement of accounts, information and particulars of his affairs as the relevant authority may from time to time require and if so desired shall appear before the relevant authority at its meetings held in connection with his default.

#### 7.8 INQUIRY

The relevant authority may conduct a strict inquiry into the accounts and dealings of the defaulter in the market and shall report anything improper, un-businesslike or unbecoming a clearing member in connection therewith which may come to its knowledge to the relevant authority appointed by Board for taking disciplinary actions.

#### 7.9 VESTING OF DEFAULTER'S ASSETS IN THE EXCHANGE

The Relevant Authority shall call in and realise the security deposits in any form, collateral, margin money, other amounts lying to the credit of and commodities and securities deposited by the defaulter and recover all moneys, commodities, securities and other assets due, payable or deliverable to the defaulter by any other Trading Member in respect of any transaction or dealing made subject to and in accordance with the Bye-laws, Rules and Regulations of the Exchange and such assets shall vest ipso facto, on declaration of any trading member as a defaulter, in the Exchange for the benefit of and on account of any dues of the Exchange, other trading members, Constituents of the defaulter, approved banks and any other persons as may be approved by the Relevant Authority and other recognised Exchanges.

#### 7.10 PAYMENT TO DEFAULT MANAGEMENT COMMITTEE

1. All monies, commodities, securities and other assets due, payable or deliverable to the defaulter must be paid or delivered to the Relevant Authority within such time of the declaration of default as the Relevant Authority may direct. A clearing member violating this provision may be declared a defaulter.

2. A clearing member who shall have received a difference on account or shall have received any consideration in any deal prior to the date fixed for settling such account or deal shall, in the event of the clearing member from whom he received such difference or consideration being declared a defaulter, refund the same to the Relevant Authority for the benefit and on account of the creditor members. Any clearing member who shall have paid or given such difference or consideration to any other clearing member prior to such settlement day shall again pay or give the same to the Relevant Authority for the benefit and on account of the creditor member in the event of the default of such other member.
3. A clearing member who receives from another clearing member during any clearing a claim note or credit note representing a sum other than difference due to him or due to his constituent which amount is to be received by him on behalf and for the account of that constituent shall refund such sum if such other clearing member be declared a defaulter within such number of days as specified by the Relevant Authority after the settling day. Such refunds shall be made to the Relevant Authority for the benefit and on account of the creditor members and it shall be applied in liquidation of the claims of such creditor members whose claims are admitted in accordance with the Rules, Bye Laws, Rules and Regulations.

#### 7.11 DISTRIBUTION

The Relevant Authority shall at the risk and cost of the creditor members pay all assets received in the course of realisation into such bank and/or keep them with Clearing House in such names as the Relevant Authority may from time to time deem appropriate and shall distribute the same as soon as possible pro rata but without interest among creditor members whose claims are admitted in accordance with the Bye Laws, Rules and Regulations.

#### 7.12 CLOSING –OUT

1. Clearing members having open deals with the defaulter shall close out such deals after declaration of default. Such closing out shall be in such manner as may be specified by the relevant authority from time to time. Subject to the regulations in this regard specified by the relevant authority, when in the opinion of the relevant authority, circumstances so warrant, such closing out shall be deemed to have taken place in such manner as may be determined by the relevant authority.
2. Differences arising from the above adjustments of closing out shall be claimed from the defaulter or paid to the relevant authority for the benefit of creditor clearing members of the defaulter.

#### 7.13 CLAIMS AGAINST DEFAULTER

Within such time of the declaration of default as the relevant authority may direct every clearing member carrying on business on the exchange shall, as it may be required to do, either compare with the relevant authority his accounts with the defaulter duly adjusted and made up as provided in the Rules, Bye-Laws and Regulations or furnish a statement of such accounts with the defaulter in such form or forms as the relevant authority may prescribe or render a certificate that he has no such account.

#### 7.14 DELAY IN COMPARISON OR SUBMISSION OF ACCOUNTS

Any clearing members failing to compare his accounts or send a statement or certificate relating to a defaulter within the time specified shall be called upon to compare his accounts or send such statement or certificate within such further time as may be specified.

#### 7.15 PENALTY FOR FAILURE TO COMPARE OR SUBMIT ACCOUNTS

The relevant authority may take such action as it may deem fit including levying of fine and suspension, on any clearing member who fails to compare his accounts or submit a statement of its account with the defaulter or a certificate that he has no such account within the specified time.

#### 7.16 MISLEADING STATEMENT

The relevant authority may take such action as it may deem fit including levying of fine and suspension, if it is satisfied that any comparison statement or certificate relating to a defaulter sent by such clearing member was false or misleading.

#### 7.17 ACCOUNTS OF RELEVANT AUTHORITY

The relevant authority shall keep a separate account in respect of all monies, commodities, securities and other assets payable to a defaulter which are received by it and shall defray there from all costs, charges and expenses

incurred in or about the collection of such assets or in or about any proceedings it takes in connection with the default.

#### 7.18 APPLICATION OF ASSETS

The relevant authority shall apply the net assets remaining in its hands after defraying all such costs, charges and expenses as are allowed under Bye laws, Rules and Regulations to be incurred by the Exchange, in satisfying the claims in the order of priority provided hereunder:-

- a) Dues to the Exchange: The payment of such subscriptions, debts, fines, fees, charges and other moneys due to the Exchange / Clearing House of the Exchange.
- b) Dues to other Trading Members / Clearing Members and to Constituents of the defaulter: The payments as may be admitted by the Relevant Authority, as being due to other Trading Members, Clearing Members and Constituents of the defaulter for debts, liabilities, obligations and claims arising out of any contracts made by the defaulter subject to and in accordance with the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange, provided that if the amount is insufficient then the amounts shall be distributed pro rata amongst other Trading Members, Clearing Members and all the Constituents of the defaulter. The other Trading Members / Clearing Members shall in turn share the amounts so received with their Constituents on pro rata basis.
- c) Dues to the Approved Banks, Warehouses and claims of any other persons as approved by the Relevant Authority: After making payments under Clause (b) above, the amounts remaining, if any, shall be utilised to meet the claims of the approved banks and of any other person as may be admitted by the Relevant Authority. The claims of the approved banks should have arisen by virtue of the Exchange invoking any bank guarantee issued by the bank concerned to the Exchange on behalf of the defaulter to fulfill his obligation of submitting bank guarantee, guaranteeing discharge of obligations under the Byelaws, Rules and Regulations of the Exchange. The claims of other persons should have arisen out of or incidental to the transaction done on the Exchange or requirements laid down by the Exchange, provided that if the amount available be insufficient to pay all such claims in full, they shall be paid pro rata, and
- d) Surplus: Surplus, if any, to the defaulter clearing member.

#### 7.19 CERTAIN CLAIMS NOT TO BE ENTERTAINED

The relevant authority shall not entertain any claim against a defaulter:

- a) Which arises out of a contract in commodities, dealings in which are not permitted or which are not made subject to and in accordance with Bye Laws, Rules and Regulations or in which the claimant has either not paid himself or colluded with the defaulter in evasion of margin payable on bargains in any contract or commodity;
- b) Which arises out of a contract in respect of which comparison of accounts has not been made in the manner specified in the Bye Laws, Rules and Regulations or when there has been no comparison if a contract note in respect of such deals has not been rendered as provided in the Bye Laws, Rules and Regulations;
- c) Which arises from any arrangement for settlement of claims in lieu of bonafide money payment in full on the day when such claims become due;
- d) Which is in respect of a loan with or without security;
- e) Which is not filed with the relevant authority within such time of date of declaration of default as may be specified by the relevant authority.

#### 7.20 ASSIGNMENT OF CLAIMS ON DEFAULTERS' ESTATE

A Clearing member being a creditor of a defaulter shall not sell, assign or pledge the claim on the estate of such defaulter without the consent of the relevant authority.

#### 7.21 PROCEEDINGS IN THE NAME OF DEFAULTER

The relevant authority shall be entitled to but not bound to take any proceedings in a court of law either in its own name or in the name of the defaulter as it may be advised for recovering any assets of the defaulter.

## 7.22 PAYMENT OF RELEVANT AUTHORITY

If any clearing member takes any proceedings in a court of law against a defaulter whether during the period of its default or subsequent to its re-admission to enforce any claim against the defaulter's estate arising out of any admitted deals in the market made subject to and in accordance with the Bye Laws, Rules and Regulations before it was declared a defaulter and obtains a decree and recovers any sum of money thereon, it shall pay such amount or any portion thereof as may be fixed by the relevant authority for the benefit and on account of the creditor members having claims against such defaulter.

## 8. SETTLEMENT FUND

### 8.1 CLEARING HOUSE TO MAINTAIN SETTLEMENT FUND

1. The Clearing House shall maintain Settlement Fund(s) for such purposes as may be specified by the relevant authority from time to time. The initial corpus of Settlement Fund shall be Rs. 5 (Five) crores or as decided by the Relevant Authority from time to time.
2. The relevant authority may prescribe from time to time the norms, procedures, terms and conditions governing each Settlement Fund which may inter-alia specify the amount of deposit or contribution to be made by each clearing member to the relevant fund, the terms, manner and mode of deposit or contributions, conditions of repayment of deposit or withdrawal of contribution from the fund, charges for utilisation, penalties and disciplinary actions for non-performance thereof.

### 8.2 CONTRIBUTION TOWARDS SETTLEMENT FUND

1. Each clearing member shall be required to contribute to and provide a deposit as may be determined from time to time by the relevant authority to the relevant Settlement Fund which shall be held by the Clearing House to be applied as provided in these Bye Laws, Rules and Regulations.
2. The relevant authority may specify the amount of contribution or deposit to be made by each clearing member and/or category of members, which may include inter alia the minimum amount to be provided by each clearing member.
3. The relevant authority may also specify such additions contribution or deposit that shall have to be provided towards the Settlement Fund from time to time to form part of the Settlement Fund.

### 8.3 FORM OF CONTRIBUTION/DEPOSIT

The relevant authority shall prescribe from time to time the form of contribution or deposit to the Settlement Fund. The relevant authority in its discretion, may permit a clearing member to contribute or provide the deposit either in the form of cash, securities, bank guarantee or by such other method and subject to such terms and conditions as may be specified from time to time.

### 8.4 REPLACEMENT OF DEPOSIT

By giving a suitable notice to the Clearing House and subject to such conditions as may be specified by the relevant authority from time to time, a clearing member may withdraw qualifying securities from pledge, or may cause the Clearing House to revoke an acceptable letter of credit or bank guarantee, which secured the clearing member's contribution or deposit towards the Settlement Fund, provided that the clearing member has, effective simultaneously with such withdrawal or revocation, deposited cash with, or pledged qualifying securities to the Clearing House or through such other mode as may be approved the Clearing House from time to time to satisfy his required contribution or deposit.

### 8.5 ADMINISTRATION AND UTILISATION OF THE SETTLEMENT FUND

1. The Settlement Fund shall be utilised for such purposes as may be provided in the Bye Laws, Rules and Regulations and subject to such conditions as the relevant authority may prescribe from time to time which shall include:
  - a) To defray the expenses of creation, maintenance and repayment of the Settlement Fund;
  - b) Investment in such approved securities and other avenues subject to such terms and conditions as may be decided by the relevant authority from time to time;

- c) The application of Settlement Fund to meet premium on insurance cover(s) which the relevant authority may take from time to time;
  - d) The application of Settlement Fund to meet shortfalls and deficiencies arising out of the clearing and settlement of such deals as provided in the Bye Laws, Rules and Regulations.
  - e) The application of the Settlement Fund to satisfy any loss or liability of the Clearing House arising out of clearing and settlement operations of such deals as provided in these Bye Laws, Rules and Regulations.
  - f) Repayment of the balance after meeting all obligations under these Bye Laws, Rules and Regulations to the clearing member when he ceases to be a member pursuant to the provisions regarding the repayment of deposit;
  - g) Any other purpose as may be specified by the relevant authority from time to time.
2. Save as otherwise expressly provided in these Bye Laws, Rules and Regulations, the Settlement Fund shall not be utilised for any other purpose.
  3. The Clearing House shall have full power and authority to pledge, re-pledge, hypothecate, transfer, create a security interest in, or assign any or all of the (i) Settlement fund cash, (ii) securities or other instruments in which Settlement fund cash is invested and (iii) qualifying securities pledged by a clearing member or letters of credit or any other instrument issued on behalf of a clearing member in favour of the Clearing House towards deposit to the Settlement Fund.

#### 8.6 UTILISATION FOR FAILURE TO MEET OBLIGATIONS

In the event a clearing member failing to meet obligations to the Clearing House arising out of clearing and settlement operations of such deals as provided in these Bye Laws, Rules and Regulations, the relevant authority may utilise the Settlement Fund and other monies to the extent necessary to fulfil the obligation under such terms and conditions as the relevant authority may specify from time to time.

#### 8.7 UTILISATION IN CASE OF DEFAULT

In the event a clearing member is declared a defaulter and the clearing member fails to meet the clearing and settlement obligations to the Clearing House arising out of clearing and settlement operations of such deals as provided in these Bye Laws, Rules and Regulations, the relevant authority may utilise the Settlement Fund and other monies to the extent necessary to eliminate the obligation in the following order:

- a) any amount that may be paid in the form of margin or any other payment of the defaulting member retained by the Clearing House for the purpose of the clearing and settlement; if this amount is not sufficient to settle the obligation,
- b) any contribution or deposit made by or bank guarantee arranged by the defaulting member to the Settlement fund, whether in the form of cash or securities or bank guarantee; if this amount is not sufficient to settle the obligation,
- c) the amount of security deposit, if any, made by the defaulting member to the specified Exchange to the extent not appropriated by the Specified Exchange towards the obligations of the defaulting member to it; if this amount is not sufficient to settle the obligation,
- d) the proceeds, if any, recovered from auctioning or transferring the membership of the defaulting member in the Specified Exchange, subject to deduction of the expenses relating or incidental to the auction, if this amount is not sufficient to settle the obligation,
- e) the profits available for appropriation in the respective year in which the default took place, if this amount is not sufficient to settle the obligation,
- f) the retained earnings of the Clearing House including any reserves created for this purpose to the extent available, if this amount is not sufficient to settle the obligation,
- g) the amount of contribution and deposit made by all categories of clearing members to the Settlement Fund in proportion to the total contribution and deposit made by each clearing member,
- h) If the above amount is not sufficient, the balance obligation remaining after application of the above funds shall be assessed against the clearing members in the same proportion as their total contribution and deposit and

clearing members shall be required to contribute or deposit in the Settlement Fund, within such time as the relevant authority shall require, the deficient amount.

#### 8.8 OBLIGATION TO BRING IN ADDITIONAL CONTRIBUTION OR DEPOSIT

1. If a pro-rata charge is made as mentioned in the above provision against a clearing member's actual contribution or deposit, and as a consequence the clearing member's remaining contribution and deposit towards the Settlement Fund is less than his required contribution and deposit, the clearing member shall contribute or deposit in the Settlement Fund, within such time as the relevant authority shall require the deficient amount.
2. If the clearing member shall fail to do so, the relevant authority may charge such interest, impose penalties and fines and take such disciplinary action against the clearing member as it may determine from time to time. Any disciplinary action which the relevant authority takes pursuant to the above provisions or involuntary cessation of membership by the clearing member shall not affect the obligations of the clearing member to the Clearing House or any remedy to which the Clearing House may be entitled under applicable law.

#### 8.9 ALLOCATION OF THE CONTRIBUTION OR DEPOSIT

The allocation of each clearing member's contribution and deposit towards Settlement Fund to meet the losses or liabilities of the Clearing House incidental to the operation of that clearing member may be decided by the Clearing House at its discretion.

#### 8.10 CESSATION OF THE CLEARING MEMBER

1. A clearing member shall be entitled to the repayment of deposit made by him to the Settlement Fund after :
  - a) the clearing member ceases to be a member, and
  - b) all pending deals at the time the clearing member ceases to be a clearing member which could result in a charge to the Settlement Fund have been closed and settled, and
  - c) all obligations to the Clearing House for which the clearing member was responsible while he was a member have been satisfied or, at the discretion of the relevant authority, have been deducted by the Clearing House from the clearing member's actual deposit; provided, however, that the clearing member has presented to the Clearing House such indemnities or guarantees as the relevant authority deems satisfactory or another clearing member has been substituted on all deals and obligations of the clearing member, and
  - d) a suitable amount as may be determined by the relevant authority at its discretion has been set aside for taking care of any loss arising from any document defects that may be reported in the future, and
  - e) a suitable amount as may be determined by the relevant authority at its discretion towards such other obligations as may be perceived by the Clearing House to exist or may be perceived to arise in future.
2. The relevant authority may specify rules for the repayment of deposit including the manner, amount and period within which it will be paid but at no point of time will the repayment exceed the actual deposit available to the credit of the clearing member after deducting the necessary charges from the same.
3. Any obligation of a clearing member to the Clearing House unsatisfied at the time he ceases to be a clearing member shall not be affected by such cessation of membership.

#### 8.11 RECOVERY OF LOSS AND RE-DISTRIBUTION

If a loss charged pro rata is afterward recovered by the Clearing House, in whole or in part, through insurance or otherwise, the net amount of the recovery shall be credited to the persons against whom the loss was charged in proportion to the amounts actually charged against them.

#### 8.12 LIMITATION OF LIABILITY

The liability of the Clearing House resulting from the deemed contracts of clearing members with the Clearing House and to losses in connection therefrom be limited to the extent of contributions available to the Settlement Fund. The Clearing House of the Exchange shall not be liable for obligations of the non clearing member, obligations of the clearing member to another clearing member of the Clearing House towards deals to which the Clearing House is not a party or obligations to a constituent by a clearing member and losses in connection therefrom.

## 9. INVESTOR (CLIENT) PROTECTION FUND (FUND)

9.1 The Exchange shall establish and maintain an Investor (Client) Protection Fund (Fund) to be held in trust by NCDEX Investor (Client) Protection Fund Trust (Trust).

9.2 Object of the Fund:

The object of the fund shall be

- a) To protect and safeguard the interest of investors/clients, in respect of eligible/ legitimate claims arising out of default of the member of the Exchange, and
- b) To impart investors/client education, awareness, research or such other programmes as may be decided by the SEBI and or the Exchange from time to time out of the interest earned on investments of the Fund.

9.3 Composition of Fund:

The fund shall consist of,

- (a) such contributions from the Exchange as decided/directed by the SEBI, from time to time;
- (b) all penalties, except settlement related penalties levied/ collected by the Exchange and transferred to the Fund, from time to time;
- (c) interest, dividend or other income earned arising from investments of the Fund;
- (d) accretion arising from investments of the Fund;
- (e) any other money or property forming part of the Fund.
- (f) any contribution from the member of the Exchange, as may be stipulated by the Exchange from time to time.

The Exchange shall be further empowered to call from the member such additional contributions as may be required, from time to time, to make up for the short fall if any in the Fund, at the discretion of the Exchange.

The Exchange shall ensure that the funds are well segregated from that of the Exchange and that the Fund is immune from any liability of the Exchange.

9.4 Management of the Fund:

The Trustees shall have entire control over the management of the Fund. The Trustees shall meet preferably three times during the year and not more than four months shall elapse between any two meetings. Any three Trustees present shall constitute a quorum for such meetings. Each Trustee shall have one vote and the decision of the majority shall prevail. In case of equal division, the Chairman shall have a casting vote.

9.5 Accounts and Audit of the Fund:

Unless the Board of Directors of the Exchange otherwise directs, the accounts of the Fund shall be prepared and maintained as a part of the accounts of the Exchange and shall be audited as a part of the accounts of the Exchange.

9.6 Contributions to the Fund by the Exchange:

Subject to any further directive or guidelines of SEBI, the Exchange shall contribute to the Fund;

- (a) a sum equivalent to 1% of the turnover fee charged from the members of the Exchange or Rs.25,00,000/- (Rupees Twenty five Lacs only) whichever is lower in a financial year;
- (b) a sum of all penalties as and when levied and collected, after deducting the cost of the administration, not exceeding 10 per cent in total or as may be prescribed by the SEBI, from time to time;
- (c) The Board of Directors of the Exchange may also augment the Investor (Client) Protection Fund from such sources as it may deem fit.

9.7 Contributions to the Fund By the Members:

Every member of the Exchange shall contribute periodically to the Fund, such amounts, as may be determined by the Exchange, from time to time.

#### 9.8 Threshold limit for claim:

(a) the Exchange shall be free to fix the suitable compensation limits, in consultation with the Trust. However, the maximum amount of compensation available against a single claim of an investor/Client arising out of default by a member of the Exchange shall be as prescribed by the Exchange subject to directives of SEBI, if any.

(b) the compensation payable shall not be more than actual amount payable to an investor/client subject to a maximum limit as decided by the Exchange or SEBI from time to time. The amount will be reduced by any amount or other benefits received or receivable by the investor / client from any source in reduction of the loss and by any amount payable by such investor / client to the defaulter member.

(c) the compensation payable in respect of claims against each Defaulter member shall be as prescribed by the Exchange provided however, such amount shall not exceed the maximum amount prescribed by SEBI.

The Exchange shall disseminate the said compensation limit or any change thereof to the public through Press Release and also Circulars issued by the Exchange through its website. However, SEBI may review the amount of compensation available against a single claim of a client or against each defaulter member whenever they deem fit.

(d) The Exchange, in consultation with the IPF Trust, shall review and progressively increase the amount of compensation available against a single claim of an investor, at least every three years.

#### 9.9 Persons eligible for compensation from the Fund:

Legitimate claims of investors/ clients shall only be eligible for compensation out of the Fund. No claim of member or his Authorised Person (earlier known as Sub-broker) or Franchisee or any other market intermediary of any name or nomenclature shall be eligible for compensation out of the Fund.

#### 9.10 Eligible Claims under the Fund:

Subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange,

- (a) the Fund shall be utilized to compensate eligible/legitimate claims of an investor /Client arising out of transaction on the Exchange, in the manner and to the extent as prescribed by the SEBI/relevant authority from time to time in the following circumstances;
- i. Against a member being declared a defaulter,
  - ii. Against a member who has preferred an arbitration reference pursuant to an order of IGRC.
  - iii. Against a member who has preferred an appeal against a Decision/Award as the case may be.
  - iv. Against a member who has made an application under section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.
  - v. Toward money that may be spent for the protection of investors.
  - vi. the claim fulfills such other requirements as the Exchange may specify from time to time.
- (b) the claims received against the defaulter member during the specified period as notified by the Exchange, shall be eligible for being considered for compensation from the Fund.
- (c) If any eligible claims arises within three years from the date of expiry of the specified period, such claims;
- i. shall be considered eligible for compensation from IPF in case where the defaulter member's funds are inadequate. In such cases, IPF Trust shall satisfy itself that such claim could not have been filed during the specified period for reasons beyond the control of the claimant.
  - ii. Shall not be considered eligible for compensation from IPF in case where the surplus funds of the defaulter member is returned to the defaulter member. The same shall be borne by the Exchange after scrutinizing and satisfying itself that such claims could not be filed during the specified period for reasons beyond the control of the claimant.

Provided that any claim received after 3 years from the date of expiry of the specified period may be dealt with as a civil dispute.

#### 9.11 Ineligible claims for compensation:

The Board of Directors of the Exchange or Defaulters' Committee of the Exchange or Trustees of the Trust shall not be obliged to consider the claims if such claims are arising out of or are in respect of:

(a) a contract in commodities, dealings in which are not permitted or which are not subject to and in accordance with Bye-laws, Rules and Regulations/Business Rules of the Exchange or in which the claimant has either not paid himself or colluded with the defaulter member in evasion of margin (including initial, VAR, tender period margin, delivery period margin, Special / Additional margins, etc., as applicable from time to time) payable on transactions or contracts in any commodity; or

(b) any outstanding balance or any outstanding difference in previous transactions which has not been claimed at the proper time and in the manner prescribed in Bye-laws, Rules and Regulations/Business Rules of the Exchange and/or which arises from arrangement for settlement of claims in lieu of bona fide money payment in full or part on the day when such claims become due; or

(c) a loan with or without security; or

(d) a portfolio management services; or

(e) collusive or sham transactions.

(f) Claims received against a member shall not be considered eligible for compensation from IPF where;

a. the surplus fund of the defaulter member is returned to the defaulter member and;

b. the claim has not been filed within the specified period.

c. The claim has been filed after 3 years from the date of expiry of the specified period.

'Specified period' for the purpose of this chapter means such period as may be notified by the SEBI/relevant authority as the case may be for inviting the claims.

#### 9.12 Procedure to be specified:

The Exchange/ Trustees shall be entitled to specify the procedures, subject to the guidelines/ directions issued by the SEBI from time to time, for carrying out the provisions of this Chapter and shall also be entitled to issue clarifications and directions for removing any difficulties in implementing the provisions of this Chapter.

#### 9.13 Scrutiny of the Claims by Defaulters Committee:

The Exchange shall process the claims in accordance with the procedure as may be laid down by the Defaulters Committee. In the event of an award being passed in favour of the Client and upon crystallizing the liabilities and if the assets of the defaulter member are insufficient to meet the approved claims, the Defaulters Committee shall forward the claims along with the recommendations to the Trust.

#### 9.14 Determination of the nature of claims and payment :

The Trustees shall have an absolute discretion as regards the mode and method of assessing the nature of the claims including their genuineness and shall likewise at their discretion accept, reject, or partially grant or allow claims and make payment thereof subject to the limits therein mentioned, as they may deem fit and proper. The Trustees shall admit only such of the claims which are admitted by the Defaulters' Committee or the Investors' Grievance Division/ Committee of the Exchange, and which could not be met from the assets of the defaulter member. If the Trustees are not satisfied that the claim is bona fide they shall reject the claim and inform the investor/Client accordingly along with the reasons. The Trustees may adopt the arbitration mechanism at the Exchange for determining the legitimacy of the claims received from the claimants. The Trustees may also seek the advice of the Defaulters' Committee before sanctioning and releasing the payments to be made to the claimants.

#### 9.15 Decision of the Trustees shall be Final:

The decision of the Trustees regarding settlement or other wise of the claims shall be final and binding on the claimant. Claimant shall sign an undertaking to be bound by the decisions of the Trustees.

#### 9.16 Appeal:

If any claim not entertained by the Defaulters' Committee or rejected by the Trustees, the claimant may prefer an appeal before the Board of Directors of the Exchange or any Sub-committee of the Board of Directors of the Exchange, constituted in this behalf.

The Board of Directors of the Exchange or such Sub-committee of the Board of Directors of the Exchange shall not be obliged to accept or direct payment of a claim merely because an arbitration award has been passed in favour of the investor/ Client or because the arbitration award has been passed with the consent of the Member or because the Member did not oppose the investor/ Client's claim.

The Board of Directors of the Exchange or such Sub-committee of the Board of Directors of the Exchange, shall be entitled to call upon the Client to produce such other information and documents as it may consider necessary for scrutinizing the Client's claim and may reject the claim if the Client fails to produce such information and documents.

#### 9.17 Charge on Defaulter's Assets:

Upon payment of any money out of the Fund, the concerned defaulter member shall forthwith repay the money to the Fund along with interest at the rate of 2% per month (or such other rate as the Board of Directors of the Exchange may determine), from time to time. The Exchange, for the benefit of the Fund, shall have a first charge (subject only to and subservient to the charge in favour of the Settlement Guarantee Fund under these Rules, Bye-laws and Regulations/Business Rules of the Exchange) on all assets and properties of the defaulter member wherever situated and of whatsoever nature as a security for the repayment of such money and the payment of interest thereon at the rate of 2% per month (or such other rate as the Board of Directors of the Exchange may determine), from time to time, subject only to any and all charges, mortgages and other encumbrances created thereon by the defaulter member bona fide for valuable consideration prior to the day the member is declared as a defaulter.

#### 9.18 Proceedings by the Board of Directors of the Exchange:

For the purpose of recovering any amount payable by the defaulter member to the Fund, the Board of Directors of the Exchange and/or the Managing Director / Chief Executive Officer shall be entitled to take such steps and proceedings (including but not limited to sale of any property of the defaulter or a portion thereof) as it/he may think fit against the defaulter member, the defaulter member's property and any person by whom any amount is payable to the defaulter member.

#### 9.19 Claim Not To Affect Legal Proceedings:

The rejection or partial acceptance of any claim by the Trustees or the Board of Directors of the Exchange as the case may be, or the grant of any compensation to a client claimant shall not preclude or debar such client to pursue his investor / claim for dues against the defaulter member in any court of law or otherwise howsoever or other legal action on other grounds of causes of action of whatsoever nature subject to, howsoever, that the net claim of any such investor / client against defaulter member shall stand reduced to the extent of the compensation received by him from the Fund.

#### 9.20 Investment of Fund:

The Trustees shall invest all monies of the Fund in such manner as may be authorised by law for the time being in force for investment of public charitable trust funds. All investments and banking accounts of the Fund shall be kept by the Trustees in the name of the Fund.-The Trustees shall operate the Fund and its investments in such manner as deemed fit by the Trustees in accordance with the Trust Rules and as permissible under law for the time being in force.

#### 9.21 Utilization of the Interest by the Board of Directors of the Exchange:

The Board of Directors of the Exchange may utilize only the interest earned on the Fund, subject to approval of the Trust, for investors' education, awareness or such other programme authorized by the SEBI. The corpus of the Fund will not be utilized for this purpose.

#### 9.22 Repayment by Payee Disentitled to Receive:

If any claim amount has been paid from the Fund and it is subsequently found that the payee was for any reason not entitled to receive such claim amount then the payee shall forthwith repay the same to the Fund together with interest thereon at the rate of 2% per month (or such other rate as the Exchange may specify) from time to

time, for the period commencing on the date on which the payment was received by the payee and ending on the date on which such amount is repaid by the payee.

#### 9.23 Cost /Expenses of the Administration of the Fund:

All the expenses incurred by the Trustees in connection with the creation, administration and management of the Fund including ;

- b. the sitting fees, conveyance and other expenses, etc., of the Trustees
- c. remuneration/wages of the employees of the Trust,
- d. fees of auditors, Chartered Accountants, Legal Advisors, Lawyers
- e. all rates, taxes, Cess, assessments, dues and duties, if any payable in respect of any Trust Property, income , collection, investment, contributions, and services,
- f. premium for the insurance of the building or any other insurable property movable or immovable for the time being forming part of the Trust Property.
- g. Cost and expenses incurred for
  - i. inviting claim for compensation from the investors
  - ii. settlement of claims, advertisements, training, preparation and distribution of books and periodicals on commodity derivative market
- h. all other costs, charges and expenses incidental to the management and administration of the Trust Property in accordance with the object and purposes hereof which may be incidental thereto, shall be paid out of the Fund.

#### 9.24 Loss to Fund Investments:

Any loss or diminution in value of the investments of the Fund from whatever cause arising, not being due to the willful default or fraud of any member(s) of the Exchange, or of any sub-committee or any Trustee(s), shall be borne by the Fund and the members of the Exchange or of the sub-committee or the Trustee(s) shall incur no responsibility or liability by reason of or on account thereof. In case of any such loss or diminution by reason of willful default or fraud by any member of the Exchange or of any sub-committee or any Trustee(s), the persons committing the willful default or fraud shall be personally liable for the loss or diminution and other persons who are not parties to the willful default or fraud shall not be liable for the loss or diminution.

#### 9.25 Secretariat:

The Exchange shall provide the secretariat for the Fund/ Trust.

#### 9.26 Indemnity:

The Fund shall bear all costs, charges and expenses for all suits, actions, proceedings and claims filed or made against the Trustees except those arising out of their willful default or fraud.

#### 9.27 Correspondence:

The Exchange and or the Trustees of the Trust shall not be obliged to recognize or act upon any communication unless it is in writing, discloses the identity and address of the person addressing the communication and is signed and submitted in original by the person addressing the communication.

#### 9.28 Liability of the Fund:

The liability of the Fund shall not exceed the funds available with the Trust and in respect of any unpaid claims, on account of insufficiency of funds, the Exchange / Trust/ Trustee shall not be liable and the investor/ client may proceed against the member declared as Defaulter for the same.

#### 9.29 Unutilised Fund in case of Winding UP:

In case the Exchange is wound-up, then the balance in the Fund lying un-utilized with the Trust, shall be transferred to SEBI. In such an event, the funds will be maintained in a separate account and SEBI would act as

trustee of the funds. The funds shall be utilized for purposes of investor/client education, awareness, research or such other programme as may be decided by the SEBI, from time to time.

#### 9.30 Discretionary Nature of Fund:

The Fund shall be discretionary fund and the Trust/ Trustees or the Exchange shall be under no legal obligation to collect the debt of a defaulter member and / or to make payments from the Fund as mentioned in this Chapter.

#### 9.31 Bar on Assignment:

The contribution of a member shall not be a debt due from the Fund and no member shall be entitled to transfer or assign in any manner his contribution to the Fund.

#### 9.32 Claim on the direction of any other authority on the Fund:

Claim on the direction of any other authority on the Fund may be routed through the Securities Laws.

#### 9.33 Liability of Member Unaffected by Cessation or Suspension of Membership:

Any unsatisfied obligation of a member to the Fund shall not be discharged or otherwise prejudicially affected by the suspension or cessation of his membership.

#### 9.34 Action for Failure to Pay to Fund:

The Board of Directors of the Exchange, may take such action, as it thinks fit and proper, against a member who fails to pay any amount to the Fund including action by suspending, fining, declaring him as a defaulter, canceling its/his registration as a member or expulsion from the membership of the Exchange.

#### 9.35 Powers of the Trust to recall any amount:

1. Notwithstanding anything stated elsewhere in the Rules, Bye-laws and Business Rules of the Exchange, if the Trust has reason to believe that any transaction
  - (a) is fraudulent; or
  - (b) is disallowed under any Rules, Bye-law and Business Rules of the Exchange relating to the default of a member; or
  - (c) is connected with payment or repayment of a deposit or loan; or
  - (d) has been paid erroneously then the Trust shall be entitled to recover such amount.
2. The Trust shall afford an opportunity to the concerned person(s) to be heard by giving him/them not less than seven days written notice before finally determining to recall any amount.
3. For the purpose of determining whether or not to recall any amount, the Trust shall be entitled to consider, inter alia, the surrounding circumstances, the usual course of dealings on the Exchange, the relationship between the defaulter member and the claimant, the quantity and price of the Contract involved in the transaction, other similar trades and such other matters as the Trust thinks relevant.

#### 9.36 Arbitration:

Any claim, dispute or difference between the Defaulters' Committee/ Exchange or the Board of Directors of the Exchange on the one hand and a defaulter member on the other hand in connection with any amount payable or alleged by the Defaulters' Committee / Exchange or the Board of Directors of the Exchange as being payable by the defaulter to the Fund shall be referred to the Arbitration of the Managing Director /Chief Executive Officer of the Exchange or to the Arbitration of such person from the panel of Arbitrators of the Exchange, as the Managing Director /Chief Executive Officer of the Exchange may nominate in this behalf.

### 10. SAVINGS AND CONTINUATION

A. In pursuance of section 28A of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (FCRA) the Bye laws of the Exchange made under the FCRA (referred to as 'the existing Exchange Bye laws'), shall not be applicable after a period of one year from September 29, 2015 due to repeal of FCRA with effect from September 29, 2015. Notwithstanding such repeal, -

- (i) All actions or activities pursuant to trades executed under the provisions of the existing Exchange Bye laws, including but not limited to clearing, settlement, auctions, dispute resolution or arbitration and default redressal shall be undertaken and enforced under the corresponding provisions of these Bye laws.

- (ii) All rights and liabilities accruing under the existing Exchange Bye laws including but not limited to risk management measures such as maintenance of Investor Protection Fund and Settlement Fund shall continue to accrue under the corresponding provisions of these Bye laws.
- (iii) All eligible members of the Exchange or their agents granted admission to dealings or granted permission to access the trading platform of the Exchange in terms of the existing Exchange Bye laws, shall continue to exercise such rights in the Exchange in terms of the corresponding provisions of these Bye laws, subject to provisions of SCRA and the Rules and Regulations made thereunder and the SEBI Act and the Rules and Regulations made thereunder and any directives or Circulars etc. issued by SEBI from time to time.
- (iv) Anything done or any action taken or purported to have been done or taken including any inspection, order, penalty, proceeding or notice, made, initiated or issued or any confirmation or declaration made or any license, permission, authorization or exemption granted, modified or revoked or any document or instrument executed, or any direction given under the existing Exchange Bye laws, shall be continued or enforced by the Exchange, in terms of the corresponding provisions of these Bye laws.
- (v) All violations of provisions of the existing Exchange Bye laws and any proceedings initiated or pending as on September 28, 2016, shall continue to be governed by the corresponding provisions of these Bye laws.

B. The Exchange, as directed by SEBI shall be empowered to issue clarifications with regard to any of the provisions of these Bye laws.

Date: September 23, 2016

Place: Mumbai

Mr. Samir Shah

MD & CEO.